खण्ड-385, अंक-4
सोमवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(14 मार्च, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 385 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	3—75
राष्ट्रकवि श्री सोहन लाल द्विवेदी, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दुर्जन एवं श्री राधेश्याम वर्मा के निधन पर शोकोद्गार	76—83
विधान भवन गेट नं0 3 पर श्री भगौती सिंह व अन्य कतिपय विधायकों को रोके जाने तथा उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किये जाने विषयक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	84—85
जनपद मुजफ्फरनगर में कस्बा खतौली, शाहपुर व सिसौली में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85—86
जनपद मेरठ में ओला वृष्टि से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद सीतापुर के दर्शनीय स्थलों का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
बलिया जनपद में चौकिया मोड़ पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86—87
इटावा जिलान्तर्गत लखना क्षेत्र में ओला वृष्टि से हुई क्षति के मुआवजे की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद बरेली में नीलगायों से फसलों की बर्बादी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
बेसिक विद्यालयों के सेवा निवृत्त अध्यापकों व उनकी विधवाओं के पेंशन आदि सुविधाएं दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	88—90
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	90—107
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) तथा अनुदान संख्या 75(क)-सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (जारी)	107—135

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1987-88 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत)	135
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) तथा अनुदान संख्या 75(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	136—137
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	173
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	173—175
शीतगृहों में भण्डारण दर घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	175—178
नत्थी	179—180

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
औसान सिंह, श्री	इटावा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल दिलर, श्री	अलीगढ़
गोपाल दास यादव, श्री	इलाहाबाद
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
तेज बहादुर नगवार, श्री	पीलीभीत
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
द्वारिका प्रसाद, श्री	बस्ती
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभुदयाल प्रधान	मेरठ
प्रमाली वल्डवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
बलदेव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
बुधपाल सिंह खुर्जावाले, श्री	बुलन्दशहर
बनी बाई, श्रीमती	झांसी
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
रामनरेश यादव, श्री	मैनपुरी
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
सईदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हीरा सिंह विष्ट, श्री	देहरादून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 1988

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को लागू न करने के कारण

**1—श्री धनराज यादव एवं श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग के नियमों में अनेक विसंगतियों को दूर कर सुव्यवस्थित राजस्व प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु सन् 1980 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक विधान सभा ने पारित किया, किन्तु अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 लागू न करने का क्या कारण है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 विघटित अष्टम विधान सभा में दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को पुरः स्थापित किया गया था, जो पारित होने के पूर्व ही अष्टम विधान सभा के भंग कर दिये जाने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 196 (5) की व्यवस्था अनुसार व्यपगत हो गया । फलतः विधेयक लागू नहीं किया जा सका ।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 वर्ष 1977 में प्रस्तुत हुआ था और उसको प्रवर समिति को विचार करने के लिये भेजा गया था और प्रवर समिति ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी थी । इसमें उन सभी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया था, जो इस समय 2-3 रेवेन्यू एक्ट है, उनमें विद्यमान हैं । जो 1901 का रेवेन्यू एक्ट और जमींदारी एबोलिशन एक्ट हैं, उनमें बहुत सी विसंगतियां हैं । जो पुराने मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इन एक्ट्स के द्वारा निर्णय करने में दिक्कत हो रही है, इस-लिये सबको मिलाकर एक राजस्व संहिता बनाने की आवश्यकता है, जिससे यह विसंगतियां दूर हो सकें । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को कब प्रस्तुत किया जायेगा और इसमें इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ? क्या माननीय मंत्री जी इस विधेयक को इसी सत्र में प्रस्तुत करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वयं इसकी गम्भीरता को समझा है और उसके महत्व को समझा है और माना है कि इस समय बहुत सी राजस्व विधियां हैं, जिनके स्थान पर एक विधेयक बनायी जानी है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस समय 26 राजस्व विधियां हैं, उनमें अनेकों प्रकार की दुरूहतायें हैं, जटिलतायें हैं, विविधतायें हैं, इनको समाप्त करके ऐसी राजस्व विधि की स्थापना करनी है जो सरल हो, सुबोध हो, सम्यक् हो और प्रासंगिक हो, तो जब ऐसी राजस्व विधि की स्थापना करनी है, तो उसके लिये समय चाहिये और हमेशा धीरज का फल मीठा होता है, तो आप देखते चलें कि 26 राजस्व विधियों के स्थान पर एक राजस्व विधि की स्थापना करा रहे हैं, तो उसमें कुछ समय लग रहा है, उसका मंथन हो रहा है, चिन्तन हो रहा है, जैसे कि सागर का मंथन हुआ तो उसमें नवरत्न निकले, तो इसमें जितना मंथन होगा, उतने ही रत्न निकलेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बड़े लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया है और माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस राजस्व संहिता को इतना महत्व प्रदान किया और अष्टम विधान सभा में दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को पुनरस्थापित किया गया, लेकिन वह विधान सभा भंग हो गयी, इसलिये वह व्यपगत हो गया । विधान सभा में रखने का मतलब है कि शासन ने उस पर विचार कर लिया है । मेरी जानकारी है कि पिछली विधान सभा में भी यह प्रश्न उठाया गया था और शासन ने कहा था कि इसको रखा जा रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अब शासन को कौन विचार करना बाकी रह गया है जो इस सदन में घोषणा के बाद भी उसको सदन के पटल पर नहीं रखा जा रहा है । क्या यह सही है कि इसमें राजस्व परिषद् के भंग करने की बात कही गयी है, इसलिये शासन उहापोह में पड़ गया है और उसे सदन के पटल पर नहीं रख रहे हैं ।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और प्रबुद्ध हैं और स्वयं शासन की समीपता की उन्हें निकट से अनुभूति है । इसलिये शासन की सदाशयता पर उन्हें जरा भी शंका नहीं करनी चाहिए और न शासन की इसमें कोई कदाशयता है । जैसा कि मैंने निवेदन किया इस पर मंथन और चिन्तन हो रहा है । उत्तर प्रदेश सरकार के अन्दर जितने रत्न बैठे हैं उनके समक्ष ही यह चिन्तन हो रहा है, उसका मंथन कर रहे हैं । उसके बाद जो एक-एक रत्न निकलेंगे वह आपके समक्ष आयेगा एसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार यह चाहती है कि जो बोर्ड आफ रेवेन्यू है या कोई एसी संस्था है जिसको वह भंग होने से बचाना चाहती है बल्कि यह चाहती है कि जो संहिता यहां पर पारित हो उसके बारे में दो-चार साल के बाद आप यह न कहने लगें कि इसका चिन्तन गलत हुआ है । इन्हीं सब बातों पर चिन्तन और मंथन करने के बाद वह विधान सभा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी ने सागर मंथन की बात कही । जब सागर मंथन हो रहा था तो उस समय मंदराचल पर्वत को मिलाकर मथनी बनाया गया था । जब सागर मंथन करते हुये वह मथनी डूबने लगी क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था, तो इस हेतु भगवान को कर्मा-बतार लेना पड़ा और उसने मथनी को सम्भाला । तब कहीं जाकर रत्न निकले । उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर कब तक मंथन करती रहेगी और कब रत्न निकलेंगे ? इसकी आपको चिन्ता नहीं है । जैसा माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कहा इस पर प्रवर समितियों ने विचार किया । दो पार्टियों की सरकारों ने इस पर निश्चय किया । हम भी उसके भागीदार थे । जब दूसरी सरकार बनी तो फिर उसके लिये प्रवर समिति गठित कर दी गई । उसने काफी चिन्तन के बाद एक फैसला दिया और विधेयक की शक्ल में एक रत्न पैदा हो गया । मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रवर समिति के निर्णय के बाद, इतने चिन्तन के बाद वह कौन सी एजेन्सी है जो इस पर पुनर्विचार कर रही है ? क्या प्रवर समिति से भी बड़ी कोई और समिति बैठी है, मंत्रिमंडल के स्तर पर या सरकार के स्तर पर किस बारे में विचार हो रहा है जिससे इसका रत्न निकल सके ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी की प्रबुद्धता के विषय में क्या कहा जा सकता है । वह स्वां में एक मूविंग इन्साइक्लोपीडिया हैं । उन्हें ज्ञान का खजाना माना जाता है ।

मैं बताना चाहता हूं कि आप इसकी पूरी प्रक्रिया से परिचित हैं । मैंने निवेदन किया कि इसमें अंतिम निर्णय हो चुका है और अब यह पूरा प्रकरण कैबिनेट के समक्ष विचाराधीन है । उसके विभिन्न बिन्दुओं पर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है । किसी भी क्षण आप पायेंगे कि इस पर एक क्रांतिकारी निर्णय होगा । तब आप इसकी प्रशंसा करेंगे । आपकी भावनाओं का उसमें समावेश होगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार इस राजस्व संहिता को प्रस्तुत कर देगी ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार को जितनी चुनौतियां हैं, वह आपसे छिपी नहीं हैं । वह सब आपके संज्ञान में हैं । और भी जटिलतायें हैं, यहां पर सूखा पड़ा है, कई संकट हैं । मैं कैसे कह दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और उसकी कैबिनेट द्वारा कब इस पर चिन्तन समाप्त हो जायेगा क्योंकि यह तो एक शाश्वत प्रक्रिया है ।

श्री धनराज यादव—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो साहित्यिक और लच्छेदार भाषा में जवाब दिया है लेकिन लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है । मैं आपके माध्यम से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि यह विधेयक 10 साल में सदन से पारित नहीं किया जा सका इसका क्या कारण है ? ऐसा अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, आपको स्मरण होगा मूल प्रश्न के ही उत्तर में मैंने निवेदन किया कि शासन इस मामले में सजग है इस पर संदेह करने का कोई औचित्य नहीं है । जनहित में जो भी चीज होगी उस पर निर्णय लेने के लिये शासन सतत प्रयत्नशील है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, जब यह राजस्व संहिता सदन के पटल पर रख दी गयी थी तो क्या उस समय शासन ने इसका मंथन नहीं किया था और मंत्रिमंडल के सम्मुख रखे बिना ही सदन के पटल पर रख दी गयी । सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यदि रखी गयी तो पुनः विलम्ब करने का क्या औचित्य है ?

श्री गौरी शंकर—

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी पूरी संसदीय प्रक्रिया से परिचित हैं उसे पुरःस्थापित करने के संबंध में, मैंने स्वयं आपसे ही संसदीय प्रक्रिया सीखी है । अष्टम विधान सभा के भंग कर दिये जाने के परिणामस्वरूप संविधान की धारा 195 (5) के अनुसार वह व्यपगत हो गया । अब इस पर पुनः विचार हो रहा है जो शास्वत चलता रहता है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित डार्क श्रेणी के विकास खण्डों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को नलकूप हेतु ऋण वितरण में दोहरी नीति को समाप्त करने का कथित प्रस्ताव

**2—श्री मनोहर लाल—

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित डार्क श्रेणी के विकास खण्डों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को निजी नलकूप या फ्री बोरिंग हेतु ऋण वितरण पर रोक लगाई जाती है ? क्या यह सही है कि डार्क श्रेणी के विकास खण्डों में सम्पन्न कृषकों/सरकारी कृषकों द्वारा बोरिंग पर वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध नहीं है ? क्या सरकार के पास इस दोहरी नीति को समाप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा पठारी एवं मैदानी जनपदों में विकास खण्डवार भूजल उपलब्धता का वार्षिक आंकलन करके तकनीकी प्रतिवेदन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भी प्रेषित किए जाते हैं। तदन्तर नाबार्ड द्वारा उन विकास खण्डों में जहां आंकलन की तिथि से 5 वर्षों बाद भूजल का उपयोग, वार्षिक जल रिचार्ज के 85 प्रतिशत से अधिक संभावित हो, उन विकास खण्डों को डार्क श्रेणी में घोषित कर ऋण वितरण पर रोक लगाई जाती है, जिसमें निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण वितरण भी सम्मिलित है।

निजी वित्तीय स्रोतों द्वारा बोरिंग किये जाने पर ऐसे विकास खण्डों में सम्प्रति कोई प्रतिबंध नहीं है।

जी हां। भूमिगत जल के यथोचित दोहन को नियंत्रण एवं नियमन के संबंध में, एक प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, प्रदेश के अंदर पठारी और मैदानी इलाकों में भू-जल सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उससे साबित हो गया है कि जल स्तर नीचे गिर गया है और यह पूरे प्रदेश में गिर गया है। लेकिन कुछ एरियाज में इस प्रकार के फर्जी आंकड़े जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार डार्क श्रेणी में एरियाज को घोषित करने से वहां के लघु एवं सीमांत कृषकों को जो फ्री बोरिंग की सुविधा रुक जाती है और बैंकों से जो ऋण मिलते हैं वह भी रुक जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि डार्क श्रेणी में घोषित एरियाज में लघु और सीमान्त कृषकों को यह सुविधा बन्द न हो और यह जो दोहरी नीति बनाई है इसके चलते ही फ्री बोरिंग नहीं हो पाती है और बड़े-बड़े किसान बोरिंग करवा लेते हैं तो क्या उनको भी इस नियम के अन्तर्गत लायेंगे और कोई नियम बनाकर लघु और सीमान्त कृषकों को ऋण देने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इस प्रकार के विकास खण्डों के जो लघु और सीमान्त कृषक हैं उनको बैंकों से ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जहां तक बोरिंग पर प्रतिबन्ध का सवाल है वह किसानों के हित में ही किया गया है क्योंकि जैसा मैंने बताया जहां 85 प्रतिशत से ज्यादा पानी का उपयोग होगा वहां पर कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। एक तो वहां पानी का स्ट्रेटा नीचे चला जाता है जिससे पेय जल का संकट पैदा हो सकता है और जो पम्प सेट लगे हैं उनका डिस्चार्ज भी कम हो जाता है। तो ऐसे विकास खण्डों में

यदि लघु कृषक और सीमान्त कृषकों को फ्री बोरिंग के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है और यदि उनके पम्पिंग सेट फेल हो जाते हैं या डिस्चार्ज पानी कम होगा तो पम्पिंग सेट कृषकों के लिए लाभकारी नहीं होंगे । ऐसी दशा में डार्क विकास खंडों में लघु और सीमांत कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने पर नाबार्ड ने रोक लगा दी है । यह जो प्रतिबंध लगाया गया है वह कृषकों के हित में लगाया गया है ।

जहां तक मान्यवर, निजी स्रोतों से जो कृषक पम्पिंग सेट लगाते हैं और उनको बर्दाश्त करने की क्षमता है तो उनके लिए रोक लगाने के लिए कोई प्राविधान नहीं है । इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि राज्य भूजल परिषद् जिसका निर्माण पहले हुआ था, इसका हमने पुनर्गठन किया है और इस परिषद् में कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय कमेटी बनाई गयी है जो इस पर अध्ययन करेगी और अन्वेषण से संबंधित जितने कार्य हैं उनका परीक्षण करके शासन को रिपोर्ट देगी कि किस तरह से जो पानी का स्तर नीचे जा रहा है उस पर हम आगे क्या कार्यवाही करें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया कि जो फ्री बोरिंग की सुविधा है लघु कृषकों को उससे मंत्री जी के अनुसार जल का स्तर नीचे गिरता और पानी की उपलब्धता में कमी आ जाती है किन्तु जो बड़े किसान हैं उनके पानी के दोहन करने या ट्यूबवेल लगाने पर रोक नहीं है । ऐसी स्थिति में जल स्तर तो गिरता ही रहेगा फिर लघु कृषकों को दी जाने वाली सुविधा से वंचित क्यों किया जा रहा है? आपके जो डार्क श्रेणी का मापदंड है 85 प्रतिशत का उसमें बहुधा देखा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में वाहवाही प्राप्त करने के लिए फ्री बोरिंग के फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जिसके कारण विकास खण्ड डार्क श्रेणी में आ जाता है किन्तु उसका जब फिजिकल वेरी-फिकेशन होता है तो आकड़े गलत पाये जाते हैं और उस ब्लाक को पुनः श्वेत श्रेणी में घोषित किया जाता है जैसा कि फर्रुखाबाद में विकास खंड जलालाबाद और छिबरामऊ डार्क श्रेणी में घोषित किए गए किन्तु बाद में भौतिक सर्वेक्षण पुनः उसे श्वेत श्रेणी में लाया गया । इसलिए उत्तर प्रदेश के उन तमाम विकास खण्डों को जिन्हें डार्क घोषित किया गया और किसानों को फ्री बोरिंग की सुविधा से वंचित किया गया है पुनः उनका भौतिक सर्वे कराकर फ्री बोरिंग की सुविधा किसानों को देने की क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि जो विकास खंड डार्क घोषित किये जाते हैं वह फर्जी आंकड़ों पर किए जाते हैं । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि एक बार जो ब्लाक डार्क घोषित हो गए तो सदैव उस श्रेणी में रहेंगे । चूंकि पानी का रिचार्ज लगातार होता रहता है और यदि एक-दो वर्षों में डार्क ब्लाक घोषित हो गया और अगले दो वर्षों में पानी का रिचार्ज ज्यादा हुआ तो वह ब्लाक डार्क नहीं होगा । पानी का रिचार्ज बढ़ जाने से डार्क श्रेणी से हटा दिया जाता है और पुनः श्वेत श्रेणी में ले लिया जाता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आप यह बताने की कृपा करें कि भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट कब की है और किन-किन वर्षों में इसका सर्वेक्षण हुआ है ? और उसके हुए आज कितने दिन हो गये हैं ? जो आपने जल सर्वेक्षण परिषद् का गठन किया है, यह कब से अपना कार्य शुरू

करेंगी और इसके पूर्व जिन डार्क एरिया में पानी की स्थिति अच्छी है, वहां पर फ्री बोरिंग कराने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जैसा कि आप जानते हैं यह मुतवातिर हुआ करता है । जून 86 में आकलन किया गया था और उसके अनुसार 26 विकास खण्ड डार्क श्रेणी में व 117 ग्रे श्रेणी में घोषित किये गये थे । फिर उसके बाद अगस्त, 1987 में आंकलन कराया गया, जिसके अनुसार 22 विकास खण्ड डार्क श्रेणी में तथा 113 ग्रे श्रेणी में आते हैं ।

श्री राजेन्द्र शर्मा—

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इन 22 विकास खण्डों में से मेरठ जनपद के कितने और कौन-कौन से विकास खण्ड हैं और क्या आप उनका सर्वेक्षण कराकर उन्हें श्वेत-श्रेणी में घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मेरठ जनपद में ऐसे दो ब्लाक खरखोंदा तथा राजपुर हैं, जो डार्क-श्रेणी में आते हैं ।

श्री बदन सिंह—

श्रीमन्, मैं स्वयं किसान हूं और इस संबंध में जानता हूं । यह जलस्तर नीचे उतरता है, लेकिन जल भूमि से समाप्त नहीं होता है । स्वयं मैंने अपने यहां बोरिंग गड्ढे को गहरा करके देखा है, तो उसमें पट्टा और मोटर ज्यादा हार्स पावर का लगाना पड़ता है और पानी पूरा फिर आने लगता है । तो किसान का जलस्तर नीचे उतरने पर मोटर का खर्च ज्यादा देना चाहिए था, किन्तु वहां पर डार्क एरिया घोषित करके मदद समाप्त कर दी गई है, तो क्या जहां पर गड्ढे ज्यादा खोदने पर पानी मिलता है वहां पर किसानों के लिए श्वेत ब्लाक घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मैं जानता हूं बदन सिंह जी एक बड़े किसान हैं, वह अपने निजी क्षेत्र को चाहे जितना गहरा खोद लें और गहरा खोदने के बाद भी फेल हो जाएं, तो यह उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सीमान्त किसान को तो सरकार को प्रोटेक्ट करना है । जहां नीचे जल है, जहां 85 प्रतिशत से ज्यादा जल का उपयोग है वहां के छोटे किसान को फ्री बोरिंग से प्रतिबन्ध पर उसका ही फायदा होगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप कहते हैं कि फर्जी आंकड़े नहीं दिए गये हैं और हमारा कहना है कि फर्जी आंकड़े दिए गये हैं आप आंकड़े मिलवाकर देख लें । मान्यवर, कलौरा और बरौली में पूरे क्षेत्र में कोई नहर नहीं है और जो जमीन का वाटर लेबिल है वह 17 फीट से लेकर 20 फीट कर दिया गया है और इसको डार्क घोषित कर दिया गया है ? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, आकलन तो बराबर होता रहता है और उसी के आधार पर इनका क्षेत्र डार्क घोषित किया गया होगा । इसको देख लिया जाएगा अगर वार्षिक जल रिचार्ज 85 प्रतिशत से कम होगा तो उसको व्हाइट घोषित कर दिया जाएगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हाई स्कूल पाठ्यक्रम के लिये प्रकाशित पुस्तक "आतंकवादी आन्दोलन" में उल्लिखित शब्द "आतंकवादी" को हटाकर "क्रान्तिकारी" शब्द का प्रयोग

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री धनराज यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाई स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित सामाजिक विज्ञान भाग एक पुस्तक में "आतंकवादी आन्दोलन" शीर्षक में खुदीराम बोस, प्रफुल्लचाकी, अरविन्द घोष आदि क्रान्तिकारी राष्ट्रभक्तों को "आतंकवादी" क्यों कहा गया है ? क्या सरकार आतंकवादी शब्द हटाकर उन्हें राष्ट्रभक्त क्रान्तिकारी शब्दों से सम्बोधित कराने की कृपा करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

क्योंकि प्रश्नगत पुस्तक वर्ष 1983 में लिखाई गई थी और उस समय "आतंकवादी" शब्द का प्रयोग उन सन्दर्भों में नहीं होता था जिनमें वर्तमान में हो रहा है।

राष्ट्र भक्तों के लिये प्रयुक्त "आतंकवादी" शब्द को हटा कर उसके स्थान पर "क्रान्तिकारी" शब्द प्रयोग करने का निर्णय परिषद् द्वारा लिया जा चुका है। भविष्य में संशोधन के अनुसार ही पुस्तकें छपाई जायेंगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रश्न पूछने के पहले आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो उन्होंने "आतंकवादी" के स्थान पर "क्रांतिकारी" शब्द रखने का निर्णय लिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा प्रपत्र माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों को तथा जिला शिक्षा अधिकारी को जारी कर दिया जाए कि आज से अध्यापक जब हिन्दी पढ़ाएं तो "आतंकवादी" के स्थान पर 'क्रान्तिकारी' शब्द का प्रयोग करेंगे और अगर किसी ने साहस करके परीक्षा में 'क्रान्तिकारी' शब्द का प्रयोग कर दिया है तो उसे गलत न माना जाए क्या ऐसे आदेश देने की कृपा मंत्री जी करेंगे कि वह प्रपत्र जारी कर दिया जाए ?

श्री सिब्ते रजी—

मैं बहुत ही सम्मानित सदस्य से कहना चाहूंगा कि शासन का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के क्रान्तिकारी के प्रति ऐसा रवैया नहीं है जिसका इन्होंने वर्णन किया है। हम उनकी इज्जत करते हैं और आदर करते हैं जैसा कि माननीय सदस्य भी करते हैं। यह जो आतंकवाद शब्द लिखा गया था यह किसी दुर्भावना के तहत नहीं लिखा गया था। जिस वक्त यह पुस्तिका लिखी गई थी उस समय परिवेश बदले हुए थे, तब आतंकवाद का उस सन्दर्भ में नहीं लिया जाता था जिस सन्दर्भ में आज लिया जा रहा है।

मान्यवर, यह बात आज की नहीं है। 1971 में डा0 ताराचन्द ने जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं उन्होंने अपनी किताब भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास के पृष्ठ 497 पर लिखा है कि "लेकिन दमन की कठोर कार्यवाहियों से आतंकवादियों को कुचला नहीं जा सका और भारत में वे भूमिगत होकर काम करते रहे तथा विदेशों में रहकर सशस्त्र विद्रोह की योजनाएं बनाते रहे।" मान्यवर, शब्द कोश में भी देखा जाय तो आतंकवादियों का विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया है। हिन्दी शब्द सागर में आतंकवाद

का जो अर्थ है वह है दबदबा, प्रताप । मान्यवर, जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा तो इस संबंध में परिपत्र पहले ही भेजा जा चुका है और स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं । प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे 'आतंकवादियों' के स्थान पर 'क्रान्तिकारी' शब्द पढ़ाएं और भविष्य में जो पुस्तकों के संस्करण निकलेंगे उनमें 'क्रान्तिकारी' शब्द रखा जायगा ।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि "आतंकवादियों" शब्द को पहले सम्मानसूचक माना जाता था तो कब से इस शब्द को अपमानसूचक माना गया और इसको अपमानसूचक शब्द मानने के आधार क्या हैं ? किस आधार पर आपने इसका आंकलन किया, कब आपकी समझ में आया कि यह शब्द उचित नहीं है ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया काल और चक्र के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं । इसी आधार पर आप देखेंगे कि जिन्हें आज हम आतंकवादी कहते हैं उनको कुछ लोग शहीद भी कहते हैं । सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जो हमारे सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके संबंध में इस शब्द का परिवर्तन कर दिया जाय ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस समय आतंकवादियों को क्रांतिकारी माना जाता था । और इसी शब्द से संबंधित किया जाता था । लेकिन जो अब पाठ्यक्रम बनाया गया तो इनके विभाग को समझ लेना चाहिए था कि इस समय इनको 'क्रान्तिकारी' शब्द से संबोधित किया जाना चाहिए । जहां तक सरकार की बात है वह राष्ट्रभक्तों का सम्मान करती है । लेकिन इनके विभाग ने योग्यता का परिचय नहीं दिया है । क्या माननीय मंत्री जी नया एडीशन शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करायेंगे और उसमें 'क्रान्तिकारी' शब्द रखेंगे । कब तक नया एडीशन प्रकाशित कर देंगे और क्या तब तक पाठ्यक्रम स्थगित कर देंगे जब तक कि आतंकवादियों के स्थान पर क्रान्तिकारी शब्द न हो जाय ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, इस संबंध में यह कार्यवाही की गयी है कि वर्ष 1986-87 के जिन आबंटियों ने अभी तक आदर्श प्रति प्राप्त नहीं की है उन्हें तथा वर्ष 1987-88 के सभी आबंटियों को उपर्युक्त संशोधन के साथ आदर्श प्रति दी जायेगी ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो किताब उन्होंने दिखायी है, मैं जानना चाहता हूं कि डा0 ताराचन्द जी का क्या इतिहास था ? इनका क्या योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा है ? उस समय क्रान्तिकारियों के लिए इंकलाबी शब्द का प्रयोग होता था । मंत्री जी तो उस वक्त होंगे भी नहीं । जरा ताराचंद जी का इतिहास तो बता दीजिए ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, डा0 ताराचन्द हमारे देश के एक माने जाने इतिहासकार रहे हैं । पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत सरकार ने स्वतंत्रता आन्दोलन की

प्रक्रिया और उससे संबंधित सभी पक्षों के निष्पक्ष विश्लेषण हेतु उसके इतिहास लेखन की योजना बनायी । तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने डा0 ताराचन्द को उस गंभीर दायित्व का निर्वाह करने को कहा जिसे उन्होंने स्वीकार किया । मौलाना आजाद स्वयं डा0 ताराचन्द की इतिहास विषय अभिरुचि से परिचित थे क्योंकि भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार के रूप में लगभग 4 वर्षों से डा0 ताराचन्द कार्यरत थे ।

इतिहास लेखन की इस शासकीय योजना में डा0 ताराचन्द को "विशेषज्ञ समिति" का अध्यक्ष बनाया गया । उन्होंने "योजना समिति" के अध्यक्ष के रूप में भी तत्संबंधित कार्य किया ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

माननीय मंत्री जी ने डा0 ताराचन्द के बारे में बताया, इससे इस सरकार की मानसिकता का विश्लेषण हो जाता है । यह वही मानसिकता है जिसने सुभाष चन्द्र बोस को आतंकवादी कहा है । इतिहास का मैं भी विद्यार्थी रहा हूं । डा0 ताराचन्द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के [XXX] रहे हैं । उन्होंने इस देश के इतिहास को विकृत किया है । यह इतिहासकार उन लोगों में से थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के रक्त रंजित इतिहास को विकृत किया और एक दूसरी दिशा देने की कोशिश की ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

मैं कहना चाहता हूं कि उस समय जिन्होंने देश को आजादी दिलाने का संघर्ष किया तो वह आतंकवादी नहीं थे । इनको इंकलाबी उस समय कहा जाता था । तो क्या माननीय मंत्री जी जितनी पाठ्यपुस्तकें हैं जिनमें उनको आतंकवादी कहा गया है तो उनका परीक्षण कराकर इस चैप्टर को निकालने का आश्वासन देंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, यहां पर एक किताब सामाजिक विज्ञान, हाई स्कूल के बारे में पूछा गया है जिसके बारे में मैंने अपना मन्तव्य बता दिया । जिस समय यह शब्द प्रयोग किया गया उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं । आज देशद्रोहियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है इसलिए जनभावना, नागरिकों की भावना को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन कर दिया गया है और भविष्य में ऐसा नहीं लिखा जायगा ।

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक प्रश्न की इजाजत और दे दें ।

(इजाजत नहीं दी गयी)

जनपद लखनऊ के अशासकीय सहायताप्राप्त कतिपय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इण्टर कालेजों के शिक्षक, कर्मचारियों के भत्ते के भुगतान में एकरूपता

*2—श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के कौन-कौन से अशासकीय सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कालेज हैं जिनके शिक्षक/शिक्षिकाओं, कर्मचारियों ने जिनका मूल वेतन 1200 रु0 से कम है, ने आवास भत्ता विषयक

[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

निर्गत सजाज्ञा सं0 1-1795/दस-81-209-81, दिनांक 15-12-81 के अंतर्गत 6 व 7 के अनुसार प्रमाण-पत्र विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को उपलब्ध करा दिए हैं किन्तु माह नवम्बर, 86 से उनका उक्त भत्ते का भुगतान रोक दिया गया है ? कौन-कौन से विद्यालय ऐसे हैं जिनमें उसी प्रमाण-पत्र के आधार पर भुगतान किया जा रहा है ? इस दोहरे मापदण्ड का क्या कारण है ? क्या पूरे जनपद में एकरूपता लायी जायगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जनपद लखनऊ के आवासीय भत्ता प्राप्त 82 विद्यालयों में से 16 विद्यालयों के 106 शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों को वित्त विभाग के मकान किराए भत्ते की अनुमन्यता संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या जी—1-2569/दस-83—209/81, दिनांक 28 फरवरी, 1984 के संदर्भ में आवासीय भत्ता अनुमन्य नहीं हुआ ।

जनपद के शेष 66 विद्यालयों में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-2-1984 में निहित निर्देशानुसार यथास्थिति बनी रही । इन 66 विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों को नियमानुसार मकान किराये भत्ते का भुगतान किया जा रहा है ।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-2-84 के स्पष्टीकरण के अनुसार अनुमन्य शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों को आवासीय भत्ता दिया जा रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासनादेश 81 के अन्तर्गत लखनऊ में उन शिक्षक/शिक्षिकाओं का जिनका नवम्बर, 86 तक का आवासीय भत्ता बन गया उनका नवम्बर, 86 तक रोकने का क्या औचित्य था ? क्या जिस आधार पर यहां रोका गया उसी आधार पर अन्य जनपदों में भी आवास भत्ता रोका गया ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, वित्त सामान्य अनुभाग-1, संख्या जी-1-2569/दस-83—209/81, दिनांक 28 फरवरी 1984 के द्वारा एक ही आवास में रहने वाले सेवायोजित दोनों पति तथा पत्नी को मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता का कार्यालय ज्ञाप है । जो इन्होंने कहा है इस कार्यालय ज्ञाप द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, संस्थानों आदि में जिनमें मकान किराया भत्ता सरकारी सेवकों पर लागू शर्तों के अनुरूप दिया जाता है, मकान किराया भत्ता एक मकान के संदर्भ में पति अथवा पत्नी दोनों में से केवल एक को ही अनुमन्य होगा और वह भी उनमें से उसके वेतन के संदर्भ में देय होगा जिसके नाम से आवास किराये पर हो या जो अपने निजी आवास/परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व के आवास/हिन्दू अविभाजित परिवार के स्वामित्व के आवास के कर के भुगतान का उत्तरदायी हो । यदि पति तथा पत्नी में से किसी एक को सरकारी आवास (किराये पर अथवा निःशुल्क) दिया गया हो तो दूसरे को उसी आवास में साथ रहते हुए मकान किराया भत्ता देय न होगा ।

मान्यवर, वर्ष 1984 की इस वित्त सामान्य अनुभाग के स्पष्टीकरण के बाद यह आवश्यक हो गया था कि समस्त विद्यालयों के जितने शिक्षक और शिक्षिकाओं को इस प्रकार का आवास भत्ता मिल रहा है उनसे इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट लिया जाय और इस प्रकार उनसे एक स्मरण-पत्र लिया जाय कि इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, जहां-जहां इसका उल्लंघन नहीं हो रहा था और जिन्होंने इस प्रकार का सर्टिफिकेट दे दिया, उनको आवास भत्ता दिया जा रहा है ।

श्री मैनजर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन नियमों का आपने हवाला दिया है वह नियम आप और आपकी बीबी पर लागू होता है या नहीं ? मान्यवर, रीवर बैंक कालोनी में माननीय मंत्री जी का आवासीय बंगला है । उस बंगले में, इनकी बीबी श्रीमती चांद फरहाना सहायक अध्यापिका (जीव विज्ञान) एल0 टी0 वेतनक्रम में जनता गर्ल्स इण्टर कालेज, आलमबाग, लखनऊ में है, रहती है तो उनको कैसे आवास भत्ता अनुमन्य हो गया है, मुझे पता नहीं है । मेरा कहना है कि अगर माननीय मंत्री जी की बीबी को मिले तो इन गरीब अध्यापिकाओं को भी मिले जो अल्प वेतन भोगी है और जो आप जैसे सम्पन्न नहीं है ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, जिस विद्यालय ने इस प्रकार का एक प्रमाण-पत्र दिया है जिसके अन्दर यह कहा गया है कि राजाज्ञा संख्या इतने इतने के अनुसार 15-2-81 के निदेशानुसार मकान किराया दिया जा रहा है तो इसमें सन् 84 की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं है । ऐसे समस्त विद्यालयों को इस प्रकार का जो हमारा आवासीय भत्ता है, वह दिया जा रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मियां बीबी एक ही बंगले में रहते हों तो एक को ही मिलेगा आवासीय भत्ता और दूसरे को अनुमन्य नहीं होगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी का आवास रीवर बैंक कालोनी में है और उसमें इनकी बीबी भी रहती है, उनको कहते हैं कि वहां के प्रबन्धक ने प्रमाण-पत्र दे दिया तो जहां प्रबन्धक ने गरीब शिक्षक, शिक्षिकाओं के लिए आवास भत्ते का प्रमाण-पत्र नहीं दिया है तो क्या अपने प्रभाव का प्रयोग करके उनको भी एक प्रमाण-पत्र दिलवा देंगे ताकि उन गरीबों को भी मिले हमारा प्रश्न है कि जो नियम लागू हो आप पर, हम पर वही उन गरीब शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी लागू हो तो क्या अपने प्रभाव का प्रयोग करके उन गरीब शिक्षक शिक्षिकाओं को आवास भत्ते का प्रमाण-पत्र दिलवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, नियमानुसार जो कार्यवाही है वह की जायेगी । इसके साथ ही साथ लखनऊ के जो 16 विद्यालय हैं जिन्होंने इस प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जो डी0 आई0 ओ0 एस0 ने मांगा था डी0 आई0 ओ0 एस0 के आदेश से उसको सुनिश्चित किया जायेगा । इन 16 विद्यालय को भी इसी प्रकार का सर्टिफिकेट देने पर दुबारा आवासीय भत्ता, अगला पिछला भी देना हो तो उसे अनुमन्य कर दिया जायेगा ।

प्रदेश में यूक्लिप्टस के वनीकरण पर प्रतिबन्ध

*3—श्री अशोक वाजपेयी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ शास्त्रियों एवं मृदा परीक्षण विशेषज्ञों की राय है कि यूक्लिप्टिस के अधिक मात्रा में पेड़ लगाये जाने से भूमि अनउपजाऊ एवं ऊसर हो जाती है ? यदि हां, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए क्या प्रदेश में यूक्लिप्टिस के वनीकरण पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

यूक्लिप्टिस के वृक्षारोपण से भूमि के ऊनउपजाऊ या ऊसर होने के विषय में विशेषज्ञों के भिन्न-भिन्न मत हैं परन्तु उपलब्ध वैज्ञानिक परीक्षणों एवं अनुसंधानों के आधार पर यूक्लिप्टिस के रोपण से भूमि अनउपजाऊ एवं ऊसर होने की बात सिद्ध नहीं होती है । अतः ऐसी स्थिति में यूक्लिप्टिस के वृक्षारोपण पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

क्योंकि यूक्लिप्टिस शीघ्र उगने वाली एक बहुउपयोगी प्रजाति है ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मान्यवर, इस सम्बन्ध में अलग-अलग वैज्ञानिकों की अलग-अलग राय है, क्या मेरी इस जानकारी को आधार मानते हुए कि भूगर्भशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों की निश्चित राय है कि जहां-जहां यूक्लिप्टिस के पेड़ लगे हैं, वहां का जल स्तर नीचे चला जाता है और वहां की जमीन क्षारीय हो जाती है और वह जमीन ऊसर होना प्रारम्भ हो जाती है । विभिन्न रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी से स्पष्ट हो चुका है । इसी आधार पर कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में यूक्लिप्टिस के पेड़ों के लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और वहां पर यहां तक निर्णय लिया गया है कि यूक्लिप्टिस के पेड़ उखाड़कर फेंक दिये जायं । क्या इसको आधार मानते हुए मा0 मंत्री जी प्रदेश में यूक्लिप्टिस के वनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है । वैज्ञानिकों के अपने-अपने भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन इस पर जो अथारिटी हैं, डेविडसन, उनका कहना है कि यूक्लिप्टिस के लगाने से कहीं कोई अनउपजाऊ भूमि नहीं होती । उसकी डिटेल हमारे पास है । मा 0सदस्य चाहें तो मैं उस रिपोर्ट को जो कम से कम 16-18 पेज की है, पढ़ सकता हूं और सरकार इस मामले में कोई भी नया कदम उठाने नहीं जा रही है ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न वैज्ञानिकों की अलग-अलग राय हो सकती है, तो क्या कुछ वैज्ञानिकों की यह भी राय है कि यूक्लिप्टिस के पेड़ लगाने से पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और जमीन क्षारीय हो जाती है ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, जितने वैज्ञानिकों की राय हमारे पास आयी है, उनके बारे में मा0 सदस्य से चर्चा की और दूसरे वैज्ञानिकों की क्या राय है, इसके बारे में मा0 सदस्य यदि उनकी राय देंगे तो उसका परीक्षण करा देंगे ।

[सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के सिविल एवं यांत्रिक अभियन्ताओं को अन्य विभागों में संविलीन किये जाने का कथित प्रस्ताव

*2—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के सिविल एवं यांत्रिक अभियन्ताओं को लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में संविलीन किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो जल भूवैज्ञानिकों एवं भूभौतिकविदों को किस विभाग में संविलीन किया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है जी नहीं, किन्तु मान्यवर, भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में बहुत असंतोष है और इसका कारण उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है । भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में जितने भी भूवैज्ञानिक, भूभौतिकविद् और अभियन्ता हैं, वे पिछले 12—14 वर्ष से कार्यरत हैं, लेकिन उसके विभागाध्यक्ष के रूप में लगातार, निरंतर सिंचाई विभाग के अभियंताओं को प्रतिष्ठापित किया जाता रहा है । इसका परिणाम यह है कि थोड़े दिन पहले बुन्देलखण्ड और झांसी में बोरिंग सिविल अभियन्ताओं द्वारा स्थल चयन करके कराई गयी, जिससे करोड़ों रुपयों का लास हुआ । भू जल सर्वेक्षण संगठन में भूजल सर्वेक्षण से संबंधित अभियंता भी हैं, वे स्थल का चयन करके बोरिंग करें, तो अधिक ठीक रहेगा । लेकिन वहां स्थिति यह है कि इस विभाग में अनेकों रिटर्स हाईकोर्ट में सर्विस मैटर्स को पेंडिंग हैं और दूसरी तरफ उनको कोई तकनीकी मार्ग निर्देशन दिया निर्देशन भी नहीं मिलता है । इस संगठन के कार्य की एक विशेष तकनीकी प्रक्रिया है, विशेष प्रयोजन के लिये यह गठित हुआ था । यह भी कहना चाहता हूं कि जो पुनर्गठन कमेटी 1984 में बनी थी, उसने संस्तुति की थी कि इन सब का सम्वर्ग एक कर दिया जाय । माननीय मंत्री जी अपने विभाग में चल रहे शीत युद्ध को समाप्त करने के लिये, भूजल सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिये, उनको प्रोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिये क्या एक सम्वर्ग बनाने की कृपा करेंगे ? इसके अतिरिक्त भूवैज्ञानिकों को भूभौतिक विदों को मार्ग निर्देशन के लिये, जैसा कि केन्द्रीय भू जल बोर्ड में है, एक अतिरिक्त अधिकारी की नियुक्ति करने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, आप प्रश्न के दोनों भाग और उसमें दिये गये दोनों उत्तरों को देख लें । उसमें स्पष्ट कह दिया गया है । भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन चाहे उसमें भूभौतिकविद् हों, भूवैज्ञानिक हों, सिविल अभियंता हो, मैकेनिकल अभियंता हों इन्हें किसी दूसरे विभाग से सम्बद्ध करने का प्रश्न ही शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है । इसके अतिरिक्त जो आप दूसरे सवाल पूछ रहे हैं, इसके लिये अलग से सवाल दे दीजिये, उसका जवाब दे दूंगा ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में आपके जिओहाइड्रोलाजिस्ट हाइड्रोफेजिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर होते हैं । मान्यवर, एक तो ठीक से और पूरे भाग का सर्वेक्षण कार्य नहीं होता है, जिसके कारण वाटर लेविल नीचे चला जाता है । आपके यहां 32 प्रतिशत सिविल इंजीनियर हैं, 62—65 फीसदी वैज्ञानिक हैं । जब वहां वैज्ञानिक उपलब्ध हैं, योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं, तो फिर सिविल इंजीनियर को विभागाध्यक्ष बनाने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इस भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में विभिन्न सिस्टम के लोग कार्य करते हैं। वहां यांत्रिक अभियन्ता भी हैं, सिविल अभियन्ता भी हैं, हाइड्रोलाजिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। तो विभिन्न संवर्गों के लोगों के विभिन्न काम हैं विभाग में जहां जिसकी उपयोगिता है वहां पर उनसे काम लिया जाता है।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, सर्वेक्षण के बाद सिविल इंजीनियर का कार्य आता है। फिर इस भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिविल इंजीनियर को विभागाध्यक्ष बनाने का क्या औचित्य है? इसे आप बतायें?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जैसा मैंने पहले बताया सिविल इंजीनियर का भी काम है, मैकेनिकल इंजीनियर का भी काम है, साइंटिस्ट का भी काम है। विभिन्न सिस्टम के लोगों की विभिन्न योग्यता के अधिकारियों की इसमें आवश्यकता है। जहां तक निदेशक के पद का प्रश्न है, उसके लिये कोई क्वालीफिकेशन तय नहीं है कि सिविल इंजीनियर होगा, या यांत्रिक इंजीनियर होगा या साइंटिस्ट होगा। जो उपयुक्त पाया जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण स्तर पर खास-कर दो लोग बैठे हुए हैं, एक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का जे0 ई0 और दूसरा लघु सिंचाई योजना का जे0 ई0। एक ही ब्लाक में दोनों ही जे0 ई0 अलग-अलग कार्य देखते हैं। आर0 ई0 एस0 के जो जे0 ई0 ब्लाक में बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, लघु सिंचाई योजना के जो जे0 ई0 बैठे हुए हैं उनके पास थोड़ा काम है। इन कठिनाइयों को देखते हुए और इसके लिये जो वित्तीय भार शासन पर पड़ रहा है उसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी कम से कम लघु सिंचाई विभाग के जो अधिकारी इस तरह के वहां पर बैठे हुए हैं और आर0 ई0 एस0 के हैं इन दोनों को एक ही संवर्ग करने का आश्वासन देंगे, विचार करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मुझे आश्चर्य है कि माननीय ओझा जी इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं कि लघु सिंचाई और आर0 ई0 एस0 दोनों को एक करेंगे? मान्यवर, दोनों का काम एक जूनियर इंजीनियर करे, जबकि दोनों भिन्न-भिन्न हैं जैसे बिल्डिंग बनाने का काम, सड़क बनाने का काम आर0 ई0 एस0 से होता है और बोरिंग का काम, पानी की उपलब्धता का कार्य माइनर इरीगेशन से होता है और मान्यवर, आपको विदित ही है कि कितना बड़ा काम इस माइनर इरीगेशन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस वर्ष 65 हजार फ्री बोरिंग की गई हैं, अगले वर्ष में इनके और बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार मान्यवर, माइनर इरीगेशन के अधिकारियों से आर0 ई0 एस0 का काम लिया जाना संभव नहीं है। दूसरी तरफ आर0 ई0 एस0 60 करोड़ रुपये का काम कर रहा है। इस काम को करने के लिये जो आर0 ई0 एस0 के अधिकारीगण हैं जैसे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर आदि, वहीं कम पड़ रहे हैं। दोनों को एक कर देने से काम की गुणवत्ता में भी प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार दोनों विभागों का काम एक विभाग से संभव नहीं हो सकता।

*3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

*4—श्री सरदार सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री रमाकान्त मिश्र—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स न लागू करके पुनः द्विवर्षीय डिग्री कोर्स रखने की मांग

*5—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने से प्रदेश के छात्रों में व्यापक असंतोष है और आन्दोलन शुरू हो गया है ? क्या सरकार इसे समाप्त करके पहले की ही भांति दो वर्ष का डिग्री कोर्स रखने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि त्रिवर्षीय डिग्री कोर्सेस के खिलाफ हर जगह प्रदर्शन और धरने हो रहे हैं और सभी छात्र संगठनों में इसके खिलाफ व्यापक असंतोष है । मैं जानना चाहूंगा कि दो वर्षीय डिग्री कोर्स को त्रिवर्षीय कोर्स करने का क्या कारण है ? जबकि दो वर्षीय डिग्री कोर्स में वैसे ही पढ़े-लिखे लोग निकलते थे, तो इसे त्रिवर्षीय क्यों किया गया ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो बातें उठाईं । पहली बात जो आपने उठाई कि हर जगह आन्दोलन और धरने हो रहे हैं और मंत्री जी बतला नहीं रहे हैं । मान्यवर, अगर यह प्रश्न देखने का कष्ट करें तो उसमें लिखा है कि क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने से प्रदेश के छात्रों में व्यापक असंतोष है और आन्दोलन शुरू हो गया है । उसके उत्तर में मैंने कहा कि पहले ऐसा था और माननीय सदस्य की बात भी सही है लेकिन इस समय सारी यूनिवर्सिटी में कोई आन्दोलन नहीं हो रहा है । दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही क्या दो वर्षीय डिग्री कोर्स करने पर मंत्री जी विचार करेंगे । उसके संबंध में मैंने कहा कि प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि राज्य सरकार कोई इस मामले में निर्देश नहीं दे सकती । इसमें जो भी निर्देश है वह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के हैं या यूनिवर्सिटीज के हैं । इसमें राज्य सरकार को कोई निर्देश देने का प्रश्न नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन छात्रों ने पिछले साल फार्म भरे थे, उन्होंने दो साल के कान्टेक्ट पर फार्म भरे थे । तो क्या उन छात्रों को जिन्होंने दो साल के कान्टेक्ट पर फार्म भरे हैं, दो वर्षीय कोर्स ही रहने

देंगें ? और जिन छात्रों ने इस वर्ष फार्म भरे हैं, उन पर त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स लागू करेंगे ? दूसरी बात जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां तीन साल के कोर्सेस हैं, लेकिन वहां पर आनर्स की डिग्री दी जाती है । तो क्या आप भी ऐसी व्यवस्था करेंगें कि जो द्विवर्षीय कोर्स को त्रिवर्षीय करने जा रहे हैं तो उन्हें भी आनर्स डिग्री दी जाय ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

माननीय श्री आजम खां साहब ने दो प्रश्न किए । उनके पहले प्रश्न के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अधिकतर यूनीवर्सिटीज ने यह त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है, केवल 2 यूनीवर्सिटीज ने लागू अपने यहां नहीं किया था, इन यूनीवर्सिटीज का नाम है— आगरा व सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय है । आगरा यूनीवर्सिटीज ने आश्वासन दिया है कि हम इसे अगले वर्ष लागू कर देंगे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी कहा कि इस संबंध में उनके वहां भी विचार हो रहा है । श्री आजम खां साहब न मालूम कौन सी यूनीवर्सिटीज की बात कर रहे हैं ? जिन यूनीवर्सिटीज ने 2 वर्ष का पाठ्यक्रम रखा है, उनको भी एक साल का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा । मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि 1956 में यू0 जी0 सी0 एक्ट बना था, उसी धारा-26 के खण्ड-1 के उपखण्ड (एफ) में उसमें उन्होंने रेगुलेशन्स बनाये हैं । जो रेगुलेशन्स बनाये गये हैं वे नवम्बर, 1985 में बनाये गये हैं और 1 जून, 1986 से लागू करने को कह दिया गया । सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज की जहां तक बात है, उन्होंने अपने यहां लागू कर दिया है, हमारी यूनीवर्सिटीज ने भी लागू कर रखा है । हमारी उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर कहां बीच में आती है ? शासन कोई निर्देश नहीं दे सकता है ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 3 वर्ष के पाठ्यक्रम का क्या औचित्य है ? किस लाभ के लिए यह पाठ्यक्रम लागू किया गया है । त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के नाम से जो भार शिक्षकों व कर्मचारियों पर पड़ गया है, क्या उसकी व्यवस्था महाविद्यालय का प्रशासन करेगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, माननीय श्री तिवारी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है । सरकार के काम को हल्का कर दिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । सरकार व्यवस्था करेगी ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि विश्व-विद्यालय की स्वायत्तता पर प्रदेश सरकार ने एक बार हस्तक्षेप किया है । सभी जगह विश्वविद्यालयों में कुल सचिव के पद पर पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है । दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि उनकी स्वायत्तता को हम स्वतंत्र रखते हैं । यदि सरकार हस्तक्षेप करके वहां पर पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को तैनात कर सकती है तो क्या उन्हें निर्देश नहीं दे सकती ? दूसरा ऐसी स्थिति में जब आन्दोलन वहां पर चल रहा हो, अभी भी बनारस विश्वविद्यालय के लड़के गिरफ्तार हैं, गोरखपुर विश्व-विद्यालय के लड़के गिरफ्तार हैं और उनका एक साल खराब हो रहा है, इस पर सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

पहली बात तो माननीय सदस्य ने जो कही है मान्यवर, वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है । पी0 सी0 एस0 का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है । आपने कहा कि आन्दोलन चल रहा है । मान्यवर, गोरखपुर से सूचना मंगाई गई थी । मान्यवर, माननीय सदस्य मेरा उत्तर नहीं सुन रहे हैं, वैसे भी आपने इस पर 2 घण्टे की चर्चा लगाई है, उसी समय बहुत सी बातें आ जायेंगी ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटी के व्यापार के लिए हर्ब डेवलपमेंट एवं मार्केटिंग कारपोरेशन का गठन

*6—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सहकारिता मंत्री तमिलनाडु व महाराष्ट्र प्रदेशों की भांति उ0 प्र0 के पर्वतीय क्षेत्र में पायी जाने वाली जड़ी बूटी के व्यापार के लिये हर्ब डेवलमेन्ट एवं मार्केटिंग कारपोरेशन बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम आंतार दीक्षित—

प्रश्नोत्तर हेतु सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, प्रश्न बहुत सीधा सा है कि क्या माननीय मंत्री जी तमिलनाडु व महाराष्ट्र प्रदेशों की भांति उ0 प्र0 के पर्वतीय क्षेत्र में पायी जाने वाली जड़ी-बूटी के व्यापार के लिये हर्ब डेबलपमेन्ट एवं मार्केटिंग कारपोरेशन बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्रदेश के किसी जनपद से, किसी तहसील से या किसी कार्यालय से सूचना नहीं आनी है, माननीय मंत्री जी को और शासन को इस पर निर्णय लेना है, फिर इस प्रकार का उत्तर देने का क्या कारण है ?

श्री राम आंतार दीक्षित—

मान्यवर, 27-1-88 को प्रश्न किया गया है, ''तमिलनाडु'' और ''महाराष्ट्र'' का नाम प्रश्न में जुड़ा है आप प्रश्न देख लें, इसीलिये सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल और चुनाव

*7—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है और उनके नये चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्तमान ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल 15 मई, 1988 को समाप्त होने वाला है । सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है और चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ? 15 मई को ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त होगा,

यह तो बता दिया, चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे, इसका उत्तर आया है कि "प्रश्न नहीं उठता" । इनका यह उत्तर ही अयुक्तिसंगत है । क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि चुनाव कराने के बारे में जब विचार नहीं है, तो 15 मई के बाद किस तरह की व्यवस्था पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल 15 मई, 1988 तक है, 15 मई 1988 के पहले ब्लाक प्रमुखों के चुनाव हो नहीं सकते क्योंकि गांव सभाओं का जो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, एक साल बढ़ाया गया है, इसीलिये यह निर्णय लिया गया है कि पहले गांव सभाओं का चुनाव कराया जाय । (व्यवधान)

एक सदस्य—

"कब तक करायेंगे ?"

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बोलने दीजियेगा, तभी तो बताऊंगा ।

माननीय सदस्यों को विदित ही है कि गांव सभाओं की वोटर्स लिस्ट में संशोधन के आदेश दे दिये गये हैं, छपाई का काम हो रहा है । यह प्रक्रिया जब चुनाव की पूरी हो जायेगी, डि-लिमिटेशन हो जायेगा गांव सभाओं का, इसके बाद गांव सभाओं का चुनाव कराया जायेगा । इन सब प्रक्रियाओं को पूरा होने में, ऐसा अनुमान है कि, अप्रैल तक यह प्रक्रियायें पूरी हो जायेंगी और मई से गांव सभाओं के चुनाव कराने के लिए शासन ने निश्चय किया है, उसके बाद ब्लाक प्रमुख के चुनाव का प्रश्न उठेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, उन्होंने अभी कहा कि गांव सभाओं के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जायगी, तो क्या यह सही है कि आपके विभाग से इस तरह के आदेश जारी किये गये हैं कि जो गांव सभाओं का वर्तमान गठन है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जायगा और परिवर्तन का काम उन चन्द गांवों में किया जायगा, जो नगरपालिकाओं की सीमा में मिल गये हैं और इसके बारे में गजट नोटीफिकेशन हो रहा है या होने वाला है ? अगर यह सही है, तो जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसका क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय गुप्त जी सही कह रहे हैं, उसमें विरोधाभास कहां है ? (शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका यह उत्तर नहीं है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

आप पूरी बात तो सुन लें, आप तो पहले ही चिल्लाने लगते हैं । मान्यवर, जो गांव सभायें 1982 के बाद बनी जिन गांव सभाओं से कोई अन्य गांव सभा निकल कर बनी तो इससे दोनों गांव सभायें एफेक्टेड हैं, इनमें परिसीमन करना आवश्यक है । इस तरह की चार-पांच हजार नई गांव सभायें हैं जो कि सन् 1982 के चुनाव के बाद बनी हैं, उनके परिसीमन के लिये आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, कुछ की परिसीमन की कार्यवाही हो चुकी है और कुछ में कार्यवाही हो रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यही तो मैं कह रहा था कि नोटीफिकेशन हो चुका है । जो मैंने बात बतलायी वह ही मंत्री जी ने भी कही परन्तु मेरे कहने से इस तरह से उत्तेजित हो गये ? अध्यक्ष जी, इसे आप ही देखें ।

श्री अध्यक्ष—

चलिये, हो गया ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपकी जो वेरीफिकेशन की लिस्ट संशोधित हो रही है यह दो प्रकार की है—एक तो वह लिस्ट है जिसमें 18 साल के लोग जो हो गये हैं, उनकी सूची बनायी जा रही है और दूसरी वो है जो कि 21 साल वाले लोगों की बनायी जा रही है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और वे सच कहेंगे कि मई के महीने में वे गांव सभा के चुनाव करायेंगे या पार्लियामेन्ट के चुनाव करायेंगे ? मेरे हिसाब से सम्भव है और यह हमारा दृष्टिकोण है और दृढ़ निश्चय है कि ये पहले पार्लियामेन्ट के चुनाव करायेंगे लोक सभा के लिये । अब यह बतायें ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

गांव सभा के चुनाव राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है, उसको कराने के लिये हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मई के महीने में कराये जायेंगे किन्तु लोक सभा का कार्यकाल 1990 तक है, इसलिये उसका प्रश्न नहीं उठता है ।

काशी विद्यापीठ के कुलपति के विरुद्ध जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

*8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 11 जनवरी, 1984 को उ0 प्र0 शासन के शिक्षा विभाग ने वाराणसी काशी विद्यापीठ के कुलपति डा0 डी0 एन0 चतुर्वेदी के विरुद्ध उक्त विद्यापीठ के कतिपय प्राध्यापकों और विभागाध्यक्षों द्वारा आरोपित भ्रष्टाचार के मामले की जांच वाराणसी मंडल के आयुक्त को सौंपी थी और उसके साथ ही साथ उ0 प्र0 शासन ने काशी विद्यापीठ के ही मामलों में उ0 प्र0 बोर्ड आफ रेवेन्यू के सदस्य श्री पी0 आर0 व्यासभीमन को जांच करने की जिम्मेदारी सुपुर्द की थी ? यदि हां, तो इन लोगों की जांच रिपोर्ट शासन को मिल गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है और अभी तक उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी हां ।

श्री श्रीमन् की जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है ।

आयुक्त की जांच आख्या के अनुसार मुख्य रूप से कुलपति ने नये संकाय एवं विभाग, सक्षम प्राधिकारियों तथा शासन की स्वीकृति के बिना प्रारम्भ कर दिये और उनमें अध्यापकों एवं कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियां कर दीं ।

शासन ने आवश्यक नये संकायों एवं विभागों का प्राविधान परिनियमों में कर दिया है तथा अध्यापकों के आवश्यक पदों का सृजन भी कर दिया है ।

असहायिक जूनियर हाई स्कूलों को वर्ष 1986-87 में प्रारम्भिक अनुदान की स्वीकृति

*9—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में असहायिक जूनियर हाई स्कूलों के प्रारम्भिक अनुदान के संदर्भ में कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो यह क्या है और वर्ष 1986-87 में उक्त स्तर में विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी और अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

वर्ष 1986-87 में इन विद्यालयों को कतिपय प्रतिबन्धों के साथ स्थायी मान्यता तिथि के क्रमानुसार अनुदान सूची पर लेने की शर्तें निर्धारित की गई । सीमित वित्तीय संसाधनों के फलस्वरूप ऐसे नये विद्यालयों को अनुदान सूची पर नहीं लिया गया । स्थिति सम्प्रति यथावत् है ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिये प्रदेश में असहायिक जूनियर हाई स्कूलों के लिये जो कि सन् 1980-81 तथा 1981-82 में स्थायी मान्यता प्राप्त हैं, इन स्कूलों के जरिये से बहुत अधिक संख्या में छोटे-छोटे बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनके प्रति उपेक्षा का रुख बना लिया है । तो क्या माननीय मंत्री जी वर्ष 1986-87 में उक्त स्तर में विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में जिसके लिये उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि वर्ष 1986-87 में इन विद्यालयों को कतिपय प्रतिबन्धों के साथ स्थाई मान्यता तिथि के क्रमानुसार अनुदान सूची पर लेने की शर्तें निर्धारित की गयी हैं, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह शर्तें क्या हैं जिनको लेकर आपने इन्हें अनुदान सूची पर लेकर उसके बाद यह बात अपने उत्तर में कही है ? कृपया उन शर्तों के बारे में और मान्यता की तारीख के बारे में आप हमें उत्तर देने का कष्ट करें ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ स्थाई मान्यता तिथि के क्रमानुसार अनुदान सूची पर लेने के लिये शर्तें यह बनायी गयी थी :—

1—विद्यालय का अनुशासन सन्तोषजनक हो, किसी प्रकार का विवाद अथवा शिकायत न हो ।

2—विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियमानुसार मानक के अनुरूप नियुक्त हों ।

विद्यालय में संचालन निर्धारित मानक के अनुरूप हो तथा निजी भवन हो । और तीसरी शर्त यह है कि बालिका विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के लिये अधिकतम वरीयता दी जायेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कुछ उन्हीं शर्तों को बताया है जिन शर्तों के अन्तर्गत किसी भी अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लाया जाता है और यही शर्तें मान्यवर मान्यता प्राप्त करने के लिये भी निर्धारित हैं तो जब इन शर्तों को पूरा करते हुए मान्यता प्राप्त हो गया तो इन्हीं शर्तों पर अनुदान सूची में न लेने के क्या कारण हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, मैंने जैसा कि अभी स्पष्ट किया कि विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाये जाने हेतु यह-यह शर्तें थीं, परन्तु संसाधनों की कमी की वजह से उन विद्यालयों को अनुदान सूची पर नहीं लिया जा रहा है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि 1986-87 में इन-इन शर्तों के साथ विद्यालयों को इस सूची में लिया जायेगा और जबकि वर्ष 1986-87 से पूर्व की यही शर्तें थीं तो जब 1986-87 में जब विद्यालयों की यही शर्तें थीं और इन्हीं के आधार पर विद्यालयों को मान्यता दे दी जाती थी तो अब कौन से कारण बाधा बन रहे हैं और क्या उस समय वित्तीय संसाधन दूसरे थे और अब क्या कोई दूसरे वित्तीय संसाधन हो गये ?

श्री अध्यक्ष—

मा0 मित्रसेन जी आप केवल प्रश्न करें ।

श्री मित्रसेन—

वर्ष 1986-87 में जब यही शर्तें थीं तो इन्हीं शर्तों पर आपके पास संसाधन थे और इन विद्यालयों को सहायक विद्यालय में किया जाता था, तो अब उन्हीं शर्तों के अधीन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

वर्ष 1986-87 में यही शर्तें नहीं थीं । 7 मार्च, 1981 में जो निहित अर्हताएं थीं उस पर स्थायी मान्यता, छात्रों की संख्या, परीक्षाफल के गुण व लाभांश की वरीयता क्रमानुसार दी जाती थी, यह शर्तें थीं, लेकिन जब इस संबंध में यह शिकायतें आने लगीं कि अंक बढ़ाकर लोग अपनी-अपनी शर्तें पूरी कर रहे हैं और इससे यह भी हो रहा है कि जिन विद्यालयों को अनुदान मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है और जिन विद्यालयों को नहीं मिलना चाहिए, उन्हें मिल रहा है तब मंत्रि परिषद् में यह विचार हुआ कि मान्यता तिथि की क्रमानुसार उनको अनुदान सूची पर लिया जाय, इसलिये अब इस प्रकार से यह किया जा रहा है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मा0 मंत्री जी ने बताया कि संसाधनों की कमी की वजह से उन विद्यालयों को अनुदान सूची में नहीं लाया जा रहा है तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जो अनुदान सूची पर अब तक नहीं आ पाये हैं और दूसरी बात अनुदान सूची में न आ पाने के कारण सहायक विद्यालयों को जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है तथा नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी व्यवस्था लागू करने की कृपा करेंगे जिससे उन विद्यालयों का शिक्षा-सत्र ठीक किया जा सके ?

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दीजिये (व्यवधान) मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपने जब प्रश्न की हमें इजाजत दी है, तो उत्तर भी दिलवा दीजिये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मा0 पाण्डेय जी मैं घड़ी को रोक तो लूंगा नहीं, कृपया बैठिए ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर यह तो बात इसी तरह पर हुई कि आप एक गाड़ी पर बैठने की इजाजत दें दें और हम गाड़ी पर बैठ गये, झण्डो दिखा दिया, तो अब क्या आप [XXX] करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अब हम मजबूर हैं ।

प्रदेश को सामाजिक वानिकी एवं वनीकरण हेतु विश्व बैंक से प्राप्त धन का आवंटन

*10—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे की प्रदेश को सामाजिक वानिकी एवं वनीकरण हेतु विश्व बैंक से कितना धन मिला ? विश्व बैंक से मिले धन को वनीकरण और सामाजिक वानिकी तथा वोस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में आवंटन करके कितने पेड़ लगाये गये और वह किस प्रकार के पेड़ थे ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में सूखा में लगाये गये पेड़ सूख गये और धन का अपव्यय हुआ ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

वन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

1979 से 1987-88 तक 5566.32 लाख रुपया मिला ।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत 1979 से अब तक 1, 07, 644 हेक्टर भूमि में लगभग 1722.24 लाख पौधों का रोपण किया गया तथा पर्वतीय क्षेत्रों की जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत 16, 472 हेक्टर क्षेत्र में लगभग 247.08 लाख पौध लगाये गये । इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी व जलागम प्रबन्ध परियोजना में क्रमशः 1941 लाख तथा 335 लाख पौध उगाकर कृषकों, निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं आदि को रोपण हेतु वितरित किये गये । रोपित प्रजातियों में मुख्यतः ईंधन, चारापत्ती, प्रकाष्ठ और फलदार प्रजातियों के पौध लगाये गये । अभूतपूर्व सूखे के कारण पौधों को क्षति अवश्य पहुंची है । यह दैवी प्रकोप है । इसे अपव्यय की संज्ञा देना उचित नहीं है । सूखे के कारण क्षतिग्रस्त पौधों के स्थान पर वांछनीय वर्षों में क्षतिपूर्ति रोपण किया जावेगा ।

कम्पियरगंज वन रेंज गोरखपुर दक्षिणी वन प्रभाग में खड़ी फसल को वन अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर से जुतवाने का कारण

*11—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 26 व 27 दिसम्बर, 85 को कम्पियरगंज वन रेंज गोरखपुर दक्षिणी वन प्रभाग में वन टांगिया कृषकों द्वारा बोयी गयी लगभग 300 एकड़ खड़ी फसल को वन अधिकारियों ने ट्रैक्टर से जुतवा दिया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*13—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[7वें मंगलवार में ता0प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के भारत नेपाल सीमा पर लकड़ी का अवैध धन्धा

*14—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के भारत नेपाल सीमा पर खड़े हरे वृक्षों का नाजायज कटान व नेपाली लकड़ी का अवैध धंधा जिला वन विभाग की सांठ-गांठ से खुले आम चलने के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आई हैं किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या शासन इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर उक्त अवैध धन्धों में लगे लोगों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद लखीमपुर खीरी के भारत नेपाल सीमा पर खड़े वृक्षों के नाजायज कटान व नेपाली लकड़ी के अवैध धन्धे की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर जांच तथा कार्यवाही की गयी । एक शिकायत अभी मार्च 1988 में प्राप्त हुई है तथा उस पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

इस प्रकार के अवैध धन्धे में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामला प्रकाश में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, अतः शासन द्वारा इस मामले में किसी उच्च स्तरीय जांच का कोई अवसर नहीं है ।

आर0 एस0 के0 इण्टर कालेज, सिम्भावली, गाजियाबाद के भू0 पू0 प्रधानाचार्य के विरुद्ध दर्ज एफ0 आई0 आर0 पर कार्यवाही

*15—श्री कनक सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम सोमवार के तारांकित प्रश्न सं0 5 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व प्रधानाचार्य आर0 एस0 के0 इण्टर कालेज, सिम्भावली जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध 13-2-86 को दर्ज एफ0 आई0 आर0 थाना सिम्भावली पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी व निदेशालय की आडिट पार्टी की रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी प्रधानाचार्य द्वारा अनाधिकृत रूप से ली गयी रु0 4,35,118.75 धनराशि के वसूली के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री श्योराज सिंह, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, आर0 एस0 के0 इण्टर कालेज, सिम्भावली के विरुद्ध दर्ज कराई गयी एफ0 आई0 आर0 पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के आदेशानुसार दिनांक 13-3-86 को स्पेशल एस0 आई0 एस0 (स्पेशल इन्वेस्टीगेटिंग स्क्वाड) को जांच हेतु स्थानान्तरित कर दी गयी है । जांच अभी चल रही है ।

आडिट रिपोर्ट में पाई गई प्रमुख अनियमितताओं का विवरण निम्नवत् है :—

अनियमितता	मद	धनराशि जिसके संबंध में अनियमितता की गई (रुपयों में)
1	2	3
1. अमान्य व्यय	अनुरक्षण कोष एवं विभिन्न छात्रकोष	11,851.91
2. संदिग्ध व्यय	पुस्तकालय, परीक्षा निधि, स्काउट, जलपान एवं अनुरक्षण कोष	54,054.65

1	2	3
3. अनियमित व्यय	विकास निधि, पुस्तकालय, स्काउट, परीक्षा आदि कोष ।	4,945·36
4. धनराशि को बैंक में जमा न करके हाथ में रखा जाना।	पेरोल, परीक्षा, पुस्तकालय, क्रीड़ा, पंखा, रेडक्रास, स्काउट एवं पत्रिका आदि कोष ।	55,638·01
5. अनियमित रूप से वर्ष 1978-79 से 84-85 तक धन वसूलना ।	छात्र कल्याण परिषद् के नाम पर नये प्रवेश लेने वाले एवं पुराने छात्रों से अनियमित रूप से वर्ष 1978-79 से 84-85 तक धन वसूलना तथा उसे निर्माण कार्य में व्यय करना	4,43,286·80
	योग : रु0	5,69,776·73

पुलिस द्वारा जांच की जा रही है । जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है । उसके पूर्ण होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव होगी ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत चल रही संस्थाओं में हो रही अनियमितता की जांच

*16—कुवंर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड, बंकी के प्रमुख श्री नन्हें सिंह ने विकास खण्ड बंकी में ट्राइसेम योजना के अंतर्गत चल रही संस्थाओं में फर्जी चयनित प्रशिक्षार्थी, फर्जी चयन व भुगतान के संबंध में एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी, अपर जिलाधिकारी परियोजना, बाराबंकी, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ तथा आयुक्त, फैजाबाद मण्डल की सेवा में दिनांक 11-6-85, 2-7-85, 25-9-85 तथा 25-4-86 को दिए गये थे ? यदि हां, तो क्या सही है कि संदर्भित मामले में बार-बार रिमाइण्डर भेजने के बावजूद दोषी लोगों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

किन्तु एक शिकायती पत्र 25-9-85 का न होकर 25-12-85 का है ।

जी नहीं । जांच के बाद उचित कार्यवाही की गयी थी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*17—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद अलीगढ़ में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ताओं को पार्ट टाइम डिग्री कोर्स करने हेतु दी गई अनुमति

*18—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में ग्रामीण अ0 सेवा विभाग में नियुक्त अवर अभियन्ताओं में से कितने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम डिग्री कोर्स कर रहे है ? एक साथ इतनी अधिक संख्या में अवर अभियंताओं को पार्ट टाइम डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने की अनुमति दिये जाने का क्या आधार है ? क्या मंत्री जी

को यह भी जानकारी है कि जनपद के विकास खण्डों से सम्बद्ध इन अवर अभियन्ताओं के अपनी नियुक्ति के स्थान पर अनुपस्थित रहने के कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं ? क्या व्यवस्था सुधारने हेतु दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अलीगढ़ जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में वर्तमान में कार्यरत 30 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध 10 अवर अभियन्ता अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम डिग्री कोर्स कर रहे हैं ।

अवर अभियन्ताओं को पार्ट टाइम डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने की अनुमति एक साथ नहीं दी गई बल्कि विभिन्न सक्षम अधिकारियों द्वारा विभिन्न वर्षों में दी गई है । पार्ट टाइम डिग्री कोर्स करने के लिए मुख्य अभियन्ता के कार्यालय पत्रांक 2555/स्था—2, दिनांक 15 जून, 1987 द्वारा नीति निर्धारित की गई है ।

अलीगढ़ जनपद के विकास खण्डों से सम्बद्ध पार्ट टाइम डिग्री कोर्स कर रहे अवर अभियन्ताओं को अपनी नियुक्त के स्थान से अनुपस्थित रहने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बनाये रखने के लिए जिला व खण्ड स्तर पर प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन का प्रारूप

*19—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बनाए रखने के लिए विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा इनके क्रियान्वयन के लिए जिला व खण्ड स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

जनपद गोण्डा के करनेलगंज स्थित तुलसी स्मारक इण्टर कालेज परसपुर की प्रबन्ध समिति का चुनाव

*20—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील करनेलगंज स्थित तुलसी स्मारक इण्टर कालेज परसपुर की प्रबन्ध समिति का चुनाव वर्ष 1979 में कराया गया था ? यदि हां, तो पुनः अब तक चुनाव न कराये जाने का क्या कारण है ? इसे कब तक करा दिया जायगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

नियमानुसार तीन वर्ष बाद पुनः वर्ष 1982-83 में चुनाव हो जाना चाहिए था । निबंधक फर्म्स और सोसाइटीज तथा चिट्स उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार वर्ष 1984 में चुनाव के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी थी किन्तु प्रबन्ध समिति द्वारा इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जाने के कारण चुनाव नहीं हो सका ।

उक्त स्थगन आदेश दिनांक 3 मार्च, 1986 को निरस्त हो गया था किन्तु साधारण सभा की सदस्यता के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण चुनाव अब तक नहीं कराया जा सका ।

अब तहसीलदार तरबगंज, गोण्डा द्वारा शीघ्र चुनाव कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर विश्वविद्यालय के बी0 ए0 प्रथम वर्ष सत्र 1977 का परीक्षाफल

1—श्री मूल चन्द—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में बी0एस-सी0 प्रथम वर्ष सत्र 1977 का परीक्षा फल घोषित किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

29 जुलाई, 1977,

3 अगस्त, 1977,

11 अगस्त, 1977 व

13 अगस्त, 1977,

प्रश्न नहीं उठता ।

दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी व आसपास के वनों में मरे पाये गये शेरों की जांच

2—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि गत एक वर्ष में दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी व आसपास के वनों में अनेक शेर मर गये ? यदि हां, तो क्या मृत्यु के कारणों की जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गत वर्ष जनवरी 1987 से दिसम्बर 87 तक दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर-खीरी व आस-पास के वनों, जिसमें जनपद पीलीभीत का वन क्षेत्र भी सम्मिलित है, में सात शेर मरे पाये गये । शेरों की मृत्यु के कारणों की जांच कराई गई है । जांच के अनुसार विष देकर मारे जाने का एक मामला, आपस में लड़कर मरने का एक मामला, नहर में डूब कर मरने का एक मामला, पेरिटोनाइटिस से मृत्यु के दो मामले तथा अज्ञात कारणों से मृत्यु के दो मामले प्रकाश में आये ।

जिला बस्ती के बढ़नी क्षेत्र समिति की बैठक में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रधानों को अपशब्द कहे जाने के विरुद्ध कार्यवाही

3—श्री धनराज यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बढ़नी क्षेत्र समिति की बैठक 17-12-87 को हुई तथा उस बैठक में खण्ड विकास अधिकारी ने प्रधानों को अपशब्द कहा जिससे दुखी होकर क्षेत्र समिति ने खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध निन्दा

प्रस्ताव पारित किया तथा क्षेत्र समिति की अध्यक्षता करते हुये श्री चतुर्भुजी त्रिपाठी की इच्छा के विरुद्ध खण्ड विकास अधिकारी कार्यवाही पंजिका लेकर बैठक से चले गये मजबूरन क्षेत्र समिति को दूसरे कागज पर कार्यवाही लिखनी पड़ी ? यदि हां, तो इन सब कार्यों के लिए खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

दिनांक 17-12-87 को बढ़नी क्षेत्र समिति की बैठक बुलाई गई किन्तु गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में यह बैठक स्थगित हो गई । खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रश्न में वर्णित आरोप सही नहीं पाये गये । उपरोक्त वर्णित स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

4—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला गोरखपुर के वन विभाग लौंगिंग प्रभाग में दैनिक स्केलर फील्ड सहायक चौकीदारों की वरिष्ठता सूची का संशोधन

5—श्री हर्ष वर्धन—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम लौंगिंग प्रभारी उत्तरी गोरखपुर में दैनिक स्केलर फील्ड सहायक चौकीदारों की वरिष्ठता सूची बनाई गयी है और क्या कर्मचारियों द्वारा उक्त सूची में संशोधन हेतु पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो सूची का संशोधन किया गया ? यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को अवगत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।
जी हां ।
जी हां ।

संशोधित वरिष्ठता सूची सम्बन्धित कर्मचारियों को पुनः उपलब्ध करा दी गयी है ।

जिला गोरखपुर के खण्ड विकास अधिकारी (श्री ए0 एन0 राय) सरदारनगर द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

6—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी (श्री ए0 एन0 राय) सरदारनगर (गोरखपुर) ने खण्ड विकास अधिकारी पद के अपने अल्प कार्य-काल में अपने तथा अपने परिवार के नाम लगभग 1-1 लाख रुपये के कीमत के दो ट्रैक्टर 1 लाख लागत की एक जीप तथा अपने गृह जनपद देवरिया के शहर देवरिया तथा ग्राम खैरवनुआ थाना गौरी बाजार व ग्राम खुखुन्दू में कई लाख रुपये की जमीन क्रय किया है तथा विभिन्न बैंकों में काफी धनराशि जमा किया है ? क्या सरकार उक्त अधिकारी की उक्त आय की जांच तथा उक्त वस्तुओं के खरीदने के पूर्व नियुक्ति अधिकारी तथा शासन को सूचित न करने के मामले की जांच पुलिस भ्रष्टाचार निवारण संगठन या सतर्कता विभाग द्वारा करायेगी तथा आरोप सही पाये जाने पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री ए0 एन0 राय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सरदारनगर ने दिनांक 19-9-86 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा भटनी जनपद देवरिया से ऋण प्राप्त करके एक ट्रैक्टर खरीदा जिसके वे मालिक तथा सह ऋणी हैं । श्री राय के भाई श्री वशिष्ट कुमार राय द्वारा दिनांक 8-4-86 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा भटनी जनपद देवरिया से ऋण प्राप्त करके एक जीप खरीदी गयी । श्री ए0 एन0 राय द्वारा प्रश्न में वर्णित स्थानों पर जमीन क्रय करने के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी । किसी विशिष्ट बैंक का उल्लेख न होने के कारण उनके द्वारा बैंकों में जमा धनराशि की जांच सम्भव नहीं है ।

उपरोक्त वर्णित दशा में जांच का प्रश्न नहीं उठता । श्री राय द्वारा ट्रैक्टर क्रय करने के संबंध में उ0 प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का अनुपालन किया गया अथवा नहीं, इस तथ्य की जांच करायी जा रही है ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जिला देवरिया के ग्राम सभा व पोस्ट बेलवा बाजार में स्थित पुराने प्राइमरी पाठशाला के भवन का नवनिर्माण

7—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 जुलाई, 1987 जो कि ग्राम सभा व पोस्ट बेलवा बाजार विकास क्षेत्र देसही देवरिया जिला देवरिया में स्थित पुराने प्राइमरी पाठशाला के खस्ता हाल भवन को तोड़ कर नये निर्माण के संबंध में है, आपके कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त कौन-कौन सी बातें सही पायी गयीं और उस प्राइमरी पाठशाला के भवन को नये सिरे से बनाने के सम्बन्ध में क्या आदेश दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जांच में भवन जर्जर पाया गया ।

वित्तीय संसाधन की कमी के कारण सम्प्रति भवन निर्माण हेतु अभी व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी स0 वि0 स0 के द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को दिये गये 20 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से संबंधित मांगों का विवरण

8—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-9-87 को जिलाधिकारी फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उसमें ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से संबंधित मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय विधायक ने दिनांक 25-9-87 को दिये गये 20 सूत्रीय मांग पत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से सम्बन्धित निम्न दो प्रमुख मांगें हैं :—

(1) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता को शराबखोरी और कमीशनबाजी की तथा मरम्मत के लिये रुपया उपलब्ध होने के बावजूद भीटी–उमरावां मार्ग का कार्य पूरा न हो पाने के कारणों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय तथा दोषी लोगों को दण्डित किया जाय ।

(2) कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित सभी स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों का टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच करा कर दोषी लोगों को दण्डित किया जाय ।

उपरोक्त बिंदुओं की जांच जिला अधिकारी द्वारा कराई गई । जांच में अधिशासी अभियंता के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । भीटी-उमरावां मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

मद-2 की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी थी । अवशेष कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है । अतः टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी स0 वि0 स0 द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को दिये गये 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

9—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-9-87 को जिलाधिकारी फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने में शासन और सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में निर्माण कार्यों में खर्च किया गया धन

10—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में वर्ष 1984-85, 1985-86 व 1986-87 में कुल कितना-कितना धन निर्माण कार्यों में खर्च किया है ? क्या प्राक्कलन के मुताबिक खर्च किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायी जाएगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बलिया जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में निम्न तालिका के अनुसार व्यय किया :—

विकास खण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष (लाख रुपयों में)		
	1984-85	85-86	86-87
सीयर	2·78	—	2·92
नगरा	0·95	—	1·36
रतनपुरा	—	—	1·05
योग	3·73	—	5·33

निर्माण कार्यों में स्वीकृति प्राक्कलन के अनुसार ही खर्च किया गया है ।

सन् 1986 से महिला प्रधानाचार्य अथवा द्वितीय श्रेणी में कार्यरत अधिकारी को चयन वेतनमान

11—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1968 से जो महिला प्रधानाचार्य अथवा द्वितीय श्रेणी में कार्यरत अधिकारी हैं उन्हें सन 1985 के नियमावली के अन्तर्गत चयन वेतनमान दिया गया है ? यदि हां, तो कितनों को ? शेष के लिए कार्यवाही किस स्तर पर जारी है तथा इन्हें चयनित वेतनमान कब तक मिल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्रीमती मालती देवी के पत्र पर कार्यवाही

12—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मालती देवी श्रीवास्तव का प्रार्थना-पत्र जिसमें शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपात पूर्ण रवैये की शिकायत की गयी है प्रश्नकर्ता के 17 नवम्बर, 1987 के पत्र के साथ उन्हें मिला गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कासगंज, एटा के विरुद्ध अनियमितता की जांच

13—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की शिकायत पर सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा कासगंज एटा के विरुद्ध मुख्य प्राविधिक परीक्षक ग्राम्य विकास के पत्रांक 1393 128/टी0 ए0 सी0/ग्रा0 प्रा0 प0/87, दिनांक 4-6-87 द्वारा की गयी जांच के तथ्य क्या हैं तथा उक्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नकर्ता की शिकायत पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक से जांच करायी गयी । जांच में सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता द्वारा तीन प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण में की गयी कुछ अनियमितताये प्रकाश में आयी है । दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में जियोफिजिकल खण्डों में कार्मिक की नियुक्ति

14—श्री हरशरन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत प्राविधिक सहायक (केमेस्ट्री) तथा प्राविधिक सहायक (इलेक्ट्रिकल) से उनके विषय से संबंधित कार्य क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विभाग के जियोफिजिकल खण्डों में प्राविधिक सहायक जियोफिजिक्स का कोई कार्मिक कार्यरत है ? यदि नहीं, तो इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में प्राविधिक सहायक (केमेस्ट्री) एवं प्राविधिक सहायक (इलेक्ट्रिकल) के पदों हेतु लोक सेवा आयोग को भेज गये अधियाचन पत्र में उल्लिखित कर्तव्यों के अनुरूप ही इन सहायकों से इस विभाग में कार्य लिया जा रहा है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में जियोफिजिकल खण्डों में प्राविधिक सहायक जियोफिजिक्स का कोई भी कार्मिक कार्यरत नहीं है । इस संदर्भ में कार्यवाही किया जाना विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में प्राविधिक सहायकों का नियमानुकूल विनियमितीकरण

15—श्री हरसरन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में प्राविधिक सहायक के पद पर कितने कार्मिकों को कब स्थायी किया गया है ? इन कार्मिकों का विनियमितीकरण कब हुआ है ? क्या उक्त विनियमितीकरण नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो उक्त विनियमितीकरण सूची को निरस्त करके सभी प्राविधिक सहायकों का नियमानुकूल विनियमितीकरण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में दिनांक 30-5-83 को प्राविधिक सहायक के एक पद पर एक कार्मिक को स्थायी किया गया है ।

उक्त कार्मिक का विनियमितीकरण दिनांक 24-1-83 को किया गया था ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध खण्ड मुरादाबाद में बिना सड़क पूर्ण कराये फर्जी एम0 बी0 द्वारा फर्जी भुगतान

16—मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1987 में ग्राम मौरा से पालीटेक्निक तक एक कि0 मी0 सड़क का निर्माण कराया था ? क्या यह सही है कि बिना सड़क पूर्ण कराये ही फर्जी एम0 बी0 द्वारा फर्जी भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इस प्रकरण में शिकायत की जांच चल रही है । जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील के अन्तर्गत दिये गये ईंट भट्ठों के लाइसेन्स

17—श्री अफजाल अंसारी—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील सीमा के अन्तर्गत ईंट के भट्ठों के लाइसेन्स जो आम के बागों के अत्यन्त निकट हैं किन परिस्थितियों में दिये गये हैं ? क्या प्रश्नकर्ता ने इस विषय में जिला अधिकारी महोदय को इस आशय का एक पत्र लिखकर आग्रह किया था कि या तो ऐसे भट्ठों के लाइसेन्स रद्द कर दिये जायं जो कलमी आम के बागों के अत्यन्त निकट हैं या फिर उन कलमी आम के बागों में लगे वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाय क्यों कि फसलें बरबाद हो जा रही हैं ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् की उपविधियों के अनुरूप ईंट भट्ठों के लाइसेन्स जारी किये गये हैं । भट्ठे का स्थान ढाई एकड़ वाले आम के बाग से पूर्व-पश्चिम एक मील तथा उत्तर दक्षिण एक फर्लांग से कम दूरी पर नहीं हो सकता है ।

ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के ग्राम खजुरी करौंता में नाबदानों की नालियों का निर्माण

18—श्री बाबू राम यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया तहसील सलेमपुर विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम खजुरी करौंता में नाबदानों एवं बरसात के पानी से गांव में जल भराव बराबर बना रहता है जिससे गांव के लोगों एवं बाहरी लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव के नाबदानों की नालियों को पक्की बनवाकर पानी की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम खजुरी करौंता में नाबदानों एवं बरसात के पानी से जल जमाव रहता है ।

ग्राम सभा अथवा ग्रामवासियों का कोई प्रस्ताव इस संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की कार्यों की तकनीकी आडिट सेल द्वारा कराई गई जांच

19—श्री बाबू राम यादव—

क्या सरकार की जानकारी में है कि मैनपुरी जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ा कराये गये कार्यों की जांच गत वर्ष तकनीकी आडिट सेल द्वारा कराई गयी थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम आये और जांच परिणामों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

टेक्निकल आडिट सेल की जांच में प्रखण्ड मैनपुरी के निम्न कार्यों में अनियमितताएं दर्शायी गयी हैं :—

1—मैनपुरी रोड से नगला ब्लाक सम्पर्क मार्ग ।

2—भावतपुल से सुगांवपुल तक नहर की पट्टी पर कंकड़ मेटलिंग का कार्य ।

3—कौरारा जहामाबाद से वलीपुर सम्पर्क मार्ग ।

4—वलगपुर थोरवा सम्पर्क मार्ग ।

5—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्छना एवं इलाबास का निर्माण कार्य ।

सम्बन्धित अनियमितताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

जिला बांदा के विकास खण्ड मऊ के प्राथमिक शिक्षकों के बकाया का भुगतान

20—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के विकास खण्ड मऊ के प्राथमिक शिक्षकों को सन् 79 के पुनरीक्षित वेतनमान के बकाया का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया ?, उनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

पुनरीक्षित वेतनमान के बकाया का भुगतान दिनांक 9-4-87 को कर दिया गया है प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला बांदा के अतर्रा कन्या जू0 हा0 स्कूल की प्रधान अध्यापिका के विरुद्ध शिकायत की जांच

21—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 4-8-87 का पत्र सं0 304/शिक्षा/87 बांदा जनपद के अतर्रा कन्या जू0 हा0 (बालिका विद्यालय) की प्रधान अध्यापिका एवं ग्राम महोतरा के प्रधान अध्यापक की अनियमितताओं के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि वर्ष 1986-87 में प्र0 अ0 महोतरा को तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा ने उनकी अनियमितताओं के सम्बन्ध में निलम्बित कर दिया था साथ ही दो इन्क्रीमेन्ट काटने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो क्या उनके आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? आदेशों का पालन न कराने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

प्रधान अध्यापिका श्रीमती रामकली गुप्ता कन्या जू0 हा0 स्कूल अतर्रा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करायी गयी शिकायत निराधार पायी गई ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला बांदा के प्राइमरी पाठशाला पनगरा के प्रधान अध्यापक के विरुद्ध शिकायत की जांच

22—सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 4-8-87 का पत्र सं0 ग, 012306 शिक्षा बांदा जनपद के प्राइमरी पाठशाला पनगरा के प्रधान अध्यापक की अनियमितताओं के विरुद्ध जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी, शिकायत निराधार पाई गई ।

जिला बांदा के विकास खण्ड नरैनी के स्थानान्तरित कर्मचारियों की कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में आयुक्त, झांसी मण्डल को प्रश्नकर्ता का पत्र

23—सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 27-7-87 का पत्र सं0 279/विकास/87 बांदा जनपद के विकास खण्ड नरैनी के स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के संबंध में जिला विकास अधिकारी बांदा व आयुक्त झांसी मंडल झांसी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-7-87 जिला विकास अधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ । आयुक्त झांसी मण्डल को उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

माह मई/जून 1987 में विकास खण्ड नरैनी के स्थानान्तरित कर्मचारियों में से श्री कृष्णानन्द तिवारी, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री हरिश चन्द्र निगम ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्यमुक्त किया जा चुका है । सर्वश्री पूरन सिंह, रामशंकर तिवारी, विजय चन्द्र सिंह चौहान एवं श्री परशुराम चतुर्वेदी ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर 31-3-88 तक के लिये विकास खण्ड नरैनी में रोक दिया गया है तथा माह अप्रैल 1988 में इन सभी को कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की धनराशि में प्रत्येक ग्राम सभा का अंशदान सुनिश्चित करने का प्राविधान

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की धनराशि में प्रत्येक ग्राम सभा का अंशदान सुनिश्चित करने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों को धन का आवंटन भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका के अनुसार किया जाता है जिसमें प्रत्येक ग्राम सभा का अंशदान सुनिश्चित करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

उप शिक्षा निदेशकों को संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति

25—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1987 में सात उप शिक्षा निदेशकों की पदोन्नति संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर की गई है ? यदि हां, तो आरक्षित कोटे के अन्तर्गत किसी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की पदोन्नति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी ? क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस समय संयुक्त शिक्षा निदेशक के कितने पद हैं, उनमें आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोग कितने हैं ? यदि कोई नहीं, तो आरक्षित कोटे को भरने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

पुरुष शाखा में 7 तथा महिला शाखा में एक को संयुक्त शिक्षा निदेशक के वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति दी गई है ।

जी नहीं ।

पात्रता क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के तदर्थ पदोन्नति हेतु चयनित न होने के कारण कोटे की इन रिक्तियों पर अनुसूचित जाति के अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नति नहीं दी जा सकी । आगामी चयन में चयनित होने की दशा में उन्हें तदर्थ पदोन्नति दी जायेगी ।

इस समय संयुक्त शिक्षा निदेशक वेतनमान के पुरुष शाखा में आठ तथा महिला शाखा में एक पद है । इनमें आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है ।

आगामी तदर्थ चयन में अनुसूचित जाति के पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों के चयनित होने की दशा में उन्हें तदर्थ पदोन्नति दी जायेगी ।

जिला मेरठ के विकास खण्ड खेकडा में खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती

26—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या ग्राम विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड खेकड़ा में खण्ड विकास अधिकारी न होने की वजह से इस क्षेत्र का विकास रुका है ? यदि हां, तो विकास खण्ड अधिकारी की तैनाती न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद मेरठ के विकास खण्ड खेकडा में खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी में वन विभाग द्वारा लगाये गये पौधों का विवरण

27—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी में वन विभाग द्वारा वर्ष 87-88 में जनवरी तक कितने पौधे कहां-कहां लगाये हैं तथा लगाये गये पौधों में से कितने जीवित हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गाजियाबाद जनपद के लोनी विकास खण्ड में वन विभाग द्वारा वर्ष 1987-88 में जनवरी 1988 तक लगाये गये पौधों की संख्या, स्थान तथा जीवित पौधों का विवरण निम्न प्रकार है :—

पौध रोपण का स्थान	लगाये गये पौध	जीवित पौध
1	2	3
1—दिल्ली-सहारनपुर रेलवे मार्ग कि0 मी0-5-7	14,000	10,000
2—मोहननगर लिंक मार्ग	8,000	7,000
3—दिल्ली-सहारनपुर मार्ग कि0 मी0 17-19	16,000	13,500
4—मोहननगर-लोनी मार्ग कि0 मी0 2-4	8,300	7,000

28—श्री सुखपाल पाण्डे—

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

झांसी मण्डल के शासकीय सहायताप्राप्त बालिका विद्यालयों में सी0 टी0 ग्रेड के रिक्त पदों की संख्या तथा भरे जाने की प्रक्रिया

29—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी मण्डल के शासकीय सहायता प्राप्त बालिका विद्यालयों में सी0 टी0 ग्रेड के कितने पद रिक्त हैं तथा सरकार ने उनके भरने की क्या प्रक्रिया अपनाई है ? क्या मंत्री जी उक्त रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सितम्बर 1987 की सूचना के आधार पर सी0 टी0 ग्रेड के 23 पद रिक्त हैं ।

कठिनाई निवारण आदेश 1981 के प्राविधानों के अनुसार उनके भरने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ।

रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां किये जाने के आदेश शिक्षा निदेशालय के अ0 शा0 पत्रांक सामान्य-1/प्रथम/5000-150/87-88, दिनांक 15 दिसम्बर, 1987 द्वारा पहले ही निर्गत किये जा चुके हैं ।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चयनित लिपिकों की सेवायें उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा समाप्त किया जाना

30—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1987 के चौथे सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं0-16 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी के आदेश सं0 शि0 बे0/नियुक्ति/72-73, दिनांक 19 फरवरी, 1973 द्वारा कितने लिपिकों की नियुक्ति की गयी थी और उन लिपिकों की सेवायें बिना किसी उपयुक्त कारण के क्यों समाप्त कर दी गयीं ? उन निकाले गये कर्मचारियों को क्यों समायोजित नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी इन सेवा समाप्त किये गये कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने का प्रयत्न करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

चार लिपिकों की नियुक्ति की गयी थी । सृजित पद उपलब्ध न होने पर नियमों के विपरीत नियुक्त प्रश्नगत कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किये जाने के कारण उनके समायोजन का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला झांसी में भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषणात्मक छिद्रण खण्ड खोले जाने के कथित आदेश

31—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी में भूगर्भ जल का अन्वेषणात्मक, छिद्रण खण्ड खोला गया था ? जो बाद में हमीरपुर स्थानान्तरित हो गया तथा बदल कर सिविल खण्ड कर दिया गया था ? यदि हां, तो झांसी में भूगर्भ जल सर्वेक्षण, दुबारा स्थल

चयन तथा लघु सिंचाई द्वारा छिद्रण एवं चयनित स्थल में बोरिंग को असफल होने आदि को दृष्टिगत रखते हुए क्या मंत्री जी झांसी में अन्वेषणात्मक छिद्रण खण्ड खोले जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

झांसी में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा स्थल चयन किये जाने हेतु जियोफिजिकल सर्वे खण्ड की स्थापना मई, 1987 में झांसी में की जा चुकी है । अन्वेषणात्मक छिद्रण कार्य हेतु झसी, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खण्ड सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (डी0 पी0 ए0 पी0) इलाहाबाद के अन्तर्गत जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल में उच्चीकृत और प्रान्तीयकृत विद्यालयों की संख्या

32—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 में पर्वतीय क्षेत्रों के दो मण्डल कुमाऊं व गढ़वाल में अलग-अलग कितने हाई स्कूल उच्चीकृत कर इण्टर किये गये तथा उनके नाम क्या है ? कितने इण्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण किया गया है ? भविष्य में इसी वर्ष किन-किन विद्यालयों का उच्चीकरण तथा प्रान्तीयकरण किये जाने की सम्भावना है ? यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

वित्तीय वर्ष 1987-88 में गढ़वाल मण्डल के दो राजकीय हाई स्कूल सिद्धपुर-पौड़ी व राजकीय हाई स्कूल कालसी-देहरादून को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत करने के आदेश जारी हुये हैं । केवल एक इण्टर कालेज का प्रान्तीयकरण किया गया है । राजकीय हाई स्कूलों के उच्चीकरण के संबंध में वर्ष 1987-88 के लक्ष्य के अनुसार, अवशेष 6 विद्यालयों का प्रकरण विचाराधीन है । वित्तीय वर्ष 1987-88 की समाप्ति के पूर्व ही प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी ।

33—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[5 वें सोमवार के लिये स्थगित]

जिला फैजाबाद के मया ब्लाक से निर्माणाधीन प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण

34—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्माणाधीन प्राइमरी पाठशाला अमसिन और कन्या प्राइमरी पाठशाला बन्दनपुर के भवन का निर्माण कार्य अभी तक पूरा न हो पाने के लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त भवनों का निर्माण काफी घटिया स्तर का हो रहा है और उसमें काफी भ्रष्टाचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने और दोनों ही निर्माण कार्यों की जांच टेक्निकल आडिट सेल से कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्माणाधीन प्राइमरी पाठशाला अमसिन और बन्दनपुर के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ।

भवन का निर्माण कार्य में विलम्ब तथा घटिया स्तर के होने के बारे में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोरखपुर से जांच कराई जा रही है । अभी तक टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराने हेतु कोई सन्दर्भ शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा पर्यवेक्षकों का विनियमितीकरण

35—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा योजना के अधीन वर्ष 1981-82 तथा 82-83 से कार्यरत अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों की सेवाओं को अब तक विनियमित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि वह 3 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं तथा इन ही वर्षों में नियुक्त प्रति-उपविद्यालय निरीक्षकों की सेवाओं का विनियमितीकरण भी किया जा चुका है ?

श्री सिब्ते रजी—

अनौपचारिक शिक्षा योजना अस्थायी होने के कारण उसके अन्तर्गत स्थायी पद सृजित न होने के फलस्वरूप प्रश्नगत कर्मचारियों को विनियमित नहीं किया गया ।

जी हां ।

वर्ष 81-82 तथा 82-83 में नियुक्त प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद स्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत सृजित है । अतः उनकी सेवाओं का विनियमितीकरण नियमानुसार किया गया है ।

अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय

36—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत अनुदेशकों को सम्प्रति मात्र 50 रुपया मानदेय मिलता है जो कि बहुत कम है उसे बढ़ा कर 105 रुपया करने की कृपा की जायेगी क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित महिला ब्लाकों में कार्यरत अनुदेशिकाओं को 105 रुपया मानदेय दिया जाता है ?

श्री सिब्ते रजी—

1 जनवरी, 1988 से 105 रुपया कर दिया गया है ।

जी हां ।

इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल की मान्यता हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा शासन को प्रेषित संस्तुति और विद्यालयों की संख्या

37—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में कितने विद्यालयों को इण्टरमीडिएट स्तर की साहित्यिक वर्ग में विज्ञान वर्ग में तथा कितने विद्यालयों को हाई स्कूल तक की मान्यता दिये जाने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा मान्यता समिति ने अपनी संस्तुति देकर मान्यता दिये जाने का प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रेषित किया है, और उन्हें मान्यता न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या शासन मान्यता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालयों को वर्ष 1987-88 में मान्यता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

विगत पांच वर्षों (1984 से 1988) में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग के 304 व विज्ञान वर्ग के 64 तथा हाईस्कूल स्तर तक की मान्यता के 858 प्रकरण शासन के अनुमोदनार्थ मान्यता हेतु संस्तुत कर भेजे गये ।

शासन द्वारा उक्त प्रकरणों में से मानक के अनुसार मान्यता की निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाले इण्टरमीडिए साहित्यिक वर्ग के 137, विज्ञान वर्ग के 17 तथा हाईस्कूल स्तर के 535 प्रकरणों को मान्यता के लिये अनुमोदित किया जा चुका है । शेष प्रकरण अननुमोदित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बस्ती के विकास खण्ड जोगिया में अवशेष कुओं के जगत को ऊंचा बनाये जाने की मांग

38—श्री धनराज यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड जोगिया में 84-85 में कुसुम्ही बांकी, सेमराकला, मजगवां, रीवा नानकार, गायघाट आदि गांवों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ग्राम पटाई के अन्तर्गत गांवों को ऊंचा किया गया था ? यदि हां,, तो प्रत्येक गांव में कितने कुएं थे जो गांव को ऊंचा करते समय मिट्टी की सतह से नीचे हो गये उनमें किन-किन गांव के कितने कुओं की जगत ऊंचे किये गये और किन-किन गांव के कितने कुओं की जगत बनाने से अवशेष रह गयी ? क्या अवशेष कुओं के जगत को ऊंचा कराने का आदेश पारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । ग्राम कुसुम्ही में 9, बांकी 3, सेमराकला 8, मजगवां 4, रीवां-नानकार 3, गायघाट 6, धोबहा 5, बंगरा 9, झुनकीघाट 3,, पुरैना 3, सेमराखुर्द 2, घुसवां 2, केवरलिया 14, मारूखर 1, मरवटिया 9, डुमरिया 4 कुएं मिट्टी के सतह से नीचे हो गये ।

उपरोक्त ग्रामों में से ग्राम रीवानानकार, धोबहा, बंगरा, मझगवां, केवटलिया, कुसुम्ही, मरवटिया तथा डुमरिया में क्रमशः 3, 3, 2, 4, 1, 5 तथा 4 कुओं के जगत ऊंचे किये गये ।

ग्राम गायघाट, धोबहा, बंगरा, सेमराकला, धुनकीघाट, पुरैना, सेमराखुर्द, धुसवा, केवटलिया, मारूखर, कुसुम्ही, बांकी तथा भरवटिया में क्रमशः 6, 2, 7, 8, 3, 3, 2, 2, 13, 1, 8, 3 तथा 4 कुओं की जगत बनाने से अवशेष रह गयी । पेयजल योजना के अन्तर्गत वांछित धनराशि की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बलिया के कतिपय हाईस्कूलों विद्यालयों में विज्ञान अध्यापकों के पद का सृजन

39—श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में कितने ऐसे हाई स्कूल विद्यालय हैं जहां पर विज्ञान की अनिवार्य पढ़ाई होते हुए भी विज्ञान अध्यापक नहीं है ? इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

बलिया जनपद में 15 ऐसे हाई स्कूल विद्यालय हैं जहां विज्ञान की अनिवार्य पढ़ाई होते हुये भी पद सृजित न होने के कारण विज्ञान अध्यापक नहीं हैं किन्तु प्रबन्धतन्त्र संविदात्मक अध्यापक रख सकता है ।

प्रदेश में अभूतपूर्व सूखा से आय में ह्रास तथा सीमित संसाधनों को देखते हुये प्रदेश के सभी विभागों के आयोजनेत्तर पक्ष में पद सृजन पर रोक लगा दी गयी है ।

40—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

[5 वें सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद फैजाबाद के भीटी और कटेहरी विकास खण्डों के प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की जांच

41—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी और कटेहरी ब्लाकों में अधिकांश प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र केवल कागज में ही चल रहे हैं और मौके पर उनका पता नहीं है । यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है । यदि नहीं, तो इसकी उच्चस्तरीय खुफिया जांच कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रौढ़ शिक्षा—

वर्तमान समय में फैजाबाद जनपद के भीटी तथा कटेहरी विकास खण्डों में शासकीय संसाधनों से प्रौढ़ शिक्षा योजना लागू नहीं है । अतः इन विकास खण्डों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन का प्रश्न नहीं उठता ।

अनौपचारिक शिक्षा—

फैजाबाद जनपद के भीटी विकास खण्ड में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र विधिवत चल रहे हैं । कटेहरी विकास खण्ड में यह योजना लागू नहीं है । अतः कटेहरी विकास खण्ड में अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्रों के संचालन का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर जिलाधिकारी देवरिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

42—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह जानकारी है कि अपर जिलाधिकारी देवरिया (परियोजना) श्री श्रवण कुमार उपाध्याय द्वारा अनियमित नियुक्तियों एवं भ्रष्टाचार के संबंध में कोई पत्रांक सी-19/पी0 आ0 18/25 मार्च, 1987 को जिलाधिकारी देवरिया या सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को भेजा गया जिसमें कोई स्थानीय नियुक्ति न किये जाने एवं यूनीसेफ पोषित जनपदों में तुरन्त पुष्टाहार कार्यकर्ता लगाये जाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शासन के आदेशों का पालन न करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अपर जिलाधिकारी (परियोजना) श्री श्रवण कुमार उपाध्याय के सम्बन्ध में प्रश्न में वर्णित पत्र प्राप्त हुआ । राज्य बजट पर स्वीकृत ग्राम विकास अधिकारी (महिला) के पदों पर नियुक्ति समायोजन न होने तक न करने हेतु रोक लगाई गई थी किन्तु डी0 डब्लू0 सी0 आर0 ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनीसेफ से वित्त पोषित 6 नये विकास खण्डों के लिये स्वीकृत गयी थी और इन पदों पर स्थानीय तौर पर ही नियुक्ति की जानी थी । अतएव 6 ग्राम ग्राम विकास अधिकारी (महिला) के पदों पर नियुक्ति न करने हेतु कोई रोक नहीं लगाई विकास अधिकारी (महिला) की नियुक्ति की गयी ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा लखनऊ के विरुद्ध कार्यवाही

43—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा लखनऊ जिनके पास इस समय अधीक्षण अभियन्ता का भी चार्ज है, के विरुद्ध वर्ष 1983 से अब तक सरकारी जीप की चोरी, गेहूं की खरीद में अनियमितता तथा सरकारी धन का घपला जैसे तमाम आरोप विभाग द्वारा पाये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ के विरुद्ध वर्ष 1983 से अब तक गेहूं की खरीद में अनियमितता एवं शासकीय धन के घपले के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । लखनऊ प्रखण्ड की सरकारी जीप संख्या—एम आर बी 239 अस्थायी की चोरी दिनांक 1/2-9-86 की रात्रि में हुई, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

44—श्री शारदानन्द अंचल—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मुरादाबाद की सहकारी गन्ना विकास समितियों को मिल कमाण्ड एरिया माना जाना

45—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के धन से उन्नीस विकास खण्डों में से केवल छः विकास खण्डों को ही गन्ना मिल कमाण्ड एरिया मान कर ग्रामीण मार्ग बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सहकारी गन्ना वि0 समितियों को भी मिल कमाण्ड एरिया मानेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद मुरादाबाद में सूखा राहत एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी 19 विकास खण्डों में निर्माण कार्य किये जा रहे हैं । मार्गों का निर्माण विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है जिनमें गन्ना विकास समितियां भी सम्मिलित हैं । चीनी मिलों के कमाण्ड एरिया तथा निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु गन्ना विकास विभाग में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जनपद के आठ विकास खण्डों के ही कुछ निर्माण कार्य गन्ना विकास समितियों को दिये गये थे तथा शेष कार्य अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे हैं । जनपद मुरादाबाद की सभी गन्ना विकास समितियां मिलों के कमाण्ड एरिया में स्थित हैं ।

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत विकेन्द्रित जिला योजना में वन विभाग में कराये जाने वाले कार्यों एवं आवंटित धन का विवरण

46—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

विधान सभा के तृतीय सत्र 87 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्न सं0 86 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहां भी वर्तमान भीषण सूखे में वृक्षारोपण कराया गया है वह सब सूख गया है जिससे सरकार को हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी जिन्होंने वृक्षारोपण कराया था ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं, विधान सभा के तृतीय सत्र 87 के पहले मंगलवार के प्रश्न संख्या 86 के उत्तर में उल्लिखित क्षेत्रों में वर्ष 1987 में कराये गये वृक्षारोपण सूखे के उपरान्त भी सब नहीं सूखे हैं, अपितु उनमें लगाये गये पौधों की जीवितता प्रतिशत 65 से 80 तक है। अतः सरकार को हानि नहीं हुई है।

राजर्षि टण्डन महिला विद्यालय, इलाहाबाद की प्राचार्य की अवैधानिक नियुक्ति

47—श्री शारदा प्रताप—

विधान सभा के 1987 के द्वितीय सत्र के चौथे सोमवार के में डा0 शिवानन्द नौटियाल द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 71 के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजर्षि/टण्डन महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद की प्राचार्या की उच्च शिक्षा आयोग द्वारा अवैधानिक नियुक्ति का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक निर्णय न होने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

इस प्रकरण में जांचोपरान्त उच्च शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को स्थिति से अवगत कराया जा चुका है और आयोग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

48—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री रामप्यारे गुप्ता अधिष्ठान लिपिक गोरखपुर को अनियमित आवास भत्ता

49—श्री हर्ष वर्धन—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम प्यारे गुप्ता, अधिष्ठान लिपिक गोरखपुर दक्षिणी वन प्रभाग गोरखपुर को अनियमित ढंग से आवास भत्ता दिया जा रहा है जबकि उन्होंने महानगर गोरखपुर से 35 कि0 मी0 दूर चौरीचौरा में अपना आवास बना रखा है और वहां से प्रतिदिन आत-जाते हैं ? इस तरह की धनराशि स्वीकृत करने वाला कौन अधिकारी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

श्री राम प्यारे गुप्ता, अधिष्ठान लिपिक गोरखपुर दक्षिण वन प्रभाग गोरखपुर को नियमानुसार आवास भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने महानगर गोरखपुर से 35 कि0 मी0 दूर चौरी-चौरा में अपना आवास नहीं बना रखा है और न वे वहां से प्रतिदिन आते जाते हीं हैं। आवास भत्ता स्वीकृत करने वाला अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिणी गोरखपुर है।

उत्तर प्रदेश वन निगम के उत्तरी लौगिंग प्रभाग गोरखपुर में ईंधन की कमी होने से कर्मचारियों से कटान की वसूली

50—श्री हर्ष वर्धन—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम लौगिंग प्रभाग उत्तरी गोरखपुर में सत्र 1982-83 से 1985-86 तक किन-किन इकाइयों में कितने ईंधन की कमी हुई

है ? क्या उक्त कमी मजदूरी में हुई ? यदि हां, तो क्या कटान की वसूली कर कर्मचारियों को सेवा में लिया गया है तथा क्या कुछ लोगों से कटान की वसूली लेने के बाद भी सेवा से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री **बल्देव** सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश वन निगम के उत्तरी लौंगिंग प्रभाग, गोरखपुर में 1982-83 से 1985-86 तक निम्नलिखित इकाईयों में उनके सम्मुख दर्शायी गयी मात्रा में ईंधन की कमी हुई :—

वर्ष	इकाई	ईंधन घन मीटर
1982-83	6	395·380
1983-84	12	2·500
	18	416·000
	22	79·500
	25	198·850
1984-85	24	344·250
1985-85	5	139·700
	9	28·000
	8	56·000
	11	24·000
	15	300·000
	18	8·750
	19	10·000
	23	163·750
	26	451·000
	27	88·000
	30	43·500
योग ..		2749·180

उक्त में से 2705·680 घन मीटर की कमी लापरवाही से हुई जिसकी वसूली करके सम्बन्धित कर्मचारियों को सेवा में रख लिया गया है परन्तु अवशेष 43·500 घ0मी0 की कमी जानबूझकर की गयी है जिसकी वसूली करके दोषी कर्मचारियों को सेवा से वंचित किया गया है ।

जिला हरदोई के बिलग्राम रोड से जरौली शेर तक कंकड़ मार्ग का रख-रखाव

51—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक बिलग्राम के अन्तर्गत हरदोई बिलग्राम रोड से जरौली शेर तक का कंकड़ मार्ग विगत कई वर्षों से जीर्णावस्था में पड़ा है ? यदि हां, तो उसके रखरखाव पर ध्यान न दिये जाने के क्या कारण है ?

श्री **राम** सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1983-84 में प्रसंगगत मार्ग की मरम्मत कराने हेतु कंकड़ आपूर्ति का ठेका दिया गया था, परन्तु कार्य के त्रुटिपूर्ण होने के कारण पूर्ण भुगतान न किये जाने पर ठेकेदार द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

जिला हरदोई के सदरपुर-सेलापुर मार्ग का रख-रखाव

52—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि हरदोई जनपद के ही माधोगंज ब्लाक में सदरपुर-सेलापुर मार्ग पर भी जिला परिषद् द्वारा 4-5 वर्ष पूर्व कंकड़ का कार्य कराया गया था जो कार्य के तत्काल बाद से ही जीर्ण स्थिति में पहुंच गया था और आज यह मार्ग जीर्ण बन गया है ? यदि हां, तो उसका रख-रखाव न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1980-81 में प्रश्नगत मार्ग पर कंकड़ का कार्य कराया गया था । जिला परिषद् हरदोई की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मरम्मत नहीं कराई जा सकी । आगामी वर्ष के मरम्मत कार्य में इस मार्ग को सम्मिलित किया जा रहा है ।

जिला हरदोई के दक्षिण कलेनापुर से सनाथी मार्ग को पक्का कराया जाना

53—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के ऐतिहासिक कस्बा मल्लावां के दक्षिण कलेनापुर से सनाथी नार्थ मार्ग को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा डामर युक्त करने हेतु धन का आवंटन कब किया गया था और कितनी धनराशि का किया गया था ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त मार्ग को अधूरा और बिना पूरी तरह पक्का कराये ही छोड़ दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1973 में जिला परिषद् योजना के अन्तर्गत रु0 91,522.00 रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था ।

धनाभाव के कारण मार्ग पर लेपन सतह का कार्य नहीं हो सका ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में फारसी विभाग के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति

54—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में फारसी विभाग के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु जनवरी, 87 में समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

उक्त पद के पदधारक को एक वर्ष के लिये पुनर्योजित किया गया । अतएव, उक्त पद पर किसी अन्य की नियुक्ति नहीं की गयी ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के स्पेशल ग्रेड/रीडर ग्रेड पाने वाले लेक्चरर का विवरण

55—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसे कितने और कौन-कौन लेक्चरर हैं जिन्हें स्पेशल ग्रेड/रीडर ग्रेड दिया जा रहा है ? क्या उक्त ग्रेड दिये जाने हेतु कोई चयन कराया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिव्ते रजी—

145 लेक्चरर्स को वैयक्तिक प्रोन्नति देकर रीडर का ग्रेड दिया गया है, जिसकी सूची संलग्न है ।

जी हां ।

तिथि संलग्न सूची में उल्लिखित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड भगतपुर टांडा, जिला मुरादाबाद की टांडा रोड से झादे वाली मिलक की सड़क का मजदूरी के भुगतान में अनियमितता तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

56-57—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भगतपुर टांडा, जिला मुरादाबाद की टांडा रोड से झादें वाली मिलक की सड़क की मजदूरी का श्री एस0 सी0 चावला, जे0 ई0 एम0 द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर दिनांक 6-4-86 को खण्ड विकास अधिकारी के आदेश के बिना गेहूं बांटा गया और वितरण के समय ब्लाक प्रमुख श्री मोहम्मद हुसैन द्वारा जांच किये जाने पर उक्त मस्टर रोल में फर्जी व मृतक व्यक्तियों के नाम पाये गये और नकद रुपये का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में तत्काल ही ब्लाक प्रमुख द्वारा आयुक्त व जिला अधिकारी महोदय को लिखित रूप में शिकायत प्रस्तुत की गयी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में आज तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख भगतपुर टांडा की उक्त शिकायत में संबंधित जे0 ई0 एम0 आई0 के फर्जी मस्टर रोल के भुगतान के षड़यंत्र में परियोजना निदेशक, मुरादाबाद, श्री बलराज सिंह तथा क्षेत्र विकास अधिकारी, भगतपुर टांडा भी शामिल थे ? यदि हां, तो आज तक इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विकास खण्ड भगतपुर टांडा, जनपद मुरादाबाद में ग्रामीण संपर्क मार्ग टांडा रोड से झादे वाली मिलक की मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं के संबंध में ब्लाक प्रमुख, भगतपुर टांडा, श्री मो0 हुसैन द्वारा शिकायत की गई थी, जिसकी जांच सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा करायी गयी, जांच आख्या 26-2-88 को प्राप्त हुई है । जांच में मजदूरी के भुगतान में वित्तीय अनियमिततायें पायी गयी हैं । जांच आख्या के आधार पर मुख्य रूप से श्री एस0 सी0 चावला, जे0 ई0 एम0 आई0 एवं श्री लवकुश वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी को अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया है । उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सक्षम विभागीय अधिकारी को लिखा जा रहा है । जांच के आधार पर परियोजना निदेशक एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

मुख्य अनुदेशकों की वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रोन्नति

58—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री का दिनांकित 24-4-1987 का पत्र जो कि मुख्य अनुदेशक शिक्षा प्रसार कार्यालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद में 1984 से ही लम्बित वरिष्ठता निर्धारण संबंधी प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही करने

---

† छापी नहीं गई ।

से सम्बन्धित है, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ? प्रशिक्षित स्नातक वेतन-क्रम के सहायक अध्यापकों की सेवा नियमावली राजाज्ञा संख्या 4946/15-2-83-27 (46)-77, दिनांक 16-7-83 के अनुसार मुख्य अनुदेशकों को कब तक वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रोन्नति दी जायेगी ? इस प्रकरण में विलम्ब का उत्तरदायी कौन है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

वर्ष 1970-71 से विभिन्न (सामान्य) विषय अध्यापकों का विभागीय चयन लोक सेवा आयोग से सम्पन्न न होने के कारण ज्येष्ठता निर्धारण सम्भव नहीं हो पाया । ज्येष्ठता निर्धारित होने पर सम्मिलित ज्येष्ठता सूची में क्रम आने पर मुख्य अनुदेशकों को अन्य अध्यापकों के साथ पदोन्नति दी जायेगी । इस प्रकार विलम्ब के लिये किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

महिला विद्यालय (हायर सेकेन्ड्री विभाग) लखनऊ में कार्यरत डिमांस्ट्रेटरों के निकाले जाने के विरुद्ध कार्यवाही

59—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969 से वर्ष 1973 तक की अवधि में महिला विद्यालय (हायर सेकेन्ड्री विभाग), लखनऊ में कार्यरत डिमांस्ट्रेटरों को तत्कालीन शिक्षा निदेशक के इन निर्देशों कि "डिमांस्ट्रेटरों को किसी भी हालत में न निकाला जाय तथा यदि निकाल दिया गया हो तो उन्हें पुनः अपने पद पर नियुक्त किया जाय" का उल्लंघन करते हुए उक्त विद्यालय द्वारा डिमांस्ट्रेटरों को निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो कितने डिमांस्ट्रेटरों को और कब कितनी अवधि के लिए निकाला गया ? इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

निदेशक के आदेशों का उल्लंघन करके किसी डिमोंस्ट्रेटर को नहीं निकाला गया है । वास्तविकता यह है कि श्री शान्ति कुमार बाजपेयी वर्ष 1969 में केवल एक वर्ष के लिये डिमांस्ट्रेटर के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे क्योंकि नियमानुसार महिला विद्यालय में पुरुष डिमांस्ट्रेटर की नियुक्ति उसी दशा में की जा सकती थी जब कोई महिला अभ्यर्थी न हो ।

महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण श्री शान्ति कुमार बाजपेयी को वर्ष 1969 से लेकर वर्ष 1973 तक एक-एक वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता रहा । अंतिम बार उनकी नियुक्ति 28-7-72 से 30-6-73 तक की अवधि के लिये की गयी थी । वर्ष 1973-74 में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने के फलस्वरूप श्री शान्ति कुमार बाजपेयी को पुनः नियुक्त नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के कतिपय गांवों में खड़ंजा लगाया जाना

60—श्री धनराज यादव—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85-86, 86-87 एवं 87-88 में बस्ती जिले के उस्का बाजार, नगेड़, वर्डपुर एवं जोगिया विकास

खण्डों में किन-किन गांवों में खड़ंजा लगाने हेतु धन स्वीकृत किया गया एवं स्वीकृत राशि में से कितना-कितना धन अवमुक्त हुआ तथा कितने-कितने धन से गांवों में दिनांक 2-2-88 तक खड़ंजा लगाया जा चुका है ? क्या ऐसे भी गांव हैं जो धन के अवमुक्त होने के बावजूद खडंजा नहीं लगा सके ? यदि हां , तो ऐसे गांवों में कब तक खडंजा लगा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रसंगगत वर्षों में जनपद बस्ती के विकास खण्ड, उस्का बाजार, नौगढ़, बर्डपुर एवं जोगिया में क्रमशः 11, 21, 12 तथा 19 ग्रामों में खड़ंजा लगाने हेतु धनराशि स्वीकृत की गई । स्वीकृत धनराशि में से विकास खण्ड, उस्का बाजार, नौगढ़, बर्डपुर एवं जोगिया में क्रमशः 96,650 रु0, 2,48,500 रु0, 2,12,229·60 रु0 एवं 2,49,851 रु0 अवमुक्त किये गये, जिसके समक्ष क्रमशः 74,120 रु0, 2,38,500 रु0, 2,12,229·60 रु0 एवं 2,39,851 रु0 से ग्रामों में खड़ंजा लगवाया जा चुका है ।

ऐसे 7 ग्राम हैं । मार्च 1988 तक खड़ंजा लगा दिया जायेगा ।

बांदा जिले में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये पशुओं की मृत्यु से पशुमालिकों को बीमा से क्षतिपूर्ति

61—श्री राम संजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में जो मवेशी कर्जे पर खरीदे गये हैं उनमें से कितने मर गये और विभिन्न सरकारी पशु चिकित्सालयों में कितने के शव के पोस्टमार्टम किये गये ? क्या डाक्टरी मुआइना में बीमारी से मरने के प्रमाण मिले हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितने लोगों को बीमा से क्षतिपूर्ति की गयी ? अधिकांश की क्षतिपूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद बांदा में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत विगत दो वर्षों 1985-86 व 1986-87 में कुल 3365 क्रय कराये गये पशुओं में से 719 पशु विभिन्न बीमारियों से मर गये । इन 719 मृत पशुओं का विभिन्न सरकारी पशु चिकित्सालयों में शव परीक्षण कराया गया ।

जी हां ।

इन मृत पशुओं में से 422 पशु मालिकों को रु0 6,40,544·75 की बीमा क्षतिपूर्ति की गई । 95 मृत पशुओं के ईयर टैग न उपलब्ध होने तथा 202 मृत पशुओं के बीमा दावे आदि सही न होने के कारण बीमा कम्पनियों द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी ।

श्री सन्त रावत, भूतपूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास क्षेत्र निन्दूरा, जिला बाराबंकी की सेवा बहाली

62—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या पचायती राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जी0 के0 टण्डन, उप निदेशक (प्रशासन) ने अपने अर्द्ध शा0 पत्र संख्या 4/211/27/87-4/457/56/84 जिला प्रशासन पंचायत राज उत्तर प्रदेश दिनांक 30 मार्च, 87 द्वारा संयुक्त सचिव, पंचायत राज अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को श्री सन्त रावत, भूतपूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास क्षेत्र निन्दूरा, जनपद बाराबंकी को सेवा में पुनः लेने हेतु शासन से उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो क्या शासन ने इस प्रश्न पर कोई निर्णय किया है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों को प्रोजेक्टवाइज धन अवमुक्त करने के शासन द्वारा आदेश

63—श्री धनराज यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना में जिलों के अन्दर विभिन्न प्रकार के विकास योजनाओं हेतु अलग-अलग परियोजनाओं पर अलग-अलग राशि शासन से स्वीकृत होती है ? क्या जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों को प्रोजेक्टवाइज धन अवमुक्त न करके लगभग एक मुश्त दे दिया जाता है ? जिसके कारण स्वीकृत परियोजनायें अधूरी रह जाती है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारियों को शासन आदेशित करेगा कि प्रोजेक्टवाइज धन अवमुक्त करें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जिलाधिकारी सम्बन्धित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को आवंटन के अनुसार कार्य की प्रगति को देखते हुए धन अवमुक्त करते हैं ।

जिलाधिकारी द्वारा धन अवमुक्त करने की प्रक्रिया के कारण परियोजनाएं अधूरी नहीं रहती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64—श्री शारदानन्द अंचल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला मुरादाबाद के विकास क्षेत्र भगतपुर टांडा में 'हमीरपुर-सक्टूनगता' मार्ग तथा 'रभेड़ा नाला' के निर्माण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

65—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र भगतपुर टांडा, तहसील व जिला मुरादाबाद में ''हमीरपुर-सक्टूनगता'' मार्ग का कार्य कितने वर्ष से स्वीकृत होने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है और उसी मार्ग पर ''रभेड़ा नाला'' पर विभाग द्वारा बनायी गयी पुलिया कितने वर्ष से टूटी पड़ी है और उसको ठीक कराने के क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

66—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र वासियों की तरफ से सम्बन्धित अधिकारियों को बार-बार इस सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर आज तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आजमगढ़ द्वारा ह्यूम पाइप की खरीदारी में की गई अनियमितता की शिकायत की जांच

67—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पिछड़ा, अनुसूचित, अल्प संख्यक समाज सुधार समिति का ग्राम्य विकास मंत्री, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित दिनांक 9-7-87 एवं 4-8-87 का पत्र शासन को मिल गया है जिसमें ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आजमगढ़ द्वारा ह्यूम पाइप की खरीददारी में (10) दस लाख रुपये की हेरा फेरी की गम्भीर शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कराई गई है ? श्री यादव की शिकायती पत्रों तथा जांच आख्या को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री संकटा प्रसाद यादव, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति का शिकायती-पत्र दिनांक 9-7-87 व 4-8-87 प्राप्त हुये हैं ।

शिकायती पत्र दिनांक 9-7-87 में 10 लाख रुपये की ह्यूम पाइप मेसर्स राजेश इन्टर प्राइजेज से आपूर्ति लेकर हेरा फेरी की गम्भीर शिकायत की गई है शिकायत पत्र दिनांक 4-8-87 में उक्त के अतिरिक्त यह शिकायत की गई है कि बड़ी रकम लेकर अनियमित ढंग से (3) तीन लिपिकों की नियुक्ति की गई, जिनकी उम्र निर्धारित उम्र से अधिक है ।

शिकायती पत्र दिनांक 9-7-87 पर अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोरखपुर दवारा जांच कराई गई परन्तु शिकायत सिद्ध नहीं पाये गये । शिकायती पत्र दिनांक 4-8-87 के आधार पर अब पूरे प्रकरण की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टेकनिकल आडिट सेल से कराई जा रही है ।

68—श्री सरदार सिंह—

[5 वें सोमवार के लिए स्थगित]

सहायक उप-बालिका विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट

69—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0 16 के क्रम में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब जांच रिपोर्ट में श्रीमती कमला देवी (प्रथम) दोषी दर्शाई गई तो श्रीमती कमला देवी (द्वितीय) को स्थानान्तरित किये जाने का क्या कारण था ? क्या जांच रिपोर्ट में श्रीमती कमला देवी (द्वितीय) को भी स्थानान्तरित करने की संस्तुति की गई थी ?

श्री सिब्ते रजी—

जांच अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण की संस्तुति की गयी थी ।

जी हां ।

संबंधित प्रधानाध्यापक को अवकाश स्वीकृत होने की सूचना समय से प्राप्त न होने के कारण बाराबंकी जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद की अध्यापिका श्रीमती कमला देवी के

चिकित्सा अवकाश एवं वेतन का भुगतान

70—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-113 के उत्तर के क्रम में शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय में वर्णित प्रमाण उपलब्ध न होने

के क्या कारण हैं ? क्या ऐसे प्रमाण-पत्र कार्यालय में नहीं रखे जाते हैं अथवा खो गये हैं ? यदि खो गये हैं, तो इसका उत्तरदायित्व किस कर्मचारी का है ?

श्री सिद्धे रजो—

वर्णित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने हेतु संबंधित को वापस कर दिया गया था ।

कार्यालय अभिलेखों में रखे जाते हैं किन्तु मूल प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरार्थ संबंधित को वापस किया गया था ?

प्रश्न ही नहीं उठता ।

71—श्री सरदार सिंह—

[5वें सोमवार के लिये स्थगित]

अपर जिलाधिकारी, परियोजना देवरिया के द्वारा कनिष्ठ लेखा लिपिकों को नियुक्ति में धांधली किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

72—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिलाधिकारी, परियोजना, जनपद देवरिया (श्री श्रवण कुमार उपाध्याय) के द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया में कनिष्ठ लेखा लिपिकों की नियुक्ति में धांधली किये जाने से संबंधित प्राप्तकर्ता द्वारा दिनांक 30-7-87 को कोई पत्र जिलाधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा ग्राम घुघावली (परगना सम्भल) तक चक मार्ग नं0 256 के निर्माण के आदेश को निरस्त किया जाना

73—श्री देवेन्द्र पाण्डेय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि शासन के ग्रामों में राहत कार्यक्रम में उ0 प्र0 ग्रामय विवास विभाग द्वारा चक मार्गों के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा ग्राम घुघावली, परगना सम्भल में उक्त ग्राम से ग्राम घुघावली तक (चक-मार्ग नं0 256) के निर्माण के आदेश दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह भी सही है कि उक्त चकमार्ग के दोनों ओर स्थित खेत के मालिकों ने उक्त चकमार्ग को चौड़ा करने के लिए अपने खेतों में भूमि एवं मिट्टी देने के लिए मना कर दिया है जिसके फलस्वरूप उक्त चकमार्ग का निश्चित स्तर के अनुसार निर्माण होना सम्भव नहीं है ? यदि नहीं, तो क्या जिलाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को वापस लेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बिना रेवेन्यू से सेटेलमेन्ट के उक्त चकमार्ग को चौड़ा किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त चकमार्ग को चौड़ा किये जाने सम्बन्धी आदेश को निरस्त किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । चक मार्गों के निर्माण पर कोई रोक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । स्थलीय जांच से ज्ञात हुआ कि केवल एक कृषक को छोड़कर शेष स कृषक मार्ग निर्माण हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने को सहमत थे । जिलाधिकारी, भू ही उपलब्धता के अनुसार उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं ।

पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर ही सड़क को चौड़ा करना संभव हो सकेगा ।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योजना के अन्तर्गत भारत सरक द्वारा उत्तर प्रदेश को आवंटित धन

74—श्री अमिताभ अनिल दूबे—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85-86, 86-87 व 8 88 में वर्षवार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योज के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कितना-कितना धन आवंटित किया गया आवंटित धन में से कितना-कितना धन लैप्स हुआ ? यदि धन समय के अन्तर्गत सदुपय नहीं हुआ है, तो उसके क्या कारण थे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिह रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न धनराशि प्रदेश को वर्षवार सुलभ करायी गई :

(धनराशि लाख रुपये में)

वर्ष	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (केन्द्रांश)	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	योग
85-86	3765.270	8617.00	12382.27
86-87	4423.216	8918.070	13341.28
87-88 (फरवरी 88 तक)	6336.235	8123.500	14459.73

उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि परियोजना नियमों के अनुसार जनपदों को आवंटित क दी गई है और कोई धनराशि लैप्स नहीं हुई है ।

श्री शिव प्रसाद यादव, भू0 पू0 सदस्य जिला परिषद् का परियोजना निदेशक, ग्राम्य विक अभिकरण, मुरादाबाद को भेजा गया शिकायती पत्र

75—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव प्रसाद यादव, भू0 पू0 सदस्य, जिला परिषद् का कोई शिकायती पत्र दिनांक 23-11-87 परियोजना निदे शक, ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद को मिला है ? यदि हां, तो इस पर क कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

रामआसरे वर्मा स0 नि0 स0 का श्रीमती मालती खरे एवं श्रीमती निगहत फात्मा स0 अ0 के स्थानान्तरण समबन्धी पत्र पर कार्यवाही

—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह फरवरी, 1987 मण्डलीय सहा0 शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल, लखनऊ को श्रीमती मालती खरे, स0 एवं श्रीमती निगहत फात्मा, स0 अ0 के पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अभी तक स्थानान्तरण न किये ने के क्या कारण हैं ?

सिब्ते रजी—

जी हां ।

किन्तु संदर्भित आवेदन-पत्र पारस्परिक स्थानान्तरण की कोटि में नहीं थे ।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक बे0 शि0 प0/16152-78-87-88 दिनांक 7-87 द्वारा श्रीमती निगहत फात्मा का स्थानान्तरण नगर क्षेत्र सण्डीला हरदोई में कर या गया है । श्रीमती मालती खरे का स्थानान्तरण नियमानुसार रिक्ति के अभाव में नहीं या जा सका । पद रिक्त न रहने के कारण ।

ला मेरठ के गांव सांकरौद व भेड़ापुर वाकोठरा में सामुदायिक विकास केन्द्र भवन का निर्माण

—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड ड़ा के गांव सांकरौद में व भेड़ापुर वाकोठरा में 86-87, 87-88 में सामुदायिक विकास द्र बनना स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक भवन न बनने का क्या कारण है ?

श्याम सूरत उपाध्याय—

विकास खण्ड खेकड़ा के गांव साकरौद में वर्ष 1986-87 में भेड़ापुर एवं गोठरा 1987-88 में सामुदायिक विकास केन्द्र बनना स्वीकृत हुए हैं । गांव साकारौद में न छत स्तर तक बन चुका है । खण्ड विकास अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण भेड़ापुर तथा गोठरा में सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण में विलम्ब हुआ । अब त दोनों सामुदायिक विकास केन्द्रों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है ।

—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

—श्री राम सजीवन—

[चौथे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ी अशोक कुमार द्विवेदी, जिला इलाहाबाद के फर्जी फर्म के संबंध में लिखाई गई रिपोर्ट की जांच आख्या

—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अशोक कुमार द्विवेदी (सप्लायर) ासी ग्राम पोंशिया दूबे, ब्लाक मेजा, जिला इलाहाबाद के फर्जी फर्म मेसर्स कुमार ब्रदर्स मेसर्स जय लक्ष्मी जनरल आर्डर सप्लायर्स मेजा रोड इलाहाबाद के विरुद्ध आई0 आर0) योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मेजा उरवा एवं माण्डा में धोखाधड़ी करके लोगों का

पैसा खयानत करने के संबंध में एक रिपोर्ट लिखायी गयी जिसमें ब्लाक मेजा के अधिकारियों ने जांच की ? जांच की रपट क्या है और उसके संस्तुति पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

किन्तु उक्त फर्म के विरुद्ध श्री कुदरती प्रसाद उर्फ श्री के0 पी0 मेजा, इलाहाबाद का शिकायती पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1987 खण्ड विकास अधिकारी मेजा को प्राप्त हुआ जिस पर सहायक विकास अधिकारी (आई0 एस0 बी0) द्वारा जांच की गई । जांच रिपोर्ट में श्री अशोक कुमार द्विवेदी सप्लायर मेसर्स कुमार ब्रदर्स एवं मेसर्स जय लक्ष्मी आर्डर सप्लायर मेजा रोड, इलाहाबाद द्वारा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत सामान आपूर्ति में लाभार्थियों के साथ धोखा-धड़ी करने के तथ्य प्रकाश में आये हैं । जांच रिपोर्ट के आधार पर मेसर्स कुमार ब्रदर्स मेजा रोड एवं मेसर्स जय लक्ष्मी आर्डर सप्लायर मेजा रोड की दुकाने मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दी गई है । संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री हरे मुरारी तिवारी को अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में सेवा निवृत्त होने के पूर्व निलंबित कर दिया गया है और इन्हें आरोप-पत्र भी दिया गया है ।

81— श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[चौथे मंगल में अता0 प्र0 सं0 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री शारदा नन्द अंचल सा0 नि0 स0 का बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा, रतनपुरा में विकास कार्य बाधित होने विषयक पत्र पर कार्यवाही

82—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा, रतनपुरा में विकास कार्य बाधित होने विषयक पत्र दिनांक 2-6-87 शासन को प्राप्त हुआ है जिस पर पत्रांक बी-857 दिनांक 24-6-87 को अनावश्यक कार्यवाही का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो निर्माण कार्यों में प्राक्कलन के विरुद्ध गलत कार्य करने वाले तत्वों का जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुक्त ग्राम्य विकास उ0 प्र0 लखनऊ के आदेश का परिपालन न किये जाने पर कार्यवाही

83—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त ग्राम्य विकास उ0 प्र0 लखनऊ के आदेश सं0 4743/स्था0/वी0-85-86, दिनांक 29-12-86 एवं उसी प्रसंग में उसी स्तर के पारित आदेश दिनांक 12-3-87, 25-3-87, 13-3-87, 27-7-87 14-9-87 एवं 4-11-87 का परिपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

आयुक्त, ग्राम्य विकास के आदेश दिनांक 29-12-86 के परिपालन जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा कतिपय कठिनाइयां इंगित की हैं । जिलाधिकारी द्वारा इन्हीं कठिनाइयों का निराकरण कर आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा जिलाधिकारी, गाजीपुर को दिनांक 10-3-88 को पूर्व आदेशों का पालन करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

84—श्री शारदा प्रताप—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजीपुर के किसी कर्मचारी से वसूली न किये जाने पर जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी विरुद्ध कार्यवाही

85—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास आयुक्त लेखा उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक-139/बजट, दिनांक 30-4-81 द्वारा जनपद गाजीपुर के किसी कर्मचारी से 4284 रु0 की वसूली का आदेश पारित हुआ था जिसकी वसूली आज तक नहीं हुई ? क्या यह कर्मचारी सेवा निवृत्त होकर अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी हां ।

उत्तरदायित्व निश्चित कराने एवं उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिये जांच आदेश दिये जा चुके हैं । जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जिला पिथौरागढ़ के प्राइमरी पाठशालाओं व जूनियर बेसिक स्कूलों के मृत अध्यापक/अध्यापिकाओं के सामूहिक बीमा व जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

86—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1986 के बीच प्राइमरी पाठशालाओं व जूनियर बेसिक स्कूलों के कितने मृत अध्यापक/अध्यापिकाओं के सामूहिक बीमा व जी0 पी0 एफ0 भुगतान के मामले 1 मई, 1987 तक लम्बित थे ? इतने लम्बे समय में उक्त प्रकरणों के लम्बित होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इन्हें अविलम्ब भुगतान किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1987 तक जी0 पी0 एफ0 का कोई प्रकरण अवशेष नहीं है ।

सामूहिक जीवन बीमा के इस बीच मृत अध्यापकों का केवल एक प्रकरण अवशेष है ।

सामूहिक जीवन बीमा के अवशेष एक प्रकरण शीघ्र निस्तारित करने के आदेश शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कर दिये गये हैं ।

राजकीय कन्या हाई स्कूल बेरीनाग (पिथौरागढ़) के हाई स्कूल परीक्षाफल पूर्ण करके छात्रा की क्षतिपूर्ति किया जाना

87—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या हाई स्कूल, बेरी (पिथौरागढ़) की हाई स्कूल अंतिम वर्ष की हाई स्कूल की सत्र 85-86 की गृह वि प्रयोगात्मक परीक्षा दि0 13-5-86 को रा0 क0 इ0 का0, पिथौरागढ़ में सम्पन्न हुई और दिनांक 30 नवम्बर, 1986 तक उनके परीक्षाफल (प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों व घोषित न होने के कारण उत्तीर्ण को 11 वीं कक्षा में प्रवेश लेने व अनुत्तीर्ण को उस क में परीक्षा देने से वंचित होना पड़ा ? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण था इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार तुरन्त परीक्षाफल पूर्ण करने की क वाही करते हुए छात्राओं का हुई क्षति की पूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

हां, परिषद् द्वारा जनवरी, 86 से मई 86 तक की अवधि में 5 परीक्षक निय हुई थीं जिनके द्वारा परीक्षा का सम्पादन न कर पाने के फलस्वरूप जिला विद्या निरीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा स्थानीय व्यवस्था करके मई 86 में परीक्षा करा दी गई थी सम्बन्धित परीक्षक ने प्राप्तांकों की सूचियां अति विलम्ब से सितम्बर, 86 में प्रेषित की थी

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली द्वारा प्राप्तांक सूची के आ पर परीक्षाफल पूर्ण करके जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़ को दिनांक 21-10- को सम्बन्धित विद्यालय को प्रेषित करा देने हेतु, प्राप्त करा दिया गया था । सम्बन्धि छात्राओं को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री इन्दू भूषण मित्तल, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, हापुड़ इण्टर कालेज, गाजियाबाद की क अवैधानिक नियुक्ति

88—श्री कनक सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री इन्दू भूषण मित्तल, प्रवक्ता रसायन श हापुड़ इण्टर कालेज, हापुड़ जिला गाजियाबाद की नियुक्ति, अध्यादेश सं0 12 आफ 8 विरुद्ध हुई है ? क्या यह सही है कि श्री मित्तल नियुक्ति के समय आरक्षित अध्यापक श्रेणी में आते थे ? इनकी नियुक्ति इण्टर कालेज गढ़ी, चौखण्डी, गाजियाबाद में हुई थी वहां इन्होंने कार्यभार नहीं सम्भाला जिसकी वजह से उनका आरक्षित समूह अध्यापक की सूची से कट गया ? यदि हां, तो इस अवैधानिक नियु के लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार इस अवैधानिक नियुक्ति के दोषी अ कारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और इस नियुक्ति को निरस्त करेगी ? नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं । नियुक्ति नियमानुसार हुई है ।

श्री मित्तल आरक्षित समूह के अध्यापक थे और उनकी नियुक्ति इण्टर कालेज चौखण्डी के प्रबंध तंत्र द्वारा की गयी थी परन्तु उन्होंने हापुड़ इन्टर कालेज में नियुक्ति प्रत्यावेदन दिया । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक ने इसे विचारोपरान्त स्वीकार क उनकी नियुक्ति हेतु निर्देश दिये जिनके अनुसार ही वह हापुड़ इण्टर कालेज में कार्यरत

प्रश्न नहीं उठता ।

89—श्री कनक सिंह—

[स्पस्टीकरण हेतु हटाया गया]

राम मनोहर लोहिया इण्टर कालेज, गढ़मुक्तेश्वर जिला गाजियाबाद के परीक्षा केन्द्र की शिकायतों की जांच तथा कृत कार्यवाही

श्री कनक सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राम मनोहर लोहिया इण्टर कालेज, गढ़-श्वर, जिला गाजियाबाद में गत वर्ष 10वीं व 12वीं कक्षाओं का परीक्षा केन्द्र था उसे इस वर्ष हटा दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों तथा जिला गाजियाबाद में र्ष और कितने परीक्षा केन्द्र बदले गये ? क्या उक्त परीक्षा केन्द्र की कोई शिकायतें ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और उन पर शासन ने क्या कार्यवाही

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो अब नये केन्द्र बनाये गये हैं उनकी कोई शिकायतें रही हैं ? यदि हां, तो क्या ?

सब्ते रजी—

जी नहीं, विद्यालय वर्ष 1987 में परीक्षा केन्द्र नहीं था, अतः वर्ष 1988 में े जाने का प्रश्न नहीं उठता । जिला गाजियाबाद में वर्ष 1987 के सभी केन्द्र 1988 यावत् केन्द्र हैं और कोई केन्द्र नहीं बदला गया । जिला गाजियाबाद में इस वर्ष सात लयों को नवीन केन्द्र बनाया गया है जिनमें से अग्रसेन आदर्श इण्टर कालेज, दादरी, ाबाद वर्ष 1985 की परीक्षा में तथा श्री गांधी इण्टर कालेज, दुजाना, गाजियाबाद 1986 की परीक्षा में केवल एक-एक वर्ष के लिए सामूहिक अनुचित साधन प्रयोग में रत हैं । इसके अतिरिक्त शेष नये पांच केन्द्रों की कोई शिकायतें नहीं हैं ।

श्री कनक सिंह—

[5वें मंगल में अता0 प्र0 सं0 120 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुमायूं तथा गढ़वाल परिक्षेत्र के बंजर भूमि पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से वृक्षारोपण

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि कुमायूं तथा गढ़वाल परिक्षेत्र की ग्राम पंचा-तों द्वारा उस सरकारी भूमि का प्रबन्ध कराया जा रहा है जिस पर कभी चीड़ के वन थे तब यह भूमि बंजर पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या इस बंजर भूमि पर वृक्षा-सरकार ग्राम पंचायतों के माध्यम से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि तो क्यों ?

बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं । वन विभाग में ग्राम पंचायतों द्वारा किसी भी सरकारी वन भूमि का नहीं कराया जा रहा है ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की देखरेख में अधि-स्थानीय श्रमिकों द्वार करवाया जाता है । वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु दिवाल-के कार्य में स्थानीय ग्राम सभाओं का सहयोग उनके प्रधानों के माध्यम से लिया है ।

वस्तुस्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट कर दी गई है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय बाराबंकी में सेवा समाप्त कर्मचारी का वेतन भुगतान

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय बाराबंकी में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सन् 1972-73 में एक माह का वेतन दिये जाने के

आदेश के साथ कितने लिपिकों की सेवायें समाप्त की गयी थीं ? क्या उक्त अवधि 3 माह पूर्व का वेतन एवं सेवा समाप्ति के समय घोषित एक माह का वेतन किसी भी कर्मचारी को आज तक भुगतान नहीं किया गया ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा भुगतान कराये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धे रजी—

चार लिपिकों की सेवायें समाप्त की गयी थी? नियमानुसार भुगतान के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

94—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय जिला बाराबंकी के लिपिक श्री कौशल किशोर के देय वेतन का भुगतान

95—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय, बाराबंकी के लिपिक श्री कौशल किशोर को सेवा समाप्ति की स्थिति में एक माह की नोटिस के बदले वेतन और इसके पूर्व तीन माह का वेतन भुगतान के संबंध में कौन सी औपचारिकतायें हैं जो 12 वर्ष से अब तक पूर्ण नहीं हुई हैं ? यह औपचारिकतायें कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री सिद्धे रजी—

तीन माह के वेतन भुगतान तथा एक माह के नोटिस के बदले देय एक माह के वेतन के भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं ।

जिला वाराणसी के टड़िया सम्पर्क मार्ग का निर्माण

96—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के खण्ड विकास क्षेत्र काशी विद्यापीठ, परगना कसवार राजा के अन्तर्गत ग्राम टड़िया की जनता द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण की मांग के विषय में मुख्य मंत्री जिलाधिकारी, वाराणसी परगनाधिकारी (दक्षिणी) वाराणसी को क्रमशः प्रेषित सामूहिक प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-3-87 तथा इस संबंध में अन्य भेजे गये प्रार्थना-पत्रों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही होने में विलम्ब का कारण हैं ? सम्पर्क मार्ग के समरेखन की प्रक्रिया सम्पन्न होने में कठिनाइयां कब दूर कर ली जायगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

टड़िया सम्पर्क मार्ग की जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने विलम्ब से स्वीकृति प्रदान की । समरेखन की कार्यवाही हेतु खण्ड विकास अधिकारी काशी विद्यापीठ द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की गयी है ।

वाराणसी जनपद के विकास विभाग में ज्येष्ठता सूची में विसंगति

7—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों को स्टाफिंग पैटर्न में संवर्ग के चयन एवं उच्चीकृत वेतनमान प्रदान किये जाने के शासनादेश सं0 616, दिनांक 4-11-85 एवं आयुक्त, कृषि उत्पादन के परिपत्र संख्या 75, दिनांक 7-12-85 में निहित निर्देश कि उच्चीकृत वेतनमान के पदों पर कर्मचारी ो विधिवत् चयन कर नियुक्त किया जायेगा, का क्या यह अर्थ है कि संवर्ग के विभाजन कर्मचारियों की ऐसी ज्येष्ठता सूची तैयार की जाय कि कोई भी कनिष्ठ कर्मचारी सी भी वरिष्ठ कर्मचारी से वरिष्ठ न हो जाय ? यदि हां, तो वाराणसी जनपद के कास विभाग में ऐसा संवर्ग क्यों बनाया गया जिससे बहुत से कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ र्मचारियों से वरिष्ठ हो गये हैं ?

श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । प्रश्न में सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से ग्राम विकास विभाग के तर्गत जिला विकास कार्यालयों, विकास खण्ड कार्यालयों तथा प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में पिकीय/लेखा पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के ए प्रतिशत के आधार पर विभिन्न पदों को उच्चीकृत किया गया है । इन उच्चीकृत ों के लिए विधिवत् चयन का यह अर्थ नहीं था कि कनिष्ठ कर्मचारियों को वरिष्ठ ाया जाय ।

वाराणसी जनपद में पूर्व में बनाई गई संवर्गवार सूची निरस्त करते हुए संशोधित ष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गई है जिसमें अब किसी विसंगति की सम्भावना नहीं है ।

ा फतेहपुर के श्री जयनारायण मिश्र, सहायक अध्यापक द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर में श्री जय नारायण मिश्र, यक अध्यापक को जिनकी प्रथम नियुक्ति वर्ष 1982 में प्राइमरी पाठशाला कटोचन में थी, प्राइमरी पाठशाला सेनीपुर में स्थानान्तरण होने पर अक्टूबर, 1982 से अप्रैल 85 तक का वेतन सेनीपुर पाठशाला से अनुपस्थित रहने पर भी आहरित कर भुगतान किया ? क्या यह सत्य है कि श्री मिश्र जनपद इलाहाबाद के तहसील सोरांव स्थित लाल दुर जू0 हा0 स्कूल में भी उसी अवधि में कार्यरत थे ? क्या शासन को इन अनियमताओं की शिकायत अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ से प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

सिब्ते रजी—

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

श्री महानारायण मिश्र तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर के विरुद्ध आयत मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद को प्राप्त हुई । जिसमें ी जय नारायण मिश्र के वर्णित प्रकरणों की भी शिकायत है ।

जांच कराई जा रही है ।

—श्री कनक सिंह—

[दि0 29-2-88 को अता0 प्र0 सं0 102 द्वारा उत्तरित]

0—श्री विष्णुदेव—

[5 वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम मुसम्हा के बगैदू हरिजन के साथ विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप की जांच

101—श्री विष्णु देव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि श्री बगैदू हरिजन ग्राम मुसम्हा (सछरितवा) विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव जनपद आजमगढ़ के साथ विकास खण्ड के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-11-86 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं, प्रश्न में वर्णित शिकायतकर्ता श्री बगैदू हरिजन, ग्राम मुसम्हा विकास खंड फतेहपुर मंडाव जिला आजमगढ़ का तद्विषयक शिकायती पत्र दिनांक 14-3-86 ब्लाक प्रमुख के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी मण्डाव को तथा दूसरा शिकायती पत्र दिनांक 12-6-86 सीधे जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था ।

उपर्युक्त संदर्भित दोनों शिकायती पत्रों की जांच की गई । जांच में भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया ।

जनपद आजमगढ़ में डी0 आर0 डी0 ए0 व एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि

102—श्री विष्णु देव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की डी0 आर0 डी0 ए0 व एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में सन् 1984-85 व 1985-86 व 1986-87 में अब तक कितना रुपया दिया गया था और उससे 1000 से अधिक जनसंख्या के कितने ग्राम पक्की सड़कों से जुड़ पाये हैं ? क्या ऐसे ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

शासन द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आजमगढ़ को विभिन्न वर्षों में निम्न धनराशि दी गयी :—

वर्ष	धनराशि
1984-85	2,26,30,000.00
1985-86	2,78,57,000.00
1986-87	3,50,46,000.00

इन वर्षों में हजार से अधिक जनसंख्या के पक्की सड़कों से जोड़े गये गांवों की संख्या निम्नवत् है :—

वर्ष	गांवों की संख्या
1984-85	23
1985-86	14
1986-87	20

ऐसे गांवों की वर्षवार सूची माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के कक्ष में देख सकते हैं ।

जनपद आजमगढ़ में 1990 तक पक्की सड़कों से जोड़े जाने वाले ग्रामों की संख्या

103—श्री विष्णु देव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1984-85 के पूर्व जनपद आजमगढ़ के 1000 से अधिक जनसंख्या के कितने ग्राम पक्की सड़कों से जुड़े थे ? 1985-86 में कितने ग्राम पक्की सड़कों से जुड़ गये तथा 1990 तक कितने ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1984-85 तक 1000 से अधिक जनसंख्या के 349 गांव पक्की सड़कों से जुड़े थे । वर्ष 1985-86 में 24 गांव 1000 से अधिक आबादी वाले जोड़े गये । वर्ष 1990 तक कुल 587 गांव जोड़े जाने की सम्भावना है ।

विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव जिला आजमगढ़ के ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

104—श्री विष्णु देव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव जनपद आजमगढ़ के ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र संख्या 322/ज0 पा0 दिनांक 24-2-87 मय संलग्नक के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 6-3-87 के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्न में वर्णित पत्र उपलब्ध न होने के फलस्वरूप प्रश्नकर्ता से इसकी अतिरिक्त प्रति प्राप्त की गयी । प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-2-87 में वर्णित श्री सुरेश धोबी का विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव जनपद आजमगढ़ के ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश्वरनाथ मिश्रा के विरुद्ध शिकायती पत्र पहले ही प्राप्त हुआ था । उक्त शिकायती पत्र में वर्णित शिकायतें जांचोपरान्त सही नहीं पाई गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा जनपद—बुलन्दशहर में खड़न्जा स्तर तक निर्मित सड़कों की पेन्टिंग

105—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा जनपद—बुलन्दशहर में कितने कि0 मी0 खड़न्जा स्तर तक सड़क का निर्माण गत वर्ष तक हुआ है ? क्या उपरोक्त सड़कों को पेन्टिंग स्तर तक निर्माण कराने की इस वर्ष एक विकास-शील योजना स्वीकृत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा जनपद बुलन्दशहर में वित्तीय वर्ष 1986-87 (मार्च, 87 तक) 227 कि0 मी0 खड़न्जा स्तर तक का सड़क निर्माण हुआ है । संसाधनों के अभाव के कारण इस वर्ष इन सड़कों को पेन्टिंग स्तर तक पूर्ण करने की कोई योजना नहीं है ।

106—श्री कुशल पाल सिंह—

[6ठें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

107—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

[5 वें सोमवार के लिये स्थगित]

श्री एम0 सी0 जोशी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

108—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1265/86 दिनांक 2-9-86 के साथ साथ श्री पुष्कर सिंह ग्राम चौबरिया पत्रालय मुनाकोट जनपद पिथौरागढ़ तथा पत्रांक 1280/86 दिनांक 3-9-86 द्वारा श्री जोगा सिंह ग्राम बडारी पत्रालय बडारी जनपद पिथौरागढ़ का तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मूनाकोट के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच विषयक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 11 जून, 86 तक भ्रष्टाचार की जांच के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

श्री एम0 सी0 जोशी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, मुनाकोट के विरुद्ध शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कराई गई । जांच में इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये तथापि इनका स्थानान्तरण विकास खण्ड मूनाकोट से कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109—श्री काशी सिंह ऐरी—

[5 वें सोमवार के लिए स्थगित]

110—श्री काशी सिंह ऐरी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला नैनीताल "दुर्गाशाह म्युनिसिपल पुस्तकालय" को शिक्षा विभाग द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता

111—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद नैनीताल के मुख्यालय माल रोड में दुर्गाशाह पुस्तकालय अपने पुस्तक संकलन तथा पाठकों की सेवा करने वाली प्राचीन महत्वपूर्ण संस्था है ? क्या सरकार ने इस पुस्तकालय के संबर्धन हेतु विगत पांच वित्तीय वर्षों में कोई आर्थिक पुस्तकीय सहायता दी थी ? यदि हां, तो वर्षवार कितनी तथा किस-किस रूप में ?

श्री सिव्वे रजी—

शासन की जानकारी में यह तथ्य है कि जनपद नैनीताल के मुख्यालय के माल रोड पर वर्ष 1940 से नगरपालिका नैनीताल द्वारा "दुर्गाशाह म्युनिसिपल पुस्तकालय" चलाया जा रहा है । शासन के शिक्षा विभाग द्वारा उक्त पुस्तकालय को गत पांच वर्षों में निम्न-लिखित सहायता पहुंचायी गयी थी :—

वर्ष	वित्तीय सहायता (रुपये)	पुस्तकीय सहायता (लगभग रुपये की पुस्तकें)
1982-83	3,500	12,000
1983-84	शून्य	6,000
1984-85	शून्य	8,000
1985-86	शून्य	15,000
1986-87	शून्य	15,000

रा0 इ0 का0 इटावा की छात्राओं के बैठने एवं पीने के पानी की व्यवस्था

112—श्री गया प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0 इ0 का0 इटावा की छात्राओं के बैठने के लिये फर्नीचर एवं पीने के लिये पानी की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

छात्राओं के बैठने एवं पानी पीने की व्यवस्था है ।

113—श्री सुखपाल पाण्डे—

[5 वें सोमवार के लिए स्थगित]

अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला देवरिया के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि में संशोधन की जांच

114—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कारखाना जिला देवरिया के प्रधानाचार्य जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी हैं, द्वारा उक्त विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सर्वश्री राम देव व मुन्नर यादव) की सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज जन्म तिथि में संशोधन कर दिया गया है, ताकि उनकी सेवा की अधिवर्षता की तिथि के उपरान्त सेवा का लाभ उन्हें मिल सके ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्न में उल्लिखित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों रामदेव तथा मुन्नर यादव के सही नाम श्याम देव तथा मुन्दर यादव हैं । यह सही है कि उक्त दोनों कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म-तिथियों में संशोधन किया गया है ताकि उन्हें अधिवर्षता की वास्तविक तिथि के उपरान्त भी सेवा का लाभ प्राप्त हो सके ।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक को जांच करने हेतु निर्देश दे दिया है ।

किसान इन्टर कालेज सोंख खेड़ा (मथुरा) की प्रबन्ध समिति के सभापति को त्याग-पत्र दिलाकर लोकतांत्रिक पद्धति से पुनः चुनाव

115—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि जिलाधिकारी मथुरा के सभापतित्व में किसान इण्टर कालेज सोंख खेड़ा (मथुरा) की प्रबन्ध समिति का चुनाव अलोकतांत्रिक तरीके से होता चला आ रहा है तथा जिलाधिकारी मथुरा भी राजाज्ञा एवं शासनादेश की मंशाओं के खिलाफ उक्त प्रबन्ध समिति/साधारण सभा के सभापति बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या शासन जिलाधिकारी को उक्त पद से त्याग-पत्र देने को बाध्य कर लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव कराने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रबन्ध समिति का चुनाव प्रशासन योजना के अनुसार दिनांक 16-11-85 को विधिवत कराया गया है ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 (वर्ष 1980 तक संशोधित) के विनियम–16 तथा प्रशासन योजना के अधीन जिलाधिकारी, मथुरा संस्था की साधारण सभा के पदेन सभापति रहते आये हैं ।

त्याग-पत्र दिलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

चुनाव नियमानुसार कराया जा चुका है ।

कोई अनियमितता न होने के कारण ।

अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

116—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष 1986 हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिये प्रति छात्र/छात्रा से पैसा वसूला गया है और इस अनियमित कार्यवाही के लिये की गयी शिकायत पर उक्त विद्यालय के व्यवस्थापक द्वारा प्रधानाचार्य का स्पष्टीकरण मांगा गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी विस्तृत जांच कराकर प्रधानाचार्य को दण्डित करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

शिक्षा निदेशक ने सूचित किया है कि मामले की जांच कराई जा रही है ।

श्री नेहरू आदर्श हा0 से0 स्कूल आलमगंज, जौनपुर के मृतक प्रधानाचार्य श्री अवधेश नारायण सिंह के सामूहिक बीमा एवं भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान

117—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अवधेश नारायण सिंह, निवासी ग्राम व पो0 आयर, तहसील व जनपद वाराणसी जो 22 वर्ष तक श्री नेहरू आदर्श हा0 से0 स्कूल आलमगंज, जौनपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे और जिनकी कार्य दिवस के समय विद्यालय में ही दिल का दौरा पड़ने से दिनांक 4-10-83 को मृत्यु हो गयी थी, के सामूहिक बीमा व भविष्य निधि योजना की धनराशि का उनके उत्तराधिकारियों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

सामूहिक बीमा की धनराशि की स्वीकृति जीवन बीमा कार्यालय कानपुर से प्राप्त न होने के कारण तथा भविष्य निधि से संबंधित प्रपत्र आदि विद्यालय से प्राप्त न होने के कारण अब तक भुगतान नहीं किया जा सका ।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस संबंध में विद्यालय को तथा जीवन बीमा निगम को पत्र लिखे जा रहे हैं ताकि शीघ्र भुगतान करवाया जा सके ।

प्रभारी परियोजना अधिकारी, बड़हलगंज, गोरखपुर (श्रीमती विजया यादव) द्वारा की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

118—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी परियोजना अधिकारी बड़हलगंज, गोरखपुर (श्रीमती विजया यादव) ने दिनांक 12-12-84 से दिनांक 18-12-84 तक अनुदेशक प्रशिक्षण में श्री राम जन्म प्रसाद, ग्राम पिछौरा की फर्जी उपस्थिति दिखाकर उसके नाम पर प्रशिक्षण व्यय दिखाया है जबकि वह उक्त अवधि में अपराधिक मामलों में जिला कारागार गोरखपुर में बन्द था ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के गलत कार्यों के लिए प्रभारी परियोजना अधिकारी बड़हलगंज, गोरखपुर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं । ग्राम पिछौरा के श्री राम जनक प्रसाद नामक किसी व्यक्ति की प्रौढ़ शिक्षा परियोजना बड़हलगंज, गोरखपुर में अनुदेशक के पद पर नियुक्ति नहीं की गयी ।

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पिछौरा में उक्त ग्राम के श्री राम जनक को दिनांक 30 नवम्बर, 1984 तक अनुदेशक के पद पर अवश्य नियुक्त किया गया था और नियमित रूप से केन्द्र न चलाने के कारण उन्हें अनुदेशक पद से 30 नवम्बर, 1984 से हटा दिया गया था । इस प्रकार दिसम्बर, 1984 में श्री राम जनक भी अनुदेशक पद पर कार्यरत नहीं रह गये थे ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यही श्री राम जनक 5 दिसम्बर, 1984 से 4 फरवरी, 1985 तक जेल में बंद रहे हैं । उक्त अवधि में न तो श्री राम जनक अनुदेशक रहे हैं और न उसे मानदेय का भुगतान किया गया । जिस प्रशिक्षण की अवधि का उल्लेख किया गया है, वह वास्तव में 13 दिसम्बर से 18 दिसम्बर, 1984 के मध्य आयोजित हुआ था और उपर्युक्तानुसार न तो उसमें कोई फर्जी उपस्थिति दिखायी गयी है और न ही अपराधिक मामलों में जेल में बंद किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण व्यय अथवा मानदेय का भुगतान किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी के कार्यकाल में विकास खण्डों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, की गई गलत नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

119—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास व पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी (श्री अशोक घोष) के कार्यकाल में वाराणसी जनपद के विकास खण्डों में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी ? क्या इनकी नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय व चयन समिति के माध्यम से की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इस गलत नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी (श्री अशोक घोष) के कार्यकाल में जनपद वाराणसी के विकास खण्डों में चतुर्थ श्रेणी के 3 पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गईं ।

जी नहीं । अपरिहार्य परिस्थितियों में उपरोक्त नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत तथा समय-समय पर विभाग के अंतर्गत कार्य कर चुके अनुभवी अभ्यर्थियों में से तदर्थ आधार पर की गई । दिनांक 5-2-87 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साक्षात्कार के समय इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था ।

चूंकि तदर्थ नियुक्तियों पर बाद में सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद विभागीय चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था, अतः कोई उत्तरदायी नहीं पाया गया तथा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बाराबंकी तथा राजकीय इण्टर कालेज, बाराबंकी में बायोलोजी अध्यापक की नियुक्ति में छात्रों एवं छात्राओं के बैठाने के लिये नये कमरे की व्यवस्था

120—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बाराबंकी तथा राजकीय इण्टर कालेज, बाराबंकी में इस समय क्रमशः बालिकाओं और बालकों की संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों विद्यालयों में छात्राओं एवं छात्रों के बैठाने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या शासन नये कमरे बनाने पर विचार करेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

बालिकाओं की संख्या 1959 तथा बालकों की संख्या 2066 है । राजकीय इण्टर कालेज, बाराबंकी में छात्रों के बैठने हेतु कमरों की समुचित व्यवस्था है । राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बाराबंकी में छात्राओं के लिये कक्षों की कमी है ।

यह कार्य जिला योजना के अन्तर्गत आता है ।

राजकीय इण्टर कालेज, बाराबंकी में बायोलोजी अध्यापक की नियुक्ति

121—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 84-85 में राजकीय इण्टर कालेज, बाराबंकी में इण्टर की कक्षाओं में पढ़ाने हेतु कोई बायोलोजी का अध्यापक नहीं था ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष कोई उपरोक्त विषय के लिये अध्यापक नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अध्यापक ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, वर्ष 84-85 में बायोलोजी का अध्यापक नहीं था ।
19-6-86 के आदेश द्वारा नियुक्ति की जा चुकी है ।
जी हां ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बांदा की करवी तहसील के ग्राम डुडौली के कोदडवा पुत्र शिवराम हरिजन द्वारा जिलाधिकारी को की गई शिकायत पर कार्यवाही

122—श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील के ग्राम डुडौली के कोदडवा, पुत्र शिवराम हरिजन ने 27-1-88 को जिलाधिकारी बांदा

को पत्र भेज कर शिकायत की है कि उसके नाम पर फर्जी तौर पर बैंक से कर्ज के रूप में तीन हजार रुपये निकाल लिये गये हैं और उसे केवल आठ सौ पच्चीस रुपये दिये गये हैं और शेष रुपये हड़प लिये गये हैं ? उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बांदा के ग्राम शिवरामपुर के श्री गरीबदास को आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत मृतक भैंस का बीमा दावा

123—श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के चित्रकस्ट ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम शिवरामपुर के गरीबदास पुत्र महादेव हरिजन की भैंस आई0 आर0 डी0 योजना के अंतर्गत खरीदने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात 28-3-83 को मर गई थी ? यदि हां, तो खण्ड विकास अधिकारी चित्रकूट द्वारा उसका बीमा दावा दिलाने की कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्नगत भैंस दिनांक 24-3-82 को क्रय करायी गयी थी जो दिनांक 17-4-83 को एक वर्ष की अवधि के बाद मर गयी थी ।

भैंस का पोस्टमार्टम कराकर बीमा क्लेम दिलाने हेतु कार्यवाही की गयी थी परन्तु लाभार्थी तथा बैंक द्वारा वांछित सूचनायें/अभिलेख निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध न कराये जाने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी ए0 सि0 स0 का राष्ट्रीय विद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

124—श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विद्यालय के अध्यापकों के वेतन-मान से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-9-86 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

एसा कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0 एड0 कक्षा में प्रवेश हेतु राजाज्ञा के विरुद्ध नया नियम बनाने पर आपत्ति

125—श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रवेश समिति ने सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0 एड0 कक्षा में प्रवेश हेतु राजाज्ञा के विरुद्ध कोई नया नियम बनाया है ? यदि हां, तो जब उ0 प्र0 के महाविद्यालयों के बी0 एड0 कक्षा में प्रवेश राजाज्ञा के अनुसार होता है तो उसके विरुद्ध नियम बनाने का औचित्य क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गोरखपुर के फरेन्दा विकास खण्ड में आवास योजना में लाभार्थियों का अनियमित चयन

126—श्री हर्ष वर्धन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के फरेन्दा विकास खण्ड में वर्ष 85-86 में 2200 रुपये की निर्बल वर्ग की आवास योजना में चयनित लाभार्थियों का चयन मानक के अनुसार नहीं हुआ था तथा सभी लाभार्थी निर्बल वर्ग के नहीं थे ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड, फरेन्दा में वर्ष 1985-86 में रुपये 2200 की निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत सभी चयनित लाभार्थियों का चयन मानक के अनुसार किया गया है तथा सभी चयनित लाभार्थी निर्बल वर्ग के ही हैं ।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं है ।

जिलाधिकारी अध्यक्ष डी0 आर0 डी0 ए0 गोरखपुर को श्री हर्षवर्धन स0 वि0 स0 के विकास खण्ड धानी में सम्पर्क मार्ग निर्माण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

127—श्री हर्ष वर्धन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी अध्यक्ष डी0 आर0 डी0 ए0 गोरखपुर को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 1-10-86 को प्रेषित पत्र जो विकास खण्ड धानी में सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर 31-3-87 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (परियोजना) गोरखपुर को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रेषित डी0 आर0 डी0 ए0 में हुई अनियमितताओं का विवरण तथा कार्यवाही

128—श्री हर्ष वर्धन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (परियोजना) गोरखपुर को चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एस0 पी0 सी0/एच0 ओ0/510/86 दिनांक 28-10-86 में डी0 आर0 डी0 ए0 में 12 अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं का पूर्ण विवरण क्या है और उनके निराकरण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

विनियमितताओं का पूर्ण विवरण विस्तीर्ण होने के कारण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है ।

129—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

[5 वें सोमवार के लिये स्थगित]

130—श्री शारदा नन्द अंचल—

[5 वें सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद वाराणसी में सहायक परियोजना अधिकारी कृषि के लगातार उसी पद पर सेवा करने पर आपत्ति

131—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में वाह्य सेवा के अधिकारियों के लिये प्रतिनियुक्ति की कोई अवधि निर्धारित हो अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि निर्धारित है तो क्या यह सच है कि जनपद वाराणसी में सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि के पद पर जो व्यक्ति कार्यरत हैं वे विगत 12 वर्षों से उसी पद पर लगातार सेवा करते चले जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जनपद वाराणसी में सहायक परियोजना अधिकारी कृषि पद पर कार्यरत अधिकारी के कार्यकाल 11 वर्ष 7 माह हुआ है । निदेशक कृषि के द्वारा निर्गत प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि का निर्धारित न होने के कारण वर्तमान अधिकारी इतने अवधि तक कार्यरत रहे ।

जनपद पिथौरागढ़ में बाराकोट से खेती खान मोटर मार्ग का निर्माण

132—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बाराकोट से खेती खान मोटर मार्ग का निर्माण प्रदेश के वर्ष 85-86 के बजट में स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो अभी तक इस मार्ग को न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी नागरिकों की असुविधा देखते हुए इसे तुरन्त बनवाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रस्तावित मार्ग में पड़ने वाली वन भूमि, वन पंचायत भूमि तथा कृषकों की अध्याप्त की जाने वाली निजी भूमि न मिलने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । उपरोक्त भूमि के मिलने पर मार्ग निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा ।

जनपद बांदा में वर्ष 1986-87 में पेयजल हेतु कुओं के निर्माण तथा मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

133—श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट विकास खंड द्वारा वित्तीय वर्ष 1986-87 में कौन-कौन से ग्रामों में पेयजल अथवा सिंचाई हेतु कितने नये कुओं के निर्माण और पुराने कुओं की मरम्मत के लिये कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? क्या धन का उपयोग हो गया है और निर्माण कार्य का सत्यापन भी हो गया है ? इस सम्बन्ध में क्या निर्माण कार्य फर्जी होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस सत्थापन की सत्यता का पता लगाने के लिये जांच करके कार्यवाही की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 1986-87 में पेयजल हेतु कूपों के निर्माण तथा मरम्मत हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के ककरिया मार्ग का निर्माण

134—श्री सुरेन्द्र सिंह गाजीपुर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला अन्तर्गत वाराणसी शहर के सेवापुरी से बला भट्ठी होते हुए ककरिया मार्ग जो ग्राम बगरिया सुरही लखनीपुर कोटवा होते हुए जाता है, के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा किस वर्ष प्रदान की गयी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सड़क पर निर्माण कार्य किस स्थिति में है तथा इसे पूर्ण होने में अब कितना समय लगने की संभावना है ? इस सम्पूर्ण कार्य में शासन का कितना धन व्यय होगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आजमगढ़ के विरुद्ध आरोपों पर कार्यवाही

135—श्री विष्णु देव तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पिछड़ा अनुसूचित अल्प संख्यक समाज सुधार समिति ने दिनांक 9-7-87 एवं 4-8-87 को अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आजमगढ़ के विरुद्ध निश्चित आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या-क्या हैं और उन आरोपों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रांतीय अध्यक्ष, उ0 प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति के शिकायती-पत्र दिनांक 9-7-87 तथा 4-8-87 प्राप्त हुए हैं ।

पत्र दिनांक 9-7-87 में निम्नलिखित मुख्य आरोप लगाये गये हैं :—

(1) 10 लाख रु0 के ह्यूम पाइपों को मेसर्स राजेश इन्टरप्राईजेज से आपूर्ति लेकर पूरा रुपया हड़प लेने तथा प्रदीप कुमार मालिक राजेश इंटरप्राईजेज के नाम से भुगतान किया जाना ।

(2) मधुवन सामुदायिक विकास केन्द्र पर शीशम की लकड़ी के स्थान पर महुआ की लकड़ी का प्रयोग किया जाना तथा सीधे साइट पर आपूर्ति लेना, शीशम की लकड़ी का शिड्यूल रेट रु0 308 है और खरीददारी रु0 387 की गयी ।

पत्र दिनांक 4-8-87 में उक्त दोनों आरोपों के साथ एक तीसरा आरोप भी लगाया गया है :—

(3) बड़ी रकम लेकर अनियमित ढंग से 3 लिपिकों की नियुक्ति की गयी, जिनकी उम्र निर्धारित उम्र से अधिक है ।

पत्र दिनांक 9-7-87 के आधार पर जांच अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गोरखपुर द्वारा करायी गयी और इसमें लगाये गये दोनों आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

अब पत्र दिनांक 4-8-87 के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टेक्निकल आडिट से करायी जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड मवई के निलम्बित अवर अभियन्ता श्री घनश्याम सिंह का निलम्बन अवधि का भत्ता

136—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी स्थित विकास खण्ड मवई में कार्यरत अवर अभियन्ता अल्प सिंचाई (श्री घनश्याम सिंह) जून, 1987 से अब तक निलम्बित है और उन्हें निलम्बन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता जो शासन द्वारा देय होता है, नहीं दिया गया है जिससे उसके सामने भरण पोषण की समस्या पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री घनश्याम सिंह, अवर अभियन्ता (अल्प सिंचाई) दिनांक 20 मई, 1987 से निलम्बित है ।

जी नहीं । 20 मई, 1987 से सितम्बर, 87 तक का जीवन निर्वाह भत्ता आहरित किया गया है लेकिन श्री घनश्याम सिंह द्वारा लेने से अस्वीकार कर दिये जाने के कारण अगले महीनों का जीवन निर्वाह भत्ता कोषागार से आहरित नहीं किया गया ।

जिला बाराबंकी के विकास खण्ड मवई के अवर अभियन्ता (श्री घनश्याम सिंह) का वेतन रोका जाना

137--श्री अवधेश प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बाराबंकी स्थित विकास खण्ड मवई में कार्यरत अवर अभियन्ता अल्प सिंचाई (श्री घनश्याम सिंह) को वर्ष मई, 86 से मई सन् 87 तक लगभग एक वर्ष का वेतन नहीं मिला है ? वेतन रोकने का कारण क्या है ? क्या वेतन रोकने वाले अधिकारी के खिलाफ मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

स्वेच्छापूर्वक कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी स0 वि0 स0 द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को दिये गये मांग-पत्र का विवरण

138—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को दिनांक 25-9-87 को दिये गये 20 सूत्री मांग पत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से सम्बन्धित प्रमुख मांगों और उन पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय विधायक के दिनांक 25-9-87 को दिये गये 20 सूत्रीय मांग-पत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से संबंधित निम्न दो प्रमुख मांगे हैं :—

(1) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता की शराबखोरी और कमीशनबाजी की तथा मरम्मत के लिए रुपया उपलब्ध होने के बावजूद भीटी-उमरावां मार्ग का काम पूरा न हो पाने के कारणों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय तथा दोषी लोगों को दंडित किया जाय ।

(2) कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित सभी स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों की टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जाय ।

उपरोक्त बिन्दुओं की जांच जिला अधिकारी द्वारा कराई गई । जांच में अधिशासी अभियंता के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । भीटी-उमरावां मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है । मार्च, 88 तक कार्य पूर्ण होने की आशा है ।

मद 2 की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी । अवशेष कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है । अतः टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया ।

139—श्री कौशिक रमा शंकर—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

परियोजना निदेशक सीतापुर द्वारा ह्यूमपाइप का अवैध क्रय किया जाना

140—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि परियोजना निदेशक, सीतापुर द्वारा वर्ष 1986-87 में कई लाख रुपये के ह्यूमपाइप खरीदे गये ? यदि हां, तो किस फर्म से किस दर पर तथा कुल कितने रुपये के ह्यूमपाइप खरीदे गये ? इस ह्यूमपाइप खरीद की स्वीकृति किससे तथा कब ली गयी है ? क्या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को एन0 आर0 ई0 पी0 की योजनाओं की स्वीकृति देना तथा धन आवंटन करने के अलावा निर्माणार्थ सामग्री भी खरीदने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो इस अवैध खरीद के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

"मै0 विवा स्पन पाइप लि0 लखनऊ से"—6 ह्यूम पाइप—1200 एम0 एम0--2128 रु0 53 ह्यूम पाइप—900 एम0 एम0—1208 रु0 19 ह्यूम पाइप--600 एम0 एम0—595 रु0 प्रति मीटर की दर पर खरीदे गये ।

ह्यूम पाइप क्रय करने की स्वीकृति गवर्निंग बाडी की बैठक दिनांक 23-8-86 के प्रस्ताव संख्या-9 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को दी गई ।

योजनाओं की स्वीकृति एवं धन आवंटन करने के अलावा निर्माणार्थ सामग्री खरीदने के अधिकार के संबंध में कोई आदेश नहीं है ।

तत्कालीन परियोजना निदेशक को विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में शासनादेश संख्या-7384/38-1—102, दिनांक 10-11-87 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है ।

राजकीय इन्टर कालेज कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल में अल्प बचत योजना में हुये घोटाले के फलस्वरूप वसूली गई धनराशि का विवरण

141—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इन्टर कालेज कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल में अल्प बचत योजना की धनराशि का घोटाला हुआ था तथा वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में इसी विद्यालय के अध्यापकों से उक्त धनराशि उनके मासिक वेतन से काट कर वसूल की गई थी ? यदि हां, तो उक्त धनराशि किन-किन तिथियों में डाकघर में जमा की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत प्रकरण की जांच मण्डलीय आडिट इकाई से करायी गई है । आडिट की आख्या प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

उत्तर प्रदेशीय नगर बेसिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश शाखा नगर बरेली की मांगों के संबंध में कार्यवाही

142—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को उत्तर प्रदेशीय नगर बेसिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश शाखा नगर बरेली की मांगों के संबंध में दिनांक 8-2-87 को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

प्रश्न में संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 9-4-87 को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश शिक्षा निदेशक (बेसिक) को भेज दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मुरादाबाद के ब्लाक भगतपुर टाण्डा के जे0 ई0 एम0 आई0 द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर गेहूं बंटवाने के विरुद्ध कार्यवाही

143—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भगतपुर टाण्डा, जिला मुरादाबाद की टाण्डा रोड से गंजो वाली मिलक सड़क की मजदूरी का श्री एस0 सी0 चावला, जे0 ई0 एम0 आई0 द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर खण्ड विकास अधिकारी के आदेश के बिना दिनांक 6-4-1986 को गेहूं बांटा गया और उसी समय ब्लाक प्रमुख द्वारा जांच किये जाने पर उक्त मस्टर रोल में मृत व फर्जी व्यक्तियों के नाम पाये गये जिसकी ब्लाक प्रमुख द्वारा तत्काल जिलाधिकारी और आयुक्त मुरादाबाद से लिखित रूप में शिकायतें की गई और उस सड़क के नकद रुपये तक का भुगतान आज तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त श्री एस0 सी0 चावला, जे0 ई0 एम0 आई0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला अल्मोड़ा की तहसील बागेश्वर, बारामण्डल रानीखेत तथा भिक्यासेन में आर0 एस0 जी0 ई0 पी0 व एन0 आर0 पी0 योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि

144—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपदों में आर0 एल0 ई0 पी0 व एन0 आर0 पी0 का धन आवंटन जनसंख्या को आधार मानकर हो रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अल्मोड़ा जनपद की तहसीलें बागेश्वर, बारामण्डल रानीखेत तथा भिक्यासेन की अलग-अलग कितनी जनसंख्या है तथा वर्ष 1985 से आज तक अलग-अलग उपरोक्त मदों में तहसीलवाइज कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या यहां भी जनसंख्या को आधार मानेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अंतर्गत धन का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा जनपद से राज्य सरकार को भेजी गयी योजनाओं के परीक्षण तथा स्वीकृति के आधार पर किया जाता है ।

एन0 आर0 ई0 पी0 के अंतर्गत अब धन का आवंटन भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या के मानक के आधार पर किया जा रहा है । जिसके अनुसार कृषि मजदूरों सीमान्त कृषकों गरीबी से प्रभावित एवं अनूसूचित जाति तथा जनजाति की जनसंख्या पर अधिक बल दिया जाता है ।

परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

जी हां, योजना लागू होने के दिनांक से ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ..... पर)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता द्वारा श्रमदान कर निर्मित मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में दो ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं को हस्तान्तरित करने की नीति

145—श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा श्रमदान कर निर्मित मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग या ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें को हस्तान्तरित करने की शासन ने कोई नीति निर्धारण की है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में राष्ट्रीय मार्ग नं0 11 पर स्थित ग्राम सीकरी हिस्सा चार से जैनपुरा तक सन् 1982 में और इसी ब्लाक के ग्राम बदनपुर के निवासियों ने दिसम्बर सन् 1987 में अपने-अपने ग्रामों के लिए कच्ची सड़क बनायी है ? यदि हां, तो क्या उन कच्ची सड़कों को सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मार्ग-11 पर स्थित ग्राम सीकरी हिस्सा चार से जैनपूरी तक लगभग 2.5 कि0 मी0 तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण श्रमदान द्वारा सन् 1982 में किया गया था । सन् 1987 में बदनपुर निवासियों द्वारा किसी कच्ची सड़क का निर्माण नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

राष्ट्रकवि श्री सोहनलाल द्विवेदी तथा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दुर्जन एवं श्री राधेश्याम वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्नों के सम्बन्ध मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं निधन के निदेश ले रहा हूं । आप बैठ जाइये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, हमारे देश के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, प्रख्यात कवि, साहित्यकार और पद्मश्री से विभूषित राष्ट्रकवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का देहान्त एक मार्च, 1988 को हो गया । वे लगभग 82 वर्ष के थे । मान्यवर, सोहन लाल द्विवेदी जी ने अपनी छाप पूरे हिन्दी के कवियों और हिन्दी साहित्य पर ही नहीं डाला बल्कि उनकी छाप स्वतंत्रता संग्राम पर भी पड़ी है । एक तरफ तो उन्होंने साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया, कविता के जरिये हिन्दी साहित्य को प्रेरित किया वहीं दूसरी ओर देश की जनता को आजादी के लिये भी प्रेरित किया । मान्यवर, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और अंग्रेजों ने इस बात की कोशिश की कि उनकी आवाज को कम कर दिया जाये और जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको खामोश कर दिया जाये । सन् 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और "भारत छोड़ो" आन्दोलन में भी हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेज उनकी आवाज को खामोश नहीं कर सके । ऐसे मौके पर उर्दू के शायर फैज ने कहा था कि :—

"मताये लोहो कलम छिन गयी, तो क्या गम है ।
कि खूने दिल में डुबों ली है कि उंगलियां मैंने ।
जवां पर मुहर लगी है, तो क्या रख दी है ।
हर एक हल्के जंजीर में, जुबान मैंने ।"

अगर हमारे हाथ से कलम और दवात छीन ली गयी, तो इस बात का गम नहीं है, लेकिन अपने दिल के गम में उंगलियां डुबो ली हैं । अगर जबान खामोश करना चाहते हैं, तो उसका गम नहीं है क्योंकि हर जंजीर से आवाज हो रही है, आजादी के पैगाम की और वह दूसरे तक पहुंचेगी । उन्होंने जो आजादी का पैगाम भारतवर्ष में फैलाया, उसका गौरव उत्तर प्रदेश को है । उन्हें पद्मश्री की उपाधि मिली और साहित्य वाचस्पति और मानस संगम द्वारा उनको सम्मानित किया गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सर्वोच्च "बाल साहित्यकार" का सम्मान दिया । सारी जिन्दगी भर वह देश की सेवा करते रहे । उनका उत्तर प्रदेश के साहित्य और आजादी से गहरा सम्बन्ध रहा है, उनको निकट से देखने का मौका मिला है, बड़े इन्सान थे, आज वह हमारे

बीच में नहीं हैं और उनकी कमी हमेशा हमें महसूस होती रहेगी । जब इतिहास लिखा जायेगा, तो उनकी बातें और उनके विचार हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दुर्जन का निधन 23-2-1988 को हो गया । वह जिला बांदा के रहने वाले थे और उनका जन्म एक हरिजन परिवार में हुआ था । 1969 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र बबेरु जिला बांदा से वह कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वह हर समय समाज सेवा में लगे रहते थे । उन्होंने सन 1930 में राजनीति में प्रवेश किया और वह भूमिहीन किसानों और मजदूरों के लिये जीवन पर्यन्त आन्दोलन करते रहे । वह अनेक बार जेल गये । आज वह हमारे बीच नहीं रहे । हमने एक बहुत बड़ा समाजसेवी और राजनीतिज्ञ खो दिया है ।

मान्यवर, श्री राधेश्याम वर्मा का 27-2-1988 को निधन हो गया वह 52 वर्ष के थे । उनका जन्म पहली अक्तूबर 1935 को हुआ था । उनका निर्वाचन क्षेत्र छिबरामऊ था । वह न्याय पंचायत के सरपंच, क्षेत्रीय सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं संचालक, सहकारी संघ सिकन्दरपुर के अध्यक्ष रहे तथा क्रय विक्रय समिति के संचालक के पदों पर काम किया । उन्होंने समाज की बहुत सेवा की । उनके सरल स्वभाव से सभी लोग परिचित थे । मान्यवर, उनके निधन से ऐसा नुकसान हुआ है जिसको पूरा करना मुश्किल है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हम सभी की पूरे सदन की यह संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के निधन से केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं वरन् भारतवर्ष ने अपना एक सपूत खोया है । मान्यवर, सोहनलाल द्विवेदी ऐसी विभूतियों से अलंकृत थे और पुरस्कारों से सम्मानित थे जो अब भले ही हमारे बीच न हों लेकिन उनके काव्य उनकी रचनायें हमेशा ही जीवित रहेंगी और हम लोगों को हमेशा ही उत्साहित करती रहेंगी । श्रीमन् उनके निधन से जो क्षति हुई है उससे हम सब दुखी हैं । आप हमारी और हमारे दल की यह संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री दुर्जन जी भूतपूर्व सदस्य के निधन्न से भी हम सब लोग अत्यन्त दुखी हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके प्रति जो भावनायें व्यक्त की हैं, हम लोग उससे अपने को सम्बद्ध करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी यह श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, माननीय स्वर्गीय श्री राधेश्याम वर्मा सन् 80 में इस विधान सभा के सदस्य थे । वे हमारे दल से ही यहां पर चुनकर आये थे । हम लोग साथ ही सदन में बैठते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे । श्रीमन् श्री वर्मा जी एक एसे कार्यकर्ता थे जिनका लगाव गांवों के एसे कार्यों से जुड़ा रहा जिनसे गरीबों, छोटे किसानों मजदूरों की भलाई के लिये लड़ाई लड़ी जा सके और उनकी भलाई की जा सके । वे एक अत्यन्त संघर्षशील कार्यकर्ता और नेता थे । आज उनकी कमी महसूस होती है । हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी और हमारे दल की यह श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और श्री दिवाकर विक्रम जी ने इन महानुभावों के निधन के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी की कमी हम लोगों को बहुत दिनों तक अखरेगी । लेकिन यह संसार है, एक दिन सबको जाना है ।

श्री दुर्जन भाई को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था । ये कम्युनिस्ट पार्टी के सन् 69 में इस विधान सभा के सदस्य थे । मैं उनके पास कभी-कभी बैठता था । उन्होंने बांदा जिले के गरीबों की बड़ी सेवा की । वे एसे व्यक्ति थे जो चौबीसों घन्टे गरीबों की सेवा में लगे रहते थे और यही कारण था कि वहां की गरीब जनता ने उनको यहां भेजा ।

मान्यवर, स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा हमारे दल से सम्बद्ध थे वे फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ क्षेत्र से आते थे । मेरा उनके साथ बहुत ही निकट का संबंध था । आज भी उनका नक्शा मेरे सामने है । मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से इन महानुभावों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी ये संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवारों को पहुंचाने का कष्ट करें ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, श्री सोहनलाल द्विवेदी आज हमारे बीच में नहीं रहे । उनकी सेवाओं को देखते हुये श्री मैथिली शरण गुप्त ने उसी पर उन्हें यह पदवी दी थी और राष्ट्र-कवि के रूप में उनको कहना शुरू किया था । स्व0 सोहन लाल द्विवेदी जी एक पत्रकार और साहित्यकार तो थे ही साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेकों बार जेल यातनायें भी सही । हिन्दी साहित्य की जो सेवा उन्होंने की है वह एक एसी कथा है कि वह उनके बिना अधूरी रह जाती । उन्होंने जो काव्य रचनायें की हैं उनमें भैरवी, पूजा, गीत, युगाधार, प्रभाती, चेतना आदि प्रसिद्ध है । उन्होंने अपनी रचनाओं से हिन्दी साहित्य को सुसंस्कृत किया है । मान्यवर, उनके इन प्रसिद्ध काव्य रचनाओं पर ही उन्हें पद्मश्री की उपाधि दी गयी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनको साहित्य वाच-स्पति की उपाधि से विभूषित किया है । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं और उनके न रहने से जो रिक्तता हमारे बीच में आई है और हिन्दी साहित्य में आई है वह अपूर्णीय है । साहित्य के अलावा सार्वजनिक जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है । आपसे प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे और हमारे दल की संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीमन् स्व0 दुर्जन जी जो इसी विधान सभा के सदस्य रहे का देहान्त 23-2-88 को हो गया । वह पहली बार सन् 1969 में इस विधान सभा में बांदा के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया ।

बबेरू से चुन कर आये थे । वह यहां एक ही बार चुन कर आये थे लेकिन बांदा के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वह हमेशा आसीन रहे वहां के शके, दबे और निर्बल वर्ग के लोग उनको अपना नेता मानते थे । उनका प्रभाव बांदा के गरीब वर्ग पर था । वह एक संघर्षशील व्यक्ति थे और कई बार जेल गये और पुलिस यातना भी उन्होंने सही । एक ऐसा संघर्षशील व्यक्ति हमारे अब नहीं रहा । उनके प्रति हमारे और हमारे दल की ओर से श्रद्धांजलि और उनके परिवार को संवेदना संदेश भेजने का कष्ट करेंगे ।

श्री राधेश्याम वर्मा जिनका देहान्त 52 वर्ष की अल्पायु में 27-2-88 को हो गया । उनका जन्म 1935 में फर्रुखाबाद में हुआ था और वह 1980 के सामान्य निर्वाचन में जनता के टिकट पर चुन कर आये थे और उनका योगदान इस माननीय सदन में काफी रहा है । उनकी अल्प आयु में मृत्यु होने से हम सब दुखी हैं उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे और हमारे दल की ओर से संवेदना संदेश पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, स्व0 सोहनलाल द्विवेदी, श्री दुर्जन और श्री राधेश्याम वर्मा जी के निधन के संदर्भ में जो उदगार माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

स्व0 सोहन लाल द्विववेदी के निधन से राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति हुई है । जहां वह एक महान साहित्यकार और कवि थे वहीं इससे ज्यादा भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणीय सेनानी भी थे । वैसे तो वह पूरे राष्ट्र के थे लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था इस नाते से उत्तर प्रदेश को एक विशेष गौरव प्राप्त है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विववेदी जी के स्मारक के रूप में कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को, यहां की जनता को करना चाहिये । वैसे तो उनकी कृतियां, उनका कृतित्व ऐसा है जो उनको सदैव अमर बनाये रखेगा परन्तु अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने की दृष्टि से मैं आवश्यक समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनके नाम के अनुसार, उनके काम के अनुसार कोई न कई भव्य स्मारक अवश्य बनाया जाय ।

माननीय दुर्जन जी इस सदन के सदस्य रहे, हमें भी उनके साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ । श्री दुर्जन जी दलितों के पीड़ितों के, गरीबों के हकों की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहते थे । वह एक शालीन और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, उनके उठ जाने से इस सार्वजनिक जीवन में जो रिक्तिता आयी है उसकी पूर्ति होना कठिन है ।

मान्यवर, श्री राधेश्याम वर्मा जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता रहा हूं, वह अपने अच्छे व्यवहार के कारण अपनी सरलता के कारण वह अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे जनपद फर्रुखाबाद में बड़े लोकप्रिय थे । इस प्रकार के अच्छे कार्यकर्ताओं का सार्वजनिक जीवन से उठ जाने से सार्वजनिक जीवन में एक रिक्तता आ जाती है जिसकी पूर्ति होना कठिन लगता है । इन शब्दों के साथ मैं इन तीनों दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवारों तक हमारी और हमारे दल की ओर से संवेदनाएं और शोकोद्गार पहुंचाने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य माननीय नेताओं ने स्वर्गीय सोहन लाल द्विववेदी, श्री दुर्जन भाई और श्री राधेश्याम वर्मा जी के संबंध में जो शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, माननीय द्विववेदी जी हमारे बीच नहीं हैं, उनके उठ जाने से हिन्दी जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है, वह न केवल साहित्य के ही विज्ञ थे बल्कि उनकी रचनायें बहुत मशहूर हैं, वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं । आज उनके उठ जाने से हिन्दी जगत में जो क्षति हुई है वह कभी पूरी नहीं हो सकती है और हमारी पूंजी में बहुत कमी आयी है । मान्यवर, द्विववेदी जी को जितने पदों से विभूषित किया गया है शायद ही इस लायक अन्य कोई हमारे बीच निकल सके ।

श्री दुर्जन भाई हमारी पार्टी से सम्बद्ध थे और वह इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, वह गरीबों और हरिजनों के लिये हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और जीवन पर्यन्त गरीबों के संघर्ष से वह जुड़े रहे । उनका जीवन ही संघर्ष का जीवन रहा है । वह गरीब परिवार से निकल कर आये थे और उनका जीवन गरीबों के प्रति समर्पित रहा । उनका समाजवाद में हमेशा विश्वास रहा । वह आज हमारे बीच नहीं हैं ।

मान्यवर, श्री राधेश्याम वर्मा जी इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं और हम लोगों को उनके बीच बैठने का मौका मिला है । वह सरल स्वभाव के और बहुत ही सादे व्यक्ति थे, वह अपने छोटों को बड़ा मानकर व्यवहार करते थे । उनका व्यवहार याद कर ऐसा नहीं लगता कि वह हमारे बीच नहीं हैं ।

मान्यवर, इन तीनों स्वर्गीय आत्माओं के प्रति जो भावनायें अन्य माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और अपनी ओर से एवं अपने दल की ओर से शोक संवेदना के संदेश उनके परिवार तक पहुंचाने का आपसे निवेदन करता हूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, श्री सोहनलाल जी द्विवेदी, श्री दुर्जन भाई और श्री राधेश्याम वर्मा के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने तथा अन्य नेताओं ने रखे हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, श्री सोहन लाल द्विववेदी जी के चले जाने से हमारे बीच से स्वतंत्रता संग्राम का एक महान योद्धा चला गया । उनकी रचनाओं ने उस समय के भारतवर्ष के मानस का राष्ट्रीय प्रेम के प्रति झकझोर दिया था । मान्यवर, उनकी कविता की 4 पंक्तियां यहां कहना चाहता हूं :—

"वेदी पर बैठा महाकाय, जब नरबलि चढ़ा रहा होगा,
बलिदानी अपने ही कर से निज मस्तक चढ़ा रहा होगा ।
कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, उस महाकाय की माला में,
तब पलभर भी पड़ असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं ।"

ऐसी कविता तथा अन्य रचनाओं से उस समय के नौजवान ने एक नये खून का संचार अपने अन्दर पाया, और प्रेरणा का स्रोत उन रचनाओं ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के हृदय में भर दिया । मान्यवर, उनके चले जाने से जो हमारे सम्पूर्ण भारतवर्ष को क्षति हुई है और जो हिन्दी साहित्य को क्षति हुई है, उसका पूरा होना मान्यवर, असम्भव है ।

मान्यवर, दुर्जन भाई समाजवादी आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी के आन्दोलन से सम्बन्धित थे और उनका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए, दलितों के लिए लड़ाई करते हुए बीता । उनके चले जाने स हमने अपना एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्त्ता खो दिया ।

मान्यवर, राधेश्याम वर्मा जी अल्पायु में ही हम लोगों के बीच से चले गये । मैं इन सब के प्रति अपनी और अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निवेदन करता हूं कि इन शोक संतप्त परिवारों तक आप हमारी समवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री राजकिशोर सिंह—

मान्यवर, राष्ट्र कवि सोहन लाल द्विवेदी हमारे बीच नहीं रहे । सोहनलाल द्विवेदी न केवल कवि थे, बल्कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । उन्होंने स्वयं सन् 42 के आन्दोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी । मान्यवर, सोहन लाल द्विवेदी ने आजादी के पहले और आजादी के बाद देशभक्ति जगाई और इस संबंध में कविताएं लिखीं । वह एक मूर्धन्य साहित्यकार और कवि थे और उनको तमाम साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने विभिन्न उपाधियां से समय-समय पर सम्मानित किया था । मान्यवर, उनके चले जाने से हिन्दी जगत में जो रिक्तिता आई है, उसको पूरा करना सम्भव नहीं है । मान्यवर, गांधी जी जब सन् 30 में डांडी यात्रा पर निकले थे, सत्याग्रह चल रहा था, तो उस वक्त जो कविताएं उन्होंने लिखीं, उससे सारा देश आकर्षित हुआ और वह आन्दोलन बहुत प्रभावशाली रहा और उसमें बहुत से लोग कूद पड़े थे । उसी पद यात्रा को आज जिस कृत्रिम रूप में आयोजित किया जा रहा है, मुझे उस संबंध में प्रसन्नता होगी यदि गांधी जी की उस पदयात्रा से हमारे सत्तारूढ़ दल के लोग और सरकार सबक लेकर देश के निर्माण और विकास में अच्छे कदम उठायें ।

मान्यवर, दुर्जन भाई हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको बहुत लम्बे अर्से से जानता हूं । जब हमारी कम्युनिस्ट पार्टी एक थी, तो वह भी थे और हम भी थे, उनका स्वभाव भी बड़ा सरल था और सचमुच वह शोषित और पीड़ित जनता के मसीहा थे । उनका पूरा जीवन शोषित और पीड़ित जनता की सेवा में बीता—चाहे वह असेम्बली के अन्दर रहे या बाहर रहे । जीवन पर्यन्त इन दलितों की वह सेवा करते रहे और सेवा करते हुए ही अपनी अन्तिम सांस छोड़ी थी । वह हमारे बीच नहीं रहे, उनके निधन से हमारे प्रदेश के अन्दर कम्युनिस्ट-जनवादी आन्दोलन के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है ।

मान्यवर, राधेश्याम वर्मा हमारे बीच नहीं रहे । वह बहुत ही अल्पायु में हम लोगों से छीन लिये गये । उनके बारे में, हमारे जो साथी रहे हैं उस काल में, उनसे पता चलता है कि वह बहुत ही मृदु स्वभाव के थे और सामाजिक लोगों और दूसरे लोगों से बहुत प्रेम से मिलते थे ।

मान्यवर, स्व0 राधेश्याम जी वर्षों विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी रहे उनको सामाजिक कार्य करने में बहुत बड़ी रूचि रहती थी वह हमारे बीच में नहीं रहे उनके निधन से हमारे प्रदेश में जो रिक्तता आई है उसे पूरा करना सम्भव नहीं है । इन तीन विभूतियों के बारे में जो हमारे मा0 नेता सदन की तरफ से और माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से तथा अन्य विपक्षी दलों की तरफ से जो भावनायें व्यक्त की गई हैं मैं अपने को औ अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति

संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अपने काव्यों के द्वारा जनमानस में राष्ट्रीयता का भाव जगाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डा0 सोहनलाल द्विवेदी जिंदगी के आखिरी क्षणों तक अपनी रचनाओं से साहित्य को समृद्ध करते रहे । श्री सोहन लाल द्विवेदी जी के बारे में, तथा समाजसेवी तथा सरल हृदय श्री राधेश्याम जी के बारे में तथा श्री दुर्जन भाई के बारे में जो शोकोद्गार, माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने को और अपने समुदाय को सम्बद्ध करते हुये यह अपेक्षा करता हूं कि हमारे श्रद्धा के सुमन उनके परिवारों तक पहुंचाने की आप कृपा करेंगे ।

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री तथा लोकदल (अ) तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो ख्यालात श्री सोहन लाल द्विवेदी जी, श्री दुर्जन भाई तथा श्री राधे श्याम जी के निधन के बारे में व्यक्त किए हैं उनसे अपने को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि सोहन लाल जी का जिस्मानी-पैकर हमारे बीच में नहीं रहा लेकिन उनके जज्बात, उनके ख्यालात अश्आर की शक्ल में हजारों करोड़ों लोगों के बीच उनकी आवाज की तरह रहे हैं । मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

राष्ट्रीय कवि सोहन लाल द्विवेदी जी मेरे काव्य गुरु थे । इण्टरमीडिएट में मैंने इनके द्वारा रचित पुस्तिका कुणाल पढ़ी उसका मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा मैं उनका सानिध्य प्राप्त करने बिन्दकी गया । वहां दो वर्ष तक कविता लिखने और इस देश में कुछ करने का अवसर मिला । मुझे आज भी स्मरण हो आता है उस समय केन्द्रीय सरकार की सेवा से पृथक होने के बाद मैंने कुछ लिखा था तो उन्होंने मेरी कितनी पीठ थपथपाई थी । वह कविता मुझे आज भी याद है—

"जो बिफलता शक्ति दे वरदान है वहां
वेदना जो प्रेरणा दे प्राण है वहां,
और जिसकी ठेस भी उठना सिखाए,
मार्ग का पाषाण भी भगवान है वहां ।"

उसके पश्चात मान्यवर, मैंने सोहनलाल जी द्वारा रचित सभी काव्यों का अध्ययन किया यह आज भी स्मरण हो जाता है । श्री राजकिशोर जी ने जिक्र किया उनके द्वारा डांडी यात्रा पर लिखी रचना का, केवल दो पंक्तियों ने पूरे भारतवर्ष के हृदय को आन्दोलित कर दिया था जब राष्ट्रकवि ने लिखा था—

चल पड़े जिधर दो डग मग में,
चल पड़े कोटि पग उसी ओर ।

श्री द्विवेदी जी की कविता से अनुप्राणित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पीछे पूरा देश चल पड़ा । आज हम देखते हैं कि अपने काव्यों के माध्यम से राष्ट्र में नयी प्रेरणा देने वाले वह सोहनलाल द्विवेदी जी नहीं रहे—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

वह राष्ट्रीयता का अमर गायक, जीवंत काव्य का सर्जक और भारतीय काव्य का प्राण आज स्पन्दन विहीन हो गया । इसीलिये मान्यवर, एक कवि को अपनी काव्य कुसुमांजलि अर्पित करते हुये मैं केवल दो वाक्य कहना चाहूंगा ।

रो उठा कवित्व शोक छा गया महान,
राष्ट्रकवि द्विवेदी का निरख महाप्रयाण ।

मान्यवर, राधेश्याम जी वर्मा इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं वह मेरे जनपद फर्रुखाबाद के थे । उनसे मेरी व्यक्तिगत मित्रता थी और सानिध्य था । 1980 में वह इस विधान सभा के सदस्य चुने गये । यद्यपि वह लोक दल से चुने गये लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, दलीय स्थिति से ऊपर उठकर जिनकी मित्रता होती है और माननीय राधेश्याम जी वर्मा इसी प्रकार के व्यक्ति थे जिनको जितना अपने दल से स्नेह मिला उससे अधिक दूसरे दलों के लोगों से उन्होंने स्नेह पाया । पीड़ितों के प्रति उनके हृदय में वेदना रहती थी और टीस रहती थी साथ ही साथ उनके मन में आततायी और अत्याचारी के प्रति आक्रोश और उससे संघर्ष करने की भावना रहती थी । पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति, यह उनकी विशेषता थी । मान्यवर, मैं राष्ट्रकवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी और स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और शोकोद्गार व्यक्त करता हूं । इस सदन में जिन लोगों ने इस सम्बन्ध में अपनी भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी भावनायें और हमारी वेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

स्वर्गीय सोहन लाल द्विवेदी जी स्वर्गीय दुर्जन जी तथा स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा जी के निधन पर जो आपने विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं । स्वर्गीय द्विवेदी जी आजादी के सिपाही रहे, पत्रकार रहे । पद्मश्री से सम्मानित राष्ट्रकवि का निधन 82 साल की उम्र में 1 मार्च, 1988 को हुआ । स्वर्गीय द्विवेदी जी जिला फतेहपुर के बिंदकी कस्बे के रहने वाले थे । सारी उम्र वह लोगों में कौमी भावना को जगाते रहे । सन् 42 में "भारत छोड़ो आन्दोलन" में हिस्सा लिया । उन्होंने हिन्दी की बहुत सेवा की ।

स्वर्गीय दुर्जन जी, 23 फरवरी, 88 को उनका निधन हुआ । जिला बांदा में वह पैदा हुये । मध्यावधि चुनाव में, 1969 के चुनाव में जिला बांदा से कम्युनिस्ट पार्टी से वह चुने गये । तमाम उम्र मजदूरों और किसानों की खिदमत करते रहे ।

स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा जी का निधन 27 फरवरी 88 को हुआ । 1934 में जिला फर्रुखाबाद में वह पैदा हुये थे । 1980 में जिला फर्रुखाबाद से जनता (एस) के टिकट पर चुने गये । कृषि और गांव के विकास में उन्होंने बहुत काम किया और साथ ही सामाजिक कामों में हिस्सा लेते रहे । आप सबकी संवेदनायें जो हैं वह उनके परिवार को पहुंचायी जायंगी । आइये हम सभी दो मिनट मौन खड़े होकर इन दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए) ।

विधान भवन गेट नं0 3 पर श्री भगौती सिंह व अन्य कतिपय विधायकों को रोके जाने तथा उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किये जाने विषयक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत ।

श्री राम शरण दास—

मैं नियम 110 के अन्तर्गत एक सूचना आपको देना चाहता हूं ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने आपसे पहले निवेदन किया था लेकिन निधन के निर्देश के कारण बैठ गया ।

श्री अध्यक्ष—

आप जो कुछ कहना चाहते हैं लिखकर भेज दीजियेगा । मैं देखूंगा ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, आज जो दारुलशफा के सामने वाला गेट नं0 3 है वहां पर इस वक्त हमारे बहुत से लोग पुलिस के घेराव में बैठे हैं और एक विधायक हमारे भगौती सिंह गेट नं0 3 पर पी0 ए0 सी0 के द्वारा रोक लिये गये हैं, उनको वे आने नहीं दे रहे हैं । सिपाही लोग गेट बन्द कर लिये हैं और वे गेट खोल नहीं रहे हैं, जिससे विधायक लोग असेम्बली में प्रवेश नहीं करने पा रहे हैं । हमारे माननीय सदस्य भगौती सिंह माननीय मुख्य मंत्री को स्वर्गीय अक्षयबर मल्ल की मृत्यु जो हुई थी, उसके संबंध में आज ज्ञापन देना चाहते हैं, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने हमसे बताया कि माननीय भगौती सिंह को गेट नं0 3 पर रोक लिया गया है, उन्हें विधान सभा के अन्दर नहीं आने दिया जा रहा है । मान्यवर, माननीय अक्षयबर मल्ल के साथ जो-जो लोग उनकी मृत्यु के दिन थे, वे लोग भी वहां गेट नं0 3 बैठे हुए हैं । मान्यवर, कहीं वहां पर पुनः वैसी ही घटना न हो जाय । मान्यवर, यह जो पुलिस के द्वारा माननीय अक्षयबर मल्ल की हत्या की गयी थी, उसके बारे में माननीय भगौती सिंह जी, माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, मेरा आग्रह है कि आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को आदेश दें कि गेट नं0 3 बन्द कर दिया गया है और माननीय भगौती सिंह जी को आने नहीं दिया जा रहा है, वह गेट खुलवायें और माननीय भगौती सिंह को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए और माननीय मुख्य मंत्री जी को अपना ज्ञापन देने के लिए आने दें । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लें और जो लोग माननीय मुख्य मंत्री जी को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको न रोका जाय ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय राम शरण दास जी ने कहा है, माननीय भगौती सिंह जी को यहां बुलवा लिया जायगा और जो दूसरी बात माननीय राम शरण दास जी ने कही है कि गेट नं0 3 बन्द कर दिया गया है और माननीय भगौती सिंह जी को अन्दर नहीं आने दिया जा रहा है, तो अगर उनके पास पहले से प्रवेश-पत्र है और उनको आने नहीं दिया जा रहा है, तो उसको मैं दिखवा लेता हूं । मैं किसी को भेज कर माननीय भगौती सिंह को बुलवा लेता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर मैं अभी 11 बजे के लगभग आ रहा था तो पी0 ए0 सी0 के लोगों ने मुझको रोक दिया । आज सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट है, मुझे उस पर कटौती का प्रस्ताव पेश करना था, लेकिन मुझे वहां गेट पर 15 मिनट तक रोक लिया गया तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, उनको तो कम से कम नहीं रोकना चाहिए । इसके लिए मान्यवर आप सख्ती के साथ निर्देश देने की कृपा करें ।

जनपद मुजफ्फरनगर में कस्बा खतौली, शाहपुर व सिसौली में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 14 मार्च, 1988 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं ।

पहली सूचना माननीय श्री हरेन्द्र सिंह की, जनपद मुजफ्फरनगर में कस्बा खतौली शाहपुर व सिसौली में पेयजल संकट के संबंध में है । दूसरी सूचना माननीय राजेन्द्र शर्मा की, जनपद मेरठ में हुई ओला वृष्टि से हुई क्षति के संबंध में है । तीसरी सूचना माननीय किशन लाल जी की, जनपद सीतापुर के दर्शनीय स्थलों के जीर्णोद्धार के संबंध में है । चौथी सूचना माननीय शारदानन्द अंचल जी की, बलिया जनपद में चौकिया मोड़ पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के संबंध में है । पांचवीं सूचना माननीय गया प्रसाद वर्मा जी की, जनपद इटावा के लखना क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुई क्षति का मुआवजा दिये जाने के संबंध में है । छठीं सूचना है माननीय जयदीप सिंह बरार जी की, जनपद बरेली में नीलगायों से फसलों की क्षति के विषय में तथा सातवीं सूचना माननीय सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) जी की बेसिक विद्यालयों के सेवानिवृत्ति अध्यापकों व उनकी विधवाओं को पेंशन आदि के भुगतान के विषय में है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो शलाका द्वारा निकाली जाती है ।

ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाय ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी) ।

*श्री हरेन्द्र सिंह—

[मान्यवर, मुजफ्फरनगर जिलान्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कस्बा खतौली शाहपुर व सिसौली में नागरिकों के समक्ष पीने के पानी का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । वहां पर पेयजल की आपूर्ति अत्यन्त अस्त-व्यस्त है । नागरिकों को दिन में केवल 4 घन्टे ही पानी उपलब्ध हो पाता है जिससे नागरिकों को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । यदि इन कस्बों में तत्काल अतिरिक्त नलकूप न बनाये गये तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट:—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद मेरठ में ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र शर्मा—

[मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । गत वर्ष में भयंकर सूखे से पीड़ित पश्चिमी उ0 प्र0 के अन्दर मुख्यत: जनपद मेरठ के विकास खण्ड खरखोंदा, रजपुरा, मेरठ व जानी के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले सप्ताह भयंकर ओलावृष्टि से सूखे से प्रताड़ित कृषकों को आलू, चना, गेहूं व चारे के फसलों को भारी क्षति हुई है और सरसों की फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है । इस भयंकर ओलावृष्टि से आर्थिक हानि से किसानों की बिगड़ी हुई दशा और गम्भीर रूप ले चुके है तथा किसानों को भारी कठिनाई व मानसिक यातना का सामना करना पड़ रहा है एवं पशुओं के चारे के लिए किसानों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस गम्भीर ओलावृष्टि से पीड़ित कृषकों को शासन द्वारा त्वरित कार्यवाही कर, अधिक से अधिक मुआवजा राहत राशि के रूप में दिलाने की व्यवस्था की जाय जिससे पीड़ित किसानों की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकें ।]

जनपद सीतापुर के दर्शनीय स्थलों का जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल—

[महोदय जिला सीतापुर में निम्नलिखित स्थान पौराणिक महत्व के धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र है । बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहां आते हैं । मरम्मत आदि के अभाव में नष्ट हो रहे हैं । यदि उनका जीर्णोद्धार तथा सुन्दरीकरण कर दिया जाय तो यात्रियों को सुविधा होगी । तथा पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी । दर्शनीय स्थान निम्नांकित है—

(1) सीतापुर, मिश्रिख मार्ग पर समकोट स्थित मंदिर यह भगवान राम के पधारने का स्थल है,

(2) खैराबाद स्थित भुइयांकाली

(3) पुराना सीतापुर स्थित श्यामनाथ मंदिर

आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाकर मांग करता हूं कि उपरोक्त स्थानों का शीघ्र ही जीर्णोद्धार तथा सुन्दरीकरण कराया जाय ।]

बलिया जनपद में चौकिया मोड़ पर ओवर ब्रिज बनाए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा नन्द अंचल—

[मान्यवर, बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दोहरी घाट सहायक नहर पर चौकिया मोड़ के सामने जनहित में ओवर ब्रिज बनाने की मांग 1984 से निरन्तर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चल रही है । इस लोक महत्व के मामले में वहां की जनता ने कई बार महीनों अनशन, प्रदर्शन और धरना चलाया है । अधिकारियों द्वारा निर्माण का आश्वासन मिलने पर उक्त धरना-प्रदर्शन व अनशन समाप्त हुआ । माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई मंत्री के रूप में उक्त ओवर-ब्रिज बनाने का आश्वासन जनहित में विधान सभा में मेरे प्रश्न के जवाब में लिखित रूप से दिया था कि उक्त ओवर-ब्रिज दो वर्ष में बन कर तैयार कर दिया जायेगा । अब तक ओवर-ब्रिज का निर्माण न होने से जनता में शासन के प्रति निराशा रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से इस अत्यन्त लोक महत्व के मामले को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर समाधान की मांग करता हूं ताकि दोहरी घाट सहायक नहर पर ओवरब्रिज का निर्माण जनहित में हो सके ।]

इटावा जिलान्तर्गत लखना क्षेत्र में ओला वृष्टि से हुई क्षति की मुआवजे की मांग के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया प्रसाद वर्मा—

[महोदय, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय घोर महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र लखना के चकरनगर ब्लाक के सभी ग्राम सोने का पुरवा, विडंवा, टिटाउली, हनुमंतपुरा, सहसों, पिपरौली, गड़िया मुहानी, नौगवां तथा चकर नगर के आस-पास सभी गांव ओलों की भयंकर चपेट में हैं । जिससे हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो गयी हैं । इसके अलावा बाउथ, चौरेला, गढ़ीमंगद, सिंडौस, बड़पुरा, आदि गांव भी ओला वृष्टि से नष्ट हुए हैं ।

आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ऐसे गांवों के किसानों की जमीन का लगान, आपासी, माफी की जाय और किसानों को फसल का मुआवजा भी दिलाया जाय ।]

जनपद बरेली में नीलगायों से फसलों की बर्बादी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदीप सिंह बरार—

[जिला बरेली के विकास खण्ड मीरगंज तथा फतेहगंज पश्चिमी में राम गंगा तथा किछा नदी के किनारे बसे हुए ग्रामों में जंगली नीलगायों के प्रकोप से कृषकों की खून पसीने से पैदा की गयी फसल उजड़ रही है । सैकड़ों की संख्या में नीलगायों के झुण्ड किसानों की सारी फसल को एक ही रात में पूर्णतया नष्ट कर देते हैं । इसके फलस्वरूप सूखे से पीड़ित किसान का बचा खुचा रोटी का सहारा भी समाप्त हो रहा है । वन्य जीव रक्षा कानूनों तथा धार्मिक भावनाओं के फलस्वरूप किसान स्वयं इन नीलगायों की समस्या से निपटने में असमर्थ है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से अपेक्षा करता हूं कि वह इन जंगली नीलगायों को पकड़कर सरकर के आरक्षित वनों में भिजवाने की व्यवस्था करें ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बेसिक विद्यालयों के सेवा निवृत्त अध्यापकों व उनकी विधवाओं के पेंशन आदि सुविधाएं दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[मान्यवर, मैं शिक्षा विभाग के शासनादेश क्रियान्वित न होने के कारण सदन का ध्यान जनहित में लगभग 48 हजार सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों एवं 5 हजार विधवा आश्रितों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आकर्षित करना चाहता हूं कि शासनादेश 28 जुलाई, 1987 का पेंशन पुनरीक्षित के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषदीय सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षकों पर क्रियान्वित नहीं किया गया जबकि 8 मार्च, 1978 के अनुसार राज्य कर्मचारियों की भांति सभी सुविधाएं प्राथमिक शिक्षकों को देय हैं ।

अतः मान्यवर, आपसे निवेदन है कि 28 जुलाई, 1987 का शासनादेश लागू करने एवं प्राथमिक शिक्षकों पर से अनुदान की प्रथा समाप्त कराने की सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ।

इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 300 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है—13-3-88 को दिल्ली में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश समाज विद्यालय को 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जायगा, जबकि बजट में इसका प्राविधान नहीं है के संबंध में है । दूसरी सूचना माननीय राम गोविन्द चौधरी जी की है जो मैनपुरी में इण्डस्ट्रियल स्टेट की स्थापना की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया जाना के संबंध में है । तीसरी सूचना है माननीय राजकिशोर सिंह जी की, माननीय मित्रसेन जी की और राम चन्द्र वक्श सिंह जी की मैनपुरी में इण्डस्ट्रियल स्टेट की स्थापना की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया जाना के संबंध में है । इन तीनों मामलों में माननीय मुख्य मंत्री जी से जानकारी करके निर्णय दिया जायेगा । चौथी सूचना है माननीय हरिश्चन्द्र हरीश जी की जो गृह मंत्री ने सदन के बाहर घोषणा की कि प्रोन्नति का आधार योग्यता रखा जायगा, न कि वरिष्ठता के संबंध में है । पांचवीं सूचना माननीय अचल सिंह जी की जो गृह मंत्री ने सदन के बाहर घोषणा की कि प्रोन्नति का आधार योग्यता रखा जायगा, न कि वरिष्ठता के संबंध में है ।

योग्यता के आधार पर प्रोन्नति का मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है, यह कोई नीतिगत मामला नहीं है ।

छठीं सूचना है माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी की सिहोरी शुगर मिल द्वारा विधायक को भेजी गयी चिट्ठी के संबंध में है ।

जिसे हम मुनासिब कार्यवाही के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भेज रहे हैं ।

सातवीं सूचना है माननीय कौशिक रमा शंकर जी की जो डांडी मार्च के बारे में है ।

यह नियम 300 में नहीं आती है, अतः यह अस्वीकार है ।

आठवीं सूचना है माननीय शारदा नन्द अंचल और माननीय बलराम यादव की जो डेली वेजेज पर कार्यरत कर्मचारियों से घर पर काम लेने के संबंध में ।

यह भी नियम 300 में नहीं आती है, अतः अस्वीकार है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जहां तक पहली दूसरी और तीसरी सूचना का प्रश्न है, एक यह नीति की घोषणा नहीं है, दूसरी में मुख्य मंत्री जी से जानकारी करके निर्णय दूंगा । जहां तक माननीय हरिश्चन्द्र जी की है, यह जो घोषणा है, जब तक उनसे जान लें कि क्या घोषणा की है तब तक निर्णय क्या दूं, माननीय जनार्दन प्रसाद अोझा जी की है मैं उस सूचना को माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पास मुनासिब कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं ताकि इस किस्म की कोई कोताही आइन्दा न हो, माननीय कौशिक रमा शंकर और शारदा नन्द अंचल जी की सूचना है यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, लिहाज अस्वीकार है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, यह जो हमारी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, जो इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के साथ, महात्मा गांधी के साथ, देशभक्त के साथ . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री राम शरण दास—

तो फिर यह काहे के अन्तर्गत आता है, महात्मा गांधी के साथ अन्याय हो जाय और किसी नियम के अन्तर्गत न आये, यह कैसे हो सकता है ? आप मेरी बात सुने ।

श्री अध्यक्ष—

किस नियम के अन्तर्गत सुनूं, डांडी मार्च नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, आप मेरी बात सुनें ।

श्री अध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा । मैं बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके बैठें ।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है ।

(श्री अचल सिंह, श्री राम शरण दास तथा श्री मनोहर लाल के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

राम शरण जी आप बैठें, मैं खड़ा हुआ हूं, माननीय मनोहर लाल जी आपका नियम 56 में है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, आप मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

किस नियम में सुन लूं ?

(शोर)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैंने नियम 63 के अन्तर्गत एक सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष—

राम शरण जी, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है आप दूसरे नियमों का सहारा लीजिए और उसमें उठाइये ।

मनोहर लाल जी, सूचना आपकी आ गयी है, विभाग से सूचना मंगाकर देखूंगा ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने एक मीटिंग के अन्दर हमारे ऊपर गम्भीर आरोप लगाये हैं, यह जागरण अखबार में निकला है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के चलते घोषणा की है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा है कि मैं उनसे जानकारी करके निर्णय दूंगा ।

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर)

मनोहर लाल जी आप बैठें, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 19 सूचनाएं मिली हैं, पहली दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी सूचना सर्वश्री कल्यान सिंह, हरिश्चन्द्र हरीश जी, रघुवर दयाल वर्मा, विजयसिंह राणा जी, रिछपाल सिंह बंसल की, लक्ष्मी नारायण जी, महेन्द्र भाटी की, अब्दुल वहीद कुरैशी की, अचल सिंह की और मोहम्मद मसूद खां साहब की प्रदेश के कतिपय जिलों में हुई ओला वृष्टि से कृषि को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । छठी सूचना सर्वश्री अनुग्रह नारायण सिंह, राकेशधर त्रिपाठी तथा गोपाल दास यादव की उत्तर प्रदेश जल निगम के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनिश्चित कालीन हड़ताल से उत्पन स्थिति के सम्बन्ध में है । सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से पत्रकारों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है । आठवीं सूचना सर्वश्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, गौरी शंकर भइया, राम गोविन्द चौधरी, कमल किशन पाण्डेय, वीरेन्द्र सिंह, राज बहादुर सिंह, श्रीप्रकाश, मित्रसेन और डा0 बंगाली सिंह की 15 मार्च, 1988 को भारत बंद

को नाकाम बनाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारियों को दिए गये असंवैधानिक निर्देशों तथा प्रदेश में की गयी व्यापक गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में है । नवीं सूचना सर्वश्री शारदा प्रताप, रामचन्द्र बख्श सिंह, राज किशोर सिंह, फजलुल बारी, रामआसरे वर्मा कौशिक रमाशंकर की कानपुर जनपद के एच0बी0टी0आई0 के निदेशक एवं कुल सचिव द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है । दसवीं सूचना सर्वश्री सैय्यदअली अशफी, विश्राम दास, डा0 संजय सिंह, नरेन्द्र पाल सिंह, भोला सिंह, अरूण प्रताप सिंह, जयदीप सिंह बरार, महेन्द्र प्रताप सिंह, वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, मा0 त्रिभुवन प्रसाद, कैप्टन बल्देव सिंह, देवतादीन, मोहम्मद असलम और राम बदन एडवोकेट की रायबरेली तथा प्रदेश में जनमोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ शासन द्वारा की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही के सम्बन्ध में है । ग्यारहवीं सूचना श्री मूलचन्द की प्रदेश के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का विभिन्न पदों पर कोटा पूरा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । बारहवीं सूचना श्री विष्णु देव की आजमगढ़ जनपद की तहसील घोसी में बाढ़ पीड़ित ग्रामों में होने वाला पंचसाला बंदोबस्त में धांधली आदि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । तेरहवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद, करहल, जसराना आदि तहसीलों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में है । चौदहवीं सूचना श्री मनोहर लाल की कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विश्व बैंक के 20 करोड़ रुपये से खिलवाड़ किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पन्द्रहवीं सूचना श्री अवशेष प्रसाद की जनपद फैजाबाद में किसानों का उनके गन्ने के बढ़े हुए मूल्य न मिलने तथा पर्चियों के पाने में हुई परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना सर्व श्री हरेन्द्र सिंह, अमीर आलम खां, लक्ष्मी नारायण और भोपाल सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर में जिला योजना वर्ष 1987-88के अन्तर्गत सीनियर बेसिक एवं जूनियर बेसिक विद्यालयों को जिला शिक्षा सलाहकार समिति की संस्तुति होने के उपरान्त न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, सत्रहवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की स्कूटर इंडिया लि0, लखनऊ को निजी क्षेत्र को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की करोड़ो रुपये की लागत से बनी चुनार, डाला चुर्क सीमेंट फैक्ट्री बन्द होने की स्थिति से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है तथा उन्नीसवीं सूचना श्री शारदा नंद अंचल की उन्नाव कारागार में सत्याग्राहियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव ओला-वृष्टि के सम्बन्ध में था ।

श्री अध्यक्ष—

उसी को मैंने पढ़ा है । आप शायद सुन नहीं रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, जिस विषय को लेकर मैंने आज यहां नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी है, वह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है ।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, जिस विषय पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, उसके लिये वेदना से, पीड़ा से, मेरा दिल भरा हुआ है । हमें पता है कि किस वर्ष अपने देश में, अपने

प्रदेश में, शताब्दी का सबसे भयंकरतम सूखा पड़ा था । किसान की, उस सूखे की मार से फसल चौपट हो गयी थी, उसकी स्थिति खराब हो गयी थी । जैसे-तैसे करके उसने अपने दिन काटे । खून पसीना एक करके अपनी रबी की फसल को तैयार किया, घर की बहू-बेटियों के गहने-जेवर बेचकर खाद, पानी और पैसे की व्यवस्था की, रबी की फसल तैयार हो गयी, जब रबी की फसल लहलहा रही थी, तब किसान ने उस रबी की बालियों को देखकर भविष्य की कितनी योजनायें बनायीं । लड़के, लड़कियों का ब्याह शादी की योजना भी उसने उस रबी की फसल पर अवलम्बित की थी । सूखे की विकृत मार अभी वह धीरे-धीरे करके भूल पा रहा था कि एक भयंकर प्रकोप 12-13मार्च, 1988 को हुआ, इस प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भयंकरतम ओला-वृष्टि हुई । अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर बस्ती और भी जिले हैं, प्रदेश के अनेक ऐसे जिले हैं जहां इस ओला-वृष्टि से भयंकर क्षति हुई है ।

अलीगढ़ जिले की तहसील कोल और अतरौली-इसमें भयंकर ओलावृष्टि हुई है । हजारों की संख्या में पक्षी मरे पड़े हैं । मान्यवर, मैंने स्वयं जाकर के देखा है, किसान और किसान की घरवाली खेत की मेड़ पर इस तरह से फूट-फूट कर रो रही है जैसे कि उसके घर का इकलौता जवान बेटा मर गया हो । आज उनके सामने जीवन निर्वाह का चारा शेष नहीं रह गया है, पशुओं के लिये चारा नहीं है, मनुष्यों के लिये खाद्यान्न नहीं है । खरीफ की फसल पहले चौपट हो गयी थी, रबी की फसल अब चौपट हो गयी । मान्यवर, एक गंभीर संकट इस ओलावृष्टि के कारण उत्पन्न हो गया है । इस समय अगर सरकार ने किसान का खाद, बीज, बिजली, पानी, सरकारी और सहकारी देयों का पैसा माफ नहीं किया, कर्जे माफ नहीं किये, पशुओं के लिये चारे का इन्तजाम नहीं किया, मनुष्यों के लिये खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया, तो प्रदेश में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जायेगी, अकाल की स्थिति पैदा हो जायेगी । आज त्राहि-त्राहि मची हुई है । मान्यवर, मैं आज यहां इसलिये आया हूं, ताकि यह प्रश्न यहां उठा सकूं, बात रख सकूं । आज रात्रि की गाड़ी से फिर वापस जा रहा हूं, मैं वहां किसानों से मिलता चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं स्वयं अपनी आखों से देखा और जो स्थिति अब किसानों के सामने इस प्रकोप के कारण उत्पन्न हो गयी है, कोई भी सहृदय व्यक्ति उसे देखेगा तो अपनी आंखों में आये आंसूओं को नहीं रोक सकेगा । मान्यवर, मैंने जब किसानों को, उनकी महिलाओं को, रोते हुए देखा, तो भरी आंखें भी छलछला गयी । मान्यवर, यह बड़ा ही मानवीय प्रश्न है, किसान की बरबादी का प्रश्न है । 2-2 फसलें उसकी चौपट हो गयी । किसानों को राहत देने के लिए, आज सरकार सदन में घोषणा करें । रबी की फसल में खाद, पानी, बिजली, कीटनाशक दवाओं आदि का जो पैसा लगा है, वह माफ कर दिया जाय । मान्यवर, आज किसान कर्जे वापस देने की स्थिति में नहीं है । मैं सामूहिक किसानों की बात नहीं करता, लेकिन जो पहले से ही सूखा से प्रभावित थे, और अब ओला-वृष्टि से उनकी भयंकर क्षति हुई है, ऐसे किसानों के कर्जे माफ किये जाने की घोषणा सरकार आज सदन में करे । मान्यवर, मेरी यह भी मांग है कि सदन की शेष कार्यवाही को स्थगित करके, इस महत्वपूर्ण विषय पर तुरन्त चर्चा करायी जाय, जिसके साथ लाखों-लाख किसानों की जिन्दगी मौत का सवाल जुड़ा हुआ है ।

(श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी , रघुवर दयाल वर्मा, श्री विजय सिंह राणा तथा श्री अचल सिंह आदि कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

एक-एक दल से एक ही रहने दें, तो ठीक रहेगा । अब सभी बोलेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, अभी कल शाम ही मैं अपने क्षेत्र से लौटा हूं । शाम को श्रीमन् मेरे क्षेत्र के 200-300 काश्तकार बोरियों में ओला भरकर लाए मेरे मकान पर बैठे हुए थे । वह अपने साथ कटा हुआ गेहूं और जो जौ और चने, लाही की फसल बरबाद हुई है, उसको भी लेकर आये थे । मान्यवर, उसको देखकर ऐसा मालूम पड़ता था कि खरीफ की फसल तो सूखा ले गया और इस रबी की फसल को जो किसान ने अपने खून पसीने को एक करके खेत में खड़ा किया था उसको यह ओला ले गया मान्यवर इतना ही नहीं रात्रि में जो ओलावृष्टि हुई, उससे हमारे क्षेत्र के तमाम गाय, भैंस जानवर घायल हो गए और सैकड़ों जानवर मरने की स्थिति में पड़े हैं । इसके साथ ही साथ आंधी से सैकड़ों लोगों के छप्पर वगैरह भी उड़ गये । ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जो हमारे यहां के 12-14 गांव हैं जैसे दादूपुर, सिरुहरा-जदलपुर, सोरमंडी, किसनपुर, छोपीगढ़ी आदि जो बुरी तरह ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं, वहां के किसानों के कर्ज माफ किये जायें और उन्हें बिना ब्याज ऋण भी उपलब्ध करवाया जाये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस संवेदनशील सवाल पर सारे ऋणों का भुगतान माफ करें और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, मुझको भी बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आपका नाम नहीं है, तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा ।

(श्री विजय सिंह राणा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, आपने कहा कि एक दल से एक आदमी को बुलवाया जायेगा । आप एक दल से दो लोगों को कैसे मौका दे रहे हैं । श्री राना साहब के दल से वर्मा जी बोल चुके हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास जो लिखा हुआ है, उसके अनुसार यह एक दल के नहीं हैं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई है, उसने किसानों की रीढ़ तोड़ दी है । मान्यवर, वहां पर, यह स्थिति आ गयी है कि खरीफ की फसल गई, रबी की फसल को यह ओला बिल्कुल चौपट कर गया । इसके साथ ही साथ ओला के बाद जो पानी बरसा है, उसी से किसानों की फसल खेत में डूब गयी है और उनका बड़ा नुकसान हुआ है । वहां पर स्थिति यह है कि अब किसानों के लिए बालों में से गेहूं निकालना संभव नहीं रह गया है । पानी की मार से फसल तो डूब गई और लगता है कि जैसे गेहूं खेतों में सो गया है । इसलिए मान्यवर, मेरा कहना यह है कि मेरठ, आगरा, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर आदि जो जिले हैं और जहां फसल बिल्कुल चौपट हो गई है, वहां कम

से कम सरकार द्वारा किसानों को सहायता दी जाये और उनके कर्जे माफ किये जायें । जो किसानों के ऊपर लगान आदि लगा हुआ है, उसको भी माफ किया जाय, ताकि किसान को कुछ राहत मिल सके ।

*श्री महेन्द्र भाटी—

मान्यवर, इस आलावृष्टि से सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली जिला गाजियाबाद है । मान्यवर, 3 मार्च को वहां पर भारी अंधड रहा, उससे सारी फसल खेत की गिर गई उसके बाद भयंकर सूखा पड़ा और उसके बाद तो अन्त हो गया, कुछ नहीं बचा । कोई गांव ऐसा नहीं बचा है, जहां फसल खड़ी हो। 12 मार्च को शाम के साढ़े छः बजे जो तूफान आया, उससे सारी फसल खत्म हो गयी । आज किसानों के पास चारा नहीं है, खाने को नहीं है । उनके पास जो कुछ था, उन्होंने कर्जा लेकर, लोन लेकर फसल बोयी थी, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं बचा है । इन परिस्थितियों में अगर सरकार कोई मदद नहीं करती तो बड़ा दुर्भाग्य है । मेरठ में, मुजफ्फरनगर में और गाजियाबाद में, कोई ब्लाक ऐसा नहीं बचा है, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है, जहां हन्ड्रेड परसेन्ट फसल नष्ट न हो गई हो ।

श्री हरीशचन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में पर्वत से लेकर मैदान तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक बहुत जोरों से ओला पड़ा है । मैं चाहूंगा कि यह सरकार इस ओले की क्षति का आकलन जिले के आधार पर न लगाए, अपितु, विकास खण्ड के आधार पर लगाये । एक ही जिले में कहीं जोरों से पड़ा है, कहीं कम पड़ा है । खरीफ की फसल नष्ट होने से किसानों के ऊपर जो भार पड़ा था, अभी उससे उबर नहीं पाये थे, तब तक इस ओले ने उनकी कमर तोड़ दी । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि तत्काल ओला पीड़ित क्षेत्र में किसानों के लिये खाद्यान्न पहुंचाया जाय और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कराई जाय, अगर अभी तक नियमों में फसल की क्षतिपूर्ति हेतु कोई प्राविधान नहीं है, तो शासन को चाहिए कि फसल की क्षतिपूर्ति का नियम निर्धारित कर, किसानों का फसल की क्षतिपूर्ति दी जाय । अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खरीफ की फसल का लगान अभी माफ नहीं हुआ है और न ही बच्चों की फीस माफ हुई है और इस बीच रबी की फसल भी बरबाद हो गयी है । इसलिए शासन यह करे कि इन दोनों फसलों में जो क्षति हुई है, उसके लगान की वसूली को माफ कर दिया जाय, जो लोग हवालात में हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाय, उनके बच्चों की फीस माफ की जाय । इस पर आप सरकार को निर्देशित करें तथा इसी विषय पर शेष सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करवाई जाय ।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, 11 मार्च, 1988 को जनपद आजमगढ़ में, सासतौर से सदर तहसील में और निजामाबाद तहसील में बहुत बड़ा ओला पड़ा । जो जानवर बाहर थे, वे घायल हो गए और फसल चौपट हो गई । सूखा पड़ा और पत्थर पड़े । किसान बहुत परेशान है, इसलिए मेरी मांग है कि इस पर चर्चा कराई जाय और किसानों को राहत दी जाय ।

*श्री अचल सिंह—

मान्यवर, 12 व 13 मार्च को फतेहपुर के बिन्दकी तहसील में इतना बड़ा तूफान आया और इतने बड़े ओले पड़े, आज तक इतिहास में इतना बड़ा ओला नहीं पड़ा । उससे किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी है । खेती में कोई फसल नहीं रह गयी है । पहले सूखे से चौपट हुआ और उसके बाद ओला पड़ने से किसानों में त्राहि-त्राहि मच गई

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । लगता है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं । ऐसा मालूम पड़ता है कि ओला केवल विपक्ष के सदस्यों के क्षेत्र में गिरे हैं, सत्ता पक्ष के यहां नहीं । इसलिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक अहम् मसला है, इसलिए आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करवाएं । . . .

श्री रिछपाल सिंह बन्सल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस प्रस्ताव पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, इससे गम्भीर कोई प्रस्ताव हो नहीं सकता है । 12-3-88 की शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक हुई वृष्टि से किसानों की फसल शतप्रतिशत नष्ट हो गयी । मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात कर रहा हूं । जिलाधिकारी, गाजियाबाद, परगनाधिकारी, बागपत और तहसीलदार, बागपत के साथ मैंने स्वयं 20 गांवों का निरीक्षण किया, वहां पर 100 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक के ओले पड़े हैं, पशु मरे हैं, पक्षी मरे हैं, रबी की फसल चौपट हो गयी है, मकान की छत टूट गयी है पशु पक्षी मर रहे हैं, अन्न की कोई व्यवस्था नहीं है । माननीय गृह राज्य मंत्री गाजियाबाद से आये हैं, जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि 70 गांव में रबी की फसल नष्ट हो चुकी है । मेरे चुनाव क्षेत्र खेकड़ा में सौ प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है । इसके अतिरिक्त विकास खण्ड लोनी, रजापुर दादरी और मुरानगर विशरख में भी फसल पूर्णतय नष्ट हो गयी है । मुजफ्फरनगर में भी काफी नुकसान हुआ है । बागों की यह हालत है कि वे भी 80 प्रतिशत से शतप्रतिशत नष्ट हो चुके हैं । जिस क्षेत्र में शतप्रतिशत नुकसान हुआ है खास तौर से खेकड़ा क्षेत्र में, वहां पर समस्त प्रकार की वसूलियां तुरन्त स्थगित की जायें, तुरन्त तकावी का वितरण किया जाय, चारे की व्यवस्था की जाय, गन्ना बागपत मिल पर तुरन्त डलवाया जाय । सस्ते गल्ले की व्यवस्था की जाय, डाक्टरों की व्यवस्था की जाय एवं इससे अधिक अविलम्बनीय कोई विषय नहीं हो सकता है, अतः सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी—

मान्यवर, कुछ किसान की किस्मत इस कदर खराब है कि वह सूखे से बराबर पिटता रहा, अब उस वक्त जहां एक-एक बूंद पानी को तरस रहा था, वह इस तरह से मिला कि हवा, बारिश और ओला, तीनों चीजें साथ-साथ आ गयीं, हवा ने फसल को बिछा दिया, बारिश इस तरह पड़ी कि सब कुछ पानी में डूब गया, आलू जो कुछ खेत में निकल पड़ा था, वह वैसे ही नष्ट हो गया । पानी के अन्दर, जो कुछ बचा है, वह भी गल जायगा । आलू की फसल का जो नुकसान हुआ है वह ओला और बारिश की वजह से और जो आने वाली फसल थी, वह भी नष्ट हो जायेगी । तहसील सरधना में पूरा और बरनावा क्षेत्र में भी इस तरह बरबाद हो चुका है कि कोई इन्तहा नहीं है । जो बागात थे, हवा, बारिश से और ओले से उनकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए इस वक्त किसान बुरी तरह बरबाद हुआ है, अगर सरकार ने इस तरफ नहीं सोचा और रिलीफ नहीं दी तो बरबादी इतनी हो गयी है कि घर में बैठने का सहारा नहीं है, खाने के लिये दाना नहीं है और खेत में जब वह जाता है तो इस तरह रोता है कि कोई मर गया है । यह इतना अहम मामला है, इस पर आप चर्चा करायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

इस ओला वृष्टि के बारे में माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय रघुवर दयाल वर्मा श्री विजय सिंह राणा, श्री अचल सिंह, श्री रिछपाल सिंह बन्सल, श्री अब्दुल वहीद कुरैशी आदि माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं । यह

एक दुखद बात है कि जो फसल पहले तैयार हो गयी, उस पर ओला और बारिश से काफी नुकसान हुआ है । हमने उत्तर प्रदेश भर के कलेक्टर्स को आज ही टेलेक्स भेजा है कि जो-जो नुकसान हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा 3 दिन के अन्दर हमारे पास भेजें ताकि हम देखें कि क्या-क्या राहत कार्य हो सकते हैं, किस तरह से छूट दी जा सकती है और जो सहायता हम कर सकते हैं, वह कर सकें ।

दूसरी बात यह मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह मामला ऐसा है कि जो बातें हम सरकारी सूत्रों से मंगा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी जन प्रतिनिधि हैं, सम्मानित सदस्य हैं उनसे भी हम सूचना चाहेंगे कि ताकि हम कम्पेयर कर सकें, इसलिये आप इस पर मान्यवर, चर्चा स्वीकार कर लें ताकि दोनों तरफ के लोग आपस में बैठ कर निर्णय ले सकें कि किस प्रकार से इस दैवी आपदा का सामना हम कर सकते हैं, यह आपस में विचार करके ही हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, यहां चर्चा को आप स्वीकार कर लें और चर्चा करा भी दें लेकिन इस दैवी आपदा के समय में जो वसूली में सख्ती हो रही है इसके लिये भी आप मंत्री जी से कह दें कि इस संबंध में भी वे टेलेक्स भेज दें कि वसूली को फिलहाल अभी समाप्त कर दिया जाय । चारे और खाद्यान्न की व्यवस्था भी यदि तत्काल न की गयी तो उनके पेट चर्चा से तो भरने वाले हैं नहीं ? आप तत्काल वसूली की कार्यवाही की सख्ती को रोक दीजिये और साथ ही साथ चारे की और खाद्यान्न की व्यवस्था करने की ओर भी ध्यान दीजिये ओला-ग्रसित क्षेत्र के लिये, शेष चर्चा तो हो ही जायेगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा की क्षति हुई है, वहां के लिये आदेश दे दिये गये हैं कि वसूली की कार्यवाही को रोक दिया जाय । चारे की व्यवस्था कराने के लिये आदेश और दे दिये जायेंगे ।

श्री कल्यान सिंह—

खाद्यान्न के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है । काम के बदले अनाज की जो स्कीम है उसी की घोषणा तो कम से कम माननीय मंत्री जी कर दें। मान्यवर, इसके लिए आप मंत्री जी से कहें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैंने अभी कहा कि पूरे प्रदेश के जिलों को आदेश भेज दिए गये हैं कि जहां पर 50 परसेन्ट से अधिक की क्षति हुई हो, वहां की वसूली की कार्यवाही को रोक दिया जाय और वहां अहेतुक सहायता दी जाय । चारे की व्यवस्था रह गयी थी, उसके लिए भी आदेश देने की व्यवस्था की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब लोग बैठें । इस पर चर्चा तो स्वीकार कर ली गयी है ।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया और कहा कि जहां 50 परसेन्ट से अधिक की क्षति हुई होगी वहां यह-यह किया जायेगा । 'जहां'' शब्द में बहुत कुछ भरा है । जिले भर में जितना इकाइयां हैं, यह मानकर उनका एवरेज 50 प्रतिशत बना कर, यह उचित नहीं है कि जिले के स्तर पर औसत निकाला जाय । एसे काम नहीं होगा क्योंकि ओला कहीं ज्यादा पड़ा है और कहीं कम । मैं चाहूंगा कि इसे आप ब्लाक स्तर पर देखें । एसे आदेश दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप ये बातें जब चर्चा हो, तब कह लीजियेगा ।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, इसे ब्लाक स्तर पर करने के लिए तो कह ही दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें । मैंने अब माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री मित्रसेन—

वो तो दूसरी बात कहेंगे, इस संबंध में नहीं बोलेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 13 व 14 फरवरी को प्रदेश में ओला पड़ा, उसकी रिपोर्ट तो आ चुकी है । अभी वहां कोई राहत का काम नहीं हुआ है । जैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि तीन दिन में इन्होंने रिपोर्ट मंगायी है, तो वह तो आने से रही । फरवरी के ओला के बारे में डी0एम0 की जो रिपोर्ट एक महीने से आ चुकी है उस पर कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हुई, यह माननीय मंत्री जी बतला दें ?

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर माननीय मंत्री जी जवाब देना चाह रहे, आप कृपया दिलवा दीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी—

वैसे तो यह सारी बातें चर्चा में आ जाती । लेकिन जहां पर ओला गिरा है, इस बारे में सभी लोग जानते हैं कि यह किसी पटीकुलर प्लेस पर ही नहीं गिरता है, बारिश की तरह जहां-जहां गिरा है कितने एसे स्थान हैं और वहां पर कितना नुकसान हुआ है । दूसरे मित्रसेन जी ने जो बातें कहीं, उस समय की ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आदेश दिये जा चुके हैं और जहां कहीं यह आदेश न पहुंचे हों आप निश्चित रूप से उस जगह का नाम लिखकर हमें दे दें, हम वहां के जिलाधिकारी से पूछेंगे ही नहीं बल्कि उनका जवाब तलब करेंगे लेकिन उस निश्चित स्थान का नाम आप हमें अवश्य दे दें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर उत्तर प्रदेश जल निगम के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर लगभग एक महीने से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रहे हैं और इनके साथ ही विगत 4 दिनों से अवर अभियंताओं ने भी हड़ताल कर रखी है । सारा कामकाज ठप पड़ गया है । इससे पहले प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ जाने से सारे कुएं, गांव के तालाब आदि सब सूख जाने से भयंकर पेयजल संकट से आम जनता को गुजरना पड़ रहा था । शासन ने सूखा राहत कार्य में नलकूप व हैण्ड पम्प लगाने की योजना बनायी है । इस

पर जल निगम के कर्मचारियों द्वारा गांवों में ट्यूबवेल, हैण्ड पम्प आदि लगाने के कुछ कार्य चल रहे थे, लेकिन इनके हड़ताल पर चले जाने के कारण यह सारे कार्य बिल्कुल ठप्प हो गये हैं, जिससे आज पेय जल की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, और गर्मी आने वाली है। इस ओर बहुत बड़ा संकट जगह-जगह अभी ही उत्पन्न है। आम जनता व नागरिकों में इससे बड़ा क्षोभ व्याप्त है, इसीलिये मान्यवर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस अहम विषय पर चर्चा कराने व हड़ताली लोगों की मांग मानकर तत्काल पेय जलापूर्ति व्यवस्था ठीक कराने का कष्ट करें।

*श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर जो बात मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी ने कही है, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि आज 4 दिनों से समस्या और जटिल हो गयी है क्योंकि जल निगम के अधिशासी अभियंता भी हड़ताल पर चले गये हैं, जिससे वहां कोई ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं, सूखे के कारण गांव के कुएं व तालाब आदि सब सूख चुके हैं और हैण्ड पम्प आदि लगाने का जो कार्य जल निगम के कर्मचारी कर रहे थे, वह भी नहीं कर रहे हैं, जिससे समस्या और पानी की जगह-जगह पर बढ़ गयी है दूसरे हैण्ड पम्प लगाने का कार्य भी मान्यवर, इसी मौसम में हो पाता है, यह कार्य बरसात में नहीं हो पाता है क्योंकि बरसात के दिनों में पानी का स्टेटा ऊपर की ओर आ जाता है, इस कारण मान्यवर, लगभग 25 दिन या एक महीने होने को आ रहा है, सारे के सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं जिससे देहातों में किसानों को एक बूंद पानी नहीं मिल पाया है, इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए मान्यवर, आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही आज रोककर इस मामले पर चर्चा करा दें।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, यह सरकार सारे राज्य कर्मचारियों से झूठे वायदे तो कर लेती है, लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं करती है, जिससे यह कर्मचारी बाध्य होकर हड़ताल पर चले गये। एक ओर तो मान्यवर, प्रदेश की जनता सूखे से व्याप्त संकट में रही और 6 महीने से उसे पानी नहीं मिल पाया और इस सूखे से आज भी कई गांव मदारीपुर, बिसौंगा, तारापुर, दाहीनुमाया, मैनापुर, बंगरौली, पावन तथा नीवां आदि प्रभावित हैं और नीवां में 6 लोगों की मृत्यु भी हो गयी है और हैण्ड-पम्प का कार्य यदि कुछ होने वाला भी था तो वह इस हड़ताल के कारण नहीं हो पा रहा है, जिससे वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है, और लोग भुखमरी के कगार पर लोग पहुंच रहे हैं इसलिये यह संकट बहुत ही गम्भीर संकट है, और इस हड़ताल को जल्द से जल्द समाप्त कराया जाये, जिससे हैण्ड पम्प आदि लगाये जाने की कोई व्यवस्था हो सके, इसलिये इस गम्भीर प्रश्न पर चर्चा मान्यवर, कराने की कृपा करें।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर यह हड़ताल जो तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की चल रही थी और कुछ ड्राइवर्स भी हड़ताल पर थे, सीतरे और चौथे क्लास के कर्मचारियों से वार्ता हो रही है और उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, और ड्राइवर्स भी आज वापस ले लेंगे। वैसे यह सही है कि इस हड़ताल से कहीं-कहीं काम फील्ड में अवश्य प्रभावित हुआ है लेकिन पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हड़ताल के बावजूद भी कोई काम प्रभावित न हो। हड़ताल पर लोग गये हैं, उनसे बातचीत चल रही है और कोई न कोई नतीजा जल्दी ही निकलने वाला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आजकल पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पत्रकारों पर उत्पीड़न किया जा रहा है । मान्यवर, इसके मैं दो ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं । सरकार पत्रकारों को संरक्षण देने में विफल रही है । एक मामला झांसी का है । वहां पर एस0 एस0 पी0 कोई सिंह है, उन्होंने एक दरोगा से कहा कि यादव नाम के पत्रकार है, वह उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एशोसियेशन के महासचिव है, का इनकाउन्टर कर दो, हाथ पैर साड़ दो । उस दरोगा ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफीडेविट लगाया है कि एस0 एस0 पी0 ने उससे कहा कि इनकाउन्टर कर दो और गार पीट कर बन्द कर दो, दूसरी घटना बांदा जिले की है, प्रधान ने एक पत्रकार राम नारायण है, उनके साथ बुरा वर्ताव किया गया और मामला न्यायालय गया । जिला सत्र न्यायाधीश ने जजमेंट दिया है, उनको 8 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है और उस समय के जिलाधिकारी और एस0 डी0 एम0 के बारे में अपने जजमेन्ट में कहा है कि उनके मरवाने में उनका हाथ था । यह बात जजमेन्ट में स्वीकार की गयी है । इस मामले की स्वतंत्र एजेन्सी से या गुप्तचर विभाग से मामले की जांच करायी जाये और जिलाधिकारी तथा एस0 डी0 एम0 के विरूद्ध कार्यवाही की जाये । बांदा और झांसी के पत्रकार आन्दोलित है, वह धरना दे रहे है और उत्तर प्रदेश का पत्रकार समुदाय आज भयभीत है, उसके मन में असुरक्षा की भावना व्याप्त है न्यायाधीश ने अपने जजमेन्ट में भी कहा है, इसलिये मैं कह रहा हूं और मांग करता हूं कि आज इस सदन के अन्य कार्यों को रोक कर इस पर चर्चा करा दें जिससे जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है, उसकी रक्षा हो सके ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, अभी गुप्ता जी ने झांसी और बांदा के पत्रकारों के बारे में कहा सरकार इस बात में प्रयत्नशील है कि उसके जो सम्मानित पत्रकार है, जो कि लोक तंत्र के चतुर्थ स्तम्भ कहे जाते है, की पूरी सुरक्षा की जाये और उनका किसी प्रकार से उत्पीड़न न हो । माननीय गुप्ता जी ने दो एक स्पेसिफिक मामले बताये है । मैं उनको दिखवा लूंगा और जो दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी पत्रकार का उत्पीड़न न हो । माननीय गुप्ता जी ने पत्रकार यादव की बात कही है, उनका एक बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और वह सजायाफ्ता भी है, लेकिन फिर भी मैं इसको दिखवा लूंगा ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर ।)

एक सदस्य—

जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो मंत्री जी पत्रों का हवाला दे देते है, जांच नहीं कराते है . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठें । आपको नहीं बुलाया । ओझा जी, क्या व्यवस्था का प्रश्न है ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

निर्भीक लोग है, सरकार की कमियों को उजागर करने वाले है उन पर हमला कर हम लोगों की भी क्राइम हिस्ट्री है । जो विपक्ष में काम करने वाले लोग है, मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने संबंधित पत्रकार की क्राइम हिस्ट्री पेश कर दी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

वाले लोगों को मंत्री जी प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं । यह उल्टी बात कर रहे हैं, धमकाने डराने की बात कर रहे हैं । मान्यवर, मंत्री जी की इस बात को कार्यवाही से निकाल दिया जाय । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आज महत्वपूर्ण बजट है । इसलिये कोई व्यवस्था का प्रश्न न उठाये तो अच्छा है ।

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन्, माननीय गृह राज्य मंत्री जी जब खड़े हुए तो आधी देर तक वे समझदारी की बात करते रहे लेकिन बाद में आधी देर तक नासमझदारी की उन्होंने बात कह दी । श्रीमन्, अगर किसी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है, या कोई सजायाफ्ता है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी एस0 पी0 या एस0 एस0 पी0 को यह अधिकार है कि वह दरोगा से यह कहे कि उसका इन्काउन्टर करा दिया जाय या उसके हाथ पैर तोड़ दिये जायं । मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है । अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो कानून के तहत वह सजा पायेगा क्योंकि उसके ऊपर रिपोर्ट हो गई है लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि ऐसे आदमियों के लिये दरोगा यह कहे कि उसका इन्काउन्टर करा दिया जाय । इसलिए मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री ने एस0 एस0 पी0 की सफाई दी है । एफिडेविट में कहा गया है . . . (व्यवधान) । मान्यवर, इस तरह से होगा तो कोई पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेगा । रिपोर्ट दर्ज हो जायेगी, इन्काउन्टर हो जायेगा और गृह राज्य मंत्री सफाई पेश कर देंगे । यह तो कोई बात नहीं हुई । श्रीमन्, यह गम्भीर मामला है ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इसको हम दिखवा लेंगे और जांच करा लेंगे । निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होगी । मैंने यह निवेदन किया कि किसी भी प्रकार से सरकार का मकसद किसी पत्रकार को उत्पीड़ित करने का नहीं है । लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है उन बिन्दुओं पर भी हम इसको दिखवा लेंगे । एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह जो पत्रकार है वह किसी पत्र के मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, उन्नाव में एक मिश्रा दरोगा है....

श्री उपाध्यक्ष—

यह किस नियम के तहत आप यह उठा रहे हैं ?...(व्यवधान) जिस नियम के तहत आप बोल रहे हैं उसको पहले नोट कर लें ...मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं...(व्यवधान के मध्य)

श्री मनोहर—

[× × ×]...)

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप नियमों को देखें । अगर नियमों के तहत नहीं बोलेंगे तो इजाजत नहीं दी जायगी ।

(घोर व्यवधान)

यह आपके पड़ोस का मामला हो या कुछ हो । हाउस से कोई मतलब नहीं है ।

श्री मनोहर लाल—

आप मंत्री जी से इस्तीफा देने को कहें । अगर मेरी बात गलत निकलती है तो मैं इस्तीफा देता हूं ।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, यह उनके अगल-बगल का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगल-बगल का मामला है तो यह घर में करें । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप समय क्यों बरबाद कर रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, मेरा कार्यस्थगन का प्रस्ताव नियम 58 की जितनी भी ग्राह्यता की शर्तें हैं, उन सबको पूरा करता हूं । विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का होना चाहिए तो जो प्रश्न मैंने दिया है वह, अविलम्बनीय लोक महत्व का है क्योंकि कल राज्य सरकार ने तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि 15 मार्च को जो विपक्षी दलों और श्रमिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है वह विफल किया जाय । मेरा निवेदन है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रोफेसर लास्की के शब्दों में अपोजीशन के तीन ही काम हैं, सत्तारूढ़ दल की नीतियों की आलोचना करना उनका इस तरह से विश्लेषण करके समाज के सम्मुख रख दे ताकि सरकार की कृतियां जनता के सामने जा सके और तीसरा इन दोनों कार्यों के माध्यम से सरकार को सत्ता से हटाने और अपने को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना । मान्यवर, विपक्षी दलों ने तथा श्रमिक संगठनों ने कुछ मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया । आपको अधिकार है कि उससे आप सहमत न होकर अपनी बात कहें । लेकिन जिस तरह से निर्देश दिये गये हैं एक तो केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं कि इसे विफल बनायें, हमारी चिंता यह है कि केन्द्र सरकार का जो रवैय्या है वह प्रदेश सरकारों को अपनी जागीर बनाये हैं उसी रूप में वह ट्रीट करते हैं जो गलत है लेकिन वह विषय यहां बहस का मुद्दा नहीं है । मेरी परेशानी उन मुद्दों को लेकर है कि जो राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं, जिस तरह से उन्होंने 19 ता0 की रैली के संबंध में बसों के संबंध में निर्देश दिये थे उसी तरह के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये हैं । हर जिलाधिकारी को, एस0 पी0 को कहा गया है कि वह अपने मुख्यालय में रहेगा और एक कंट्रोल रूम बनायेगा उसमें एस0 डी0 एम0, तहसीलदार, सी0 ओ0 आदि एक-एक घंटे

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पर कंट्रोलरूम को गतिविधियों की इत्तलाह देंगे और वह वहां के कांग्रेस अध्यक्षों को संपर्क में रहेंगे, जहां पर चाहेंगे वहां पर दुकान खुलवायेंगे और पुलिस बल की मदद उसमें देंगे । इसके साथ ही जहां कहीं जिसे चाहेंगे उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा । इसी संबंध में हमारे फैजाबाद में जनता पार्टी के दो लोगों को जगदीश सिंह और सूर्य कान्त पाण्डेय को और कम्युनिस्ट पार्टी के राज बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया है । इस तरह से सारे प्रदेश में गिरफ्तारियां हो रही हैं ।

मेरा इतना ही निवेदन है कि हमारे संविधान में प्रदर्शन करने का शांतिपूर्वक धरना देने का शांतिपूर्ण बन्द के आह्वान करने का अधिकार दिया गया है । इसे नौकर-शाही की मदद से विफल करने का प्रयास करना उसमें प्रशासन की मदद लेना प्रजातन्त्र के लिये मौत की घंटी है डेथ नेल है । आप पत्रावली को मंगा कर देख लें उसमें जो केन्द्र सरकार के निर्देश हैं और जो राज्य सरकार के जिलाधिकारियों को निर्देश हैं वह क्या है तो आप स्वयं इस निश्चय पर पहुंचेंगे कि जनतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों पर किस तरह से कुठाराघात किया जा रहा है उसे किस तरह से दफनाया जा रहा है । तो मेरा निवेदन है कि इससे महत्वपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकती है । सारे कार्य को रोककर चर्चा की जाय । पुलिस का जो रवैया है उसी के कारण यहां पर अक्षयवर मल जी की मृत्यु हुई ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तिवारी जी हो गया आप बैठें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मुझे भी इस पर कहना है । मैं जब फैजाबाद से आ रहा था तो मुझे बताया गया कि अगर 15 तारीख को वापस आयेंगे तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जायेगा । हम लोगों के पास एक अधिकार है कि हम अपनी समस्याओं को यहां विधान सभा में उठायें और संविधान में हमें अधिकार दिया है कि जनहित में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर, धरना दें । 15 मार्च को जैसा कहा गया है भारत बन्द का आह्वान किया है उसे विफल करने के लिये विपक्षी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस विपक्षी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है । हमारी पार्टी के राज बहादुर जी को फैजाबाद में गिरफ्तार किया गया है और लोगों से भी कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर में भारत बन्द के आह्वान का प्रचार नहीं करेंगे । जिलों में प्रशासनिक इकाइयों को सतर्क कर दिया गया है, तहसीलों में आज काम नहीं हो रहा है, यहां तक कि ब्लाक लेवल के अधिकारियों को मुख्यालय पर बुलाकर जगह-जगह पर लगा दिया गया है, लोगों को बसों में चलने नहीं दिया जा रहा है । कहने का मतलब है कि जो आदेश इनके जिलाधिकारियों को गये हैं उनको आप फाइल मंगाकर स्वयं देख लें । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा करायें क्योंकि जो आदेश भेजे गये हैं वह प्रजातांत्रिक अधिकारों के विपरीत हैं ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, जो सूचना नियम 56 में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने दिया है कि 15 तारीख को बन्द का असफल करने के लिये सरकार दो तरह के काम कर रहा है— एक पार्टी स्तर पर और दूसरा सरकारी स्तर पर बन्द को असफल करने के लिये निपट रहो हैं । मान्यवर, यह पार्टी स्तर पर निपटें तो हमें कोई एतराज नहीं है । सरकार इस संबंध में गुंडों की फौज बनाकर झगड़ा कराना चाहती है जिससे विरोधी सदस्यों को गिरफ्तार किया जाये । सरकारी स्तर पर जहां छात्र नेता हैं, जैसे बलिया, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है । मान्यवर, रात में टेलीविजन पर दिखा रहे थे कि बन्द से कितने अरबों रुपये का नुकसान होगा । जब कांग्रेस रैली कराती है तो नुकसान नहीं होता है और जब हम रैली करना चाहते हैं तो सरकारी साधनों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करते हैं और प्रचार कराते हैं कि नुकसान होगा । इसलिये हम चाहते हैं कि इस पर आप चर्चा करायें और जिलाधिकारियों को जो निर्देश भेजे हैं उनको आप देख लें । पार्टी स्तर से जो गुंडा दल कायम किया है उसको कन्ट्रोल करने के लिये आप सरकार को निर्देश दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, डाक्टर अम्मार रिजवी को चिन्ता हो रही है कि आप चर्चा क्यों करा रहे हैं । लेकिन मान्यवर, अनेकबार इन्होंने घोषणा किया है कि उनका जनतंत्र में बहुत विश्वास है और डाडी मार्च का एक ऐसा भोंडा प्रदर्शन किया है जिस पर पूरी दुनिया हंस रही है । पूरे प्रदेश में चिन्ता की बात है, हजारों विपक्षी सदस्यों /कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है वह इसलिए कि बन्द सफल न हो । टी0 वी0 पर दिखा रहे हैं कि 750 करोड़ रुपये का बन्द से नुकसान हो जायेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने रैली कराई और 1900 सरकारी बसों एवं प्राइवेट बसों को लगाया तो कितने करोड़ रुपये का खर्चा हुआ था तथा पी0 ए0 सी0 और होमगार्ड्स को जो लगाया गया उस पर कितना खर्च हुआ ? मान्यवर, आज चिन्ता की बात है कि नौकरशाही को कांग्रेस दल का अंग बना लिया गया है और उसको कार्यकर्ता समझा जा रहा है, इसलिये नौकरशाही में गिरावट आ गयी है । जिलाधिकारियों को आदेश भेज दिया है कि बन्द को असफल करें और कांग्रेस अध्यक्ष के सम्पर्क में बने रहें और सूचना देते रहें । इसलिये यह गम्भीर विषय है कि यह सरकार हिंसा करानी चाहती है और मुझे आशंका है कि कल पूरे प्रदेश में यह सरकार हिंसा करायेगी पुलिस के जरिये, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए एवं सरकारी कर्मचारियों के जरिए, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संवेदनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप तत्काल चर्चा करायें अन्यथा यह जनतंत्र की हत्या करने में लगे हैं और उसको दफना कर मानेंगे क्योंकि इनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, सत्ता पक्ष में बैठे लोग इस समय केवल जनतंत्र की हत्या और पब्लिक फण्ड का दुरुपयोग—दो ही चीजें यह करना जानते हैं । 19 तारीख की रैली में यह प्रदेश की समस्त बसों को बुला लें, जिससे गरीबों की बारातें रुक जायं, मुरदे सड़क पर पड़े रह जायं । तब कितना बढ़िया है । हम अगर अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के उपयोग में एक शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहे हैं, तो इस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ? यह इनकी स्थिति है । जो तिवारी जी ने मामला उठाया है, जो निर्देश भेजे गये हैं, उससे यही अंदेशा पैदा हो रहा है कि जो इस विधान सभा के सामने माननीय

अक्षयवर मल्ल जी के साथ हुआ है, वह व्यापक रूप से किया जाने वाला है । जो उनके साथ हुआ और उनके दल के लोगों के साथ हुआ जिससे उनका निधन भी हो गया है, कल फिर यह उसकी पुनरावृत्ति करेंगे पूरे प्रदेश में । इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि इस पर आप चर्चा करायें, ताकि इनकी मंशा सदन में उजागर हो सके और प्रदेश की जनता उसे जान सके ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

ऐसा मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आपातकाल की घोषणा करने के मूड में है और उसकी वह पहले से योजना बना रही है । श्रीमन् वाणी की स्वतंत्रता पर रोक, चलने-फिरने पर रोक, संगठन बनाने पर रोक । यदि कल कहीं 15 मार्च को कुछ हो जाए और फिर उसके बाद गिरफ्तारी आदि हो तो उसका औचित्य समझ में आता है, लेकिन "बन्द" कल होगा और बातें कल यानी दो दिन पहले से यह गिरफ्तारियां हो रही हैं । तो श्रीमन्, आप ही बता दें कि हम विपक्ष के लोग क्या करें ? क्या हम सत्ता पक्ष की हां में हां मिलाकर वह कहें और करें जो यह चाहते हैं ? हम क्या कर रहे हैं हम यही तो कर रहे हैं कि इनके दल और इनके नेता ने बोफोर्स में दलाली का पैसा खाया है, देश का भ्रष्टाचार में अपने अंतिम चरण में पहुंचा दिया है, हम इसी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं । यदि इस पर सरकार रोक लगाना चाहती है तो आप ही बताए कि क्या करें । 15 मार्च का बन्द केवल इस बात पर है कि जो बोफोर्स सौदे में [× × ×] देश में बेकारी, मंहगाई और बेरोजगारी और चोर बाजारी अपनी चरम सीमा तक बढ़ी है । इस पर सरकार प्रतिबन्ध लगा रही है । सरकार यह चाहती है कि हम उस 'बन्द' को विफल करें । मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप इस पर चर्चा करायें, इसके अलावा कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने अभी प्रो0 लास्की की बात कही कि अपोजीशन का क्या रोल होना चाहिए, उसका क्या काम होना चाहिए । मैं समझता हूं कि यहां पर हर एक व्यक्ति उनकी इस बात से सहमत है और किसी को इससे इंकार नहीं है और जहां तक शांतिपूर्वक किसी डिमांस्ट्रेशन को करने का सवाल है, हर एक का यह अधिकार है और प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है । आपत्ति यह है कि वहां पर कन्ट्रोल-रूम बनाये जायें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस0 एस0 पी0 अपने-अपने जिलों में रहें और देखते रहें कि कोई अशान्ति न पैदा हो, न पैदा होने पाये । तो श्रीमन् यह तो प्रशासन की व्यवस्था है, जो हमेशा होती है । होली में होती है, दीवाली में होती है, मोहर्रम और ईद के अवसरों पर होती है । कुम्भ मेला के मौके पर होती है । जहां पर बाढ़ आती है वहां पर कन्ट्रोल-रूम की और तत्संबंधी व्यवस्था प्रशासन की ओर से होती है । सूखा पड़ता है तो कन्ट्रोल-रूम बनाया जाता है, ताकि शासन के पास सारी सूचनाएं रहें और जो प्रजातंत्र में इनको अपनी बात कहने का अधिकार है, डिमांस्ट्रेशन करने का अधिकार है, उसमें कोई अवरोध न उत्पन्न हो । इसलिए यह सारा कार्य किया जाता है । इसलिए नहीं किया जाता है कि किसी प्रकार की इन पर कोई रोक लगे, कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये । इन पर कोई प्रतिबन्ध इससे नहीं लगाया जा रहा है । यह तो एक प्रशासनिक प्रणाली है । कोई भी डिमांस्ट्रेशन होगा, यह होगा । क्या आपकी सरकार नहीं करती थी । जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ]—[×××] मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार वह अंश निकाल दिया गया ।

भी सरकार होगी, उसको यह करना पड़ेगा । राम गोविन्द चौधरी ने ग्राह्यता की बात करनी चाही थी, इधर-उधर की बातें कही उनको आप दिखवा लें । वह अपनी ग्राह्यता तक सीमित रहकर अपनी बात कहते, जैसा कि तिवारी जी ने कहा । राम गोविन्द चौधरी जी ने जो बातें कही हैं वह कुछ ऐसी बातें हैं, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं । उनको मान्यवर, सदन की कार्यवाही से खारिज किया जाये ।

(व्यवधान)

वह प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कहना चाहते थे, तो कहते—

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह बोल रहे हैं इनको सुन तो लें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सचिवालय के सामने एक दुर्घटना हो गई उससे सबको दुख है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको दुख न हो । लेकिन इसमें टीका-टिप्पणी यह की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों के विधान सभा तक आने तक पुलिस क्यों नहीं मौजूद थी, जो आपत्ति थी वह पुलिस के मौजूद न रहने की आपत्ति थी, लेकिन आज पुलिस मौजूद है तो भी इन्हें आपत्ति है । यह सारी व्यवस्था तो इसलिए की जा रही है कि सब शान्ति-पूर्ण तरीके से हो जाये । प्रजातंत्र में जो आपके अधिकार हैं उनका प्रयोग आप कीजिए । मान्यवर, 13 करोड़ का उत्तर प्रदेश का सूबा है । यह सातवां मुल्क है संसार का । न जाने कितनी गिरफ्तारियां होती हैं । (व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, एक विशेष दिन की रिपोर्ट आप देख लें तो कोई ऐसी पार्टी का व्यक्ति आप नहीं पायेंगे जो गिरफ्तार न हुआ हो या जिस पर कोई रिपोर्ट दर्ज न हुई हो । प्रजातंत्र में मान्यवर, जो इनका अधिकार है यह वह करें और प्रशासन का जो दायित्व है वह प्रशासन करेगा ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, मैंने तिवारी जी को भी सुना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को भी सुना इन्होंने कहा कि हमको जो कार्य करना है वह हम करें और शासन का जो काम है वह शासन करेगा । मान्यवर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं जो मेरे लिए एक गहरी चिन्ता का विषय है इनके यहां से एक सरकुलर जारी किया गया है उसमें जिलाधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वह कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों से सतत् सम्पर्क बनाये रखें अगर मान्यवर, यह कहा गया है तो इसको पढ़वाकर सुनवा दें (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, तिवारी जी ने कहा है कि इनके पास है । तो इन्हीं से मंगाकर यह पढ़ लें ।

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कोई ऐसा सरकुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों से सतत् सम्पर्क बनाये रखें ? यह बात मैं तिवारी जी से तो पूंछ नहीं रहा हूं यह इनसे पूंछ रहा हूं अगर ऐसा नहीं है तो यह न कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार से प्रशासकीय अधिकारियों को जो निर्देश गये हैं वह यह है कि शांति व्यवस्था बनायें रखें और सारी चीजें बनाये रखें कोई अवरोध उत्पन्न न हो । मान्यवर, प्रशासकीय अधिकारियों के बारे में इसके अतिरिक्त कोई सूचना कोई दे रहा है तो मान्यवर, उसको मंगाकर देख लें ।

श्री राम गोविंद चौधरी—

मान्यवर, यह जो निर्देश गये हैं इसको पढ़वा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूचना उनके पास थी वह दे दी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने और माननीय कल्यान सिंह जी ने एक बात पूछी थी । उसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री जी से दिलवा दें । यह सदन को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं । आपने जिलाधिकारियों को लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष से सम्पर्क बनाये रखें और उनको सूचना देते रहें । इसके बारे में जवाब दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूचना उनके पास थी, दे दी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो चीज वह सामने लाये हैं उसके सबूत देना हो तो कुछ दें । हमने तो जिलाधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि शासन को सुचारु रूप से चलाने और शांति व्यवस्था रखने के लिये जो कुछ वह मुनासिब समझें करें ।

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, एक मिनट मुझे सुन लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सब लोग एक साथ बोलेंगें तो कैसे सुनाई देगा ? सदन कैसे चलेगा ?

माननीय कल्यान सिंह जी की जो सूचना है उस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार की जाती है । माननीय अनुग्रह नारायण सिंह और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार की जाती है । बाकी सूचनायें अस्वीकार करता हूं ।

(मद संख्या 9 पुकारे जाने पर श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री मित्रसेन, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री भोपाल सिंह, श्री राकेश धर त्रिपाठी और गौरी शंकर भइया आदि अन्य सदस्य सदन के पटल पर आकर जोर-शोर से नारा लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया तथा व्यवधान के मध्य ही अनुदान प्रस्तुत किये गये)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) तथा अनुदान संख्या 75 (क)—सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 73,94,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(कई सदस्यों द्वारा नारे लगाते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 14,86,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(अत्यधिक शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

आप लोग अपने अपने आसन पर चलें तो सुनूंगा ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण

विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 8,03,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(कई सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे जिनको सुरक्षा गार्डों ने रोक लिया)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करिये मैं सुनूंगा ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक राशि की पूर्ति हेतु 17,21,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन-की पूर्ति हेतु 2,80,12,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75-क—सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य संपत्ति निदेशालय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 4,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके अंतर्गत बहुत से . . . . .

(श्री मनोहर लाल ने सदन में पत्रिका "रविवार" का अंक दिखाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग अपने आसन पर चलें मैं सुन लूंगा ।

(घोर व्यवधान उत्पन्न होने पर)

मैं हाउस को ढाई बजे तक के लिये एडजर्न करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई । 2 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है । तदोपरान्त 3 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मा0 भोला शंकर मौर्य अपना भाषण जारी रखें ।

(सर्वश्री हरेन्द्र सिंह, शारदा प्रताप, भोपाल सिंह, विजय सिंह राणा एवं अन्य कई सदस्य जो सदन के फ्लोर पर आये थे नारे लगाते रहे ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मान्यवर, जो आरोप लगाया गया, वह बिलकुल असत्य एवं निराधार है । जो आरोप का जिक्र किया गया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के बारे में, यह सरासर असत्य है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब पहले अपने स्थान पर बैठिये, तब कोई बात कीजिये ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग का वित्तीय वर्ष 1988-89 का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है । प्रदेश के बहुमुखी विकास के दृष्टिकोण से सार्वजनिक निर्माण विभाग यातायात के सुगम साधन उपलब्ध कराने हेतु सड़कों तथा पुलों का निर्माण तथा विभिन्न विभागों के आवासिक, अनावासिक, कार्यात्मक भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य करता है ।

(सदन के फ्लोर पर आए सभी सदस्य श्री दिवाकर विक्रम सिंह के प्रयास से अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो मामला उठाया, जिस पर हम लोगों ने आपसे निवेदन किया कि मा0 मंत्री जी ने जो भी आदेश भेजे हैं, उसकी प्रतिलिपि आपको दिला दें या फाइल आपको दिला दें लेकिन उस पर आपका कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है । आप निर्णय दे दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस प्रकार की कोई भी पालिटिकल पार्टी या किसी के बारे में सरकार से जो टैलेक्स गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया है ।

श्री शारदा प्रताप—

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैंने भी एक सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना का समय समाप्त हो गया, अब कल आएगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने काम रोको प्रस्ताव के अन्तर्गत अपने जिले का एक महत्वपूर्ण मामला दिया था । आपने कह दिया कि कोई व्यवस्था नहीं है । आप सुन तो लें, यह हमारा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था नहीं है ।

(श्री हरेन्द्र सिंह, श्री भोपाल सिंह एवं अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर पर पुनः आ गये, किन्तु श्री रिछपाल सिंह बंसल के प्रयास से अपने आसन पर वापस चले गये ।)

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इस प्रदेश में पक्के मार्गों की कुल लम्बाई केवल 5,113 कि0 मी0 था । दिनांक 1 अप्रैल, 1988 को यह लम्बाई लगभग चौगुनी हो जायगी । इसके अतिरिक्त विभाग के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में लगभग 6,400 कि0 मी0 कच्चे मार्ग, लगभग 13,000 कि0 मी0 खड़ंजा स्तर के मार्ग एवं पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 5,000 कि0 मी0 कच्चे मार्ग तथा लगभग 3,600 कि0 मी0 पैदल मार्ग हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं विरोध स्वरूप सदन से बहिष्कार कर रहा हूं ।

(श्री हरेन्द्र सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, प्रदेश में कुल गांवों की संख्या 1,12,566 है, जिनमें से छठी योजना के अन्त तक केवल 43,808 गांव सब ऋतु योग्य मार्गों से जुड़ पाये हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 49,975 गांवों को मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है तथा मार्च, 1988 के अन्त तक जुड़ने वाले कुल गांवों की संख्या लगभग 47,600 हो जायगी । 1,500 से ऊपर आबादी के कुल 10,899 गांव हैं जिसमें छठीं योजना तक 7,731 गांव मार्गों से जोड़े गये हैं । सप्तम योजना के अन्त तक शेष सभी गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है । इस लक्ष्य के विपरीत मार्च, 1988 के अंत तक लगभग 9,775 गांव मार्गों से जुड़ जाने की संभावना है । इस गति से सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त हो जायगा । 1,000 से 1,499 के बीच की आबादी वाले कुल 11,396 गांव हैं जिसमें से छठीं योजना के अन्त तक 4,894 गांव जोड़े जा चुके हैं । वर्ष 1987-88 में 400 और गांवों को मार्गों से जोड़ दिया जायगा तथा वर्ष 1988-89 में 480 गांव जोड़ने का लक्ष्य है । ग्रामीण मार्गों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र की सड़कों के सुधार की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है । महत्वपूर्ण मार्गों के सुदृढ़ीकरण का कार्य नयी प्रणाली के अनुसार किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 74 कि0 मी0 कार्य किया जाना प्रस्तावित है जिस पर 3.50 करोड़ रुपये का व्यय होने की सम्भावना है। वर्ष 1988-89 में 235 कि0 मी0 का कार्य आधुनिक तकनीक द्वारा किये जाने का लक्ष्य है तथा इस कार्य पर लगभग 10.00 करोड़ रुपये का व्यय सम्भावित है । महत्वपूर्ण राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों, जिन पर यातायात का अधिक महत्व है, का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है । इसके साथ बहुत से मार्गों का मशीनों द्वारा उच्चीकरण किया गया है । इस कार्य पर वर्तमान में 44 हाट मिक्स प्लान्ट कार्य कर रहे हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1,000 कि0 मी0 प्रमुख जिला मार्गों का राज्य मार्गों में परिवर्तित किये जाने का लक्ष्य है जिसमें 400 कि0 मी0 का परिवर्तन वर्ष 1987-88 में किया जा रहा है । शेष 340 कि0 मी0 वर्ष 1988-89 में तथा 260 कि0 मी0 वर्ष 1989-90 में करने का लक्ष्य है ।

प्रदेश में बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के सुधार हेतु 15.042 करोड़ रुपये की लागत पर योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । इस योजना के अन्तर्गत 151.125 कि0 मी0 मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । जनवरी, 1988 के अन्त तक लगभग 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्ष 1987-88 में उक्त कार्य पर लगभग 5.00 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है । इससे विदेशी पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा अधिक प्राप्त की जा सकेगी ।

मान्यवर, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में कुल 14.06 करोड़ रु0 की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है जिसमें 3.35 करोड़ रुपये मूल्य के 14,634 मी0 टन गेहूं तथा 5,846 टन चावल की लागत भी सम्मिलित है । नवम्बर 1987 तक 417 कि0 मी0 में मिट्टी (पुलियों सहित) का कार्य तथा 608 कि0 मी0 में सोलिंग का कार्य किया जा चुका है । योजना के प्रारम्भ से नवम्बर 1987 तक स्वीकृत 7,487 कि0 मी0 कार्य के विरुद्ध 6,856 कि0 मी0 मिट्टी (पुलियों सहित) तथा 5,800 कि0 मी0 खड़ंजा कार्य हो चुका है । योजना के प्रारम्भ में अब तक 322 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूरापूरा भाषण पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं, आप कृपया सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें । सुरेन्द्र सिंह जी आप बैठें । जब माननीय मंत्री जी का भाषण खत्म हो जायेगा, उसके बाद आप अपनी बात कह लीजियेगा ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, नई रेवेटोरेल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कहना चाहता हूं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,500 से अधिक आबादी वाले शेष समस्त गांवों को मार्गों से जोड़ने हेतु अभी हाल में 54.06 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की गयी है एवं कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । इस वर्ष इसके अन्तर्गत 1500 कि0 मी0 में मिट्टी एवं 200 कि0 मी0 में खड़ंजा लगाने का कार्य किया जा रहा है ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री रिछपाल सिंह बंसल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मान्यवर, यह पूरा-पूरा पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय पाण्डेय जी, मंत्री जी बैठ जायेंगे, तब ही आपको मौका दे पाऊंगा ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 12 जनपद आगरा, बांदा, इटावा, कानपुर, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, बदायूं, एटा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी यह डाकू समस्या से

प्रभावित घोषित हैं । इन जनपदों में मार्गों एवं पुलों के निर्माण हेतु विशेष योजनायें स्वीकृत की गयी हैं । इस योजना के प्रथम चरण में चार जिले इटावा, आगरा, मैनपुरी तथा जालौन लिये गये हैं । मध्य प्रदेश तथा उ0 प्र0 की सीमाओं से लगे हुए 3 जिलों इटावा, आगरा तथा जालौन में कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, जो प्रगति में हैं । इन योजनाओं पर व्यय की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत अंश भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार वहन करती है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप इसे सुनें ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मान्यवर, यह पूरा-पूरा भाषण पढ़ रहे हैं । इन्हें आप बैठायें । भाषण को पढ़ा हुआ मान लें ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वे कृपया माननीय मंत्री जी की बात को सुनें ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

वह पूरा-पूरा पढ़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का तरीका ही ऐसा है अपनी बात कहने का, वे देखते ही उस तरफ हैं, पढ़ नहीं रहे हैं ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विभिन्न भवन निर्माण योजनाओं जैसा महत्वपूर्ण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या इस सदन में लिखा हुआ पूरा का पूरा भाषण पढ़ा जा सकता है इस तरह से ? माननीय मंत्री जी लगातार सिर नीचे किये हुए भाषण की एक-एक लाईन पढ़ रहे हैं । आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

वे पेपर्स को तो देख ही सकते हैं, उससे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, वे उन पेपर्स से सहायता प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, मैं भवन निर्माण योजनाओं की बात कह रहा था । मान्यवर, अष्टम वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा 7,121 भवन इकाइयों का कार्य किया जाना है, जिसमें से मार्च, 1988 तक 2264 के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 1987 तक 1,799 इकाइयों का कार्य पूर्ण हो चुका है । वर्ष 1988-89 में अवशेष 4,857 इकाइयों के पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

मान्यवर, प्रदेश में सूखा तथा बाढ़ राहत कार्यों की समस्या खासतौर से रहती है । मान्यवर, इस वर्ष प्रदेश में शताब्दी का भयंकरतम सूखा पड़ा है । सूखा राहत कार्य के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को 23.50 करोड़ रु0 मिले थे, इसका प्राविधान हुआ था । मान्यवर, अभी तक 16 करोड़ रु0 का व्यय किया जा चुका है और 12.50 लाख मानव दिवस सृजित हो चुके हैं । इसके अन्तर्गत यह भी बताना चाहूंगा कि 1,147 गांवों को मिट्टी के मार्ग से जोड़ दिया जायेगा और 2,657 कि0 मी0 सड़क बनेगी । इसी वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा करने जा रहे हैं । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 1987-88 में वर्षा व बाढ़ से मार्गों, पुलों एवं भवनों को हुई क्षति की मरम्मत हेतु कुल 406 लाख रु0 की केन्द्रीय सहायता भी प्राप्त हुई है, इस धनराशि से कार्य कराया जा रहा है । मान्यवर, मैं वर्ष 1988-89 के कार्यक्रम की बाबत भी कहना चाहूंगा । मान्यवर, इसमें पुलों के निर्माण हेतु 37 करोड़ 66 लाख 2 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है, नई सड़कों के निर्माण हेतु 38 करोड़ 92 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह भी बताना चाहूंगा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में दिनांक 1-4-87 को अवशेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 399 यूनिट, सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर की 26 यूनिट, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की 452 यूनिट तथा परिवार कल्याण उप केन्द्रों की 51 यूनिट शेष थी जिसमें से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की 360 यूनिट सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर की 16 यूनिट, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की 308 यूनिट तथा परिवार कल्याण उप केन्द्र की 44 यूनिटों को इस वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवनों हेतु 105 लाख रु0 का प्लान परिव्यय रखा गया है । अब मान्यवर पूल्ड आवास जिला सेक्टर में बनाये जायेंगे । मान्यवर, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए 17 करोड़, 76 लाख, 79 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । अन्य विभागों की योजनाओं के लिये हमने 44 लाख, 34 हजार रुपये का प्राविधान किया है । सड़कों तथा पुलों के विकास एवं पुनर्निमाण के लिये 22 करोड़, 26 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । विशेष उपकरण एवं संयंत्रों के लिये 1 करोड़, 56 लाख रुपयों का प्राविधान किया गया है । इसी मद के आयोजनेतर में 55 लाख, 30 हजार का प्राविधान है । इसी प्रकार सर्वेक्षण तथा अन्य कार्यों के लिए 30 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । शोध एवं विकास से सम्बन्धित कार्यों के लिये 37 लाख, 97 हजार रुपये रखे गये हैं । राज्य पुल निधि के लिए 1 करोड़, 38 लाख, 30 हजार रुपयों का प्राविधान किया गया है । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये 28 करोड़, 14 लाख रुपयों का प्राविधान किया गया है । अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों के लिए नान-प्लान में 84 करोड, 73 लाख, 80 हजार रुपयों का प्राविधान किया गया है । केन्द्रीय सड़क निधि के लिये नान प्लान में 16 लाख, 62 हजार रुपयों का प्राविधान किया गया है । इसी प्रकार रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिये नान प्लान में 4 करोड़, 60 लाख, 27 हजार रुपयों का प्राविधान है । सामरिक तथा सीमावर्ती सड़कों के लिये नान प्लान में 1 करोड़, 21 लाख, 3 हजार रुपयों का प्राविधान किया गया है । दैवी आपदाओं के लिये नान प्लान में 1 करोड़,

98 लाख रुपयों का प्राविधान किया गया है । भवन निर्माण तथा अनुरक्षण के कार्यों के लिए आयोजनागत में 24 करोड़, 40 लाख, 99 हजार रुपयों का प्राविधान है और इसी मद के आयोजनेतर में 8 करोड़, 79 लाख, 58 हजार रुपयों का प्राविधान किया गया है । सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के लिए 8 लाख, 97 हजार रुपयों का प्राविधान है इसी मद के आयोजनेतर में 73 करोड़, 85 लाख, 90 हजार रुपयों का प्राविधान किया गया है ।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

वर्ष 1988-89 के लिये सड़क एवं पुलों के जो नये कार्य होने हैं, उनके लिये 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा रहा है । आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये के नये कार्य भी किये जाने का प्रस्ताव है । इसी प्रकार जिला सेक्टर के अन्तर्गत भी 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था आयोजनागत कार्यों के लिये की गयी है । राष्ट्रीय मार्गों के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सीमा में कुल 11 राष्ट्रीय मार्ग हैं । इनकी कुल लम्बाई 2,754 किलोमीटर है । हमने एकपक्षीय मार्गों को चौड़ा करने के लिये 59 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है और इसी तरह एकपक्षीय मार्ग को चौड़ा एवं उसके सुदृढ़ीकरण के कार्य को करने का 4 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसी तरह से वर्तमान कमजोर मार्गों के सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिये 180 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त हमको विश्व बैंक से भी सहायता प्राप्त हुई है इसमें 41.6 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत हो चुकी है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, भगवान की दया से मंत्री जी तो जैसे तैसे हैं । लेकिन यह जो मंत्री जी बैठे हैं, वह जो आचरण दिखा रहे हैं और इनकी तरफ के सब लोग मेजें थपथपा रहे हैं, यह उचित नहीं है । यह अम्मार साहब बैठे हैं जो कि बहुत अनुभवी आदमी हैं । लेकिन पता नहीं क्यों हल्ला किये जा रहे हैं । हम लोगों को कुछ सुनने में आ ही नहीं रहा है कि मंत्री जी क्या बोल रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी ने जो सुझाव दिया है कि हम लोगों को शान्त रहना चाहिये और माननीय मंत्री जी जो भाषण दे रहे हैं, उसको सुनना चाहिये । लेकिन माननीय मंत्री जी का भाषण इतना जोरदार है कि हमारी तरफ के माननीय सदस्य अपने पर काबू नहीं रख पा रहे हैं इसलिये ऐसा हो रहा है । लेकिन मैं आपके माध्यम से सारे सदन से यह अपील कर रहा हूं कि यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्य अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें और माननीय मंत्री जी का कोई जवाब हो सकता है, तो वह राम शरण दास जी ही हो सकते हैं ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो प्रतिष्ठान हैं, जिनके बारे में मुझे निवेदन करना है । हमारा जो सेतु निगम है, वह आज राष्ट्रीय स्तर का नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का निगम बन चुका है । इसके द्वारा ऐसे-ऐसे काम किये गये हैं, जिसके द्वारा हमने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी नाम कमाया है । आज ब्रिज कारपोरेशन की वजह से विदेशों में उत्तर प्रदेश के नाम को जाना जाता है । इसने उत्तर प्रदेश में 1986-87 में 52 करोड़ रुपये के 46 कार्य किये और 1987-88 में 60 करोड़ रुपये के 54 कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । इन 15 वर्षों में, जबसे इसकी स्थापना हुई, इस निगम ने अपने कार्य में 10 गुना वृद्धि की है । यह एक बहुत बड़ी

उपलब्धि है । इसी प्रकार मान्यवर, इस निगम ने 5 दिन में एक सेतु बनाने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है । यही नहीं, इस निगम द्वारा विदेशों में जो कार्य किये जाने थे, उसमें इसे 124 करोड़ रुपये के 31 कार्य करने थे, जिसमें से यह निगम 112 करोड़ रुपये के 29 कार्य पूरे कर चुका है । इस निगम ने केवल इस प्रदेश में ही नहीं अपितु आसाम, बिहार, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, गोवा आदि राज्यों में भी काम किये हैं । इसमें मान्यवर, विजयवाड़ा में 12 करोड़ रुपये की लागत से इस निगम ने एक पुल बनाया था इसकी सराहना महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी पुरजोर शब्दों में की थी ।

इस निगम ने केरल में भी पुल बनाया, इसे 48 महीनों में पूरा किया जाना था, किन्तु इसे 28 महीनों में पूरा कर लिया, यह भी एक कीर्तिमान है । इसकी प्रशंसा वहां की सरकार ने, वहां के निवासियों ने की है । इसी कारण आज हमारा यह निगम केवल प्रदेश स्तर का नहीं रह गया है, राष्ट्रीय स्तर का नहीं रह गया है, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है । इसी प्रकार इसकी बहुत सी और उपलब्धियां हैं, जिनके बारे में मैं विस्तार से न बताकर, बहुत संक्षेप में कहूंगा । अभी हमारी भारत सरकार ने और नेपाल ने जो योजनायें बना रखी हैं, उसके लिये 10 करोड़ रुपये का महाकाली प्रोजेक्ट का काम भी सेतु निगम को दिया गया है और नेपाल सरकार जिन योजनाओं के लिये खुद धन दे रही है, उसका काम भी सेतु निगम को दिया गया है । यह बहुत बड़ा कीर्तिमान इस निगम ने स्थापित किया है । आज हर प्रदेश में यह निगम निर्माण कार्यों पर लगा हुआ है । इसका एक लक्ष्य है कि लोगों को समय से और कार्य की गुणवत्ता बनाये रखकर काम करना है ।

मान्यवर, इसी तरह से, मैं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के बारे में कुछ अर्ज करना चाहूंगा । यह निगम 1975 में स्थापित हुआ था । इसका एक लक्ष्य है कि हमारे भवनों का जो निर्माण हो, उनमें अच्छा से अच्छा काम हो । साथ ही साथ जहां भी काम हो, वह बहुत अच्छी क्वालिटी का हो और लेटेस्ट टेक्नोलाजी का हो । इस तरह से मान्यवर, जो भवन बन रहे हैं और जो डिजाइन लेटेस्ट आई है, वह सबसे पहले यहां पर आई है । आज बहुमंजिला इमारतों के लिये आज हमारे प्रदेश में जो यह निर्माण संस्था है, इसकी तुलना कहीं से नहीं हो सकती है । मान्यवर, इस निगम को 7 अंचलों में बांटा गया है । दिल्ली में एक अंचल है । उत्तरी अंचल देहरादून में है, उत्तर पश्चिम अंचल बरेली में है, मध्य अंचल लखनऊ में है, मध्य दक्षिण अंचल लखनऊ में है, उत्तर पूरब अंचल लखनऊ में है । दक्षिण पूरब अंचल इलाहाबाद में है । इस निगम की 63 इकाईयां हैं । 5 इकाईयां प्रदेश से बाहर कार्य कर रही हैं, एक इकाई चंडीगढ़ में है और 4 इकाईयां दिल्ली में कार्यरत हैं । इस तरह से यह निगम ठेके के द्वारा जो कार्य प्राप्त करता है, बहुत बड़े कम्पटीशन के साथ उसको प्राप्त होते हैं । वह सीधे-सीधे, जो धन है, क्लाइंट से बिलों के द्वारा उनके पास आ जाता है । इनका जो खास एचीवमेन्ट रहा है, वह यह है कि बहुत बड़े-बड़े काम हमारे यह करता है । 87-88 में 600 लाख रु0 का अनावासिक भवन निर्माण का कार्य, 13 जिलों में नवोदय विद्यालयों के बनाने का काम इन्होंने 3900 लाख रु0 से प्रारम्भ किया है । लखनऊ से निनहट-देवा रोड पर 190 लाख रुपये का अपट्रान प्रोजेक्ट है, बहुत तेजी से इसमें काम चल रहा है । 86-87 में निगम ने 8853 लाख रु0 का कार्य सम्पादित किया और 722 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है । 87-88 में निगम ने 9150 लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विपरीत अभी तक 6784 लाख रुपये का टर्नओवर कर चुके हैं । आशा है इस वर्ष जो लक्ष्य रखा है, उसे यह निगम पूरा कर लेगा । साथ-साथ जो प्राफिट की दर रखी है, लाभ कमाया है, मैं समझता हूं कि वह मैण्टेन रहेगा । इसी तरह से लखनऊ में ध्यानचन्द स्टेडियम को अन्तर्राष्ट्रीय

टूर्नामेण्ट से पहले 5 महीने से कम समय में बना कर निगम ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और अत्यन्त सराहनीय काम किया है । प्रदेश सरकार ने वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का नगद पुरस्कार दिया है । यह संस्था प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण की बड़ी इकाई के रूप में उभर कर सामने आयी है । निगम ने अब तक 65,013 लाख रुपये का कार्य प्राप्त किया है । वर्ष 1988-89 में निगम द्वारा 9500 लाख रुपये का टर्न-ओवर करने का लक्ष्य रखा गया है ।

डिजाइन के कार्य को गति प्रदान करने हेतु निगम द्वारा कम्प्यूटर डिजाइन की व्यवस्था की गई है । निगम के विषय में एक विशेष बात यह रही है कि पिछले 12 वर्षों के कार्य-कलापों के बाद इसका किसी क्लाइंट से कोई विवाद नहीं रहा है ।

हमारा अन्वेषणालय है, जिसके द्वारा भवनों और सड़कों की क्वालिटी में जो सामान प्रयोग में आता है जैसे सीमेन्ट, ईंटा, बालू तथा बिटुमिन आदि, उनका परीक्षण करते हैं । यह सुविधा निर्माण में संलग्न अन्य विभागों को भी उपलब्ध कराई जाती है । टेक्निकल सेल, विजलेन्स, पुलिस तथा अन्य विभागों से प्राप्त फोरेंसिक सैम्पल्स के परीक्षण के परिणाम भी उन्हें उपलब्ध कराये जाते हैं । यह सुविधा गैर सरकारी संस्थानों एवं व्यक्तियों को भी उपलब्ध है । दूसरी जो संस्थायें हैं, उनके भी सैम्पल्स इसमें टेस्ट करते हैं और उनका जो परिणाम है, उससे अवगत कराते हैं । अब इसके कार्य को सुधारने के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी है, टाइम बाउण्ड सैम्पल टेस्ट करने का बनाने जा रहे हैं । इसका उद्देश्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं स्तर को उन्नत बनाना तथा आधुनिक तकनीकों ज्ञान प्रदान करना है । जो लोग यहां लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा सजग रहें, इसके लिये प्रयत्नशील हैं । इस तरह से हमारा रिसर्च और डेवलपमेन्ट का सेन्टर है । इसमें अभी तक भारत सरकार की सहायता से 54 जिलों में यह प्रयोगशालाएं खोली जा चुकी हैं, जिसमें रिसर्च का काम करने के साथ-साथ सेमीनार, और उसमें जो भाषण करते हैं, उसमें क्षेत्रीय अभियन्ताओं को बहुत ज्यादा लाभ होता है । जो सेमीनार आयोजित किये जाते हैं उसमें वे अपनी कठिनाइयों को बतलाते हैं और उनका निराकरण वहीं पर एक्सपर्ट लोग करते हैं और उनकी बातों का जवाब भी दे देते हैं । साथ ही साथ यह भी प्रबन्ध किया गया है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनकी भी प्रशंसा की जाती है । इसके अलावा इसके साहित्य का प्रचार और प्रसार भी कराया जाता है, इंजीनियर क्लास के लोगों की ज्ञानवृद्धि इससे हुई है । इसके अलावा निचले स्तर पर जो हमारे निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भूगर्भीय समस्याओं के बारे में सुझाव दिये गये हैं और उससे लोगों को काफी मदद मिलेगी ।

गान्यवर, इस विभाग का व्यवस्थापन बहुत पुराना था, सरकार ने इसे विचार करके और बहुत सोच समझ कर इसे आगे बढ़ाने के लिये स्तर (दो) के चीफ इंजीनियर का पद सृजित किया है । केवल एक मण्डल मुरादाबाद ऐसा है जहां पर लेविल दो का चीफ इंजीनियर पोस्ट नहीं किया जा सका है और सब जगह पर, सारे सर्किलों में यह इकाई स्थापित कर दी गयी है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अब तक जितने टेम्परेरी पद चले आ रहे थे उनको परमानेन्ट किया गया है । हमारे अधिकारी/कर्मचारी जो कि अस्थायी थे उनको स्थायी किया गया है । वर्ष 1984-85 में 5 वृत्तों एवं 32 खण्डों को स्थायी करने के फलस्वरूप राजपत्रित अधिकारियों के 165 पद अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 1,559 पद, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 195 पद एवं 13 पद कार्य प्रभारित कर्मचारियों के स्थायी किये गये हैं । इन स्थायी पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थायी किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है ।

इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार निवारण एवं स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित करने हेतु जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई उनमें नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है । अब तक निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और उन्हें दण्डित भी किया गया :—

दण्ड	राजपत्रित अधिकारी	अन्य कर्मचारी
चेतावनी तथा निन्दित	46	300
प्रतिकूल प्रविष्टि	44	9
वेतन वृद्धि रोकी गयी	17	22
सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोका गया	10	5
वसूली की गयी	11	9
निलम्बित किये गये	16	11
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति	—	—
पेन्शन से कटौती	1	—
	145	356

इस तरह से कुल 501 अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ।

इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1987-88 में 119 कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ।

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा लखनऊ में मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था, कार्यालय के प्रयोग हेतु भवनों की व्यवस्था की जाती है । छठी पंचवर्षीय योजना में नई दिल्ली में यू0 पी0 निवास, यू0 पी0 भवन, नैनीताल क्लब भवन, कलकत्ता में एक अतिथिगृह तथा लखनऊ में एक अतिथि-गृह था । सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई दिल्ली में एक तीसरे अतिथिगृह यू0 पी0 सदन का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें एक सूट महामहिम राज्यपाल के लिए, एक सूट माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये, 16 मंत्रियों के सूट्स, 25 अधिकारियों के सूट्स तथा 150 व्यक्तियों की क्षमता का एक कांफ्रेंस हाल का प्राविधान किया गया है ।

लखनऊ में दो करोड़ की लागत पर एक अतिथिगृह (अतिविशिष्ट) का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति के लिये एक सूट, प्रधान मंत्री के लिये एक सूट, केन्द्रीय मंत्रिगणों के लिये 7 सूट तथा 10 सूट्स अतिरिक्त का प्राविधान किया गया है । इसकी अतिरिक्त डालीबाग, लखनऊ में 56 सूट्स के एक अतिथिगृह का निर्माण कराया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास है ।

छठीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न श्रेणी के कुल 4102 आवास तथा 608 विधायक कक्ष थे । सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न श्रेणी के 5380 आवासों तथा 150 विधायक सूट्स का निर्माण क्रय कराया जाना प्रस्तावित है जिसमें वित्तीय वर्ष 1987-88 तक विभिन्न श्रेणी के 843 आवासों का निर्माण/क्रय किया गया है । वित्तीय वर्ष 1988-89 में 390 आवासों का निर्माण/क्रय प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त डालीबाग लखनऊ में 28 सूट्स एक ट्रांजिट होस्टल का

निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है और इसी तरह से डालीबाग में 28 सूट्स का एक ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कार्य वर्ष 1988-89 तक पूरा कर लेंगे और छठीं पंचवर्षीय योजना में इन कार्यों में जो शिकायतें रहीं कि भवनों व निवासों के स्तर में गिरावट है, इस ओर भी काफी सुधार किया गया है और आज भी हम इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी गुणवत्ता और स्तर हमारे हर कार्य में रहे और मा0 सदस्यों से चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष से सभी से हमारा यह निवेदन है कि वह हमें कुछ रचनात्मक सुझाव दें जिससे हम अपने कार्य को और गति दे सकें और साथ ही में यह भी आप सभी का आश्वासन देना चाहूंगा कि आपके जो भी अच्छे सुझाव होंगे, उन पर हम अवश्य विचार करेंगे और जिस स्थान की स्पैसिफिक शिकायत आपकी वास्तविक रूप में होगी, उस पर भी आवश्यक रूप से कार्यवाही होगी । वैसे इस विभाग के बारे में आज भी लोगों की यही धारणा है कि सड़कों के निर्माण का कार्य व भवनों के निर्माण का कार्य जितना इस विभाग द्वारा अच्छा हो रहा है, उतना दूसरे विभागों द्वारा नहीं, यही कारण है कि आज हरेक यही कहता है कि सड़कें और भवन आदि बनवायें तो वह पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा ही बनवायें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने हमारी बातों को सुना और आशा है कि इसी प्रकार से आगे भी आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा, धन्यवाद ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, अनुदान संख्या 71—75-क के अनुदानों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और मैं समझता हूं कि इसकी सड़कों द्वारा ही सामाजिक और आर्थिक विकास लोगों का होता है इस प्रकार से समस्त प्रदेश का विकास इससे जुड़ा हुआ है । और भी इसमें कई महत्वपूर्ण विभाग हैं जैसे सेतु निगम है, निर्माण निगम है, समस्त विधायक निवास हैं तथा राज्य संपत्ति विभाग है और भी तमाम विभाग इसके अन्तर्गत हैं और दिल्ली में यू0 पी0 निवास और यू0 पी0 भवन हैं, लेकिन मान्यवर जहां तक मैं समझता हूं कि इस समय हालत सभी की खराब है, लेकिन मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि हर जगह का स्तर बढ़ा है, यह स्तर बढ़ा नहीं है, बल्कि हर जगह के स्तर में गिरावट आयी है, आप कहीं भी देख लीजिये और न मालूम कितने फर्जी बिल इस विभाग में बनाये जाते हैं, कहीं रंगाई का, कहीं पुताई का ।

इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा कुछ न कहकर अपने समय को नष्ट करना नहीं चाहता क्योंकि इस सम्बन्ध में यहां पर बैठे सभी मा0 सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं । यू0 पी0 निवास और यू0 पी0 भवन को ही देख लीजिये, हर जगह के इस प्रकार के भवनों से हमारे यहां के ही यह दोनों भवनों की हालत ज्यादा खराब है, इस सम्बन्ध में यहां पर जितने भी माननीय सदस्य व मंत्रीगण बैठे हैं, सभी जानते हैं, क्या हालत है यहां के खाने की सब्जियों दाम भी पहले से बढ़ा दिये गये हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी अपने इस विभाग की बराबर समीक्षा कर रहे हैं, अगर यही व्यवस्था और स्तर आपका अच्छा है, तो आपको ही मुबारक हो, लेकिन मान्यवर सच्चाई कुछ और है आप देखें कि 1957 में एक बाम्बे कमेटी और नागपुर 1943 में नागरपुर कमेटी बनी थी, जिसमें देश व प्रदेश की सड़कों के प्लान बनाये गये थे, जिसमें 20 प्रदेश के मुख्य अभियन्ताओं ने बैठकर बनाया था जो वर्ष 1943 में प्लान बना था उसमें जो टारगेट रखा गया था वह घनत्व 16 किलो मी0 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रखा गया था । 1957 में बम्बई में सारे मुख्य अभियन्ताओं की बैठक हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और यह बैठक बम्बई योजना के नाम से जानी जाती है । यह योजना 20 साल के लिये बनायी गयी थी और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की सड़कों का घनत्व 32 किलोमीटर प्रति सौ वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रखा गया । बम्बई योजना के अनुसार अगर सड़कों की लम्बाई आंकी जाये तो उत्तर प्रदेश में 94,200 किलोमीटर सड़कें होनी चाहिए । मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, उनका स्रोत भी बता दूं । यह आंकड़े 7 वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सौंपा है, यह उसी के आंकड़े हैं । 1947 में 15,113 किलोमीटर सड़कें थीं और 1981 तक 94,200 किलोमीटर सड़कें हो जानी चाहिये, बम्बई योजना के मुताबिक, लेकिन आपकी सड़कों की हालत क्या है, 1947 में प्रदेश की जो सड़कें थीं उनकी कुल लम्बाई 15 हजार 112 किलोमीटर थी और 1980 में 58,409 किलोमीटर सड़कें हो गयीं । 6ठीं योजना में जो लक्ष्य रखा गया था वह 58,406 किलोमीटर रखा गया था ।

आज मंत्री जी ने बजट पेश किया है और बड़ी खूबसूरती से सड़कों की लम्बाई के आंकड़े नहीं बताये और कह दिया कि चौगुनी हो गयी हैं, बड़े तेज मंत्री हैं और सरकार बड़ी तेज है । कुल 62,000 किलोमीटर सड़कें हैं, वह भी अभी तक बनी नहीं हैं । एक साल पहले 62 हजार किलोमीटर लम्बाई का आंकड़ा दे चुका हूं । 7वीं योजना में सड़कों की लम्बाई का 72,000 किलोमीटर के लगभग आपने लक्ष्य रखा था और आप यह भी जानते हैं कि आज तक 62,000 से ज्यादा सड़कें नहीं बन पायी हैं । बम्बई योजना को विकास का आधार अगर माना जाये तो जो लक्ष्य है, उससे 22,000 किलोमीटर लम्बाई कम आती है । 62,000 किलोमीटर के आंकड़े सरकार के हैं, तो आप 32 हजार किलोमीटर पीछे हैं जो 1981 में 94,200 किलोमीटर हो जाना चाहिये और वह आज 62,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो पाया है । मान्यवर, यह स्थिति तो बम्बई योजना के अनुसार है, अब आप नेशनल हाई वे को देखें । हमारे यहां पर 3 प्रकार की सड़कें होती हैं—नेशनल हाई वे, स्टेट हाई वे और विभिन्न प्रकार की छोटी-छोटी सड़कें । आप राष्ट्रीय राज मार्ग को देखें, तो आंकड़े देखकर आपको ताज्जुब होगा । सन् 1947 से लेकर 1981 तक उत्तर प्रदेश की सड़कों के मामले में कितनी उपेक्षा की गयी है । 1947 में देश में जो सड़कें थीं, उनकी कुल लम्बाई 21,440 किलोमीटर थी और 1981 में राष्ट्रीय सड़कों की लम्बाई 26,613 किलोमीटर है यानी कि इतने समय में सड़कों की लम्बाई 5 हजार 100 के आसपास बढ़ी है । आप उत्तर प्रदेश की हालत को देखें कि 1947 में राष्ट्रीय मार्गों की लम्बाई 2,431 किलोमीटर थी और 1981 में इनकी लम्बाई 2,462 किलोमीटर हो गयी । सन् 47 से सन् 81 के बीच में केवल 31 किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्ग में वृद्धि हुई जबकि पूरे देश में 5 हजार किलोमीटर वृद्धि हुई । जो इस सरकार ने दिल्ली में लिखकर भेजा था उसकी एक लाइन पढ़ना चाहता हूं—"दिस इन्डीकेट्स दैट यू0 पी0 हैज रिसीव्ड ए लो प्रायरिटी इन रेस्पेक्ट आफ़ एलोकेशन इन नेशनल हाई वे ।" यानी उत्तर प्रदेश सरकार को किस निचले स्तर पर प्राथमिकता राष्ट्रीय राज मार्गों के अन्तर्गत दी गयी है, यह इससे साफ़ हो जाता है । पूरे देश में 5 हजार किलोमीटर की वृद्धि हुई है जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 31 किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्ग की वृद्धि हुई है । मुझे पता नहीं कि सन् 81 से 87 तक कितनी वृद्धि हुई है । शायद इतनी उपेक्षा किसी और सूबे में नहीं हुई है ।

अब प्रान्तीय राज मार्गों की आप बात ले लें । बम्बई योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज तक सन् 81 या उसके बाद तक 15,587 किलोमीटर लम्बी स्ट्रीट हाई वेज हो जानी चाहिये थी लेकिन वह आज तक 7,971 कि0 मी0 ही है । यानी 7,616 किलोमीटर कम है । यह बम्बई का मानक है । उसके बाद लखनऊ का भी है । 50 प्रतिशत से भी कम हमारा जो लक्ष्य है, उसके मुताबिक भी कम हुआ ।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं । हम लोग आये दिन मांग करते हैं सड़कों को पक्का किया जाय लेकिन जिस रफ्तार से यहां पर सड़कों का काम हो रहा है, ऐसा लगता है कि सन् 2000 ई0 तक हमारा जो लक्ष्य है उसको हम 50 सैकड़ा भी शायद पहुंचा पायें । सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिल्ली ने जो योजना स्वीकृत की वह एक हजार किलोमीटर थी । आज तीन साल हो गये हैं मुश्किल से पूरे प्रदेश में 300 किलोमीटर भी सड़कें नहीं बनायी गयी होंगी । आप 400 कि0 मी0 कहते हैं । 900 कि0 मी0 आप बनायेंगे, 300 अगले साल बनायेंगे और 200 कि0 मी0 फिर अगले साल के लिये रख लेंगे । लेकिन आज नई सड़कें नहीं बन रही हैं । मेरा निवेदन है कि इस समय यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का दुर्भाग्य है । इस विभाग में पैसे के मामले में, सड़क बनाने के मामले में आपके बजट में कटौती हुई है । पिछले साल करीब 95 करोड़ के आसपास सड़कों के लिये प्राविधान था लेकिन इस साल 87 करोड़ कर दिया गया । 8 करोड़ काट दिया जबकि सड़कें बढ़नी चाहिये थीं, परिव्यय ज्यादा होना चाहिये था लेकिन इस साल योजना में सड़कों पर 8 करोड़ रुपया कम रखा गया है । मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों किया गया है । इससे विकास का काम बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, कम होगा ।

मान्यवर, सेतु निगम को ही देख लीजिये । इस बारे में मैं कुछ सुझाव भी बाद में दूंगा । सेतु निगम के बारे में उत्तर प्रदेश में यह बताया जाता है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के निगम हैं चाहे वह विद्युत परिषद् हो, निर्माण निगम हो या चाहे सीमेन्ट कारपोरेशन हो, जितने भी आपके 50 के आस-पास निगम हैं जिसमें कुछ नहीं तो 1 करोड़ 30 लाख रुपये का घाटा है प्रदेश सरकार को । इसमें सबसे ज्यादा सेतु निगम का है । सरकार अघाती रही है । मान्यवर, मैं सोच रहा था कि जब माननीय मंत्री जी बोलेंगे तो पोरम में हमने इनाम दे रखा है, अवश्य बोलेंगे और हमने अपना सिर गर्व से ऊंचा कर लिया । मुझे ताज्जुब हुआ कि मंत्री जी ने इस पुरस्कार के बारे में चर्चा नहीं की । मान्यवर, यहां पर जो आय-व्यय का इस साल का रखा गया है उसमें भी कहीं चर्चा नहीं की गयी है शायद मेरे सवाल के बाद बाद दिया गया होगा । क्योंकि मैंने पूछा था कि वह पुरस्कार है या खाली खरीद-फरोख्त थी । मैं सेतु निगम के बारे में बताना चाहता हूं कि कुछ हमारे यहां धार्मिक कहानियां हैं कि राम की फौज में नल नील जैसे इंजीनियर हुआ करते थे जिन्होंने समुद्र में पुल बना दिया तो हो सकता है कि भोलाशंकर जी की फौज में भी कुछ ऐसे इंजीनियर होंगे जो प्रदेश में नाम पैदा करेंगे । सेतु निगम के बारे में आप देखें इलाहाबाद में फाफामऊ में पुल बना जो अभी भी बन रहा है उसमें 16 जुलाई 86 को 3 खंभे बह गये जिनकी लागत 15 लाख बतायी जाती है यानी 5-5 लाख के तीन खम्भे गिर कर बह गये और 20 लाख की एक क्रेन डूब गयी । तो वह पुल के बारे में मैं बता रहा हूं यहां हेड आफिस से कोई सुपरविजन नहीं की गयी । इलाहाबाद के अलावा बस्ती में जो माननीय वीर बहादुर सिंह जी के गृह जनपद का पड़ोस का जिला है माननीय सुखपाल पाण्डे के यहां मनोरमा नदी में पुल बनाया गया जिस दिन पुल के बनने का काम खत्म हुआ उसी दिन से उसकी मरम्मत शुरू हो गयी । अभी भी उसकी मरम्मत का काम शुरू है । उस पुल में काम करने वाले जो इनके रीजनल मैनेजर जो इस समय प्रबन्ध निदेशक हैं वह थे । अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही किसी के खिलाफ नहीं हुई और लाखों रुपये मरम्मत में खर्च हो गये हैं ।

इसी तरह नेपाल में इसके काम के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी जांच हो रही है कि क्या तारीफ आ रही है । तो केन्द्र सरकार में कुछ दिन पहले जब बलिराम भगत जी विदेश मंत्री थे तो उन्होंने एक पत्र वीर बहादुर सिंह जी को लिखा है उसमें लिखा है कि नेपाल सरकार ने केन्द्र सरकार को एक कड़ा पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि आपका ब्रिज कारपोरेशन जो उनके यहां काम कर रहा है वह बहुत ढिलाई के साथ कर रहा है उस पत्र के

बाद विदेश मंत्री श्री बलिराम भगत ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को एक कड़ा पत्र लिखा और कहा कि इस तरह से कैसे काम चलेगा और यह पड़ोस का मामला है । फिर विदेश सचिव श्री ए0 पी0 जैन ने भी ब्रिज कारपोरेशन के साथ बैठक बुलाकर बातचीत की । अगर वह पत्र आप मंगा कर पढ़ लें तो मालूम हो जायेगा कि कितना वह सख्त है और मालूम हो जायेगा कि ब्रिज कारपोरेशन जो नेपाल में काम कर रहा है उसके बारे में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है । वह शब्द इतने कड़े हैं कि अगर इस्तेमाल कर दिये जायं तो सारी की सारी प्रशंसा हवा में उड़ जायेगी ।

इस समय जो माननीय मंत्री जी का भाषण हुआ वह भी मैंने बड़े ध्यान से सुना थोड़ी बीच में लोगों की आवाजें कुछ संगीत, कुछ सारंगी के शब्द बीच में सुनाई पड़ रहे थे। उसमें यह कहते हैं कि 5 दिन में हम एक पुल बनायेंगे । इनके ब्रिज कारपोरेशन का एक विज्ञापन है एक पेज का जिसमें 18 हजार रुपये खर्च होते हैं (व्यवधान) मैं अपने कानों का इलाज करा लूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं वह मेरी तबियत को अच्छी तरह जानते हैं आप जरा शांति से सुन लें । तो मेरा निवेदन है कि 5 दिन में एक पुल बनाया जायेगा यह आपका लक्ष्य है । ब्रिज कारपोरेशन का एक विज्ञापन है जिसमें श्री राजीव गांधी के साथ ब्रिज कारपोरेशन के एम0 डी0 की तस्वीर छपी है जिस पर 18 हजार रुपया खर्च आता है । तो जो यह लक्ष्य रखा है कि यह 5 दिन में एक पुल बनायेंगे तो सन् 88 तक जो लक्ष्य रखा है वह 42 पुलों का रखा है अगर 5 दिन में एक पुल बनता है तो इस प्रकार कुल 73 पुल बनाने चाहिये और आपने जो आंकड़ा दिया है उसमें 42 पुलों का है तो यह दोनों में विरोधाभास है इसे आप दुरुस्त कर लें । इसके अलावा आपने 1987-88 का टर्नओवर 60 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है और फरवरी 88 तक उसमें से 40 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये हैं । तो हो सकता है कि मार्च 88 में 20 करोड़ रुपया खर्च करना हो, तो एक महीने में 20 करोड़ रुपया कैसे खर्च किया जायेगा, इसकी होड़ लग जाये । मैं नहीं समझता हूं कि कैसे खर्च होगा चूंकि अब 15 दिन ही बचे हैं तो इन 15 दिनों में 20 करोड़ रुपया खर्च करने का हिसाब उनके इक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं ।

मान्यवर, फरवरी 1988 तक जबसे सेतु निगम बना है, पी0 डब्ल्यू0 डी0 से 40 करोड़ रुपये मिला था लेकिन आज तक सेतु निगम ने पी0 डब्ल्यू0 डी0 को हिसाब नहीं दिया है क्योंकि जिस काम के लिये लिया था खर्च कहीं और कर दिया तो हिसाब कैसे दें । इसलिये मंत्री जी के जो उद्गार यहां सुनने को मिले उसमें एक विरोधाभास है उसको ठीक कर लिया जाये तो ठीक रहेगा ।

मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश और आसाम में 30 करोड़ रुपये का पुल का काम मिलने वाला था कारपोरेशन को लेकिन कुएं की जो खुदाई होती है और पत्थर आ जाये तो इस तकनीकी मामले यह रिप्लाई नहीं भेज पाये जिससे दूसरे को ठेका मिल गया । आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने, उदाहरण यहां दिया और आन्ध्र प्रदेश हमारी तारीफ कर रही है 4 करोड़ रुपये का फ्लाई ओवर ब्रिज का ठेका मिला है कारपोरेशन को लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां की सरकार ने लिखकर दे दिया है कि जितने समय के अन्दर काम शुरू करना चाहिए वह नहीं किया है, इसलिये क्यों न उत्तर प्रदेश सेतु निगम की जमानत जब्त कर ली जाये और 6 लाख रुपये प्रतिमाह जो जुर्माना होता है उसकी कार्यवाही क्यों न आगे बढ़ाई जाये । इसलिए यदि अच्छा काम होता है तो आन्ध्र प्रदेश की सरकार जमानत और जुर्माने के सम्बन्ध में इस तरह का पत्र न लिखतीं । मान्यवर, बनारस में 1971 में राम नगर से लेकर मोहन सराय तक एक पुल बनाने के बारे में उद्घाटन किया गया था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूर्वांचल और वाराणसी में विकास इससे होगा लेकिन पुल में आज तक काम

नहीं शुरू हुआ है और वह मामला हाईकोर्ट में चला गया है । ब्रिज कारपोरेशन को जितना प्रयास करना चाहिये था वह नहीं किया गया । हालत यह है कि उसके बाद निर्माण का कार्य रुक गया है । हम चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरह जल्दी से जल्दी इस पुल के निर्माण का कार्य करने का प्रयास करे । हालांकि आय-व्ययक में लिख दिया गया है कि निर्माण कार्य हो रहा है, मुआवजा किसानों को दे दिया गया है लेकिन बाई पास पुल का कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

मान्यवर, पुरस्कार के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि चूंकि मंत्री जी ने कहा है कि आरोप लगायें तो तथ्यों के आधार पर ही लगायें । तो पुरस्कार के सम्बन्ध में तथ्य मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि 2600 डालर देकर इनाम खरीदा गया है । यह इनाम लिया गया है फ्रांस की राजधानी पेरिस में वर्ष 1987 में और इस पत्र को उत्तर प्रदेश के दो अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव और दूसरे अधिकारी हैं सेतु निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक । मान्यवर, शर्त है, जो लिखी है कि यूरोप में कोई कार होना चाहिये सेतु निगम का, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, शर्त है कि 2600 डालर जो देगा वही इसमें भाग ले सकता है, तो सेतु निगम ने 2600 डालर दिया है और मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है । मान्यवर, मेरे पास ईराक में जो आपके ब्रिज कारपोरेशन की शाखा है, उसके मैनेजर फाइनेन्स, यू0 पी0 सेतु निगम पत्र में । यह इसमें आप देखें, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि "यू0 पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लि0 ब्रिज कन्स्ट्रक्शन यूनिट सेवा ईराक एकाउन्टिंग इयर 1986-87 यह पत्र मैनेजर फाइनेन्स, यू0 पी0 एस0 बी0 सी0, लिमिटेड, लखनऊ का है । "वीइंग यू0 एस0 एस0 2609 रेमिटेड टू बैन्को डी विलवो मैडरिड थ्रू स्टेट बैंक आफ इण्डिया दी आन विहाफ आफ हैड-क्वार्टर । नेसिसरी क्रेडिट मे काइन्डली बी गिवेन टू बी0 सी0 यू0 सेवन ट्रीस इन दि बूक्स आफ एच0 ओ0 एस बेलो ।" यह 2600 यू0 एस0 डालर का मामला है और यह 2600 यू0 एस0 डालर की राशि 810.249 वहां के ईराकी दीनार के बराबर होती है । एक दीनार भारतीय रुपये में 40.62 रुपये के बराबर होता है, इस प्रकार यह 810.249 दीनार भारतीय मुद्रा में 32,912,31 रुपये के बराबर जाकर हो जाते हैं । इस हिसाब से आप देखें तो यह उनको 32,912 रुपया पुरस्कार के लिए दिया गया है । यह मात्र एक पुरस्कार पाने के लिये सेतु निगम द्वारा उनको दिया गया है । मंत्री जी बहुत समझदारी से बचा गये और उन्होंने बड़ी सफाई से इसकी चर्चा नहीं की । यदि यह इसके बारे में कहते तो सच्चाई सामने आ जाती । 32 हजार रुपया पुरस्कार पाने के लिए दिया गया और यह भी वह पुरस्कार इसलिए दिया जाता है—राजनीति, कला और अर्थशास्त्र में दिया जाता है । कला और अर्थशास्त्र में जो पारंगत हों और राजनीतिक मानक स्थापित करता हो उसे दिया जाता है । अब यह हमारे आप सबके समझने की बात है कि ब्रिज कारपोरेशन कला का क्या काम करता है और वहां रहकर कौन सी राजनीति करता है । और इसने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सी विशेष कुशलता हासिल कर ली है । इस सम्बन्ध में जो बीजा दिया गया है, उसको आप देखें । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शासनादेश जारी कराया है वह इस प्रकार है : उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुभाग-1, संख्या 3738 सी/23--सा0 नि0—1/87-लखनऊ, दिनांक जून, 1987, इसमें लिखा है—"उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा ईराक में किये जा रहे सेतु निर्माण सम्बन्धी कार्यों में उत्पन्न समस्या को सुलझाने एवं सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्तम कार्य के लिये यूरोप एवार्ड समारोह में भाग लेने एवं पारितोषिक प्राप्त करने के लिये अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 को यात्रा शरू होने की तिथि से एक सप्ताह के लिये ईराक एवं पेरिस (फ्रांस) के विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है ।" हस्ताक्षर हैं लालजी सिंह, विशेष सचिव हैं । यह शासनादेश जारी किया गया कि अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर जायेंगे दो देशों

की यात्रा के लिये, और 20 तारीख को जो दिल्ली में रेजीडेंशियल कमिश्नर हमारे हैं, उनको एक पत्र लिखा गया है, उससे मालूम होगा कि वास्तव में इस प्रदेश में क्या हो रहा है और वह मुख्य मंत्री की और शासन की भावना के पक्ष में है या उसके विरोध में है। मैं उस पत्र को भी यहां कोट किये देता हूं, वह इस प्रकार है :

इट इज टू इनफार्म यू दैट श्री राम किशन, कमिश्नर एण्ड सेक्रेटरी, यू0 पी0 डब्लू0 डी0 एण्ड चेयरमैन यू0 पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लि0 एण्ड श्री बीजेन्द्र सिंह, मैनेजिंग डाइरेक्टर शैल बी विजीटिंग फ्रान्स एण्ड बगदाद इन कनेक्शन विथ द आफिशियल वर्क्स आफ द कारपोरेशन। दे मे आलसो हैव टू गो टू लण्डन एण्ड कुवैत टू कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट्स देयरफोर शैल रिक्वेर द ट्रान्जिट वीसास फार यू0 के0 एण्ड कुवैत आलसो। इट इज देयरफोर रिक्वेस्टेड टू काइन्डली राइट टू मिनिस्ट्री आफ एक्सटरनल अफेयर्स गवर्नमेंट आफ इण्डिया टू मूव एम्बेसीस आफ फ्रान्स, इराक, यू0 के0 एण्ड कुवैत न्यू देल्ही टू ग्रान्ट एन्ट्री वीसा टू देम-1 इन रिसेप्ट एग्रूवल आफ द आनरेबुल चीफ मिनिस्टर फार देयर जर्नी हैस आलरेडी बीन अनटेन्ड। देयर पासपोर्ट डीटेल्स आर एैस फालोस।

इस पत्र का हिन्दी में सारांश इस प्रकार है कि दो यहां के अधिकारी, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन, सेतु निगम के हैं, दोनों जा रहे हैं, यह वहां निरीक्षण कार्य के लिए कुवैत में तथा फ्रांस में जा रहे हैं यूरोप एवार्ड लेने के लिए। इन दोनों को इन्टर कनेक्टिंग फ्लाईट पकड़नी है और इसलिए इन्हें ट्रांजिस्ट वीसा की जरूरत पड़ेगी और यह भी कहा है कि एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री से कह दिया जाय कि इनको इन्टर कनैक्टिंग वीसा दे दिया जाए। अब अम्बार जी यहां बैठे हुए हैं वह और दूसरे लोग कई बार विदेश हो आये हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली से पैरिस के लिए सीधी उड़ान है और बगदाद के लिए भी सीधी उड़ान है। किसी को घूमकर इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है। और मुख्य मंत्री जी ने जो जी0 ओ0 निकाला है, उसमें दो देशों के लिए अनुमति दी गई है। और 20 तारीख का जो पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि मंत्री जी से अनुमति ले ली गई है। जबकि मुख्य मंत्री जी ने इस तरह की अनुमति दी होती तो19 तारीख को शासनादेश में भी इसका जिक्र होता। ट्रांजिट वीसा की जरूरत पड़ती है और इन्ट्री वीसा का पत्र लिखा जाता है। और इनको दे भी दिया जाता है। विदेशी यात्राओं के संबंध में जिस तरह से अफसरों ने मनमानी की है उससे ज्यादा ठोस प्रमाण नहीं हो सकता है कि मुख्य मंत्री की आंखों में धूल झोंकी जाये, इस सदन की आंखों में धूल झोंकी जाये। यह विदेश यात्रा केवल पैसा कमाने के लिए की गई है, यह यात्रा पुरस्कार लाने के लिए की गई, इस तरीके से कमीशनबाजी हो रही है। 2600 डालर जो दिये गये, क्या उसकी अनुमति रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ली गई थी ? गान्धवर, यहां पर फेरा विदेशी मुद्रा अधिनियम जो है इसका उल्लंघन किया गया है। यहां के अफसरों ने विदेशी मुद्रा की चोरी की है। अगर इन्हें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने परमीशन नहीं दी है, तो यह एक संगीन अपराध है। इन्होंने फेरा अधिनियम का उल्लंघन करके जो अपराध किया है, क्या इसमें आप उनके खिलाफ जांच बैठाकर कड़ी कार्यवाही करायेंगे ? शासनादेश दो देशों का जारी हो गया और पत्र चार देशों को लिख दिया गया। ये लोग कुवैत चले गये। कुवैत में होता क्या है कि कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ती है। सारे के सारे अधिकारी उत्तर प्रदेश के कुवैत जाते हैं और वहां से सामान लाते हैं, क्योंकि वहां कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ती है। इसमें मान्यवर यह किया गया कि सारा पैसा सरकारी मद में डाल दिया गया, कोई पैसा इन्होंने अपने पास से खर्च नहीं किया। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से ऐश परस्ती हवाई यात्राओं पर खर्च किया गया है। इस पर जांच करा लें।

मान्यवर, सत्ता पक्ष के एक विधायक श्री रामसागर राव जी ने, अभी हाल ही में, अभी इस सत्र में एक सवाल किाा था कि उत्तर प्रदेश के सेतु निगम ने 1985 से 1988 तक तीन साल के अन्दर कोई डेमरेज दिया है या नहीं, यह सत्ता पक्ष के सदस्य ने बहुत सही प्रश्न किया था । इन्होंने जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में डेमरेज भुगतान के आदेश देने के लिए प्रबन्ध निदेशक सक्षम प्राधिकारी हैं । निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में डेमरेज के रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया है । मान्यवर, कितना असत्य और निराधार उत्तर दिया गया है । इसमें जबकि स्थिति यह है कि फारवेज एण्ड फारवेज कैम्पबेल एण्ड कम्पनी, बम्बई, द्वारा बिल संख्या-1275, तारीख 30-8-85 रुपये 4 लाख 80 हजार 847 रुपये का बिल डेमरेज आदि का भुगतान करने के लिए दिया गया है ।

बिल संख्या 1285, तारीख 20-9-85 को 6 लाख 97 हजार 407 रुपये तथा बिल संख्या 1295, तारीख 15-10-85 रुपये 13 लाख 79 हजार 989 रुपये भी इसी तरह से दिया गया है । मान्यवर, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं, मुख्य मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं । मान्यवर, ऐसी परम्परा रही है कि कोई माननीय सदस्य जब सवाल करते हैं, तो सही जवाब दिया जाये, मैंने बिल्कुल ठोस बिल संख्या और रकम बताई है । तीन साल के अन्दर चालीस लाख रुपया दिया गया है । मान्यवर, कोई मशीन अगर विदेश से मंगाई जाती है तो उपर्युक्त कम्पनी के माध्यम से मंगाई जाती है, यह दलाली करने के लिए किया जाता है । अगर कोई काम यह सरकार न कर सकती हो तब ठीक है कि दलाल के माध्यम से वह मंगाई जाए, लेकिन जो सरकार खुद सीधे मशीन को मंगा सकती हो, और जिसकी एक इकाई बम्बई में भी है, फिर यह उस कम्पनी के माध्यम से क्यों मंगाती है, यह जानबूझ कर उस कम्पनी के जरिए दलाली करती है और उसके बाद उस मशीन पर डेमरेज इतना बढ़ जाता है कि उसको छुड़वाना मुश्किल हो जाता है । आप जांच करायें तो पता चलेगा कि चपरासी, क्लर्क और छोटा सा बाबू, यह लोग हवाई जहाज से जाते हैं और 5 स्टार होटल में बंबई में ठहरते हैं जिसका हजारों रुपये खर्च आता है । यह सब डेमरेज के नाम पर हो रहा है । मान्यवर, डैमरेज के संबंध में जिस अफसर ने यह जवाब देकर सदन को गुमराह किया है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी यह मंत्री जी बतायें । विशेषाधिकार का मामला मैं नहीं लाना चाहता, वह तो हमारा अधिकार है कि लायें या न लायें । सारे तथ्य सामने हैं, मैंने बिल संख्या और तारीख का हवाला दिया है, इसके बारे में मंत्री को जांच करा लें कि सही है या नहीं । मान्यवर, अब मैं वाहनों के बारे में कहना चाहता हूं, वाहनों का दुरुपयोग हो रहा है । मशीनों और वाहनों की मरम्मत के नाम पर पैसे का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

शतरुद्र प्रकाश जी, समय कम रह गया है, थोड़ा सा संक्षेप में कहें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

वाहनों और मशीनों की मरम्मत में हो रहे दुरुपयोग के बारे में मैं कहना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि एम्बेसेडर कार कितनी कीमत की आती है, इसकी जानकारी कर ली जाय । एक एम्बेसेडर कार यू0 एस0 एफ0 1487 की मरम्मत में डेढ़ साल में 1 लाख 65 हजार का खर्च आया है । बहुत से माननीय सदस्यों के पास गाड़ी होगी, वह जानते होंगे कि कितना खर्च आता है । इस गाड़ी पर डेढ़ साल में 1 लाख 65 हजार रुपया मरम्मत पर खर्च किया गया है । इसके अलावा लखनऊ में सेतु निर्माण इकाई प्रथम तथा द्वितीय है । आप देख लें कि किस तरह से कानून और

नियमों का उल्लंघन हो रहा है । नियम है कि 5 हजार रुपये से ज्यादा उप परियोजना अधिकारी नहीं खर्च कर सकता है मरम्मत या किसी चार्ज पर । लेकिन आप देखेंगे कि 85-86 में सेतु निर्माण निगम इकाई (प्रथम) द्वारा 23 लाख 70 हजार रुपया खर्च किया गया है, सेतु निर्माण इकाई (द्वितीय) द्वारा 23.74 लाख रुपया खर्च किया गया है । इसी तरह से 1986-87 में सेतु निर्माण इकाई (प्रथम) द्वारा 17 लाख 53 हजार तथा सेतु निर्माण इकाई (द्वितीय) द्वारा 14 लाख 42 हजार रुपया खर्च किया गया है ।

मान्यवर, इसी तरह से आई0 बी0 (इंटलीजेंस ब्यूरो) के एक सस्पेन्डेड अधिकारी सूबेदार सिंह हैं । इनको दो गाड़ियां दे दी गयीं कि जहां चाहें ले जाओ । हम लोगों को कर्जे पर सरकार ने गाड़ी दी है, हर माह उसकी किश्त और ब्याज देना पड़ता है । लेकिन कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं, जिनको मुफ्त में गाड़ी मिल जाया करती है । 23 फरवरी, 88 को 4372 रुपये जमा किये गये हैं । यू0 पी0 एल0 8039 तथा यू0 पी0 एल0 2539 गाड़ियों के नाम हैं, जिनकी मरम्मत पर यह खर्च आया है । कुछ लोग छुट्टी पर जाते हैं और सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि श्री ए0 एच0 जुबेरी जो पी0 डब्लू0 डी0 में विशेष सचिव हैं, यह 10 फरवरी, 88 से 14 फरवरी, 88 तक छुट्टी पर गये । ब्रिज कारपोरेशन से गाड़ी लेकर गये, जिसमें वह परिवार सहित बरेली जा रहे थे रास्ते में गाड़ी बिगड़ गयी और उस गाड़ी पर हजारों रुपया मरम्मत का खर्च किया गया । सरकार से छुट्टी लेकर जाते हैं और जब गाड़ी बिगड़ जाती है तो उसकी मरम्मत का खर्च सरकार के विभाग से दिया जाता है ।

इसी तरह से एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इराक में 2 साल से ब्रिज कारपोरेशन को कोई काम नहीं मिल रहा है । लेकिन अगर आप देखेंगे तो 28 लाख रुपये प्रति महीने इराक की यूनिट पर खर्च हो रहा है । मैं समझता हूं कि अभी भी कुछ लोगों को इराक भेजा जा रहा है, किस काम के लिये यह पता नहीं है । वहां के जो लोग हैं वह 75 प्रतिशत तनख्वाह रिमिट करा देते हैं, सिर्फ 25 सैकड़ा ले रहे हैं । इस 25 सैकड़ा में वह किस प्रकार अपने परिवार के साथ वहां रह रहे हैं, यह वह जानें । मैंने इस संबंध में सवाल किया था पी0 डब्लू0 डी0 की जो टिप्पणी है, उसको मैं पढ़ कर बताऊंगा । लोग वहां रह रहे हैं, केवल 25 सैकड़ा तनख्वाह लेकर अपने परिवार के साथ वहां रह रहे हैं और खर्च चला रहे हैं । इसकी भी जानकारी कर ली जाय कि आखिर कैसे 25 सैकड़ा में पूरा खर्च चल रहा है । सितम्बर, 1986 में एक भूतपूर्व सेक्रेटरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की टिप्पणी है, उसे मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं ।

"पूर्व में जिन अधिकारियों ने वेतन का 75 प्रतिशत से अधिक भाग भारत भेजा है, उनके द्वारा वापसी में लिया गया सामान के परिपेक्ष्य में इस बात की जांच आवश्यक है कि उनके द्वारा शेष वेतन में इराक में रहने का एवं प्रसंगत सामान के क्रय का वहन किया जाना वास्तव में सम्भव था ।"

इसकी जांच जरूर करा लें कि क्या सचमुच में 25 सैकड़े में सबका खर्चा चल रहा है । मान्यवर, विदेश में रहने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको मनमाना एडवांस दिया गया है, जो अपने लोग हैं, खास्तौर से उनको मनमाना एडवांस दिया गया है । यह बैलेंस शीट इराक की है। यह है यू0 पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन यूनिट-6, ट्रायल बैलेंस-30-6-87, इसमें एक सज्जन हैं अनिल कुमार सिंह, जो किसी बड़े अफसर

के रिस्तेदार हैं, वह आदमी क्लर्क है, उसको 3 लाख 40 हजार रुपया एडवांस दिया गया । इसी तरह की और भी कई संख्या हैं, मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं । मान्यवर, जो मैंने कहा है, यह पूर्वग्रसित होकर मैंने कुछ भी नहीं कहा है, यह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया । माननीय मुख्य मंत्री को एक विदेशी वातानुकूलित मर्सिडिज कार देने की योजना है । मान्यवर, 30-12-87 को एक बैठक हुई, प्रबन्ध संचालक मण्डल की बैठक हुई, यह 65 वीं बैठक थी । भोला शंकर मांयें को तो रिक्शा ही काफी है माननीय राम शरण दास जी के मुताबिक । उस बैठक में 19 वें आइटम पर यह तय किया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के लिए, जिसको गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, खुश करने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्री वीर बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश शासन को ईराक से एक वातानुकूलित मर्सिडीज गाड़ी उपहार में दी जायगी और मार्च के अन्दर ही दी जायगी । मान्यवर, ये तो राज्य मंत्री हैं, इनसे मैं कहूंगा जरा ये नोट कर लें, 30-12-87 को बैठक हुई, उसमें एजेंडा के आइटम नं0 19 पर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्री बीर बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश शासन को ईराक से एक वातानकूलित मर्सरी गाड़ी उपहार में इसी मार्च के अन्दर दी जायगी । ब्रिज कारपोरेशन का काम पुल बनाना है, ब्रिज कारपोरेशन का काम पुल का निर्माण करना है या सरकार के किसी मंत्री को खुश करने के लिए गाड़ी देना है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

इसमें हर्ज क्या है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपको दो-चार गाड़ियां क्यों नहीं मिल जातीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, अगर ब्रिज कारपोरेशन उत्तर प्रदेश शासन को एक गाड़ी प्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है ? किसी को व्यक्तिगत उपहार नहीं मिल रहा है, माननीय वीर बहादुर सिंह को कोई व्यक्तिगत उपहार नहीं मिल रहा है, यह उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य मंत्री को उपहार मिल रहा है, तो यह कोई अवैधानिक चीज नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जितनी आलोचना मैं कर रहा हूं, उससे ज्यादा तो वहां पर एक सक्सेना बैठे हुए हैं, वह कर रहे हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हम लोगों से ज्यादा तो आलोचना वहां पर एक मिश्रा और एक सक्सेना बैठे हुए हैं, वे कर रहे हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

अगर सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की राय से विधायक चलेंगे तो इसकी मर्यादा नहीं रहेगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि लोकपति जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, हो सकता है कभी किस्मत तेज हो जाय और विभाग इनके हाथ में आ जाये, और सम्भव भी हो सकता है। अगर इस तरह से उपहार का लेना-देना शुरू हो जायेगा तो उपहार कोई ऐसे ही नहीं दिया करता। हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री को किसी से प्रेम हो और उस प्रेम के वशीभूत होकर कोई दे दें अगर इस तरह से उपहार लेने लग जायेंगे, मैं जानता हूं आचार्य कृपलानी, श्री जयप्रकाश नारायण जी या महात्मा गांधी जी, खुद अगर आप सार्वजनिक जीवन में किस तरह का आचरण होना चाहिये इसकी सूक्तियां देख लें, अगर उपहार इस तरह से लेने देने शुरू हो जायेंगे तो कोई भी काम निष्पक्षता से नहीं हो पायेगा। अगर कोई खुश होकर कि विधान सभा में अच्छा बोलूं, एक कार दे दें और हम कार लेने लग जायं तो निष्पक्ष रूप से सदन चलेगा नहीं। मैं जानता हूं इस समय अगर मान्यवर, यह सच है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता—

सीमित करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं अगली बार में निर्माण निगम के बारे में और अन्य विभाग के बारे में कहूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है, अधिष्ठाता जी कह रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि बाहर लोकदल के जो कार्यकर्ता धरना दिये हुए हैं, उनमें से एक कार्यकर्ता को धर्मवीर नामक एक दारोगा ने इतनी बुरी तरह से पीटा है कि वह अस्पताल में चला गया है। जिसकी पिटाई की गयी है उसका नाम है राग कुमार।

श्री समर पाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग का भाषण मैंने बड़ी गम्भीरता से सुना और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी की आलोचना को भी। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में अपने से सम्बन्धित जितने भी कार्यकलाप, जितने विभाग, उप विभाग थे, सब पर प्रकाश डाला परन्तु इतने लम्बे भाषण में माननीय शतरुद्र प्रकाश ने केवल सेतु निगम का ही पीछा पकड़ लिया और ऐसा आभास होने लगा कि कहां तो वह ऐसा कह रहे थे कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन मालूम यह हो रहा था कि किसी वजह से सेतु निगम से बहुत नाराज हो गये हैं। कारण वह स्वयं हैं या उनके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सेतु निगम के प्रबन्ध निदेशक को हटाकर खुद प्रबन्ध निदेशक बनना चाहती हैं।

मान्यवर, इन्होंने कहा कि पेरिस से ईराक जाना था तो वह लंदन होकर ईराक क्यों गये? मान्यवर, सम्भवतः शतरुद्र जी बहुत बार विदेश गये होंगे, उनकी जानकारी में होगा कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर पेरिस जाय, लंदन जाय, स्वीडन जाय या अन्य किसी यूरोपियन राजधानी में जाय, सबका किराया एक ही लगता है, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है। संभवतः पेरिस से कोई ऐसी फ्लाइट नहीं होगी जो सीधे ईराक जाती हो और पेरिस में किसी दूसरी फ्लाइट का इंतजार करने के लिए 2-3 दिन रुकना पड़ता है तो पेरिस में पड़े रहकर होटल में बिल देने की अपेक्षा लंदन जाकर उड़ान

कड़ लगा सस्ता पड़ेगा । इसलिए प्रबंध निदेशक ने लंदन जाकर उड़ान पकड़ ली जो सर्वथा उचित है । चूंकि मंत्री जी ने अपने सारे विभागों के बारे में कहा, मैं समझता हूं कि अभी भी अगर सबसे गौरान्वित उनका विभाग है जिससे सार्वजनिक निर्माण विभाग को गौरव प्रदान किया है तो वह उत्तर प्रदेश का सेतु निगम ही है । उसके प्रबन्ध निदेशक या उसके चेयरमैन के चरित्र की हत्या करने का न औचित्य है न इस सम्बन्ध में कोई विवाद है । सभी जानते हैं कि 1982 में जब एशियन ओलम्पिक हुए तो केन्द्रीय सरकार के सामने दिल्ली में 7-8 फ्लाई ओवर बनाने का सवाल था तो उत्तर प्रदेश के सेतु निगम ने वह कीर्तिमान स्थापित किया कि सरकार गद्गद हो गयी और उसके बाद अधिकांश पुल सेतु निगम को दिये गये ।

श्री विजय सिंह राणा—

श्री नरेश चन्द्र सक्सेना और मिश्रा जी के बारे में भी पूछ लीजिये ।

श्री समर पाल सिंह—

मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता । लेकिन इसमें निहित स्वार्थ अवश्य है और जो इस तरह का भाषण देने के लिये शतरुद्र प्रकाश जी को प्रोत्साहित किया कि इस विभाग की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया जाय । मान्यवर, यह सर्वविदित है कि विकास का वाहन सड़कें होती हैं, जिस रफ्तार से आप विकास करना चाहते हैं, उसी रफ्तार से सड़कें बनानी होंगी । नहीं तो समस्याओं का पुलिंदा लग जायेगा । वास्तविकता यह है कि सड़कें और विद्युत वाले क्षेत्र हमारी प्रगति के द्योतक हैं । हमारे विकास के द्योतक हैं । दूसरा कोई उनका स्थान नहीं ले सकता । अब ये सरकारी अधिकारी जिस गुणवत्ता की सड़कें बना रहे हैं, वह प्रशंसा के पात्र हैं । भाई शतरुद्र प्रकाश जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा कि 1947 में 15111 कि0 मी0 कुल सड़कें थीं । इस वर्ष के अन्त तक 92,254 किलोमीटर लम्बी सड़कें हो जायेंगी । तो मैं कहूंगा कि सड़कों के निर्माण में 6 गुनी वृद्धि हुई है । यह अवश्य है कि जिस रफ्तार से विकास होना चाहिये, उसमें कुछ बाधायें आ जाती हैं । विभाग सड़कें उतनी ही बनायेगा, जितना रुपया और साधनों का आवंटन किया जायगा । कहीं सूखा पड़ा, बाढ़ आ गयी या और कोई दैवी आपदा आ गयी तो सरकार को अपना ध्यान निर्माण कार्य से हटाकर जीवन-रक्षक योजनाओं की ओर लगाना पड़ता है । अगर सड़कें उसी रफ्तार से बनाई जाती रहें तो उसको वह कीर्तिगान उपलब्ध हो जायगा । अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो उसका कारण कुछ और था । तेज रफ्तार से सड़कें बनाई जा रही हैं और उनकी जो क्वालिटी भी ठीक है, हाट मिक्स प्लान्ट से जो सड़कें बनी हैं, उन पर चलने में बेहद आनन्द आता है । सुना था कि पेरिस में रबर की सड़कें हैं, आज लगता है कि हिन्दुस्तान में ही हम कहीं-कहीं रबर की सड़कों पर चल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

समय कम है ।

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, मैं तो पहला हूं, बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, सारा समय तो शतरुद्र जी को दे दिया गया है । मुझे और समय दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

नियमों के अनुसार उनको ज्यादा मिलता है ।

श्री समर पाल सिंह—

हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मान्यवर निर्वाचन क्षेत्र छपरौली है। वहां के प्रतिनिधि या तो एम0 एल0 ए0 या एम0 पी0, चीफ मिनिस्टर तथा प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वह एसा क्षेत्र है जहां अभी विकास का पत्थर नहीं लगा है। वहां पर सन् 1947 से पहले की बनी हुई सड़क है और आज भी उतनी ही बनी है। वहां पर विकास के नाम पर सेतु निगम द्वारा ही केवल एक सेतु बनाया गया है, जमुना पर, जो मेरठ को पानीपत से मिलाता है। अन्यथा वहां पर प्रगति का पता नहीं लगता है। सुझाव है कि हमारे प्रदेश में एक जो राज्य सम्पत्ति विभाग है, वह बड़ा सुस्त है। हम रोज अखबार में पढ़ते हैं कि जिस आदमी ने एक बार मकान का कब्जा ले लिया, विभाग उससे छुड़ा नहीं पाता है। पता नहीं क्यों नपुंसकता का प्रदर्शन किया जा रहा है। माजूदा मंत्री और विधायक तो एक-एक कमरे में रह रहे हैं और जो न मंत्री है, न विधायक, वे इन बंगलों का फायदा उठाते हैं। इस पर सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। ताकि वे मकान तत्काल खाली करवा लिये जांय। आप मान्यवर बार-बार बैठने के लिये कह रहे हैं, लेकिन मैं एक मिनट और लूंगा, अपने क्षेत्र के बारे कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बंजारा देहात है, जहां पर किसान ही रहते हैं। आजकल तो वहां महेन्द्र सिंह टिकैत ने चमत्कार ही कर रखा है, वह सब मेरे क्षेत्र में ही है, किसान वहां आंदोलित है, वे महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है। जो मार्ग देहली-गतरासी-अमरोहा-ठाकुरद्वारा-काशीपुर-नैनीताल जाता है, वहां पूरे भाग में सड़क नहीं है, वहां केवल सीमेंट कंक्रीट ट्रंक बना हुआ है, जो अमरोहा शुगर फैक्ट्री ने बनाया था, उसको आप देखें, उसको पक्का कराया जाय। उस मार्ग से देहली से नैनीताल जाने के लिये मुरादाबाद भी बचे गया और रामपुर भी बच गया और 60-70 किलोमीटर का सफर कम हो गया। जिससे देश का पेट्रोल बचेगा, ईंधन बचेगा। मान्यवर, इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूं कि उस मार्ग पर तीन छोटी नदियां हैं, एक पर तो पुल बन गया है, लेकिन दो जगह, करुला और गागन पर पुल नहीं हैं, इन पर पुल बनने की जरूरत है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहूंगा कि इस मार्ग पर रामगंगा नदी से पहले चार किलोमीटर कच्चा मार्ग है। रामगंगा नदी पर पीपों का पुल बन गया है, उस मार्ग को पक्का कराया जाय। मान्यवर, अभी मैंने जिस रोड को पक्का कराये जाने की बात कही, उसके बन जाने के बाद दिल्ली से नैनीताल जाने में जो लगभग 5 घंटे का समय लगता है, फिर सिर्फ साढ़े तीन घंटे का समय ही सफर करने के लिये लगेगा। कितनी आसानी हो जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय शतरुद्र प्रकाश के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में अनेक बार यहां पर कहा गया कि यह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट है और इसी नाम से इसे सम्बोधित किया जाता रहा है। मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का सेतु निगम है, उसकी बड़ी प्रशंसा रही है, सरकार भी अपनी पीठ ठोंकती रहती है और हम लोग भी एसा महसूस करते हैं कि सेतु निगम प्रदेश में एक अच्छा निगम है। लेकिन, आज माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उसकी बधिया उधेरी है, उससे चिंता होना स्वाभाविक है इस सदन के माननीय सदस्यों का। मान्यवर, इसके सेतु निगम जैसे अच्छे निगम की यह दशा है तो फिर इनके दूसरे निगम राजकीय निर्माण विभाग की क्या दशा होगी ?

माननीय, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने इसके विषय में जो तथ्य रखे हैं, यहां पर जो बातें कहीं हैं, उसके संबंध में माननीय सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री जी इनकी बात को मान लें या मंत्री जी सफाई दे दें और यह प्रमाण दें कि ऐसी बात नहीं है तो हम उनकी ही बात को मान लेंगे । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने इस निगम के बारे में यहां बातें रखी हैं, वह सब तथ्यों के आधार पर रखी हैं । जब इस अच्छे निगम की हाल यह है तो फिर मूल सार्वजनिक निर्माण की क्या दशा होगी, राजकीय निर्माण निगम की क्या दशा होगी, इसको सोचा जा सकता है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथी उधर बैठे हुए हैं माननीय हरदेव सम जी हैं उनसे ही पूछ लीजये, 35 फीसदी कमीशन सार्वजनिक निर्माण विभाग में आज लिया जा रहा है, खासकर मिट्टी के काम में । बिना 35 फीसदी कमीशन लिये हुए भुगतान नहीं होता है, उधर बैठे हुए साथियों में से कोई बता दें कि यह बात क्या सच नहीं है ? हमारे जिले में सा0 नि0 वि0 के कार्य में 35 फीसदी कमीशन लिया जा रहा है और हर जगह ही यही हालत है । अब एक और नयी व्यवस्था सा0 नि0 वि0 में चली हुई है जो सुनकर आपको भी हैरत होगी, पहले 5 प्रतिशत कमीशन ले लेते हैं फिर चोरी से टेंडर बिकते हैं, किसी को बताया तक नहीं जाता है । ठेकेदारों से 5 प्रतिशत कमीशन लेकर चोरी से टेंडर दे दिया जाता है । मान्यवर, मैं आपको बताऊं पिछले महीने मैंने अपने अधिशासी अभियंता श्री आर0 पी0 राम से कहा था 5 प्रतिशत कमीशन लेकर चोरी से टेंडर हुआ है, इसको आप रोकें, जांच करायें । रानीगंज-इब्राहीमाबाद मार्ग, विशुनपुरा-गोन्दौला छपरा मार्ग आदि मेरे क्षेत्र के अनेक मार्गों पर फर्जी टेंडर हुए हैं और नाजायज कार्य कमीशन लेकर किया गया है । मेरी बात गलत हो, तो मुझको बतायें, वरना काम रोक दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है मान्यवर, हमारे वाराणसी के पूर्व अधीक्षण अभियन्ता श्री शास्त्री बहुत दरियादिल थे, जो कोई उनको पैसा दे दे और चाहे जितना पैसा स्वीकार करा ले । मान्यवर, वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता वाराणसी आर0 सी0 शर्मा जी हैं, वह टैक्स के रूप में 4 हजार रुपये प्रति डिवीजन बलिया, गाजीपुर में माहवार लेता है । इसके अलावा रेट मंजूर करने में, टेंडर स्वीकार करने में अलग से पैसा लेता है । यह हालत है आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की । इस प्रकार सा0 नि0 वि0 का काम कैसे चलेगा ? यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं । मैंने कभी भी इस तरह छोटे मामले को उठाया नहीं था किन्तु वर्तमान सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण इकाई सा0 नि0 वि0, बलिया में धन के लूट का प्रश्न उठाया । हमारे यहां जांच करने अधीक्षण अभियन्ता फावड़ा लेकर, गैंता लेकर गये थे । मान्यवर, कहीं भी सड़कों पर मानक के हिसाब से गिट्टी नहीं डाली गयी है । आज हालत यह है कि आप हमारे जिले में खुद चलकर देख लें, वहां 60 फीसदी की आपूर्ति ली जाती है, चाहे वह छोटी गिट्टी हो, डाला गिट्टी हो या बड़ी गिट्टी (वीरोही गिट्टी) हो । इस तरह से 60 फीसदी में से 50 फीसदी का इस्तेमाल सड़क की कटाई में होता है और 10 प्रतिशत सड़क की कटाई के समय में बचाकर रख ली जाती है और उसको दूसरी साइड पर हस्तान्तरित करके उसका भी पैसा ले लिया जाता है ।

अभी कुछ दिन पूर्व मैंने एक सवाल उठाया था, उसकी जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट को मैंने नहीं देखा है । हमारे लालगंज-मूरली-छपरा मार्ग का निर्माण हुआ, वहां पर दो पुलिया भी बने थे और कुछ दिन बाद ही वह दोनों पुलिया ध्वस्त हो गये । जबकि उनको बने 6 महीने से ज्यादा नहीं हुआ था । इस प्रकार मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 डिपार्टमेंट आर0 ई0 एम0 से भी गया गुजरा हो गया है । मैं

कहना चाहता हूं कि लालगंज-मूरली-छपरा मार्ग में जो पुलिया बनी थी, वह ध्वस्त कैसे हो गई । इस प्रकार निर्माण कार्यों में लूट हो रही है । इसको आप रोकें । इसी प्रकार स्थानान्तरण (ट्रांसफर) के संबंध में भी विभाग की कोई नीति नहीं है । जो सिफारिश करके आना चाहता है, उसके काम को इनके अधिकारी करते नहीं है क्योंकि वह फिर उससे रिश्वत नहीं ले पायेंगे । आपके पी0 डब्लू0 डी0 में एक इलेक्ट्रिकल डिवीजन लखनऊ में है, वहां पर जूनियर इंजीनियर 10-10 साल से पड़े हुये है । मैंने सचिव से एक जूनियर इंजीनियर के लिये सिफारिश किया तब उन्होंने आदेश भी किया । किन्तु सचिव के आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सचिव का विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भी अधिकारी इनकी बात को सुनता नहीं है । जो 15-15 साल से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिवीजन लखनऊ में संख्या से अधिक पड़े है, उनके अतिरिक्त नई नियुक्तियां और कर ली गई । क्यों ? एक तरफ यह कहते है कि हमारे यहां स्ट्रेन्थ पूरी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि नयों लोग कहां से आ गये ? मैं कहना चाहता हूं कि स्थानान्तरण के बारे में कोई स्पष्ट नीति बनायी जानी चाहिये ।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को सेतु निगम को सराहूं कि निर्माण निगम को सराहूं, शासन को सराहूं कि विभाग को सराहूं, मंत्री जी को सराहूं कि मुख्यमंत्री जी को सराहूं ।

मान्यवर, हमें उम्मीद थी कि आप न्याय करेंगे शतरुद्र प्रकाश जी से, एक आलोचक के रूप में अच्छा वक्ता पाया, हम चाहते थे कि वह एक समालोचक के रूप में आते तो ज्यादा अच्छा होता । सेतु निगम की प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे आप । 14 साल की उम्र की संस्था, डेढ़ करोड़ रु0 की पूंजी से कार्य शुरू किया, आज 20 करोड़ रु0 मुनाफा कमा चुकी है । सार्वजनिक क्षेत्र में जितने निगम है, निश्चित रूप से माननीय सदस्य उनकी स्थिति से चिन्तित है, लेकिन सेतु निगम के पास आज 30 करोड़ रु0 की अपनी मशीनें है । आज उसकी पूंजी 8 करोड़ 45 लाख रु0 हो चुकी है । आप जानते है यह प्रदेश नदियों का प्रदेश है, नदी के दोनों किनारों को मिलाने की जिम्मेदारी जिस पर है, इसी निगम ने करीब 582 पुलों का अभी तक निर्माण किया है, 426 करोड़ रु0 की पूंजी का । यह विश्व में अपना कीर्तिमान है । शायद एक भी एजेन्सी विश्व में कोई ऐसी नहीं है कि अपने क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि प्राप्त की हो ।

जहां हमारा पी0 डब्लू0 डी0 इस प्रदेश के 1,12,567 किनारों को जोड़ने का काम करता है, जहां सेतु निगम नदियों के दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, वहीं निर्माण निगम गगनचुम्बी भवनों को बनाकर जमीन को आसमान से जोड़ने का काम करता है, क्या यह प्रशंसा की बात नहीं है ? आज निर्माण निगम के बारे में कहना चाहूंगा कि 5 लाख की पूंजी से जिसने काम किया और जिसका टर्नओवर पहले ही साल में 132 लाख रु0 था, आज 9150 लाख रु0 टर्नओवर साल का होने जा रहा है । जिस सेतु निगम का टर्नओवर साल का 6 करोड़ रु0 था, वह आज 65 करोड़ रु0 होने जा रहा है । ये दोनों निगम इस समय आमदनी के निगम है, 9 वर्षों से सेतु निगम बराबर लाभ कमा रहा है । 12 साल के कार्यकाल में 2 साल को निकाल दें तो 10 साल में निर्माण निगम ने लाभ कमाया है । सड़कों के बारे में शतरुद्र प्रकाश जी कह रहे थे । हमने जब किताब देखी उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हिसाब से अभी तक 92,254 कि0मी0 सड़क हमने तैयार कर ली है । यह बात अलग है कि पी0 डब्लू0 डी0 के जरिये 71,050 कि0मी0 सड़क बनवाई है । हमने किताब के आधार पर बात की है । इसमें देखा कि एक तरफ जहां सेतु निगम अपनी जगह पर उपलब्धि प्राप्त कर रहा है इसका कार्य केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान का शायद ही कोई ऐसा प्रदेश बचा हो जहां इसके द्वारा काम न हो रहा हो । यह भी आपको मालूम होना चाहिये कि जब यह लोग हमारे प्रदेश के बाहर जाते हैं तो कम्पटीशन पर जाते हैं । अगर इनका काम अच्छा न होता तो हमें प्रदेश के बाहर का और देश के बाहर का काम न मिलता ।

अभी मैं साहित्य को देख रहा था तो उसमें देखा कि केरला प्रदेश में इसने एक पुल का निर्माण किया है । उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से एक्सपर्ट्स ने इसकी तारीफ की है, वहां की सरकार ने भी तारीफ की है । इसके अतिरिक्त एक निगम और है राजकीय निर्माण निगम, इसने भी अपने कर्त्तव्य का निर्वाहन बहुत अच्छी तरह से किया है । मैं चाहता हूं कि मेरे साथी अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल अब नहीं देंगे । आप एक आलोचक के रूप में सफल रहे हैं, लेकिन जो आलोचना आपने की है, यह ठीक नहीं है ।

श्री मित्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शतरूद्र प्रकाश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मुझे इनके आंकड़ों में नहीं जाना है और न उसकी इसमें गुंजाइश है ।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि अभी लोकदल (अ) के सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा । सदन में उसके बाद दूसरे नम्बर पर हमारा दल आता है, किन्तु आपने हमें बोलने का मौका न देकर दूसरी पार्टी को बुलवा लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब हो गया । मैंने पहले माननीय मित्रसेन जी का नाम पुकार लिया ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, कौन किस नम्बर पर है, इसकी आप व्यवस्था दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था नहीं है, आप बैठिये ।

श्री मित्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग हमारे प्रदेश का बहुत ही पुराना विभाग है । किसी समय में इस विभाग के अन्तर्गत बिजली विभाग और सिंचाई विभाग भी हुआ करता था । इसने समय-समय पर अपने को पुनर्गठित किया और आज इसमें अफसरों की बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गयी है । लेकिन इस विभाग में काम करने वाला शायद ही कोई व्यक्ति हो, इसी विषय पर आज मैं यहां विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

हमारे शासन के आदेश हैं कि हमारे यहां डेली वेजेज के जो कर्मचारी हैं, अगर उनको काम करते हुए तीन साल हो जांय तो उनको रेगुलर कर दिया जाय, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं होता है, उनको रेगुलर नहीं किया जाता है । जो लोग रेगुलर हैं उनको कंफर्म नहीं किया जाता है । इस विभाग में पच्चीस हजार कर्मचारी हैं जो कि अस्थायी हैं और उनमें से बहुत से लोग रिटायरमेन्ट की सीमा पर पहुंच गये हैं लेकिन अभी तक उनको कंफर्म नहीं किया गया है । वे सब डेली वेजेज के कर्मचारी के अलावा और कुछ नहीं माने जाते हैं ।

मेरे पास एक पुस्तिका है जो कि आपके विभाग की ओर से बांटी गयी है जिसका नाम है "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक" इसके पृष्ठ 49 की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मान्यवर, इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों से कहा जाता था कि जिला योजना से सड़कें आनी चाहिये, स्टेट सेक्टर की सड़कें आनी चाहिये । आपने तमाम योजनाओं को अलग-अलग बांट करके हमसे सड़कें लाने के लिये अलग-अलग प्राविधान किये जाने की बात कही, किन्तु पृष्ठ 49 के क्रम संख्या 5 पर आप देखें जिसमें दिया हुआ है कि वर्ष 1987 में हमारे क्षेत्र बीकापुर जाना-बाजार मार्ग जिसके लिये 56.50 लाख रु0 प्रस्तावित था उसे आकस्मिकता निधि से बनाया गया जबकि यह सड़क ना तो सा0 नि0 वि0 की थी और न जिला परिषद् की थी, यह सड़क सिंचाई विभाग की है जिसे इन्होंने आकस्मिकता निधि से धन दिया गया है । दूसरी तरफ मान्यवर, बीकापुर मलेथूकनक-इनायत नगर मार्ग, यह सड़क 22 कि0 मी0 लम्बी है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने 16 कि0 मी0 करके सैंकशन करवाई क्योंकि इनके क्षेत्र के अन्तर्गत 16 कि0मी0 ही सड़क आती है और 6 कि0मी0 दूसरे के क्षेत्र में इसलिए पूरी लम्बाई को न दिखाकर इस तरह से स्वीकृत 52.73 लाख में कराकर बनवा लिया और आप तारीफ करने की बात कह रहे हैं, तारीफ तो हम लोग आपकी बतायेंगे कि माननीय मंत्री जी ने अपने मंत्री पद का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई योजनाओं में अपने क्षेत्र गोरखपुर में किया है मनमाने ढंग से और भेद-भाव पूर्ण ढंग से धन का आवंटन किया गया है और आज भी किया जा रहा है और कई 16 कि0मी0 की ऐसी सड़के हैं, जिन्हें माननीय सीताराम निषाद जी ने बनवाई अपने क्षेत्र में लेकिन उनका नाम भी नहीं दिया गया और आप तारीफ की बात कह रहे हैं, तारीफ तो मान्यवर उन कर्मचारियों की की जाए जिन्होंने माननीय सीताराम निषाद के द्वारा करोड़ों रु0 की जो जमीन हड़पी गयी है, का पर्दाफाश किया, तो ऐसे लोगों की तारीफ करने के बजाए उनके खिलाफ कई कार्यवाही चला दी गयीं और इन सभी लोगों के दूर-दूर ट्रांसफर कर दिए गये तथा दूसरी अन्य प्रकार की और भी सजाएं दी गयीं और मान्यवर यही नहीं हमारे फैजाबाद में अयोध्या के मार्ग और चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण में व इसी प्रकार के और निर्माण में करोड़ों का घोटाला इनके द्वारा किया गया है । मान्यवर जितने भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी इस विभाग में हैं, शायद ही किसी दूसरे विभाग में मिलें ।

मान्यवर यही नहीं जो छोटे-छोटे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं इनके विभाग में उनसे भी इन मंत्रियों के द्वारा बेगार कराया जाता है, इनसे घर के बीवियों के कपड़े धुलवाये जाते हैं, जानवर, चरवाए जाते हैं, तरह तरह के काम उनसे लिये जाते हैं और यह व्यापक भ्रष्टाचार है । यह माननीय मंत्री जी जो यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनके तो बैल के गले में घुंघरू बांध कर बैठा दिया जाय और घुमाया जाय ये भोला शंकर जी हैं केवल यह चक्कर लगाने के हैं मंत्री जी नहीं बन सकते हैं और इनसे कोई काम हो

नहीं सकता हूं . . . (व्यवधान) इसी के साथ मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं ।

श्री बद्री सिंह—

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध । मान्यवर, अभी हमारे माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने यहां पर कुछ बातें कहीं, उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए भाषण को सुना ही नहीं और न ही उन्होंने शायद महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण ही गौर से सुना, जिसमें सीमान्त गांधी व चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इन्होंने उसे भी नहीं सुना । इससे बड़ी खेद की बात और क्या होगी । जहां तक मान्यवर आज के बजट की बात है, सेतु निगम के बारे में जो कहा गया है, वह भी मान्यवर सत्य से परे है ।

सेतु-निगम ने मान्यवर देश और विदेश में कार्य करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है जो किसी से छिपा नहीं है सेतु निगम हर पांचवे दिन एक सेतु का निर्माण कर रहा है वह गौरव की बात है । सितम्बर, 87 तक निगम ने देश व विदेश में 426 करोड़ रु0 के 582 कार्य पूरे किए हैं, इसी प्रकार से 124 करोड़ रु0 के 31 कार्य किए, और जिसमें 112 करोड़ रु0 के 29 कार्य किये थे । सेतु निगम विगत 9 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है । देश और विदेश में पूरे किये और मान्यवर यही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कारण ही भारत सरकार ने सेतु निगम को नेपाल में 10 करोड़ रु0 की लागत का कोठलापुर महाकाली प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य सौंपा है । साथ ही मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 1986-87 के अन्त तक 92,254 कि0मी0 सड़कों की लम्बाई थी, 1987-88 के अन्त तक 96,714 कि0मी0 होनी संभावित है और 1988-89 तक 98,650 कि0मी0 हो जानी संभावित है, इस प्रकार से कुल मिला कर यह विभाग प्रशंसनीय कार्य कर रहा है और अब मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वहां पर कौनी-कलां से मार्ग बनने अत्यंत आवश्यक है । एक तो ग्राम बम्हौरा के पास नाले पर पुल का बनना बहुत आवश्यक है इसी प्रकार से भदरखी के पास का पुल व रायड नाले पर भी पुल का बनना बहुत आवश्यक हो गया है । मेरा क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र है । इन पुलों के बनने से दस्यु उनमूलन में सहायता मिलेगी । गोकुलपुरा से हथना बुजुर्ग तक पक्का मार्ग, कालपी से गुलौली मार्ग, चलेला बेतवा तक सड़क तथा इकौना, यमुना घाट तक इन सड़कों को बनवाया जाना भी परम आवश्यक हो गया है । इसी प्रकार से बेतवा में चड़ौत पर पुल का बनाया जाना भी परम आवश्यक हो गया है, इससे मान्यवर दिल्ली-कानपुर व बम्बई मार्ग को जोड़ेगा और अंत में मान्यवर यमुना में "पाल गांव पर" पैन्टून पुल का निर्माण कराया जाना बहुत ही जरूरी है । अन्त में मैं मान्यवर माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, यह विभाग ऐसा है, जो देश और प्रदेश में अपना स्थान बनाये हुये है । मान्यवर, 57 देशों के मुकाबले में रूस और चीन जैसे देशों में इसने एवार्ड प्राप्त किया है, यह प्रदेश के लिये गौरव की बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं, जो इस विभाग को पीछे ले जाना चाहते हैं । इस विभाग के मुख्य अभियन्ता नरेश चन्द्र सक्सेना और सुनील पान्डिया हैं, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप आडिट रिपोर्ट में सामने आये हैं ।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि सिंगिल कोटेशन में किसी ठेकेदार को काम नहीं दिया जा सकता है, लेकिन श्री सक्सेना ने कन्नौज गंगा सेतु पर अपने चहेते ठेकेदार, अशोक कुमार को सिंगिल कोटेशन के आधार पर काम दे दिया और 345 रुपये के स्थान पर 500 रुपये में प्रति वर्ग कि खुदाई का काम दिया और मान्यवर उसी के साथ गोमती सेतु लखनऊ में सिंगिल कोटेशन के आधार पर 600 रुपया के रेट से नरेश चन्द्र सक्सेना ने काम दिया । मान्यवर एक जगह और है, गुजरात में माही सेतु जो उमेठा में बन रहा है, वहां पर 1200 रुपया के हिसाब से काम दिया, जब कि उसी काम को दूसरा ठेकेदार 850 रुपये में करने के लिये तैयार था और जब इन सब बातों की जांच हुई तो इनकी सत्य निष्ठा में प्रतिकूल प्रविष्ठि कर दी गयी, लेकिन इन्होंने उच्च अधिकारियों से मिलकर और शासन के अधिकारियों से मिल कर उसको ठीक करा लिया और जल्दी ही एम0 डी0 का स्थान लेने वाले हैं, उस पर जाना चाहते हैं ।

मान्यवर, यही ऐसा निगम है, जिसने देश और प्रदेश विदेश में नाम कमाया है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच करायी जाय और इसको देखा जाय कि इनको प्रतिकूल इन्ट्री किस कारण से मिली थी और किस कारण से ठीक की गयी, इसकी जांच होनी चाहिए । इसी प्रकार से इस विभाग में एक आर0 एन0 त्रिपाठी, एम0 ए0 फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो सात साल से कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इन्होंने एक साल में पान, बीड़ी, सिगरेट और मनोरंजन पर तमाम रुपया खर्च किया और आडिट जब किया गया तो पाया गया कि 8 हजार के वाउचर्स नहीं हैं, इस प्रकार से इन्होंने सरकारी धन का गबन किया है, उसकी जांच करायी जाये और इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई जाये और इनको मुवत्तली किया जाये । मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि जब वे अपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलें तो इन चीजों पर भी बल दें । अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, फतेहपुर से कानपुर के बीच में एक रिन्द नदी पड़ती है, जो दोनों को जोड़ती है, वहां पर पुल नहीं है, यहां पर पुल की बड़ी आवश्यकता है । यहां पर एक भहरहा रोड है, इसको महात्मा गांधी रोड भी कहते हैं, महात्मा गांधी जी इसी सड़क से चले, आज डांडी यात्रा की बात की जाती है, लेकिन वह आज तक वैसी की वैसी पड़ी हुई है, आश्वासन दिया गया था कि दो साल में बन जायेगी, लेकिन आज तक वैसी पड़ी है । . . . मान्यवर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नेशनल हाई वे के जोमेट हैं, मजदूर हैं वे डेली वेजेज में काम करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप थोड़ा रुक जांय ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

मुख्यमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1987-88 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्याय—

प्रतियां बांट दी जांय ।

(अनुपूरक अनुदानों की प्रतियां बांटी गईं ।)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) तथा अनुदान संख्या 74 (क)-सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

(क्रमागत)

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्यायें रख रहा था । फतेहपुर जिले के अन्दर सड़कों की हालत अत्यन्त खराब है । सबसे बड़ी चीज यह है कि वहां पर जो नेशनल हाई वे ब्रेट के पदों पर जो मजदूर काम करते हैं वे पांच-पांच और दस-दस सालों से डेली वेजेज में काम कर रहे हैं । उनकी स्थायी नियुक्ति करना आवश्यक है । अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, अभी मैं विपक्षी सदस्य माननीय शतरुद्र प्रकाश जी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था । मुझे उम्मीद थी कि जब शतरुद्र प्रकाश जी बोलेंगे तो निश्चित ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में वे यह कहेंगे कि हमने सन् 1947 से आजतक 15 हजार कि0मी0 से बढ़ाकर हमने 62 हजार कि0मी0 सड़कें बनाई हैं तो उसके बीच में हमने युद्ध भी लड़े हैं, प्राकृतिक आपदायें भी झेली हैं, तरह-तरह की मुसीबतें आई हैं जिससे हमारे बजट में कटौतियां हुई हैं । इसके साथ ही साथ मान्यवर, 1977 से 1980 तक के काले तीन साल भी झेले हैं । उसके बावजूद यदि हमने 62 हजार किलोमीटर सड़कें बनायी हैं तो उन्हें निश्चित रूप से हमें बधाई देनी चाहिये थी ।

दूसरी बात यह है कि यदि सेतु निगम पर ही हम पूरी तरह केन्द्रित रहे । बड़ी चतुराई से उन्होंने यह बात कही । सेतु निगम ने ईराक में 120 करोड़ रुपये का काम कराया । 25 करोड़ रुपये के कार्य पर हमें सोने का मेडिल मिला । इसकी उन्होंने चर्चा नहीं की । नेपाल में सेतु निगम ने 22 पुल बनवाये । किसी एक पुल के डिफेक्ट की चर्चा उन्होंने कर दी लेकिन वह भी सही है या गलत, भगवान जाने । फेरा की बात उन्होंने कही । मैं बताना चाहता हूं कि जब इस निगम ने 120 करोड़ रुपये का काम ईराक में किया, नेपाल में किया विदेशी मुद्रा अर्जित की तो 2600 डालर फीस जमा करने में कौन सा फेरा का कानून लागू हो गया । यदि हुआ भी है तो उस पर मुकदमा दायर करें । मुझे इस कारपोरेशन के संबंध में और कुछ नहीं कहना है, मुझे तो सिर्फ यह कहना है कि आज तरह से लोग प्राइवेट सैक्टर का समर्थन कर रहे हैं और सार्वजनिक निगमों को खत्म कर देना चाहते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं । मैं इस बात का सरकार का पूरा समर्थन करता हूं और इस निगम को बधाई देना चाहता हूं कि इसने पूरे विश्व में सफलतायें अर्जित की हैं ।

दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मान्यवर, इन्होंने राजकीय निर्माण निगम की चर्चा नहीं की क्योंकि यह उसी बिल्डिंग में रहते हैं (व्यवधान) सड़कों की लम्बाई बढ़ाने से पहले यह जरूरी है कि उनकी मेंटीनेन्स की जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर जिनका बजट चल रहा है वह नहीं बैठे हैं ।

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।**

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शतरुद्र जी बैठे हैं आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं । अब आप नरेन्द्र देव जी समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़कें बनाई हैं, पुल बनाये हैं आज जो विकास के काम हो रहे हैं वह इसी विभाग ने किये हैं । मैं सेतु निगम और निर्माण निगम को बधाई देता हूं इनके अधिकारियों की प्रशंसा करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री किशन लाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस बात के लिए आभारी हूं कि कम से कम इतने दिनों के बाद मुझे आपने बोलने का समय दिया । मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश जी के कटमोशन का समर्थन करता हूं । मान्यवर, इस सरकार का कुछ ऐसा क्रम बन गया है कि जो सड़कें 1967-68 और 69 में बनी उसके अलावा पीलीभीत में कोई सड़क नहीं बनी । इनके इस बजट में पालीभीत का कहीं नाम नहीं है । यह जो मंत्रि मण्डल में बैठे हैं इनको पता नहीं है कि कहीं इस नाम का जिला भी है या नहीं । 1967-68 के अलावा पीलीभीत में कोई सड़क नहीं बनी । आज दिन भर यहां पर पी0 डब्लू0 डी0 को दुहाई दी गयी और आर0 इ0 एस0 की बात बोलते रहे । आर0 ई0 एस0 से इन्होंने एक तिजारत शुरू कर दी है जिसके माध्यम इनके चले दलाली करते हैं । आर0 इ0 एस0 सड़क बनाना क्या जानता है । जो सड़कें 1967 से 69 तक बनी है उनको भी इनका विभाग पूरा नहीं करता है । (व्यवधान) हमारे यहां पीलीभीत में आज तक तब से लेकर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है । 25 कि0 मी0 सड़क जो 8, 10 साल पहले बनी थी उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ वहां कोई पुल नहीं बनाया गया है । जो खड़ंजा लगा था वह भी टूट गया है उसे कोई देखने वाला नहीं है ।

मैं जानना चाहता हूं कि सब जिलों में पीलीभीत का नाम सड़कों के बनाने में क्यों नहीं है । मेरे क्षेत्र में पाटा से देवरिया तक जो 26 कि0मी0 लम्बी है जिसमें 3 हजार, 2 हजार आबादी वाले सैकड़ों गांव गवर होते हैं उसमें बीच में एक नदी पड़ती है उसमें कुलावा डाल दिया है लेकिन पुल नहीं बना है । जिसका प्राविधान इसमें नहीं रखा गया है । इसी तरह से बरेली राजमार्ग पर खडमिया पुल से कनाकोर होते हुए उमसड़ तक 16 कि0मी0 सड़क को पक्का कर दिया जाय । इसके लिए इसमें प्राविधान जरूर होना चाहिए । हमारे यहां सड़कें और पुलिया टूटी हैं, इसलिए मेरा कहना है कि जो सड़कें बनायी हैं जिसमें करोड़ों रुपया लगा है उनको तत्काल बजट में प्राविधान करके पक्का बनाना चाहिए । मान्यवर, एक सड़क पीलीभीत से निकलती है, जिसकी लम्बाई 27 किलोमीटर है, जिसमें 3-4 हजार आबादी के 45 गांव पड़ते हैं, 1967 में यह सड़क बनी थी जो अब बेकार हो गयी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको पक्का बनवा दिया जाये । मान्यवर, (इस समय 5 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए ।) सरकार पुरानी जो सड़कें

अब टूट गयी हैं, पुलिया टूट गयी हैं उनको बनवाने का काम क्यों नहीं करती है । अब आप जाने वाले हैं और हमारी सरकार आने वाली है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी के बजट का विरोध करता हूं और चूंकि मंत्री जी ने बजट में पीलीभीत के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिये मैं बजट की यह पुस्तक फेंक रहा हूं ।

(माननीय सदस्य ने बजट की पुस्तक को सदन के वेल में फेंका)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को यह काम करना शोभा नहीं देता है । मैं इसकी निन्दा करता हूं ।

श्री श्रीनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विभाग है जो जनता की आर्थिक स्थिति के सुधारने में एक अहम भूमिका अदा करता हूं । मान्यवर, मैं किसी निगम या सार्वजनिक निर्माण विभाग की आलोचना न करके अपने जिले की समस्या रखना चाहता हूं । मैं बनारस जिले से चुनकर आता हूं ।

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने लखनऊ से वाराणसी और आजमगढ़ से वाराणसी को जोड़ने का काम किया है और इन मार्गों को अच्छा करने के लिये मरम्मत का कार्य शुरू किया है । मान्यवर, यह विभाग अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध है । मान्यवर, सारे सदस्य आर0 ई0 एस0 और खण्ड विकास द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनकी ओर हिकारत की दृष्टि से देखते हैं लेकिन यह विभाग जो अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध था वह आज अपने मानक पर कायम नहीं है जिसके लिए मुझे तकलीफ है, इसलिए मंत्री जी इसके स्टैन्डर्ड को कायम रखें तो बड़ी कृपा होगी ।

मान्यवर, श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा कि सड़कें नहीं बनी हैं तो यह कहना सत्य से परे है । तीन-चार सड़कें बनारस में ही बनी है । हम और वह बनारस के ही रहने वाले हैं, तीन-चार सालों में वहां जितनी सड़कें बनी हैं उतनी पहले नहीं बनी हैं ।

मान्यवर, इसके मैकेनिकल साइड में जहां मोटरों की मरम्मत रोलरों की मरम्मत के कामों पर परिव्यय नहीं लूट होती है । दो-तीन साल पहले भी इस संबंध में मैंने कहा था कि लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । मैं अपने शहर की समस्या की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं और जैसा कि श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा है कि रामनगर के पास एक ब्रिज के निर्माण की बात तत्कालीन प्रधान मंत्री ने कही थी लेकिन आज तक, जबकि किसानों के खेत भी ले लिये गये और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है, उस पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है । उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का एक ब्रिज है, जो पुराना पड़ गया है . . . । भगवान न करे कि किसी दिन उसमें कोई गड़बड़ी हो तो उत्तर और दक्षिण भारत का संबंध टूट

जाएगा । तो इस पुल को शीघ्र बनाने की आवश्यकता है । यह हमने सुना है कि उस पुल के बनाने के लिए उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम का ठेका भी दे दिया गया है । फिर भी उस पर काई कार्य क्यों नहीं हो रहा है, यह सरकार जाने । मेरा अनुरोध है कि बनारस का ध्यान रखकर सरकार उसको जल्दी बनवा दे । बनारस में बाबतपुर का एक ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उससे जो सड़क नगर आती है उसकी बड़ी दुर्दशा है । यह 14 मील का लम्बा सड़क है और मैं उसे बनते 10-15 साल से देख रहा हूं, लेकिन वह कभी पूरी हो नहीं हो पाती है । अभी भी वह सड़क ठीक से नहीं बन पाई है । अभी मुख्य मंत्री जी जब बनारस गये थे, और बाबतपुर हवाई अड्डे से आ रहे थे तो उस सड़क की बदतर हालत देखकर उन्होंने कहा था कि इससे संबंधित जो इंजीनियर हो, उसे तत्काल सस्पेण्ड कर दिया जाये । फिर भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और उस सड़क का निर्माण उसी धीमी और खराब गति से हो रहा है । इस हालत को वहां बनारस जाकर कोई भी देख ले ।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ सड़कों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनको शीघ्र ठीक से बनवाये जाने की आवश्यकता है । एक तो बनारस से बाबतपुर की सड़क है, उसे शीघ्र बनाया जाये । दूसरी मुगारी से सारनाथ की सड़क है, इसके बारे में सचिव ने भी आदेश किये थे कि इसको बना दिया जाए, लेकिन जिले के अधिकारी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं । वह सड़क शीघ्र बनाई जाए । इसके अलावा पंचकोशी से वीरापट्टी की सड़क, भोजूवीर से सिंधौरा को सड़क और पहाड़िया से बेला तक की सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाए । यह सड़कें बनारस के लिए बहुत आवश्यक है । मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया । (व्यवधान) मैं जो पी0 डब्लू0 डी0 का जो बजट है, जिसे हमारे मंत्री जी ने रखा है, उस पर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । श्रीमन्, चाहे जयकर समिति हो, चाहे नागपुर समिति हो और चाहे बाम्बे लाइन, सबने एक राय दी कि इस प्रकार काम किया जाय, तो सड़कों का निर्माण ठीक प्रकार से हो सकता है । किन्तु भोजपुरी में एक कहावत है कि "भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पगुराय," वही दशा इस सरकार की भी रही है । चाहे जो भी समिति की रिपोर्ट रही हो, चाहे जो भी प्लान रहा हो, उस पर यहां कोई ध्यान नहीं दिया गया है । चाहे हमारे विपक्षी भाइयों ने समय-समय पर अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हों, उन किसी पर भी कभी सरकार द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है । इसका परिणाम यह है कि जहां हमारे पास आज 94,200 किलोमीटर सड़क होनी चाहिए थीं उसके विपरीत जैसा यह कहते हैं केवल 62,000 किलोमीटर सड़कें हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है, इस प्रदेश के जितने संसाधन हैं, उनको देखते हुए सड़कों की लम्बाई जो प्रदेश में होनी चाहिए थी, वह बहुत कम है और पूरे देश में सड़कों की लम्बाई की दृष्टि से इसका स्थान नीचे से चौथा है । इसलिये वे बजट को बढ़ायें और बजट का सदुपयोग करें ।

पी0 डब्लू0 डी0 में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे कार्य नहीं हो पाता है, उसमें सुधार करें । पी0 डब्लू0 डी0 में जैसी उदासीनता है, उसको हम दूसरे विभागों में नहीं देखते हैं । हमारे बलिया जनपद में सवरा का पुल, बजहा का पुल और शहर में कटहर नाला का पुल जो वर्षों से स्वीकृति, उसका बनाया जाना बहुत जरूरी है । इन तीनों पुलों को यदि शीघ्र बना दिया जाता तो जनता को सुख सुविधा मिलती, लेकिन वह भी नहीं हुआ । आज अब बजट न होने के कारण उसके काम रुके हुए हैं ।

श्रीमन् आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाए उसको पूरा किया जाए । और जिन लोगों ने इसमें उदासीनता बरती है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये । पी0 डब्लू0 डी0 विभाग और अन्य विभागों में कोआपरेशन होना चाहिए । बलिया जनपद में बलिया चिकित्सालय बनाने की स्वीकृति मिल गई है, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से जमीन देनी है । जमीन नजूल लैण्ड से लेनी है, लेकिन दोनों विभागों में कोई कोआपरेशन नहीं है, जिसकी वजह से कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है । आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग रहे और माल विभाग, नजूल भूमि विभाग में सहयोग बना रहे और विवाद में कार्य न रुके ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बलिया में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के लिये नजूल लैण्ड से जमीन लेनी थी लेकिन यह भूमि भी नहीं मिल सकी जिसकी वजह से यह कार्य नहीं हो पा रहा है । मैं चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको रोका जाए और अन्य विभागों के साथ सहयोग बनाया जाय । जो प्रोजेक्ट बनते हैं उनको समय के साथ पूरा करने का प्रयास किया जाए । बलिया में इस विभाग को जो पैसा दिया गया और जिस काम के लिये दिया गया वह पैसा इस विभाग ने उस कार्य पर खर्च न करके एन0 एस0 सी0 में जमा कर दिया है । अतः जिस व्यक्ति ने उस कार्य पर खर्च न करके एन0 एस0 सी0 में जमा कर दिया है । अतः जिस व्यक्ति किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए । मान्यवर, गंगा नदी जो बलिया के पास है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है वहां पर शिवरामपुर पैन्टून पुल बना है वह बड़ा उपयोगी है । धनाभाव में पूरा नहीं हुआ अतः धन देकर पूरा करावें । इस पुल को पक्के पुल में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि बिहार के पटना और अन्य स्थानों की दूरी 75 किलोमीटर कम हो जाए । मान्यवर, जो सुझाव मैंने दिये हैं इनको अपने माध्यम से सरकार के पास पहुंचवाने का कष्ट करें ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट जो माननीय राज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है । बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसकी मैं निन्दा करते हुए उनसे कहूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को पेश कर उन्होंने प्रदेश के रचनात्मक कार्य में अवरोध उत्पन्न की है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में भीषण सूखे का प्रकोप व्याप्त है ऐसी स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा माननीय राज्य मंत्री जी ने जिस तरह से सूझबूझ के साथ एन0 आर0 ई0 पी0 तथा आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के माध्यम से प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछाया है चाहे कच्ची सड़कें हों, चाहे खडंजा वाली सड़कें हों, या पक्की सड़कें हो । इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया ।

सूखा में रोजगार की दिशा में ग्रामीण अंचलों, खेतिहर मजदूरों, गरीबों और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये जो कार्य पी0 डब्लू0 डी0 की तरफ से किये गये हैं वह भी निश्चित रूप से सराहनीय हैं । इस समय भीषण सूखे के समय में प्रदेश में जो रोजी-रोटी को परेशानी थी उसका निवारण माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, के जरिये हुआ है । आजादी के बाद 15 हजार 113 कि0 मी0 सड़के इस प्रदेश म थीं अब आजादी के 40-42 सालों के बाद हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 92 हजार 254 कि0 मी0 सड़कें बनाई जो अपने में एक मिसाल है । इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि बहुत महत्व रखती है । ओलावृष्टि, अकाल और तमाम दैवी आपदाओं के पड़ने के बाद इन्होंने जो कार्य किए हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो उत्तर प्रदेश राजकीय सेतु निगम द्वारा अब तक उपलब्धियां की गयी हैं वह निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य हैं । सेतु निगम ने डेढ़ करोड़ रुपये की पूंजी से अपने कार्य की शुरुआत की थी और इस विभाग ने अब तक कुल 25 करोड़ रुपये का लाभ करीब 14 वर्षों में दिया है तो यह निश्चित रूप से प्रशंसा का कार्य है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनपद इलाहाबाद के अपने क्षेत्र सिराथू का ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी आती है । जब भगवान राम का वन गमन हुआ था तो वह फैजाबाद होते हुए रायबरेली-प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ से होते हुए उन्होंने गंगा पार की थी । इलाहाबाद जनपद के झूसी होते हुये यमुना पार करके बांदा चित्रकूट पहुंचे थे । मैं चाहूंगा कि जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि समूल मानव समाज को एक दिशा दी है और समाज में आदर्श स्थापित किया है ऐसे राम का जो वन गमन मार्ग था वह 4-5 जिलों को जोड़ता है तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में गढ़ी मानिकपुर एवं जनपद इलाहाबाद को कड़ा घाट के बीच कड़ा में गंगा नदी पर पुल बनवाया जाय । यह पुल बनना प्रस्तावित है लेकिन अभी तक नहीं बना । जिससे लोगों के आवागमन का घोर कष्ट है इसके बनने से 4-5 जिले लाभांवित होंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मान्यवर, हमारे यहां सिराथू में समसाबाद बाजार और मलाकपिंजरी के बीच ससुर खदेरी नदी पर एक रपटा बनाने की कड़ी आवश्यकता है । इसी तरह से कादीपुर इचौली मार्ग पर जहां सड़क बनी है वहां पर रपटा के अभाव में आवागमन अवरुद्ध है । इसी तरह से साता अलीपुर जीता मार्ग को अगर जी0 टी0 रोड तक पुराना कालाकांकर मार्ग पर करीब 14 कि0 मी0 सड़क बना दी जाती है तो सीधे आवागमन की सुविधा दो जनपदों को मिल जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें । मंत्री जी को बाकी लिखकर भेज दीजियेगा ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

इसी तरह से सिराथू ब्लाक में मझनपुर तहसील के पीछे से देवापुर गम्भीरा होते हुए उदाहन बुजुर्ग तक करीब 15-20 बड़े गांव वहा पर पड़ते हैं अगर वहा पर पक्की सड़क लगभग 13 कि0मी0 बना दी जाय तो प्रभावित सभी गांव का लाभ पहुंचेगा। इन शब्दों के साथ जो मेरे सुझाव दिये हैं माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उन पर ध्यान दें और शीघ्रताशीघ्र कार्य कराने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन तथा शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं.....

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मुझे भी समय मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे हर दल के माननीय सदस्यों को मौका देना है। आपके दल को मौका मिल चुका है। जब दोबारा मौका आयेगा तब मिलेगा। मैंने लोक दल (अ) के विजय सिंह राणा को बुलाया है।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं शतरुद्र प्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव का निर्माण करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो काम किये गये हैं उनकी समालोचना करते हुए सेतु निगम में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया। माननीय समरपाल ने बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार नहीं है। मैं उस व्यामोह से नहीं बच पा रहा हूं। अभी एक साथी ने कहा कि शिवा को सराहूं या सराहूं क्षत्रसाल को''। मैं सेतु निगम या निर्माण निगम किसकी बात करूं। ''साप न देहूं चुरु भरि पानी, जेहि निंदहि तेहि गंगा आनी।'' वह लोग जिन्होंने कभी चुल्लू भर पानी नहीं दिया है जब निन्दा करने लगते हैं तो गंगा जी को भी पीछे छोड़ देते हैं। आप मंत्री जी देखें तो पता चलेगा कि जिस सेतु निगम की यहां पर इतनी तारीफ की जा रही है उसमें कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने इसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप देखें कि किस तरह से यहां पर भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार को प्रचार दिया जा रहा है। गिरोहबन्द रूप से लोग किस तरह से विभाग की बखिया उधेड़ रहे हैं। शासन को पता लगाना चाहिए कि इस सेतु निगम में कौन लोग हैं जो स्वयं विभाग को बदनाम करने पर तुले हुए हैं।

मान्यवर, यहां एक चीफ इन्जीनियर हैं नरेश चन्द्र सक्सेना, इन्होंने निशातगंज, कुकरैल में एक पुल का निर्माण कराया था और उसके प्रयोग में आने वाली सम्पूर्ण सामग्री का अपना मनचाहा मुनाफा लेकर, मनचाहे ढंग से बेच दिया। मान्यवर, यही नहीं, 1982 में मध्य गंगा कैनाल पर मेरठ में हस्तिनापुर पर 22.50 मीटर लम्बी और 1.5

मीटर की मोटाई का बीम डाला गया था, जो खुलते-खुलते टूट गया । बीम को तोड़ने के लिए एक कम्प्रेशर मंगाया गया और प्राइवेट ट्रकों के माध्यम से उसका सामान चुपके-चुपके जंगल में फेंकवा दिया गया । बाद में इसकी जानकारी विभाग को दे दी गयी और विभाग ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की । मान्यवर, इसी तरह से हरिद्वार में कबाड़े का सामान एक सरकारी ट्रक में भर करके गाजियाबाद मंगवाया गया और कम दामों पर अपनी जान-पहचान की फर्म को बेच दिया गया । मान्यवर, नियमानुसार सामान को साइट पर ही टेण्डर के द्वारा नीलाम कराया जाना चाहिए था, किन्तु यह सब बलाये ताक रख कर केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर दिया गया । साथ ही गाजियाबाद में फेब्रीकेसन के लिए लाखों रुपयों का स्टील लिया गया, जिसकी सक्सेना एण्ड सक्सेना नाम की फर्जी कम्पनी से भारी रकम मुनाफे में लेकर बेच दिया गया ।

श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी जो तत्कालीन एम0 एल0 ए0 वहां से थे, उन्होंने इसकी शिकायत भी किया और उस शिकायत के बावजूद आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और वरिष्ठ अधिकारियों को लम्बी रकम देकर मामले को रफा-दफा करवा दिया गया । इस प्रकार से मान्यवर, तमाम भ्रष्टाचारी लोग एक संगठित गिरोह की भांति पूरे विभाग को तहस-नहस करने पर जुटे हुए हैं । मान्यवर, यही नहीं, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि ये लोग एम0 डी0 के वरिष्ठ पद पर आंख लगाये बैठे हुए हैं । इसीलिए एक निश्चित और सुनियोजित योजना के तहत एम0 डी0 पर आरोप गठित कर रहे हैं । मैं मान्यवर, किसी का बचाव नहीं करना चाहता हूं । मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऊपर से नीचे तक, वे विभाग की उपलब्धियों को तहस-नहस करने पर तुले हुए हैं । इन सबका पर्दाफाश होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और सच्चाई निकल कर सामने आनी चाहिए । मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, मान्यवर, अभी तो शुरू किया है और आपने लाल बत्ती जला दी । मान्यवर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पी0 डब्लू0 डी0 का एक पोथन्ना दिया गया है इसमें देखें । इसमें सारा का सारा बजट पी0 डब्लू0 डी0 का पूर्वी उत्तर प्रदेश में खर्च किया जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इसमें छुआ तक नहीं दिया गया है । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सीतापुर में जब सुनील शास्त्री थे तो उनके कहने से पैन्टून पुल यहां उत्तर प्रदेश से मंजूर कर दिया गया था लेकिन जब हमने आगरा में पैन्टून पुल की मांग की तो उससे कहा गया कि जिला सेक्टर में आता है । जिस बात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मांगे वह जिला योजना में आता है और जिसको यह मांगे वह सीधे इनके खाते से मंजूर हो जाता है ।

मान्यवर, आगरा एक महत्वपूर्ण जिला है जो उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वारा है जहां तीन नेशनल हाइवे और दो स्टेट हाइवे आकर मिलती है । ऐसी भौगोलिक स्थिति किसी दूसरे जिले की नहीं है । ऐसी स्थिति में भी आज तक यहां रिंग रोड बनाये जाने की योजना स्वीकृत नहीं हो सकी है । कंसलटिंग इन्जीनियरिंग सर्विसेज की रिपोर्ट मिल चुकी है रिंग रोड के बारे में लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब जवाब दें तो यह जरूर बतावें कि

कंसलटिंग इन्जीनियर की रिपोर्ट देने के बावजूद भी उसका निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ है ? मान्यवर, अब मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अभी मिट्टी स्तर को खड़ंजा स्तर की और दूसरे स्तर तक की सड़कें आपने बनी दीं लेकिन हम लोगों के कहने पर भी आज तक इन सड़कों को पेंटिंग स्तर तक नहीं ले जाया गया है और इन सड़कों की मिट्टी नदियों में बही जा रही है । यदि एक योजना के तहत अब तक बनी हुई सड़कों को पेंटिंग स्तर तक तैयार नहीं किया तो पिछली बनाई सड़कें मिटती रहेंगी और नई बनती रहेंगी और यही क्रम चलता रहेगा । अतः मैं चाहता हूं कि मिट्टी स्तर और खड़ंजा स्तर तक की सड़कों को पेंटिंग स्तर तक पहुंचाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं ।

*इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है । मैं माननीय राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रस्तुत किये हुए बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह विभाग बहुत पुराना विभाग है । इस विभाग के पास पहले सड़कें और भवनों के अलावा विद्युत् की व्यवस्था थी । आहिस्ता-आहिस्ता इस विभाग का विकास हुआ और आज यह विभाग सड़कों का निर्माण करने के लिए, पुलों का निर्माण करने के लिए, भवनों का निर्माण करने के लिए बहुत ही ज्यादा इसमें व्यवस्था कर दी गयी है । इस विभाग को इस समय 7 क्षेत्रों में बांट दिया गया है । मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो सड़कें हमारी नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे हैं आज आप देख लें कि उनका सुधार उनका मेन्टीनेंस किस तरह का किया जा रहा है । आज हम यहां से लखनऊ से बरेली, दिल्ली या नैनीताल जायं तो हम अपने कार में बैठें या बस में बैठकर जायं या छकड़ा बस में बैठकर जायं, इस तरह से हम जाते हैं कि कोई ठसका नहीं लगता और ऐसा लगता है कि वाकई में पेरिस में किसी रबर की सड़क पर चले जा रहे हैं । यह प्रगति सार्वजनिक निर्माण विभाग की पिछले 3 सालों में आपने देखी होगी ।

इस विभाग ने कितनी तेजी के साथ निर्माण और रख-रखाव इसका किया है, जितना पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है । यह हमारे वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री की व्यवस्था है । आज इन्होंने सड़कों की ओर ज्यादा ध्यान दिया है तो मैं समझता हूं कि जैसे प्रोडक्टिव काम है और नान प्रोडक्टिव काम है, सड़कें नान प्रोडक्टिव में आती हैं लेकिन मैं कहता हूं कि प्रोडक्टिव काम है जहां-जहां सड़कें जायेंगी वहां-वहां उत्पादन बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है ? खेती जो किसान करता है वह उसमें रूचि लेता है कि हम अपने अनाज को मंडी ले जा सकते हैं क्योंकि सड़कें हैं, उस सड़क पर रिक्शा, तांगा, मोटर चलने शुरू हो जाते हैं इसका उन्हें साधन मिल जाता है । सड़कों के किनारे खोंचा लग जाते हैं, खोखा लग जाते हैं, पंचर बनाने वाले बैठ जाते हैं । इस तरह से मैं समझता हूं कि जिस तरह की सड़कें इस सरकार ने दी हैं वह बहुत ही ठीक है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

मान्यवर, मैं एक मिनट अपने क्षेत्र की भी बात कहूंगा । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं कि बरेली से बदायूं, एटा, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, अलीगढ़, फर्रुखाबाद इन तमाम जनपदों की सड़कों को चाड़ा कर दिया गया है परन्तु जिला बदायूं से जो यह सड़कें गुजरी है उनको चौड़ा नहीं किया गया है, जिनका चौड़ा होना अति आवश्यक है । नामालूम यह काम किस आधार पर किया गया है कि जिला बदायूं को छोड़ दिया गया है जब कि जिला बदायूं में बबराला में एक फर्टिलाइजर कारखाने का निर्माण अरबों रुपये से किया जा रहा है जिसके कारण भारी-भारी वाहन और भारी मशीनों का आवागमन भविष्य में होगा जब कि बदायूं की यह सड़कें कम चौड़ी है । अतः इनका चौड़ा होना इसी वर्ष आवश्यक है । मान्यवर, बदायूं से एक मार्ग ग्राम सभा गिधौल को गया है यह मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, इसके बीच में एक छोटा सा पुल है जो कि पिछले 10 साल से नहीं बनाया गया है, जिसके कारण इस मार्ग से आवागमन सम्भव नहीं हो पा रहा है । यह ग्राम सभा 15 हजार से अधिक आबादी का गांव है । इसी जिले में बिसौली से आंवला मार्ग सा0 नि0 वि0 द्वारा बनाया गया है । इस मार्ग को स्टेट हाइवे में ले लिया जाय क्योंकि यह मार्ग बरेली, बदायूं, बुलन्दशहर और मुरादाबाद को जोड़ता है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं ।

श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आपने पी0 डब्लू0 डी0 विभाग पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और मा0 शतरुद्र प्रकाश ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देता हूं और इस सरकार ने जो बजट रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, यह सरकार ऊसर जमीन है । जैसा कि कहावत है कि "बरसे का पयोधि तू भान मोद मुख मांहि, यह तो ऊसर भूमि है यहां अंकुर उगिहें नाहिं ।" बार-बार हर साल इनका बजट आता है और हर बार कहते हैं कि पुलों का, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, उनको बढ़ाया है । लेकिन इस सरकार की गलत नीति के कारण इस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में बन गया है कि पूरी तरह बदनामी हो रही है । मान्यवर, यह कार्य जो प्रस्तावित करते हैं, उसे यह प्रस्तावित करा कर करा दें तो अच्छी बात है, लेकिन इनकी सरकार के इस विभाग के कर्मचारियों को न जाने किस प्रकार का शौक हो गया है कि जो रुपया स्वीकृत होता है, उसमें से कम से कम 40 परसेंट पहले ही उनको चाहिये । इसलिये जो कार्य निर्माण के लिये देते हैं, वह या तो अधूरा रह जाता है या होता ही नहीं । पता नहीं पूरा रुपया कहां हड़प कर लिया जाता है । इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी अपने विभाग पर अंकुश रखें और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनको निर्देश दें कि जिलों में पैसा पूरा का पूरा हड़प लिया जाता है । कहते हैं कि गांव में काम हो रहा है, लेकिन होता नहीं है ।

मान्यवर, इसके अलावा हमारे जनपद इटावा की यह स्थिति है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2-3 रात जाग जाइये, इसके बाद एक बढ़िया इम्पाला से आगरा, भिण्ड, फर्रुखाबाद होते हुए कानपुर से इटावा आइये । इटावा की सीमा पर नींद तुरंत खुल जायगी और पता लग जायगा कि इटावा जनपद आ गया । इसलिये इनके कारनामों के लिये कहना चाहूंगा कि इसमें सुधार करें और प्रदेश में जो कार्य करने के लिये पैसा फूंका जा रहा

है उसका दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें । मान्यवर, इसके अलावा मेरे क्षेत्र में 2-3 नदियां बहुत बड़ी-बड़ी हैं बवारी, चम्बल और यमुना । चम्बल नदी पर पुल के निर्माण के आदेश दिये गये हैं । चम्बल सबसे बड़ी नदी है, उसके पुल के निर्माण कार्य में पता नहीं क्यों अवरोध लग गया है । अगर गर्मियों में कार्य शुरू नहीं किया गया तो यह कार्य पिछड़ जायगा । मैं चाहूंगा कि चम्बल नदी के जिस पुल का निर्माण होना है, उसको शुरू कराया जाय । इसी के साथ-साथ इसी जमुना के पास खार के लिये 10 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे । अब वहां पुल के बनने से खार सम्भव नहीं है, इसलिये मेरे अपने क्षेत्र से नवादा और लखना की बीच में एक सड़क का प्रस्ताव किया गया है लेकिन विभाग के एक साल तक लगातार कई बार लिखने पर भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें और इस कार्य को शीघ्र करावें । इन शब्दों के साथ मैं दोबारा मा0 शतरुद्र प्रकाश जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आज सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट मा0 मौर्या जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मा0 शतरुद्र प्रकाश ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग का उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों में एक महत्वपूर्ण स्थान है । नगरों से ग्राम तक जाना हो या ग्राम से नगरों तक जाना हो, सड़क एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके रहते ग्रामीण अंचल और नगर जुड़ते हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पिछले तीन साल में जो पुलों और सड़कों का जाल बिछाया है, उसके लिये मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग पहले स्वयं सारे कार्य करता था । उसके बाद निर्माण निगम और ब्रिज कार्पोरेशन बना । आज उत्तर प्रदेश में जितनी प्रगति हुई है वह किसी से छिपी नहीं है । आंकड़े मा0 सदस्यों के सामने हैं । ब्रिज कार्पोरेशन के बारे में शतरुद्र जी कुवैत, ईरान और नेपाल की बात कह रहे थे । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिसकी प्रशंसा दिल्ली में हो रही है, एशियाड में 3 फ्लाई ओवर ब्रिज बनने थे । टाइम बाउन्ड प्रोग्राम में बनाने की बात थी । बहुत से होटल भी बनने थे, बहुत से लोग नहीं बना पाए । लेकिन ब्रिज कार्पोरेशन ने तीनों पुल समय के अन्दर बना दिये और आज भी दिल्ली में जो सब मार्ग बन रहे हैं, इसका कार्य ब्रिज कार्पोरेशन को मिला है । दिल्ली की जितनी सब-वेज बन रही है, आजकल जिन पर काम चल रहा है, यह ब्रिज कार्पोरेशन काम कर रहा है । मान्यवर, हमारे निर्माण निगम ने भी बहुत से कार्य किये हैं । लखनऊ के पास निर्माणाधीन संजय गांधी पोस्ट ग्रेजयूट इंस्टीट्यूट का राजकीय निर्माण निगम निर्माण कर रहा है । जिसकी प्रशंसा सिर्फ यहां के ही लोगों ने नहीं की बल्कि जो जापानीज टीम यहां पर आयी हुई थी उन्होंने भी उसकी प्रशंसा की । जो प्लेटफार्म और बिल्डिंग बनी है, उसकी उस जापानीज टीम ने बहुत तारीफ की थी । दूसरा कार्य राजकीय निर्माण निगम कर रहा है, सबसे बड़ा प्लेनीटोरियम यहीं लखनऊ में बन रहा है, जिसे राजकीय निर्माण निगम ने तो लिया है । अच्छी टेक्निकल-नो-हाऊ का इस्तेमाल करके, यह दोनों निगम राजकीय निर्माण निगम और सेतु निगम अच्छा कार्य कर रहे हैं और इन्होंने देश में ही नहीं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति अर्जित की है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरेन्द्र सिंह जी अभी बैठें । मैं बुलाऊंगा ।

श्री नरेश चन्द्र—

माननीय, इन दोनों निगमों ने सराहनीय कार्य किये हैं । जो आज उधर के बैठे हुए लोग यह कह रहे हैं कि विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है, यह सत्यता से परे है । माननीय, पी0 डब्लू0 डी0 की सबसे बड़ी एचीवमेन्ट्स रोड्स निर्माण की हुई है । पी0 डब्लू0 डी0 ने लखनऊ, कानपुर में जो रोड बनायी है, वह देखने लायक है । दिल्ली बाम्बे की पेवर रोड्स का यहां एक सपना था, लेकिन आज पेवर रोड्स यहां बनी हुई हैं । पी0 डब्लू0 डी0 ने पेवर रोड्स को इन्ट्रोड्यूस किया और लखनऊ, कानपुर में हम यह पेवर रोड्स देखते हैं । माननीय, लखनऊ में आवागमन की स्थिति को देखते हुए और जो हाई ट्रैफिक चल रहा है, उसको देखते हुए, एक सबसे बड़ा कार्य पी0 डब्लू0 डी0 विभाग के पास है रिंग रोड बनाने का । 32 कि0 मी0 का यह रिंग रोड बस्ती रोड, फैजाबाद रोड, कानपुर रोड और लखनऊ रोड में प्रस्तावित है । इस 32 कि0 मी0 में से 27 कि0 मी0 पर कार्य हो चुका है, 5 कि0 मी0 का कार्य अभी बनना है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस रोड पर ध्यान दें और जितना जल्दी हो सके इसको पूरा करायें । माननीय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेढ़ वर्ष पूर्व एक प्रेस कांफ्रेस में घोषणा की थी कि एशबाग ओवर हेड के फ्लाई ओवर का कार्य एक साल के अंदर प्रारम्भ हो जायेगा । यह ब्रिज पुराने और नये लखनऊ को जोड़ता है, हजारों आदमी रोज यहां से आते जाते हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर काम तुरन्त करा दिया जाय । माननीय, आप बार-बार बैठने के लिये कह रहे हैं, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

*श्री हरेन्द्र सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय, आज हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग जितनी छीछालेदरी में फंसा हुआ है, वह अपने आप में एक मिसाल है । माननीय मंत्री जी अपने भाषण के समय कह रहे थे कि अगर किसी के विरुद्ध शिकायत दी जायेगी तो तत्काल कार्यवाही करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई शिकायत दी जायेगी तो क्या वास्तव में आप कार्यवाही करेंगे ? कार्यवाही कर सकेंगे ? माननीय मंत्री जी अगर हां कह दें, तो मैं पूरे तथ्यों के साथ माननीय मंत्री जी को तमाम शिकायतें दे सकता हूं ।

माननीय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे जनपद में हिन्डन नदी के ऊपर एक ब्रिज बन चुका है । पुल का निर्माण अच्छा हुआ है, यह स्टेट सेक्टर से बना हुआ है, पुल पिछले तीन साल से खड़ा हुआ है, पर उसके साथ-साथ कहीं से एप्रोच रोड स्टेट सेक्टर के द्वारा नहीं बनायी गयी है । जहां 60 लाख का पुल बना हुआ है, वहां एप्रोच रोड की बहुत जरूरत है । साथ ही माननीय, आपके विभाग में भ्रष्टाचार होने की शिकायत आम हो गई है । वहां पर 40 प्रतिशत कमीशन बिल्कुल खुले रूप में दिया जाता है । माननीय, इनके विभाग ने मिट्टी डालने के काम में भी बड़ी डकैती मचाई है । माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक गांव है, जहां पर एक किलोमीटर सड़क 60 हजार रुपये में बनाई गई है और एक दूसरी जगह एक किलोमीटर सड़क 74 हजार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुपये में बनाई गई है । इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इनके विभाग में कितनी लूट आज हो रही है । मान्यवर, इनके एक अधिकारी वहां पर गये हैं, जो पहले यहां विशेष कार्याधिकारी थे, वह कहते हैं कि 40 प्रतिशत मुझको चाहिये । मान्यवर, खड़ंजों को जहां तक बात है उसमें भी यह नम्बर 3 की सड़क बनाते हैं । आज जो निर्माण कार्य इनके विभाग द्वारा कराये जा रहे हैं वह बहुत ही निम्न स्तर के हो रहे हैं, उसका निरीक्षण आप करवा लें । पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पैसा सड़कों के लिये दिया गया है इसके विपरीत पश्चिम के लिये पैसा बहुत कम दिया गया है और मान्यवर, मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार चलता रहा, तो एक समय ऐसा आ जायेगा, जब पश्चिम के लोगों को यह मांग उठानी पड़ेगी कि हमारा प्रदेश अलग कर दिया जाये । मान्यवर, रामी साहब ने भी तथ्यों के साथ इस बात को यहां पर रखा है ।

मान्यवर, जब हमारा कोई आदमी स्टेट सेक्टर से काम की बात कहता है तो वह जिला सेक्टर की बात करते हैं । मान्यवर, मेरे यहां एक पुल का मामला है, जिसके लिये यह कहते हैं कि जिला सेक्टर से बनवाओ । मान्यवर, अब तो यह लगता है कि यह पश्चिम का विभाग रह ही नहीं गया है । मान्यवर, एक बात मैं और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं हमारे यहां मंसूरपुर सापुर रोड पर जो जमीन एक्वायर की गई थी, उस पर सड़क बने बहुत दिन हो गया है, लेकिन उस जमीन का मुआवजा लोगों को आज तक नहीं दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उसको दिखवा लें और लोगों के मुआवजे का भुगतान यथाशीघ्र करवा दें । हमारे कुछ लोगों ने ब्रिज कारपोरेशन की बात कही । इसके एक मुख्य अभियन्ता हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता । आप उनसे खुद ही पूछ लें और सत्यापन करवा लें । मान्यवर, आप यह भी मुख्य अभियन्ता के बारे में पता करवा लें कि वह निराधार बातों का प्रचार क्यों करवा रहे हैं ? मान्यवर, निर्माण निगम की बात आती है । मैं कहना चाहूंगा कि आज निर्माण निगम के द्वारा किये जा रहे कार्यों में थर्ड क्लास की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं-कहीं तो इनका स्तर चतुर्थ श्रेणी तक चला गया है । मान्यवर, इनके विभाग ने पैसा खाने का एक और अच्छा इन्तजाम कर दिया है कि अब लाल और पीली ईंटों का कोई प्रश्न नहीं है अब तो वह लेबोरेटरी में टेस्ट होगा । ऐसी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है ।

मान्यवर, इनका विभाग मुजफ्फरनगर में एक पालीक्लीनिक बनवा रहा है । दूसरे हमारे यहां डेरी डिपार्टमेन्ट का ठंडा करने का कुछ संयंत्र वगैरह भी लग रहा है, उसमें भी बड़ी अनियमितता हो रही है, उसको भी आप दिखवा लें । मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो सूखा राहत में पैसा दिया गया है, उस पैसे में से 22 हजार रुपये में एक किलोमीटर में मिट्टी डालने का काम किया गया है । दूसरे विभाग ने 22 से 30 हजार रुपये में एक किलोमीटर की पूरी सड़क बना दी है । इनके विभाग द्वारा केवल 6 इंच मिट्टी ही डाली जाती है । अन्त में मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह ब्रिज कारपोरेशन के काम को दिखवा लें और जो अभियन्ता प्रचार कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य जैसे कटिबद्ध होकर

आते हैं कि उन्हें हर निर्माण कार्य की आलोचना करनी है । मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि यह लोग कभी सौभाग्य से घर में भी दोनों इकठ्ठा होते होंगे और कोई बात गलत हो जाये, तो उसमें भी यह यही कहते होंगे कि सरकार की कमी के कारण ऐसा हुआ है । उसका भी उत्तरदायित्व यह अपने ऊपर न लेकर सरकार पर डालते हैं ।इस मानसिकता का उपचार तो हम नहीं कर सकते । लेकिन शायद शतरुद्र जी यह नहीं जानते कि इसी विभाग द्वारा हमको अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है हमें आशा थी हमारा जो ब्रिज कारपोरेशन है, उसकी कम से कम वह प्रशंसा करेंगे । यह एक ऐसा निगम है जिसके कारण हमें विदेशों से काफी फारेन करेन्सी मिलती है और हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत से देशों में ख्याति प्राप्त हुई है । तीनों क्षेत्रों में इस विभाग ने बहुत ख्याति प्राप्त की है । सेतु निगम की जहां तक बात है बहराइच व गोण्डा के निवासियों को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन घाघरा पर पुल बन जाने की वजह से वहां के लोगों की दिक्कतें दूर हो गई हैं और यह कार्य सेतु निगम द्वारा किया गया, आज इस पुल से पूर्वांचल के विकास में काफी योगदान मिला है । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं, जिससे हमारे विपक्ष व सभी विधायकों को अपने क्षेत्रमें काफी फायदा होगा । पहला, जहां भी निर्माण कार्य कराये जायं वे सब टाइम बाउन्ड कार्य होने चाहिए । टाइम बाउन्ड नहीं होते हैं तो उनका कास्ट आफ कन्सट्रक्शन बढ़ जाता है । उनकी उपयोगिता भी कम हो जाती है । उदाहरण के लिए गोण्डा जनपद में हमारे विधान सभा क्षेत्र गोण्डा नगर में सड़क चौड़ी करनी थी किन्तु समय के अन्दर कार्य न होने के कारण, उसका कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है और काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण हमको जितनी तारीफ मिलती है, उससे ज्यादा आलोचना करते हैं, क्योंकि हमारे विपक्ष के भाइयों को आलोचना करने का समय भी ज्यादा मिलता है । ये अक्सर कहते हैं कि हमने 10 किलोमीटर की जो सड़क बनाई है, उसे 15 किलोमीटर क्यों नहीं बनाया गया । यदि ये यह कहते कि 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर और जोड़ दिया जाता तो अच्छा रहता । समालोचना करते तो अच्छा रहता ।

मान्यवर, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाराबंकी से आगे बहराइच जाने के लिए सड़क चौड़ी की जा रही है श्रावस्ती जाने के लिए । श्रावस्ती का अपना महत्व है, लेकिन गोण्डा जनपद में भी देवीपाटन एक जगह है, जिसका भी अपना बहुत महत्व है । देश-विदेश के लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं । यह सड़क जरवल रोड होकर बहराइच मुड़ जाती है । गोण्डा जनपद के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है । यह गोण्डा से 44 किलोमीटर दूरी पर मिलता है, 39 किलोमीटर बलरामपुर है, 26 किलोमीटर तुलसीपुर भी है, इसे भी पूरा करना चाहिए, यहीं पर देवीपाटन स्थान पड़ता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सड़क बहराइच ले जाई जा रही है उसे गोण्डा होकर देवीपाटन भी ले जाया जाना चाहिए । यह नेपाल के बार्डर पर भी पड़ता है । यदि इसे इस प्रकार बना दिया जाता है तो यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग भी है । माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने जो कुछ बातें उठायी है जांच के लिए । वे यदि कोई स्पेसिफिक मामला दें दें, तो हमें अपने मंत्री जी पर पूर्ण आस्था है, हमें अपने मुख्य मंत्री जी पर पूर्ण आस्था है क्योंकि वह भ्रष्टाचार को पूर्णतया खत्म करना चाहते हैं । विपक्ष की तरफ से यदि कोई जांच की बात आती है तो उस पर जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को दण्डित भी

होना चाहिए । इसको इसलिए टालना नहीं चाहिए कि यह मामला विपक्ष की तरफ से आया है । इसी के साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और इश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कटौती का जो बजट श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने रखा है, उन्हें सद्बुद्धि मिले । इस निर्माण कार्य के लिए वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि 6 बज गये हैं । इधर व उधर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को इस पर बोलना है, इसलिए 3-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री पारस नाथ यादव—

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण बजट है । इसका सीधा संबंध मानव जीवन से जुड़ा हुआ है । जिस गांव में, जिस नगर में या जिस शहर में सड़क बन जाती है, तो वहां का जीवन स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाता है । दुर्भाग्य है कि 40 वर्षों के बाद भी आज भी प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं, जहां पैदल चलना मुश्किल है । निर्माण कार्यों की जहां तक बात है, सार्वजनिक निर्माण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, जितना अच्छा कार्य निर्माण का यह कर सकता है, उतना कोई नहीं । यह सत्य है । लेकिन मान्यवर, अब इसमें भी भ्रष्टाचार हो गया है । कमीशन के माध्यम से जो कार्य कराये जा रहे हैं, वे भी ठीक नहीं हो रहे हैं । चाहे वे अधिकारी हों, चाहे मुख्य अभियंता हों, अगर कोई गलत काम होता है, तो सभी की जिम्मेदारी होती है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरीके से जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर कहीं कोई गलत काम होता है तो जिम्मेदार व्यक्ति को दण्डित किया जाना चाहिए । मैं अपने जिले की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । 3 साल पहले गिलकिछा और जलालपुर में दो पुल निर्माणाधीन था, माननीय मंत्री पी0 के0 शर्मा जी उसके प्रभारी मंत्री भी हैं, इन्होंने इसी के बगल पर अपनी 20 सूत्रीय मीटिंग भी की थी, लेकिन आज तक वह पुल नहीं बना है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पुल को शीघ्र बनवायें । विलम्ब होने से उसकी कास्ट भी बढ़ रही है । कास्ट बढ़ने से गलत काम भी होगा और घटिया काम भी होगा ।

दूसरा, मैं अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । पूर्वांचल का बरसदी एक ऐसी जगह है, जो बनारस जिले के बार्डर पर है, और वहां पर भदोही कालीन का उद्योग है, तमाम कालीन के बुनकर वहां रहते हैं, लेकिन बीच में नदियों के पड़ने के कारण आर-पार आने जाने में बहुत कठिनाई होती है । एक भी सीमा पर आज तक पुल नहीं बनाया गया है । 1985-86 और 1986-87 में जिला योजना के तहत बरुणा नदी पर ग्राम कारो एवं सुरयावां के मध्य पुल बनाने का हम एक प्रस्ताव लाये थे और उसे 15 लाख रुपए दिया भी गया था, लेकिन अब सार्वजनिक निर्माण विभाग यह कह कर टाल रहा है कि यह बहुत बड़ा पुल है, इसलिए हम इसे नहीं बना पायेंगे । पुराने पुल उस पर हैं, जो 25—30 मीटर के हैं, जबकि 30 मीटर के पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग बनायेगा, यह एक नियम है । माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि यदि ये यह पुल नहीं

बना पाते हैं तो इसे सेतु निर्माण निगम को ट्रान्सफर कर दिया जाय ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके । हमारे बादशाहपुर रामपुर को बनारस से जोड़ने के लिए एक सड़क बन रही है । बसुई नदी पर कठुतिया घाट पर पुल बनना है, इसलिए इस पुल को तत्काल बना दिया जाय, जिससे यह इलाका बनारस से जोड़ा जा सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, अभी पी0 डब्लू0 डी0 के निर्माण तथा अन्य कार्यों के बारे में सदन में चर्चा हुई । चाहे वह सड़कें हों, सेतु हो या भवन हो, इस संदर्भ में इलाहाबाद में या इलाहाबाद से लेकर लखनऊ के बीच हाट मिक्स प्लान्ट से जो सड़क बनी है जिससे समय की बचत, पेट्रोल, डीजल के खर्च में बचत तथा वाहन मरम्मत के समय की बचत हुई है, सभी माननीय सदस्यों को इससे बड़ी सुविधा उपलब्ध हुई है । प्रदेश के कोने-कोने में बन रहे सेतुओं से दूरी और समय की बचत हुई है ।

इलाहाबाद में रिंग रोड के निर्माण के लिये मा0 मंत्री जी से मांग करता हूं क्योंकि इस बीच इलाहाबाद में बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं और भारी वाहनों का आवागमन तेज हुआ है । भारी वाहनों का आवागमन तेज होने से शहर में आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा रिंग रोड बनाई जाय ताकि भारी वाहन बाहर से ही निकल जायं । इसी सन्दर्भ में यमुना नदी के पुल के बगल में नया पुल का निर्माण तथा पुराने पुल की मरम्मत का जो कार्य हो रहा है, वह सराहनीय है । साथ ही गंगा पर फाफामऊ का नया पुल भी विभाग की देन है ।

इलाहाबाद सिविल लाइन में इन्दिरा भवन, जो कि 10 मंजिली इमारत है, वह इलाहाबाद के लिये एक गरिमा की बात है । इतनी बड़ी बिल्डिंग वहां पहले कभी नहीं बनी ।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि खड़ंजा स्तर की जो सड़कें हैं, उनका 30 प्रतिशत उनमें लेपन स्तर पर खर्च किया जाय । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन विकास खण्ड आते हैं चायल, नेवादा और मूरतगंज, जिसमें नेवादा ब्लाक में बेनीराम कटरा से घूरी के बीच ससुरखदेरी नदी पर एक पुल तथा पुरखास से कटैया तक ससुरखदेरी नदी पर दूसरा पुल निर्माण कराया जाय । दोनों पुलों का निर्माण करा देने से आम जनता की बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायेंगी ।

दोआबा संसदीय क्षेत्र में तीन विधान सभाई क्षेत्र है—सिराथू, मंझनपूर तथा चायल । इनके बीच निकट प्रतापगढ़ कड़ा के बीच गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण तथा बगल में यमुना नदी पर भी अगर एक पुल का निर्माण हो जायगा तो मंझनपुर महेवाघाट से जनपद बांदा लिंक करेगा, जिससे 100 कि0 मी0 की दूरी कम हो जायगी ।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा विकास खण्डों के अन्तर्गत आने वाले लिंक मार्गों के विकास के लिये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह सराहनीय है । इसी के साथ

ही माननीय मंत्री जी को, राज्य सम्पत्ति सचिव को और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव को बधाई देता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं । श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं । माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

बरेली हमारे माननीय मंत्री जी हर हफ्ते जाते हैं, इन्हें चौपला होकर बदायूं भी जाना पड़ता है । चौपाल पर एक ओवरहेड ब्रिज की मांग करता हूं । करोड़ों रुपये की फैक्ट्री आंवला में लगी है, उस ओर जाने के लिये ओवरहेड ब्रिज न होने के कारण चौपला पर घण्टों इन्तजार करना पड़ता है । वहां पर एक ब्रिज बनाना वहां की इस समय की सबसे बड़ी मांग है । पिछली 21 तारीख को माननीय मंत्री जी ने बरेली में नकटियां पर एक ब्रिज का उद्घाटन किया था । समय से पहले उस पुल का निर्माण हो गया, यह तारीफ की बात है । लेकिन हम लोगों के लिये वह अभिशाप बन गया । वहां पर "पथकर" लेना शुरू कर दिया गया है । लोगों को दिन भर इधर से उधर जाना पड़ता है । उस पुल पर पथकर लगाने के कारण घण्टों मार्ग अवरुद्ध हो जाता है । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि छोटे वाहनों पर इसे माफ कर दिया जायगा । मेरा कहना यह है कि यहां पर "पथकर" लगना ही नहीं चाहिये क्योंकि यह पुल पुराने पुल की जगह पर बना तथा महापालिका परिधि में है । बरेली, लखनऊ दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है । मुख्य मार्ग पर कोई न कोई बड़ी दुर्घटना होती रहती है । एक सप्ताह पहले एक बारात पर ट्रक चढ़ गया । इसी प्रकार अन्य दुर्घटनायें भी हुई हैं । मेरी मांग है कि बरेली में दिल्ली-लखनऊ राजमार्ग पर एक "बाईपास" निकाल दिया जाय ।

निर्माण निगम की बात कर रहे थे । निर्माण निगम ने बरेली में रुहेलखण्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है, संजय कम्युनिटी हाल बनाया है । आप जाकर देख लें वहां का फर्श गिर रहा है, सीढ़ियां टूट रही हैं, छत टपक रही है । आप बरेली आकर देख लें इन्होंने रुहेलखण्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है, सड़कें टूट रही हैं, बिल्डिंग टूट रही है । मंत्री जी स्वयं जाकर देख लें कि निर्माण निगम ने वहां पर क्या बनाया है । मान्यवर, बरेली से नैनीताल को जो मुख्य मार्ग जाता है उसमें ज़ुलीकोट के आगे के पास मार्ग अवरुद्ध हुआ पड़ा है जिसके कारण पर्यटकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि बरेली-नैनीताल मार्ग को जल्दी से जल्दी बना दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं शतरुद्र प्रकाश जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री महमूदुल हसन अंसारी—

माननीय अधिष्ठाता जी आपने पी0 डब्लू0 डी0 के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय शतरुद्र प्रकाश के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह

बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस विभाग ने पिछले तीन-चार वर्षों में जितनी सड़कों का निर्माण किया है उससे गांव से गांव को मिलाया गया है और इससे उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा हुआ है ।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बिजनौर जिला बहुत बैकवर्ड जिला है उसमें बजट का हिस्सा कम दिया गया है, उसके लिए ज्यादा हिस्सा दिया जाना चाहिए । मेरा क्षेत्र अफजलगढ़ है जो कि पिछड़ा हुआ है । रामगंगा, सिवारा से ठाकरद्वारा को सड़कें जाती हैं उस पर रामगंगा का पुल बनवाया जावे । वहां से चौधरी खूब सिंह जो विधान सभा के सदस्य रहे हैं, यहां उनका ग्राम पड़ता है वहां पर पुल बनवाया जाय ।

हमारे क्षेत्र में कालागढ़ रोड से गऊघाट और रामगंगा तक सड़क जाती है, यहां भी पुल बनवाया जाय । इसके साथ ही बढ़ापुर से रायपुर जो कि नूरपुर अरब, गढ़ी-गावड़ी होते हुए रायपुर रोड जाती है उस पर मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये थे कि इसको बनवाया जाय परन्तु आज तक वह बनी नहीं है । बढ़ापुर रोड को कई जगह पर खोह नदी ने तोड़ दिया है, इसको तुरन्त बनवाया जाय । बढ़ापुर-रायपुर रोड पर खोह नदी पर पुल भी बनवाया जाय । इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद से काठ-सिवहरा-धामपुर-नगीना-नजीबाबाद होते हुए हरिद्वार तक जो सड़क जाती है उस सड़क को हाट मिक्सड प्लान्ट से चौड़ा तथा मोटा करके बनवाया जाय, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को सुविधा हो सके ।

इसके अलावा दो-तीन सड़कें और हैं बढ़ापुर से नूनरपुर अरब, गढ़ी-गावड़ी होते हुए रायपुर जो जाती हैं इनको शीघ्रातिशीघ्र बनवाया जाय । इसके साथ ही भूतपुरी-जसपुर रोड पर शेरगढ़ होते हुए खुरजननगर जो सड़क जाती है उसे भी ठीक कराया जाय । अफजल-गढ़ से जसपुर मार्ग पर ब्लाक कासिमपुर गढ़ी होकर ग्राम त्रिलोकपुर होते हुए कालागढ़ की सड़क से इसे मिलाया जाय । यहां पर आठ-सात-गांव आपस में मिले हुए हैं वहां पर सड़क का एक हिस्सा नहीं बना है, उसे शीघ्र ही बनवाया जाय तथा बढ़ापुर से रामजी वाला तक सड़क बनवाई जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बिराजें, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री महमूदुल हसन अंसारी—

इसके साथ ही एक बात की मांग और मैं करना चाहता हूं अफजलगढ़, कालागढ़ रोड, रामगंगा नदी के गऊघाट पर है वहां एक पुल बनवाया जाय । अगर पुख्ता पुल बनवाना सम्भव न हो तो लकड़ी का ही पुल फिलहाल बनवा दिया जाय जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैं केवल दो सुझाव देना चाहता हूं । एक तो सरकार से यह कहना चाहता हूं कि निर्माण और विकास के कार्यों में यह जो पक्षपात, भेदभाव का जो नीति है, इसे आप दूर करें । मेरी समझ में सार्वजनिक निर्माण विभाग जो कि विकास के काम पर रहा है, इसके द्वारा जो भी काम हो रहे हैं निर्माण के वह सब जेठी और माननीय मुख्य मन्त्री जी के क्षेत्र गोरखपुर में और जो पहले इस विभाग के मंत्री जी थे माननीय सीताराम निषाद, उनके क्षेत्र में और अब माननीय मौर्य जी के क्षेत्र में इस विभाग के द्वारा निर्माण के कार्य हो रहे हैं । केवल कुछ ही स्थानों में जैसे गोरखपुर, फैजाबाद और उसके बाद इलाहाबाद में पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा कई कार्य किये गये हैं और इसके दूसरी तरफ मान्यवर, बलिया जैसे जनपद में पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, केवल 1 किलोमीटर के दो कामों को छोड़कर और साथ ही मान्यवर एक भी कार्य हमारे यहां नेशनल हाईवे का नहीं हुआ है । केवल ब्रिज कारपोरेशन एक कार्य करवा रहा है । इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बनारस से लेकर गाजीपुर, बलिया और छपरा तक नेशनल हाईवे मार्गों का निर्माण कराया जाये और श्रीमान् पुल सांवरा हमारे यहां बनाया गया था लेकिन वह भी सही नहीं बनाया गया है, श्रीमन् जितने भी पुल बनाये जाते हैं वह पानी के स्तर से ऊपर उठकर बनाये जाते हैं लेकिन यह पुल जो बनाया गया है यह पानी के स्तर से नीचे की ओर बनाया गया है, जिससे बरसात के दिनों में बिल्कुल यातायात बन्द हो जाता है, इस पुल का निर्माण कार्य फिर से होना था, लेकिन अभी तक इसका कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है, जबकि वहां पर इसके लिए ईंट, गिट्टी, मिट्टी और बालू, इत्यादि सब कुछ मौजूद है, जिसे लोग उठाकर लिये जा रहे हैं और बेंच रहे हैं, लेकिन जब भी इसके बारे में पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि जांच हो रही है मिट्टी की । श्रीमन् मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मिट्टी की जांच कहां हो रही है इस देश के किस प्रदेश में हो रही है या विदेश में कहीं हो रही है ? मिट्टी की जांच का काम पूरा नहीं हुआ है, यह लखनऊ मार्ग का पुल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जनहित को ध्यान में रखकर लखनऊ मार्ग के सांवड़ा पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाय ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में काम क्यों नहीं होता है, इसका एक मात्र कारण कमीशन है । अधिकारियों को जब तक कमीशन नहीं प्राप्त होता है, तब तक वह काम को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, काम को रोक देते हैं । विभाग में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको दण्डित किया जाना चाहिये और जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए । जब तक आप यह

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

दोनों कार्य नहीं करेंगे तब तक निर्माण का काम ठीक नहीं हो सकता है । एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में खांसड़ा में अस्पताल बनाने स्वीकार हुआ था, 4 साल हो गये हैं, लेकिन वहां के जो इन्जीनियर हैं, वह अड़ंगा लगाये हुए हैं । जिलाधिकारी ने उस अस्पताल के लिए जमीन भी दे दिया, लेकिन वह रोड़ा बने हुए हैं । अब महातम सिंह का ट्रांसफार हो गया है, दूसरे इन्जीनियर गये हैं, अब इस अत्पताल को शीघ्र बनवा दिया जाये । एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में सेतु निगम, निर्माण निगम और निर्माण विभाग 3 अच्छी शाखायें हैं और इस प्रदेश में बेरोजगारी की हालत में जूनियर इन्जीनियर हजारों की संख्या में सड़क पर घूम रहे हैं और जो भी नियुक्ति की जा रही है, वह पैसे के आधार पर की जा रही है । मेरा निवेदन है कि बांट निकाल कर सभी बेकार लोगों को काम देने की व्यवस्था करें और उनको समाहित करने का कष्ट करें । अब इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा एक कीर्तिमान स्थापित किया है । मान्यवर, यह विभाग मुख्य मंत्री जी के हाथों में है और जो इसके राज्य मंत्री हैं, जब से वह इस विभाग में आये हैं, इस विभाग का काम बहुत प्रगति पर चल रहा है । पहले डाक्टर और इन्जीनियर्स विदेशों से आते थे, लेकिन आज यह स्थिति हो गयी है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार देश ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्जीनियर भेज रही है । यह गर्व की बात है । हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर विदेशों में काम कर रहे हैं और कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं । शत्रुद्र प्रकाश जी ने केवल कटौती का प्रस्ताव रख दिया और विभाग की तमाम आलोचनायें कर दी, परन्तु उनको समालोचनायें भी करनी चाहिए थीं, जो अच्छे काम किये गये हैं, उनकी तारीफ भी उनको करनी चाहिये थी, अगर वह ऐसा करते तो इस विभाग का और गर्व बढ़ता । मैं जानता हूं कि हमारे विपक्ष के विधायक जब इलाहाबाद से आते हैं, तो चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार काम रही है और जिस गति से काम हो रहा है, उस गति से पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कें बन जायेगी । यह लोग पीठ पीछे सराहना करते हैं और विधान सभा में विरोध करते हैं और आलोचना करते हैं । विधान सभा में भी इनको सराहना करना चाहिये । चारों ओर सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, उनको चौड़ा किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है । विभाग में हाट मिक्सड प्लान्ट है, उसके कारण भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है ।

हमारी सरकार जो पुलों का निर्माण कर रही है, उसमें बहुत तेजी से काम कर रही है । इलाहाबाद में गंगा पुल बनाया जा रहा है, विभाग ने और सरकार ने तय किया है कि कुम्भ मेले के पहले-पहले ही उसका निर्माण हो जाये । जिससे हमारा आने वाला कुम्भ मेला जो प्रयागराज में होने जा रहा है उसके लिये यह हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना

चाहता हू । मेरा निर्वाचन क्षेत्र मझनपुर शहर से 90 किलोमीटर दूर है । चित्रकूट घाट मऊ निर्वाचन क्षेत्र और मवाघाट से मिला हुआ है लाकन उसम काइ पुल का व्यवस्था नहा है । अतः मरा गुजारश ह कि वहा पर एक पंटून ब्रिज बनवा दिया जाय । इस तरह से चित्रकूट से इलाहाबाद जोड़ने क लिए यह एक सराहनीय कार्य हागा । इन शब्दो के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हू और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हू ।

श्री शारदा प्रताप—

अधिष्ठाता महोदय आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हू और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हू । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि अभी हमारे लखनऊ क्षेत्र के विधायक देहातों और शहरों की बात कह रहे थ और सड़कों के निर्माण की बात कह रहे थे । यह जो पुस्तिका छपी है इसमें लखनऊ शहर के 14 मार्गों के सुदृढ़ीकरण की बात कही गई है । परन्तु इस पुस्तिका में कहीं भी देहात के सम्पर्क मार्गों का हवाला नहीं दिया गया है । मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हू कि अभी पिछले दिनों सूखा राहत के तहत माननीय मुख्य मंत्री जी का एक परिपत्र मिला था उन्होंने कुछ घोषणायें भी की थी कि हमने सूखा राहत के लिये पी0 डब्लू0 डी0 को पैसा दिया है । लखनऊ जनपद को 75 लाख का पत्र मिला था कि इतना रुपया पी0 डब्लू0 डी0 को दिया गया है । हमने 11 सम्पर्क मार्गों के बारे में मंत्री जी को लिखकर दिया था कि उन पर काम लगवा दिया जाय ये ऐसे मार्ग है जो 1971 की जनगणना के अनुसार 500 से ऊपर आबादी वाले गांव है, जो अभी तक सम्पर्क मार्गों से जुड़े नहीं है । उनके बारे में हमने लिखकर दिया था । इन सम्पर्क मार्गों पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है । हमने 4-2-88 को एक पत्र भी मुख्य मंत्री जी को दिया था जिसमें हमने कहा था कि जो क्षेत्रीय सम्पर्क मार्ग है, जो पी0 डब्लू0 डी0 के है जिनकी पटरियां कट गई है, जो पत्थर के सोलिंग के मार्ग है उनके कट जाने से आवागमन में कठिनाई हो रही है । हमारे पत्र पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव को आदेश दिया था कि इन मार्गों को सही करवा दिया जाय और उनका सुदृढ़ीकरण करवा दिया जाय । परन्तु उन आदेशों का कहीं पता नहीं चल रहा है न तो किसी काम का पता चल रहा है ।

मान्यवर, काकोरी कस्बे में अभी कुछ दिन पहले माननीय भोला शंकर मौर्य जिनको इसी साल यह विभाग मिला है, उनके पूर्व निषाद जी मंत्री थे वहां पर वे काकोरी टाउन में गये थे तथा महामहिम राज्यपाल जी काकोरी गये थे और काकोरी रेलवे फीडर मार्ग को उन्होंने मौके पर जाकर आश्वासन दिया था कि इनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा लेकिन उस पर भी काम शुरू नहीं हुआ है । उस पर तब तक आवागमन नहीं हो सकता है । उसके आगे माननीय निषाद जी ने काकोरी सकरा मार्ग पर जिसमें कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन भी हुआ था, उसके बारे में भी मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था किन्तु उस पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है । मान्यवर, सन् 77 से सन् 80 के बीच में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पी0 डब्लू0 डी0 के द्वारा जहां पर पत्थर की सोलिंग लगी हुई है वहां बतौफनगर-रहीमनगर पड़रामा मार्ग परमाणा मार्ग में सई नदी पर एक पुल जिला योजना के अन्तर्गत बनाना स्वीकार कर लिया गया था । जैसे 1985—में जिला प्लान में

सम्मिलित कर लिया गया था । माननीय मुख्य मंत्री जी से पिछले दिनों इस संबंध में आदेश भी दे दिये थे कि इस पुल का निर्माण करा दिया जाय । 1988-89 में इसके लिये 53 लाख रुपये की आवश्यकता है इसे बना दिया जाय और पुल का निर्माण करा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें ।

श्री अवधेश राय शास्त्री—

अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और सम्मानित सदस्य शतरुद्र प्रकाश जी के कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो भी कार्य किये हैं वह बहुत प्रशंसनीय है । इन्होंने 1986-87 में 92,254 कि0 मी0 सड़क बनाई इस तरह हर वर्ष यह गांवों को सड़कों से जोड़ रहे हैं इसके साथ ही 1987-88 का लक्ष्य रखा गया है वह 96,714 कि0 मी0 का है वह भी उम्मीद है कि पूरा कर लिया जायेगा ।

इसके साथ ही मैं गाजीपुर जनपद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में एक कर्मनाशा नदी पड़ती है जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है वहां एक गांव दवेल है वहां पर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि एक पुल बनवा दें ताकि बिहार और उत्तर प्रदेश का सीधा संबंध हो सके । इसी के साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सेतु निगम द्वारा शेरपुर गांव में एक पुल बनने को है उस पर कई सालों से गिट्टी और बालू गिरता है और फिर वापस चला जाता है । पता नहीं सरकार के पैसे को इस तरह क्यों लूटा जा रहा है क्यों उसका कर्मचारीगण दुरुपयोग कर रहे हैं । इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि कर्मनाशा नदी की भयंकर बाढ़ से ताड़ी घाट से बारा मार्ग पर एक कि0 मी0 सड़क टूट कर बरबाद हो गयी है जिससे भारी वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया है । मैं चाहता हूं कि वहां पर अतिशीघ्र दो-तीन पुलियां बना दी जायं । इसी तरह से ताड़ी घाट से घड़नी 9 कि0 मी0 पिच सड़क है उससे ताड़ी घाट दिलदारनगर रेलवे लूप लाइन है उसमें गेट न बनने से उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री राम शरण दास—

दो मिनट मुझे भी बोलना है (व्यवधान)

श्री पारसनाथ यादव—

समय बढ़ा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

इससे ज्यादा और क्या समय बढ़ेगा । माननीय राम शरण दास जी आप भी बोलना चाहेंगे ।

श्री राम शरण दास—

दो मिनट लूगां । (व्यवधान)

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, आप तो नेता हैं, बोलते रहते हैं, बैठ जांय हमें बोल लेने दीजिये ।

श्री रामशरण दास—

अच्छा बारी जी आप ही बोल लें मैं जाता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री रामशरण दास सदन से जाने लगें ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्री फजलुल बारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह श्री राम शरण दास जी को वापस ले आयें चूंकि वह हमारे सदन की शान हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूं ।

(इसके बाद श्री राम शरण दास जी अपने आसन पर वापस आ गये)

*श्री फजलुल बारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री शतरुद्र प्रकाश जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरी आंख से इतनी बारीक चीजें निकालकर बाहर ले आये जिससे सरकार को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए । मान्यवर 40 सालों में पी0 डब्लू0 डी0 ने बड़ी तरक्की किया है करप्शन में और कंकड़ पत्थर से होते हुए बोफोर्स के स्वीडन तक पहुंच गया । आलम यह है कि मुख्य मंत्री जी को उपहार में वातानुकूलित कार दी जा रही है, तरह-तरह के उपहार देने के लिये अधिष्ठान बनाये गये हैं जैसा कि शतरूद्र प्रकाश जी ने बताया ।

मान्यवर, भारतवर्ष में गरीब मजदूर बड़ी तादाद में हैं और उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या अधिक है । इसलिये यहां निगम बनाये गये कि सभी को काम मिले लेकिन बनिया बेहतर मजदूरी देता है इन लोगों के मुकाबले में । मिनिमम वेजेज एक्ट का खुला उल्लंघन करने वाली यह सरकार मजदूरों का खून निचोड़ कर मर्सीडीज कार उपहार में इस जनतंत्र में पेश करने की बात की है । मान्यवर, 16.50 रुपये प्रतिदिन सरकार इन अधिष्ठानों में देती है और सबसे अफसोस की बात यह है कि जो हमारे विधायक निवासों में काम करने वाले डेली वेजर्स हैं वह 6, 7, 10 सालों से डेली वेजेज के तौर पर काम कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब वह जगह खाली है तो यह डेली वेजेज पर इनको रखकर अधर में इनको लटकाना कहां का न्याय है । इस तरह से इंसानों का शोषण करके उनको बंधुआ मजदूर बना रखा है । मान्यवर, दिल्ली शहर में यू0 पी0 भवन में काम करने वाले डेली वेजर्स आज 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पा रहे हैं, मैं पूंछना चाहता हूं कि 15 रुपये में जबकि उनको न तो खाना मिलता है और न रहने का स्थान ही मिलना है, तो वह इतने में अपनी जीविका कैसे चला पायेंगे, यह अफसोस की बात है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिये अनुरोध है कि आज प्राइज इंडेक्स के मुताबिक 22.60 रुपये प्रतिदिन मजदूरी होती है उसके हिसाब से सरकार इन अधिष्ठानों के मजदूरों को दे और मजदूरों का शोषण बंद करे ।

मान्यवर, अब मैं अपने जनपद गोंडा के बारे में कहना चाहता हूं जो सड़कों में पिछड़ा है । हमारे क्षेत्र में जो स्टेट हाईवे है—पीलीभीत-बस्ती मार्ग उसमें जाने पर मालूम हो जाता है कि कहां से हमारा क्षेत्र शुरू होता है क्योंकि 60 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही गाड़ी यकायक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगती है क्योंकि रास्ता बड़ा उबड़-खाबड़ है । इसलिये मंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । (इस समय 6 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

इसी के साथ मैं यह भी चाहूंगा कि हमारे यहां एक महत्वपूर्ण पुल-उतरौल से सादुल्ला नगर सड़क पर, कुआनों नदी पर आज तक नहीं बना है जिस शीघ्र बनाया जाये । मान्यवर, मंत्री जी को ऐसा प्राविधान भी करना चाहिए कि छोटे-छोटे पुल जो दो-ढाई मीटर के हैं उनके संबंध में अलग से स्कीम बनाकर पेश करना चाहिए था । नदी के किनारे बसे गांवों के नाले पर यह पुल बनाये जायं जिससे वहां यातायात संभव हो सके । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अमिताभ लवानिया—

मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण राज्यमंत्री जी ने एक प्रश्न के दौरान अपने उत्तर के सन्दर्भ में यह स्वीकार किया था कि विश्व बैंक से जो 640 करोड़ रुपया सड़क बनवाने के लिए यहां मिला था, जिसमें विश्व बैंक के प्रेसीडेन्ट यहां मुआयना करने-मल्यांकन करने के लिए आए थे, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के चार मंडल-आगरा, मेरठ, बरेली और मुरादाबाद छोड़ दिये गये थे । तो उन मण्डलों को भी बाद में उसमें सम्मिलित करने की बात थी, किन्तु आज तक वह चारों मंडल उस परियोजना के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किये गये हैं । श्रीमन्, मैं आपसे इस संबंध में कहना चाहता हूं कि प्रति लाख जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा सड़कें बहुत कम हैं । और आप प्रति 100 किलोमीटर एरिया में जो सड़कें हैं, उस दृष्टि से भी देखें तो इस मामले में पश्चिम उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, वहां की अपेक्षा पूर्वी जिलों में सड़कें कहीं अधिक हैं । उत्तर प्रदेश सरकार की जो किताब छपी है, वह इस बात को साबित करती है । मान्यवर, आपके माध्यम से हमारी मंत्री जी से मांग है कि वह इस चीज को देखें और जहां पर सड़कों की आवश्यकता है, उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव न बरतते हुए उस चीज को वहां लागू करें ।

दूसरी बात यह है कि सूखा राहत कार्यक्रम के तहत 65 लाख रुपया पी0 डब्लू0 डी0 विभाग द्वारा हमारे यहां के लिए स्वीकृत किया गया था, लेकिन सूखा राहत में आगरा मंडल में किसी सड़क का निर्माण आज तक नहीं किया गया है और यहां तक कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आज तीन साल होने आ रहे हैं वहां पर कोई इंटरकाट और पैंटिंग का काम नहीं हुआ है । दूसरे यह है कि जनपद आगरा में फतेहाबाद और फिरोजाबाद

को जोड़ने वाली यमुना नदी पर शंकर घाट का जो पुल है उसके निर्माण के लिए हम और वहां के निवासी पिछले 20 सालों से बराबर मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उतने महत्वपूर्ण पुल के निर्माण की ओर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है । जो वहां का कांच उद्योग है, वह काफी बढ़ गया है और आज हालत यह है कि यह उद्योग जमीन के अभाव में संकुचित होता जा रहा है । यदि यह पुल बन जाए तो फिरोजाबाद और फतेहाबाद बिलकुल मिल जाएंगे और फिरोजाबाद का कांच उद्योग वहां तक फल फूल सकेगा । इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है, मांग है कि वह फिरोजाबाद से फतेहाबाद को जोड़ने वाले यमुना नदी पर शंकर घाट के पुल का शीघ्र से शीघ्र निर्माण करायें । एक बात और है आगरा की 10 टाउन एरिया है, पर वहां पर कई बाईपास नहीं बने हुए हैं, सारा ट्राफिक वहां बीच नगर-बाजार से होकर गुजरता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हुआ करती है, अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां की टाउन एरिया में और नगरपालिका में बाई-पास का निर्माण कराया जाय ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा—

माननीय अधिष्ठाता जी, पी0 डब्लू0 डी0 विभाग के अधिकारी माननीय राज्य मंत्री के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं । मंत्री जी का कहना है कि हम हरिजन हैं, इसलिए हमें अधिकारीगण कम कमीशन देते हैं । इसलिये उन्होंने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को यह विभाग सौंप दिया है आप इसको अपने तरह से चलाएं, आपको यह अधिक कमीशन देंगे । श्रीमन्, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के समय में इस क्षेत्र में जितना काम हुआ है उतना यह अपने पूरे 34 और 40 साल के शासन में नहीं कर पाए, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए । अब मैं अपने क्षेत्र के विषय में दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है । यह शासनादेश है कि 5 हजार की आबादी वाले गांव सड़क से जोड़ दिये जायेंगे ।

एक सदस्य—

यह 1500 है ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मैं 10 हजार की आबादी वाली बात कहना चाहता हूं । किसौरा से पिलग वाया कंचौसी मार्ग व डेरापुर तहसील हेडक्वार्टर कंजरी मार्ग दोनों कानपुर देहात में पड़ती है, इन मार्गों को जोड़ने की जरूरत है । इसी तरह से वहां कई पुल बनने में बहुत आवश्यक है, जिन्हें तुरन्त बनाया जाए । एक रतनपुर सियारी का पुल है, जो ब्लाक झींझक, जनपद कानपुर देहात में पड़ता है, बनाया जाए । दूसरा जसापुर धरिया का पुल और जिगना जैतापुर दरिया का पुल, जो दोनों ब्लाक संदलपुर में पड़ते हैं बनाए जाने बहुत आवश्यक है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह हमारे जनपद की ओर ध्यान देकर शीघ्र से शीघ्र उपरोक्त सड़कों और पुलों का निर्माण कराने की कृपा करें । इसमें एक पुल हमारे कृषि मंत्री के क्षेत्र का भी है । इन सड़कों और पुलों को प्राथमिकता के आधार पर कृपया वह बनवा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 के काम बहुत सराहनीय रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया वरना मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया मैं भी कुछ अपने जिले के महत्वपूर्ण सुझाव रखता ।

(वक्ता की आवाज सुनाई न पड़ने पर)

सुनाई नहीं दे रहा है क्या माइक खराब है ?

श्री अम्मार रिजवी—

वेल पर आकर बोलिए तो सुनाई देगा ।

(व्यवधान) ध्वनि व्यवस्था खराब होने पर ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सदन की सब व्यवस्था चौपट हो गई है ।

*श्री हरदेव—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में राज्य सेतु निगम बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिन बिल्डिंगों को बनाया है वह बहुत ही सराहनीय है । कोई भी माननीय सदस्य इस प्रशंसा से दूर नहीं रह सकता है । मैं अपने साथी भाई शतरूद्र प्रकाश जी, जो बनारस मंडल के हैं उनसे कहना चाहता हूं उन्होंने दो रंग दिये कटौती के प्रस्ताव का, आधा हिन्दी का रंग आधा अंग्रेजी का रंग (हंसी) जो इंजीनियर अच्छे हैं उन्होंने ईराक या दूसरे देशों में जाकर भारत का नाम रोशन किया है । अगर कोई गल्ती कहीं हुई है तो हमारे मंत्री जी ने जाकर उस अधिकारी को अवश्य दंडित किया है । गलत काम करने वाले अधिकारियों को हमारे मंत्री जी जरूर दंड दिए हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पी0 डब्लू0 डी0 विभाग द्वारा स्पेशल कांपोनेंट प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये सम्पर्क मार्गों के लिये 20 से लेकर 25 प्रतिशत धन की अलग से व्यवस्था करायें ताकि इस वर्ग के लोगों की बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जा सके । मैं मंत्री जी से यह भी दरख्वास्त करूंगा कि इस विभाग में आरक्षण के कोटे में जो कमी है उसको पूरा किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरदेव—

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । मुख्य मंत्री जी ने कृपा करके 10 अगस्त, 86 को हमारे यहां बलिया में 1 करोड़ 26 लाख के पुल के लिये स्वीकृति दी । प्रधानपुर उसका नाम था लेकिन उसको हरिदासपुर पुल कर दिया गया तो उसका नाम प्रधानपुर पुल ही रखा जाय जो टोंस नदी पर बलिया में है । अब मैं कुछ सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें । सड़कों के बारे में मंत्री जी को लिखकर भेज दीजियेगा ।

(श्री शतरूद्र प्रकाश जी को पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरदेव—

मैं लिखकर भेज दूंगा ।

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी—

मेरा निवेदन यह है कि आप इजाजत दे दें कि हम अपनी बात लिखकर मंत्री को भेज दें ।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

जो माननीय सदस्य अपनी बात नहीं कर सके हैं उनको लिखकर भेज देने की अनुमति दे दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं । सबको एक-एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बैठें । मैं समझता हूं कि माननीय शतरूद्र प्रकाश जी ने जो बात कही है तो जो भी सुझाव देने हैं वह मंत्री जी को लिखित रूप से भेज दें । ऐसा समझा जायेगा कि उसको यहां बोले हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या वह कार्यवाही का अंग माना जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायगा । लेकिन उसकी मान्यता हो जायगी ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, थोड़ा समय दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं समयबद्ध काम कर रहा हूं । टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए । समय से बजट की कार्यवाही हो जानी चाहिये । आप विराजें ।

श्री मनेजर सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । आपने अभी निर्देशित किया है कि जो माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, उस पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे । तो क्या माननीय सदस्य लिखकर देंगे, वह सदन की कार्यवाही का भाग बनेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

वह सदन की कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा, लेकिन वह संदर्भित हो जायेगा ।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, उन माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने अपने विचार यहां पर व्यक्त किये, मैं उनको बड़ी गौर से सुन रहा था, चाहे वे सत्ता पक्ष के रहे हों, चाहे विपक्ष के रहे

हो, चाहे वे मेरे दल के हो रहे हों और सबको समझने का और उस पर सोचने का भी मने प्रयास किया है । मान्यवर, मैं दो-तीन बात कहना चाहूंगा, एक तो यह है कि सड़कों की लम्बाई के बारे में शायद कुछ भ्रम हो गया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी सरकार हो, हर सरकार अपना लक्ष्य निर्धारित करती है और उस लक्ष्य के आधार पर ही कार्यक्रम किये जाते हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार हो चाहे कहीं की भी सरकार है और जब लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो यह माना जाता है कि सरकार ने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं की और यह एक तरह से उसकी असफलता होती है और सफलता तब होती है, जब वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें । ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, इसमें मैं समझता हूं कि समझ का फेर है, लेकिन यह अवश्य है कि जिस गति से काम होना चाहिए, उस गति से काम नहीं हो रहा है और जिस लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है । ऐसा भी नहीं है कि हमारे प्रदेश में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़कें बनाई हैं, वे खराब हैं बल्कि कई सड़कें तो ऐसी हैं, जिनका देश में मुकाबला नहीं किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय मार्ग है, जो दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली आई हुई है । उस सड़क के सभी लोग तारीफ करेंगे ।

दूसरी सड़क माननीय प्रधान मंत्री के क्षेत्र में जगदीशपुर से थोड़ा आगे करीब 15-20 किलोमीटर बनी हुई है । उस सड़क पर चलने से ऐसा लगता है, जैसे रबड़ पर चल रहे हैं । मैं यह कहूंगा कि पूरे प्रदेश में अच्छी सड़कें नहीं बन पाई हैं । 1985 से लेकर आज तक जो महानगरियों में सड़कें बनी हैं, वे सड़कें निश्चित तौर पर अच्छी बनायी गयी हैं, लेकिन अफसोस यह है कि उसमें किसी प्राइवेट कम्पनी का सहयोग लिया गया है । ये सड़कें नागिया के सहयोग से बनाई गई हैं । यह हाट मिक्सड प्लांट जो है, ऐसा नहीं है कि नागिया के पास ही है, वह प्लांट आपके पास है । उस प्लांट के जरिये लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद वगैरह सभी जगहों पर अच्छी सड़कें बनी हैं । वह प्लांट 55 लाख रु0 का ब्रिज कारपोरेशन के पास है । उस प्लांट के जरिये पिछले 3 साल से पी0 डब्लू0 डी0 के जो मुख्य अभियंता गुप्ता जी हैं, उन्होंने काम करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उनको पूरी सफलता नहीं मिल पाई । जितनी अच्छी सड़कें बाहर की कम्पनी ने बनाई हैं, उतनी अच्छी सड़कें आप भी बना सकते हैं । आप उस प्लांट को लें और उसको प्रयोग में लायें । प्रदेश में बहुत अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स हैं, आप उनसे काम लीजिये, तो अच्छी सड़कें बन सकती हैं । आप उनको पारितोषिक दीजिए, उनको इन्सेंटिव दीजिए, तब तो काम अच्छा हो सकता है । मान्यवर, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस एक अंतर्राष्ट्रीय, सांस्कृतिक राजधानी है । वहां पर 6 सड़कें अभी आई हैं आपके विभाग के पास में कि अगर उन 6 सड़कों के लिए पी0 डब्लू0 डी0 अपनी इजाजत दे दे, तब वह नगर विकास विभाग के अन्तर्गत जो आती है, उन्हें बनने के लिये स्वीकृत मिल जायगी । सारनाथ, पचकोस, बाबतपुर, हवाई अड्डे आदि की जो रोड हैं, वे बहुत खराब हो गयी हैं, ये रोड्स अर्दली बाजार से मिलती है, मेरा अनुरोध है कि उसके लिए शासनादेश के जरिये स्वीकृति दे दी जाय । इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी से और सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग से मेरी और समस्त वहां के विधायकों से बात हुई थी । मैं उम्मीद करता हूं कि उसके संबंध में शीघ्र आदेश हो जायेगा और अगर आदेश हो गया हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना है । इसके अलावा नोखाताल जो विश्वविद्यालय

के पीछे है, सा0 नि0 विभाग की सड़क है लेकिन वह पुल टूट गया है, उस पुल को बनवाने के लिये ग्रामीण नागरिकों ने आवेदन दिया था । मैं समझता हूं कि उसका भी स्वीकृति आपके विभाग की तरफ से मिल जायेगी । इसके अलावा जो आपने आंकड़े यहां दिया है कि 92 हजार 254 किलामीटर सड़कों का लम्बाइ हो गयी है सब कुछ जोड़कर उसमें खड़न्जा भी शामिल है, उसमें रूरल डवलपमेन्ट जो ग्रामीण विकास है वह भी शामिल है, जिला परिषद् भी शामिल है उसमें जो पर्वतों में कटान हुई है उसको भी शामिल कर लिया है । यह हमारे प्रदेश में अब बड़ी खराब आदत हो गयी है कि आंकड़ों के जरिये साबित किया जाय कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इससे केवल झूठी प्रशंसा ही मिलती है लेकिन वास्तविकता पर पर्दा पड़ जाता है । इसकी कोई जरूरत नहीं है कि बाम्बे का प्लान था ,उसको मीट करने के लिए 92000 कि0 मी0 सड़कें बना ली है । यह क्यों नहीं कहते कि 62 हजार कि0 मी0 सड़कें बनायी है अगर सच्चाई को जनता के सामने बताया जायेगा तो क्या फर्क पड़ेगा लेकिन अगर इससे प्रशंसा किसी को मिलती है तो सच्चाई पर पर्दा पड़ जायेगा ।

मान्यवर, जहां तक सेतु निगम की बात आई है मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि सेतु निगम ने अच्छा काम नहीं किया है, निश्चित तौर पर सेतु निगम ने अच्छा काम किया है लेकिन मान्यवर, नेपाल में, विदेशों में, दिल्ली में एशियाड के समय में बहुत अच्छा काम किया है । मैंने उसके लिए आलोचना नहीं की है, आलोचना इसलिए की है कि अभी मौका है, इसे बचा लीजिये वरना यह निगम भी खराब हो जायेगा, जो सबसे अच्छा निगम था । वर्ष 83 से देख लें, 83 से 84, 85, 86, 87 व 88 तक देख लें, बराबर इसके स्तर में गिरावट आई है । उसका कारण क्या है ? यह पुल बनाना कोई आसान काम नहीं है । पहले आप मेरीटोरियस इंजीनियर्स को लेते थे, प्रतिभाशाली इंजीनियर्स को लेते थे, अब अगर आप तृतीय श्रेणी से या किसी तरह से जो लोग पास हो गये हैं, ऐसे लोगों की भरती करेंगे और पुल बनाने की जिम्मेदारी दे देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आगे ठहर नहीं पायेंगे और फाफामऊ की हालत हो जायेगी, फिर वह मनोरमा नदी की हालत हो जायेगी । मेरा निवेदन है कि जो तथ्य मैंने यहां पर रखे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं ।

जो तथ्य मैंने यहां रखे हैं उन तथ्यों में कोई कमजोरी है अगर तो नहीं कहना है, अगर कोई सही तथ्य है तो सरकार को मदद करनी चाहिए । मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी को राग द्वेष लेकर नहीं कह रहा हूं । मेरी बात से कुछ माननीय सदस्यों को हार्दिक क्लेश जरूर हुआ होगा, मैं उनसे माफी चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बाध्य था इसलिए सच्चाई को आपके सामने रखा है । मैं चाहता हूं कि सेतु निगम की जो तस्वीर है, वह तस्वीर खराब न हो । जो मंत्री परिषद् का दायित्व है । अगर सेतु निगम उन दायित्वों को लेकर दुरुपयोग करने लग जायेगा तो गिरावट आ जायेगी । उन कार्यों को खोजना चाहिए जिनके कारण ब्रिज कार्पोरेशन में गिरावट आई है और उस आने वाली गिरावट को रोकना चाहिए । इसमें मैं चाहता हूं कि सरकार कोई कदम उठाये । जहां तक निर्माण निगम की बात है, मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय

बनारस में चौकाघाट में महिला के लिए प्रसूति-गृह का एक अस्पताल बन रहा है, पहले वह करीब 48 लाख रुपये की योजना थी, उससे बढ़कर 62 लाख हो गयी और अब बढ़कर वह 95 लाख हो गयी है । अगर समय पर परियोजना पूरी नहीं होगी, निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होगा तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसी तरह से लागत मूल्य और बढ़ता चला जायगा ।

इसके अलावा प्रधानमंत्री के ही क्षेत्र में अमेठी के पास में रायबरेली में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । वहां पर भवन निर्माण के सम्बन्ध में 11.50 लाख रुपये की अनियमितता पकड़ी गयी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मान्यवर, मैं 3-4 मिनट में समाप्त करूंगा । कानपुर के घाटमपुर में चीनी निगम द्वारा जो चीनी मिल निर्माण कराई जा रही है, एक आंधी आयी और पूरा का पूरा निर्माण गिर गया । अगर इस तरह से निर्माण होगा तो इससे प्रदेश की इज्जत नहीं बढ़ी है । हालांकि मैं समझता हूं कि निर्माण निगम बिना नक्शे के मकान बना रहा है । हमें जो जानकारी मिली है, हो सकता है कि गलत हो । निर्माण निगम नक्शे बनाये बिना निर्माण कर रहा है । एनेक्सी बनाई है बिना नक्शा पास कराये । विकास प्राधिकरण से बगैर नक्शे की स्वीकृति कराये वह बनायी गयी है ।

मा0 स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, जो पाण्डेपुर में सरकारी अस्पताल बना है निर्माण निगम के जरिये से, उसका नक्शा नहीं पास है । उसमें निर्माण निगम के इंजीनियरों का वारंट कट गया और गिरफ्तारी की नौबत आ गयी थी । सरकार का एक विभाग कानून बनाता है, दूसरे विभाग को उसका पालन करना चाहिये । यह सारी बात कहने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण विभाग है । यह महत्वपूर्ण विभाग जन-प्रतिनिधियों की आंखों में रोज ब रोज आता ही रहता है, खासतौर पर सड़कों के मामले में । इस पर केन्द्र सरकार से बात करनी हो तो बात करके यहां पर राष्ट्रीय राज-मार्ग की लम्बाई बढ़ाई जाय । प्रदेश के अन्दर अगर संसाधन की कमी की बात है तो संसाधन लाने के लिये चूंकि केन्द्रीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि जो इस समय केन्द्रीय वित्त मंत्री हैं, उनसे संसाधन लाने के लिये विशेष प्रयास किया जाय, ताकि प्रदेश में सड़कों की लम्बाई बढ़ सके । सड़कों का अच्छा स्तर बनाने के लिये रिसर्च विभाग से भी काम लिया जाय । योग्य इंजीनियरों को वहां पर भेजा नहीं जाता है । जिसके खिलाफ कार्यवाही होती है, उसको वहां भेजा जाता है । प्रदेश में सड़कें अच्छी बनें, सेतु निगम और निर्माण निगम अच्छा काम करें, ताकि प्रदेश का अच्छा विकास हो, इसी समालोचना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । बड़ी खुशी की बात होती है कि किसी विभाग का मंत्री-परिषद् का प्रमुख हो । यह विभाग पूरे प्रदेश की नजर में 24

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घंटे रहता है । इससे हमारे विकास के बहुत से मार्ग जुड़े रहते हैं । मा0 मंत्री जी मौजूद हैं, अंतिम उत्तर देने जा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इस सदन में एक स्वस्थ परम्परा को कायम रखा जाय । मा0 मुख्य मंत्री जी 60 विभागों के मंत्री हैं । लेकिन यदि यहां पर हम कोई नीति विषयक प्रश्न पूछेंगे तो ये अधिकार विहीन मंत्री पालिसी मैटर पर उत्तर देने के लिये सक्षम नहीं हैं । यदि सक्षम हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि जो जिला योजना में सड़कें पास होती हैं, यदि ये सक्षम हैं तो उत्तर दें कि जो धनराशि स्वीकृत होती है, उसके विभाग की स्वीकृति यहां पर न कराकर सीधे उस जिले में कराने का कष्ट करेंगे ? यदि ये सक्षम हैं तो उत्तर दिलवा दीजिये, नहीं तो मंत्रि-परिषद् के प्रमुख जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे उत्तर दिलवाइये ।

श्री अधिष्ठाता—

कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी में वह उत्तर दे सकते हैं और हर मंत्री नियमों और नीति पर अपनी बात कह सकता है ।

श्री भोला शंकर मौर्य (सार्वजानक निर्माण राज्यमंत्री)—

मान्यवर, अपने मित्र शतरुद्र प्रकाश जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो अपना भाषण किया, वह बड़ा ही संयमित था और दूसरे उसमें जो खास बिन्दु उन्होंने उठाये हैं, मैं उनका उत्तर देना चाहूंगा । उन्होंने कुछ ऐसे बिन्दु उठाये हैं जिनके बारे में सदन को पूरी जानकारी होनी चाहिये । एक तो इन्होंने यह कहा कि ईराक में जो हमारी निर्माण इकाई है सेतु निगम को उसने एक कार उपहार के रूप में माननीय मुख्य मंत्री को देना तय किया है, मैं बताना चाहता हूं कि यह नितान्त गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

बोर्ड की मीटिंग 30-12-87 को हुई थी, उनका यह प्रस्ताव था, मैं यहां की बात कह रहा था । उसमें मुख्यमंत्री जी को एक कार देने का प्रस्ताव हुआ था ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, ऐसा कोई प्रस्ताव निगम की मीटिंग में पारित नहीं हुआ है और न ही निगम की ऐसी कोई मंशा ही है कि बातानुकूलित कार माननीय मुख्यमंत्री जी को उपहार में दी जा रही हो । यह नितान्त गलत है, किसी ने आपको गलत सूचना दे दी है ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग के जो ठेकेदार हैं, उसमें जो गलत तरीके से और अनियमित रूप से काम कर रहे हैं, उसके संबंध में 10 मार्च को एक निर्देश जारी किया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय मंत्री जी एक मिनट ।

ठीक है, आपकी सूचना सही हो सकती है । लेकिन, आपसे निवेदन है कि यह सूचना सही है । विधान सभा का जो प्रश्नोत्तर है, उसमें भी यही उत्तर आया था । मैं कहना चाहता हूं कि भले ही आज उसका आप उत्तर न दें, लेकिन फिर से जानकारी कर लीजिये । मैं चुनौती तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपको जानकारी गलत हो । इसीलिय इसे दिखवा लें ।

श्री भोला शंकर पाण्डेय—

मान्यवर, मैं सही जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सेतु निगम का मीटिंग में पारित नहीं हुआ है । न ही सेतु निगम की ऐसी कोई मंशा है कि कोई कार उपहार के रूप में किसी को दी जा रही हो ।

मान्यवर, मैं ठेकेदारी के संबंध में कह रहा था, जो यह कहा गया कि 5 प्रतिशत कमीशन लेकर टेंडर डलवा दिये जाते हैं, मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमने इस पर सख्ती के साथ निर्देश दिये हैं, अभी 10 मार्च को एक सरकुलर किया है कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जायेगा, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्यवाही होगी । मनोरमा पुल के बारे में कहा गया, मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में अभी पुल गिरा नहीं है, क्षति जरूर हुई है, ट्रैफिक चालू है । लेकिन, उसके लिये एक हाई लेविल कमेटी जांच के लिय बिठा दी है । उसके जो परिणाम होंगे, अगर कोई अधिकारी/कर्मचारी उसमें दोषी पाया जायेगा तो हम उसमें अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

सेतु निगम को मिले एवार्ड के सम्बन्ध में बात उठायी गयी । मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं कि यह एवार्ड खरीदा बिल्कुल नहीं गया है, और न ही ऐसा कोई टेलेक्स, जिसका आप उद्धरण दे रहे हैं, वहां के एम्बेसेडर ने हमारी भारत सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है । ऐसा कोई टेलेक्स हमारे रिकार्ड में नहीं है और न ही इस तरह की कोई बात है । कम्पनी जिसने एवार्ड दिया है, इसकी अपनी ख्याति है, प्रदेश की बाहर की, देश की बाहर, 60 कम्पनी ने एवार्ड प्राप्त किये हैं । बंगलिंग की जो बात आप कह रहे हैं, वह नितांत गलत है । फिर भी इन सब पूरे प्रकरणों की जांच के आदेश पहले दे चुका हूं और जांच कराऊंगा, उसमें देखूंगा अगर कोई अनियमितायें हुई है, तो उसमें कार्यवाही होगी । अन्य माननीय सदस्यों ने सेतु निगम के बारे में और दूसरे अधिकारियों के बारे में कहा है, मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा । कोई अधिकारी/कर्मचारी चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, जो जांच में तथ्य आयेंगे, उसमें पूरी कार्यवाही होगी ।

साथ ही साथ मैं जानकारी के लिये बता दूं कि नेपाल के कार्य के बारे में कहा गया कि नेपाल सरकार ने बड़ा रोष व्यक्त किया कि हमारे सेतु निगम का काम अच्छा नहीं है, वहां की जो प्रक्रिया निश्चित थी, उसके अनुसार हमको विदेशी मुद्रा नहीं मिली । भूमि का अध्यापन और अर्जन का काम, जो उनको करना था, करके नहीं दिया । अब वहां पर भूमि हमें मिल गई है और उसके लिये हमारा निगम का जो काम है, वह चल

रहा है और बड़ी प्रगति पर है । इसी तरह से मान्यवर, जो यहां पर हैदराबाद के फ्लाइ ओवर की बात कही गई, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि डाइवर्जन आन्ध्र प्रदेश को सरकार को बनाकर देना था, लेकिन उन्होंने अपना काम समय से पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से देर हुई । इसी प्रकार 12 करोड़ की लागत से विजयवाड़ा में एक पुल सेतु निगम ने बनाया है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया था, उन्होंने भी इस पुल की बहुत सराहना की है । इसी के साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश की सरकार जो है, वह हमारे अन्डर में है नहीं । उन्होंने जब अपना काम पूरा करके दिया, उसके बाद से हम काम बराबर कर रहे हैं । हमारी तरफ से कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

ब्रह्मपुत्र की भी बात यहां पर कही गई । उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर हमारा टेन्डर दूसरे नम्बर पर था, जिसकी वजह से हमें यह काम नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे रेट्स कुछ अधिक थे । इसके अतिरिक्त सेतु निगम के लिये जो आरोप यहां पर लगाये गये हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है । वारफेज की बात आई थी, उसमें केवल 4 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, वह भी हमने पोर्ट ट्रस्ट के लिये किया है किसी अन्य एजेन्ट के लिये इस पैसे को नहीं दिया गया है । आरोप तो यहां पर बहुत से लगाये गये हैं और भी लगाये जा सकते हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है । जो हमने यहां पर तथ्य दिये हैं, वह रिकार्ड के अनुसार बिल्कुल सही है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मान्यवर, यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि हमारे प्रदेश में भेदभाव बरता जा रहा है पूरब पश्चिम के बारे में । ऐसी कोई सरकार की नीति नहीं है । मैं खासतौर से अमिताभ लवानिया साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि विश्व बैंक के जो काम हैं, उसमें 100 करोड़ का कुल काम है । 600 करोड़ रुपये का कोई काम नहीं है । एक बात से मैं और आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो बजट में प्राविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में किया गया है, उसके संबंध में हमने निदेश दिया है कि अगले वर्ष के बजट में सड़कों आदि के लिये अलग-अलग बजट दिया जायेगा और उसका परिव्यय अलग-अलग होगा ।

मान्यवर, यहां पर आलोचना के साथ-साथ बहुत से अच्छे सुझाव भी आये हैं, जिनके लिये मैं अपने साथियों का आभार प्रकट करता हूं । इसके साथ ही हमारी सड़कें जो बन रही हैं, उसके लिये हमारे माननीय सदस्यों ने उसकी तारीफ की है, उसके लिये भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं । एक बात यहां पर पेवर प्लान्ट को कही गयी । उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि सेतु निगम के पास जो पेवर प्लान्ट पड़ा हुआ है, उसको हम शीघ्र ले लेंगे और उसके संबंध में सरकार के पास मामला विचाराधीन है । हम किसी अन्य विभाग से काम नहीं करायेंगे, जो भी काम होगा, उसको हमारे ही विभाग के लोगों द्वारा कराया जायेगा । इस बात का मैं आश्वासन देता हूं ।

दूसरी बात जो राष्ट्रीय मार्गों के बारे में यहां पर कही गई । उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें सड़कों के लिये परिव्यय 6.7 प्रतिशत था, वह आज घटकर 2.89 प्रतिशत रह गया है, इसी कारण से हम सड़कों के निर्माण कार्य को उतना अधिक नहीं कर पा रहे हैं । हमारे सीमित संसाधन हैं और उसी के अन्तर्गत हम अधिक से अधिक और अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं । इसके साथ ही साथ मैं एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा कि कुल सड़कों की लम्बाई जो 94 हजार किलोमीटर बताई गई है, वह हमारे विभाग की 62 हजार किलोमीटर है । बाकी जो है, वह आर0 ई0 एस0 ब्लाक और जिला परिषद् आदि सबकी मिलाकर है, इन सबको मिलाकर 94 हजार किलोमीटर बताया गया है । हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने बाम्बे प्लान को पूरा कर लिया है । तो हम बाम्बे प्लान से भी अच्छा कार्य कर लेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैंने कुछ तथ्य यहां पर प्रस्तुत किये हैं । माननीय मंत्री जी ने कुछ में कहा कि इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं जांच करवा लूंगा । जब माननीय मंत्री जी बिना जांच कराये ही सदन में यह कह देंगे कि सच्चाई नहीं है तो फिर वह जांच क्या करायेंगे । मैंने कुछ तथ्य रखे हैं, उनकी जांच वह करा लें, भले ही उसमें कोई फंसे । मेरा व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जब जिला योजना में सड़कों के लिए प्रस्तावित धनराशि स्वीकार होकर यहां से जाती है और यहां पर पारित हो जाती है और वित्तीय स्वीकृति भी मिल जाती है, क्योंकि बहुत सी धनराशि अभी इन्होंने यहां से रिलीज ही नहीं की है, 31 मार्च आने वाला है, इससे होगा यह कि कास्ट आफ प्रोजेक्ट बढ़ जायेगी, उसके बाद यह उसे पी0 एल0 एफ0 में जमा कर देंगे । मेरा कहना यह है कि जब उसे वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है तो उसी वित्तीय स्वीकृति को मानकर जिला योजना में उसे आप जिलाधिकारी को क्यों नहीं भेज देते । यदि माननीय मंत्री जी प्रमुख होते तो वह इसका उत्तर देते ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी को बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, जिला योजना के अन्दर मंजूर होकर जो आता है, उसी के अनुसार स्वीकृति दे दी जाती है ।

*श्री जवाहर सिंह यादव—

मान्यवर, इधर के जो लोग बैठे हैं और उधर के लोग जो बैठे हैं, उन सबके हक में मैं यह पूछना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो निर्माण होता है और उसमें जो लेपन की प्रक्रिया है, वह केवल 10 प्रतिशत एलाउ है, मेरा सुझाव है कि आप इसे 35 प्रतिशत कर दीजिये । होता यह है कि 10 प्रतिशत लेपन करने से उनकी मरम्मत आदि पर बहुत खर्च होता है ।

*श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई भेद-भाव नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 1988-89 के बजट में अकेले गोरखपुर मण्डल को इतना पैसा दिया गया, जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन मण्डलों को दिया गया है । क्या माननीय मंत्री जी गोरखपुर मण्डल की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मण्डलों पर भी उतना ही धन खर्च करने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन जगहों पर पुलों की स्वीकृति मिल गयी है, वहां पर तीन-तीन, चार-चार साल से काम नहीं शुरू हो रहा है क्योंकि प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से आदेश जारी हो गया है कि जब तक एप्रोच न हो जाय, पुलों का काम शुरू न किया जाय, क्या माननीय मंत्री जी उन पुलों का काम तत्काल शुरू करवाने की कृपा करेंगे ?

दूसरी बात, जिस तरह से गोरखपुर जिले में डेवलपमेन्ट अथारिटी बनाकर राज्य सेक्टर का 15 करोड़ रुपये दिया गया है, क्या उसी तरह से वाराणसी में गौतम बुद्ध के लिये सारनाथ-वाराणसी-गाजीपुर मिलाकर बुद्ध डेवलपमेन्ट अथारिटी बनाकर उतना ही पैसा दिलाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बलिया के दौरे पर जाते हुये गाजीपुर में हवाई पट्टी पर एलान किया था कि जमनिया-धम्मनपुर पर पीपे का पुल स्वीकार करा दूंगा । क्या उसे स्वीकृत कर क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचायेंगे ?

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बागपत-गंगहट मार्ग पर जो शीरे का टैंकर पकड़ा गया था, उसके लिये कौन अधिकारी दोषी था और क्या उसे दंडित करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी थे तब हिण्डन नदी पर शिकारपुर पुल जब बना था, एप्रोच रोड के बिना पड़ा है । क्या उस पर 3 कि0 मी0 की एप्रोच रोड बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री मूल चन्द—

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सुविधायें देने की व्यवस्था कर रहे हैं । क्या इसी प्रकार से अनुसुचित जाति का आरक्षण कोटा अपने विभाग में पूरा करा देंगे ?

श्री गया प्रसाद वर्मा—

अभी मूलचन्द जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी आरक्षण कोटा पूरा करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं, माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं,, आप जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

यह नहीं होता है, आप बैठें ।

श्री अचल सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि श्री सक्सेना, जो मुख्य अभियन्ता हैं, उनकी चरित्र पंजिका में जो प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी थी और उच्च अधिकारियों ने निरस्त कर दिया है क्या इसकी जांच कराने का काम करेंगे ?

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मिर्जापुर में सोन नदी पर चोपन पुल पर पथ-कर समाप्त हो गया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या चुनार के पीपे के पुल पर जो गंगा नदी पर है, उस पर क्या आप पथ-कर को समाप्त करेंगे ?

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 73,94,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग-(अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 14,86,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत किया गया ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 8,,03,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 17,21,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75- सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लि आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,80,12,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृ की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75 (क)—सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख 75 (क)—सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्य को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 4,53,,000 रुपये से अनधिक धनरा स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अन्तर्गत आज कुल 3 सूचनायें प्राप्त हुई । जिसमें से श्री यदुन सिंह की जो विश्वविख्यात मान मन्दिर वैधशाला, वाराणसी में पी0 ए0 सी0 के जवानों द्वा किये जा रहे अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य के लिये स्वीकार गयी । शेष दो सूचनाएं सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व शारदा नन्द अंचल की अस्वीकार गयी ।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य—

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

[यू0 पी0 स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (हार्टिको) के प्रायः समस्त कारखानों में उत्पादन माह दिसम्बर, 1987 से अत्यधिक धनाभाव के कारण बन्द हो गया था जिस कारण फैक्ट्रियों में माह दिसम्बर, 1987 से और मुख्यालय में माह जनवरी, 1988 से वेतन वितरित नहीं हो पाया था । सरकार द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 1988 के शासनादेश द्वारा हार्टिको को आर्थिक सहायता के रूप में रु0 50 लाख स्वीकृत कर दिया गया । लखनऊ के बाहर की फैक्ट्रियों को वेतन भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट दिनांक 1-3-88 को भेज दिया गया था एवं मुख्यालय तथा लखनऊ फैक्ट्री के कर्मचारियों को दिनांक 2 मार्च, 1988 को नगद भुगतान कर दिया गया था । इस प्रकार अब कोई वेतन का भुगतान शेष नहीं है ।

2—आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड की स्थापना प्रदेश के पिछड़े जिले प्रतापगढ़ में की गयी थी और राज्य सरकार इस इकाई को सुचारु रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रही है । वर्ष 1987-88 में इकाई के लिये उद्योग विभाग के बजट में रु0 2 करोड़ का प्राविधान किया गया था जिससे इकाई के कर्मचारियों/अधिकारियों को नवम्बर, 1987 के वेतन का भुगतान किया जा चुका है । विगत तीन माह से इस इकाई में वेतन वितरण न हो सकने का मुख्य कारण यह था कि राज्य में सूखे के कारण जो वित्तीय भार बढ़ गया उससे सरकार के वित्तीय संसाधनों पर रोक लग गयी थी इसी कारण सरकार इकाई को वेतन आदि के लिये पूर्व में धनराशि न दे सकी । परन्तु इस माह वेतन आदि भुगतान के लिये कुछ धन-राशि उपलब्ध कराई जा रही है तथा शेष धनराशि अप्रैल, 1988 में उपलब्ध करायी जायेगी जिससे कि इकाई के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके ।]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी द्वारा वक्तव्य में कहा गया कि यू0 पी0 स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लि0 के सभी कारखानों में दिसम्बर, 87 से अत्यधिक धनाभाव के कारण बन्द हो गया और इस कारण मान्यवर, कर्म-चारियों को और मुख्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को दिसम्बर-जनवरी 87/88 का वेतन भी नहीं दिया जा सका, तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जबकि इन निगमों की स्थापना ही धन को अर्जित करने के लिये की जाती है, परन्तु यहां कौन से ऐसे कारण निहित थे, जिसकी वजह से धनाभाव हुआ और लोगों को वेतन तक नहीं दिया जा सका ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट—[ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, लगता है माननीय सदस्य भ्रम में हैं, इन निगमों का निर्माण मान्यवर सिर्फ धन कमाना ही नहीं होता है और न ही ये निगम कोई प्राइवेट दुकान होती हैं, जिनका **कार्य सिर्फ पैसा कमाना ही हो** । मान्यवर, इनका काम तो जनता को इस माध्यम से सुविधा का पहुंचाना होता है, जिसमें कभी धन बढ़ जाता है और कभी घट भी जाता है, परन्तु अब इसे आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रु0 स्वीकृत कर दिया गया है और समस्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी किया जा चुका है । (व्यवधान के मध्य मद संख्या 13 पुकारे जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक प्रश्न और कर लेने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं अब मैंने दूसरी मद ले ली है, इससे पहले आपको बोलना चाहिए अब बैठिये यह मद हो जाने दीजिये उसके बाद फिर प्रश्न कर लीजियेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, केवल एक प्रश्न करूंगा । प्रतापगढ़ जिले में एक ट्रैक्टर कारखाना है, जो ट्रैक्टर बनाता ही नहीं है और उसका वित्तीय भार सरकार पर है, क्या माननीय मंत्री जी इसे खुले बाजार में नीलाम करके, प्रदेश को जो वित्तीय भार वहन करना पड़ रहा है, उससे बचाने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

पाण्डेय जी हर चीज को नीलाम कर देना चाहते हैं । वहां के जो श्रमिक हैं, उनके पूरे हित सुरक्षित रहें, इसलिये एक हाई पावर कमेटी बनायी गयी है, उसकी संस्तुतियां आने पर कार्यवाही की जायेगी ।

शीतगृहों में भण्डारण दर घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य—

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

[उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज अधिनियम, 1976 के धारा-3 के अंतर्गत गठित शीत-गृह सलाहकार बोर्ड की संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रत्येक वर्ष शीतगृहों में आलू

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भण्डारण के लिए अधिकतम भण्डारण प्रभार राज्य सरकार द्वारा कथित अधिनियम की धारा 29 के अधीन निर्धारित किया जाता है । वर्ष 1988 में भण्डारण सीजन के लिये अधिकतम भण्डारण प्रभार नियत करने हेतु शीतगृह सलाहकार बोर्ड की संस्तुतियां शासन के विचाराधीन है जिस पर सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

2. जहां तक अधिकतम भण्डारण प्रभार घोषित न होने से भण्डारण की समस्या उत्पन्न होने की बात है, उसके विषय में अभी तक शासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । शीतगृहों में भण्डारण की कार्यवाही द्रुतगति से जारी है और कहीं-कहीं शीत-गृहों में 20 प्रतिशत तक भण्डारण हो जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं । किसी भी जनपद से दरों के घोषित न किये जाने के कारण भण्डारण न किये जाने की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भण्डारण दर बढ़ाये जाने के लिये शीत-गृह मालिकों द्वारा सरकार पर कोई हथकण्डे न तो अपनाये जा रहे हैं और न ही अपनाने दिये जायेंगे ।

वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत कार्यस्थगन के प्रस्ताव में इंगित समस्या उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं है । सरकार आलू उत्पादकों के हित के लिये पूरी तरह सचेत है ।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शीतगृह सलाहकार बोर्ड की क्या संस्तुतियां है यह सरकार को कब मिलीं और उन पर कब तक विचार कर लिया जायेगा, इसी सीजन में विचार कर लेंगे या सीजन समाप्त होने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जहां तक संस्तुतियां प्राप्त होने का सवाल है, 4 फरवरी, 1988 को बोर्ड की संस्तुतियां प्राप्त हो गयी हैं और क्या-क्या संस्तुतियां की गयी हैं, यह बताना जनहित में नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आलू का समर्थन मूल्य क्या है और उसको कब तक लागू करेंगे । आलू की अधिक पैदावार को देखते हुये क्या सरकार किसानों के आलू खरीदने की व्यवस्था करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जो सवाल माननीय चौधरी साहेब ने किया है, उसका इससे कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि आलू का समर्थन मूल्य 70 रुपये और 60 रुपये है । यह पिछले साल 65 रुपये और 55 रुपये था सफेद और लाल आलू का । जहां तक क्रय केन्द्र खोलने का सवाल है, उसकी व्यवस्था की गयी है, 29 जिलों में

उसकी व्यवस्था की गयी है, 29 जिलों में उसकी व्यवस्था पूरी है, लेकिन खरीद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो रेट है वह अच्छा है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भंडारण के रेट के बारे में जो संस्तुतियां है वह क्या है, कृपया बताने का कष्ट करें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, तिवारी जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ही उनको रेट मालूम हो जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो शीतगृह है उनके मालिक किसानों से अधिक पैसा ले रहे है क्योंकि आलू रखने में कठिनाई है और वह 7 रुपया और 8 रुपया अधिक ले रहे है और वह रिजर्वेशन करवा रहे है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे और जो दोषी मैनेजर है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अगर माननीय सदस्य कोई विशिष्ट शिकायत करेंगे तो जरूर कार्यवाही की जायेगी । पिछले साल मैंने दो लोगों को जेल भिजवाया है ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, 70 प्रतिशत आलू की फसल रखी जा चुकी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वहां पर आलू रखा जाता है तो आपकी तरफ से क्या हिदायतें है कि किस रेट पर वह इसको रखें ? यह बात सही है जैसा कि चौधरी राम गोविन्द जी ने कहा स्टोरेज वाले मनमाने ढंग से आलू रखते है, अन्यथा वह रखने के लिये तैयार नहीं है । इसलिये आप बतायें कि किस रेट पर शीतगृह वाले आलू रखें ताकि काश्तकार अपने हिसाब से अपना आलू वहां पर रख सकें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माननीय राम गोविन्द चौधरी निश्चित रूप से एक कृषक है और कौशिक जी भी कुछ न कुछ इससे वास्ता रखते होंगे । लेकिन हो सकता है कि वे पूरी तरह से इस संबंध में जानकारी न रखते हों । श्रीमन्, जिस समय आलू रखा जाता है उस समय यह जरूरी नहीं है कि वह पैसा चार्ज कर लें । जब रिलीज करें, उस समय भी ले सकते है । उसमें कहीं पर कठिनाई की स्थिति नहीं है । यदि कठिनाई आ रही हो तो हमको फौरन अवगत करायें । जैसा कि मैंने कहा किसानों के हित के बारे में हम सचेत है । पिछली बार शिकायत आई है और उस संबंध में दो कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को जेल भेज दिया गया । किसी के साथ मुरव्वत करने का प्रश्न नहीं उठता । सरकार किसानों के हित के लिये प्रयास कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
11 मार्च, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर ।)

परिशिष्ट (क)

तहसील	विकास खण्ड	जनसंख्या (1981)
बारामण्डल	ताकुला	53971
	धौला देवी	52930
	भँसिया छाना	29736
	लमगड़ा	39205
	हवालबाग	50712
	योग	226554
बागेश्वर	कपकोट	62301
	गरुड़ बैजनाथ	49585
	बागेश्वर	58550
	योग	170436
रानीखेत	भौकुटिया	47863
	ताड़ीखेत	58746
	द्वाराहाट	57109
	योग	163718
भिकियासैंण	भिकियासैंण	40545
	स्याल्दे	[illegible]
	सल्ट	57481
	योग	146395

एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 85-86 से आज तक धन का आवंटन निम्न प्रकार है :—

तहसील/विकास खण्डवार	85-86	86-87	87-88
बारामण्डल			
ताकुला, धौलादेवी, भैंसियाछाना, लमगड़ा, हवालबाग ।	48·55	15·00	10·50
बागेश्वर			
कपकोट, गरुड़ बैजनाथ, बागेश्वर	31·10	14·70	9·26
रानीखेत			
1987-88 के पूर्व केवल एक ही तहसील थी ।			
चौखुटिया, ताड़ीसेण, द्वाराहाट	56·23	20·23	6·15
भिकियासेण			

भिकियासेण, स्याल्दे, सल्ट	-	-	6·30
जिला परिषद/वन विभाग/ ग्रा0अ0से0 (एक से अधिक विकास खण्ड से संबंधित आवंटन)	53·10	42·98	43·37
योग ..	189·28	92·91	75·58

पी0 एस0 यू0 पी0—3 वि0 स0—दिनांक 13-7-88—813 प्रतियां (लाइनो) ।